18

चतुर्दश माला, खंड 24, अंक 11

बुधवार, 6 दिसम्बर 2006
15 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 1 May 2008

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त सम्पादक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 11, बुधवार, 06 दिसम्बर, 2006/15 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1— 2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 221	2-36
अतारांकित प्रश्न संख्या 2014 से 2203	37-290
सभा पटल पर रखे गए पत्र	290-314
राज्य सभा से संदेश	314—315
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	315
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवां तथा सोलहवां प्रतिवेदन	315—316
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	316
रेल संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	316
कार्य मंत्रणा समिति के इकत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	316
नियम 377 के अधीन मामले	317—330
(एक) आर.एस. पुरा, हीरानगर और जम्मू जिलों के उन किसानों, जिनकी भूमि रक्षा प्राधिकरणों द्वारा अधिगृहीत की गई थी, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
चौधरी लाल सिंह	317
(दो) ट्रेन संख्या 9105/9106 अहमदाबाद-दिल्ली-हरिद्वार मेल का नाम परिवर्तित कर झूलेलाल जयंती मेल किए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	317-318
(तीन) एड्स रोगियों के साथ भेदभाव को रोकने तथा इस जानलेवा रोग को फैलने से रोकने हेतु एक प्रभावी विधान लाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	318-319
(चार) किफायती दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	319-320
(पांच) तमिलनाडु के वेल्लाकोईल और कंगायम नगरों में यातायात के आवागमन को अवरोध रहित बनाने के उद्देश्य से बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	320
(छह) हैदराबाद में मेट्रो रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अंजनकुमार यादव	321

(सात) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को साक्षर बनाने हेतु योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश कनोडीया 321

(आठ) गुजरात के भरूच के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 322

(नौ) मध्य प्रदेश के जबलपुर में विमानों के लिए रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह .... 322—323

(दस) महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर 323

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के सागर में थल सेना के कब्जे में अधिकृत भूमि पर फिर से किसानों को खेती करने का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार .... 323—324

(बारह) पंसकुरा से हल्दिया तक रेल लाईन के दोहरीकरण का कार्य आरंभ करने तथा पश्चिम बंगाल के मेचदा स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ .... 324—325

(तेरह) देश में बाल श्रमिक प्रथा पर रोक लगाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां .... 325—326

(चौदह) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री दरोगा प्रसाद सरोज 326

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण किए जाने तथा पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार .... 326—327

(सोलह) बिहार के शिवहर में पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा 327

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा कृषि भूमि अर्जन की प्रक्रिया को रोका जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक .... 327—328

(अठारह) संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन कर महाराष्ट्र में कोंकण के लिए एक पृथक विकास बोर्ड का सृजन किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु .... 328—329

(उन्नीस) तमिलनाडु के तेनकासी में ई.एस.आई. अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई 329

(बीस) असम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री सर्वानन्द सोनोवाल .... 329—330

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 333

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका .... 334—340

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका .... 341—342

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका .... 341—344

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 6 दिसम्बर, 2006/15 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों श्री गोकरण प्रसाद और श्री के०बी०के० देव बर्मन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री गोकरण प्रसाद 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री प्रसाद 1977 से 1980 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री प्रसाद उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, पिचौरा के सदस्य थे।

पेशे से कृषक, श्री प्रसाद कुटीर उद्योग, पशुपालन और डेयरी उद्योग से सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे। उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक साहित्य के अध्ययन तथा ग्रामीण उत्थान में गहन रुचि थी।

श्री गोकरण प्रसाद का निधन 21 नवम्बर, 2006 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ समय बीमार रहने के पश्चात 75 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के०बी०के० देव बर्मन 1967 से 1970, 1977 से 1979 और 1989 से 1991 तक चौथी, छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने त्रिपुरा के त्रिपुरा पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक समर्पित सांसद श्री बर्मन 1990 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य थे।

श्री बर्मन भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसायटी के आजीवन सदस्य रहे। वह 1990 के दौरान चाय बोर्ड के भी सदस्य थे।

खेल प्रेमी श्री बर्मन ने खेलों के संवर्धन के लिए अत्यंत मेहनत की। वह अनेक क्लबों और खेल संघों के पदाधिकारी थे। उनकी फोटोग्राफी, पेन्टिंग और बागवानी में गहन रुचि थी।

श्री के०बी०के० देव बर्मन का निधन 27 नवम्बर, 2006 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 73 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

अब सभा इन दिवगंत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे ।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, इश्तहार मत दिखाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे कुछ बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दी जाने वाली धनराशि का उपयोग

***202. श्री एन०एन० कृष्णदास:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जारी की गई धनराशि का कथित रूप से उपयोग नहीं किया गया है/इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जारी/आबंटित की गई धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के लिए ही किया गया है और अप्रयुक्त धनराशि अभ्यर्पित कर दी जाती है। कुछ राज्य गत तीन वर्षों के दौरान अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उन्हें आबंटित की गई धनराशि का पूरा उपयोग नहीं कर सके हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि के आबंटन और व्यय के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

विवरण I

वर्ष 2003-04, 2004-05, और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्यवार आबंटन और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	37.42	35.39	34.67	25.81	39.07	39.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.31	0.16	0.41	0.26	0.21	0.1
3.	असम	23.27	22.37	22.42	18.3	30.84	27.52
4.	बिहार	29.48	36.52	36.96	36.61	47.66	44.46
5.	चंडीगढ़	0.28	0.31	0.8	0.72	0.52	0.12
6.	छत्तीसगढ़	15.34	17.43	26.99	19.75	20.55	20.12
7.	दिल्ली	0.42	0.00	0.75	0	0.44	0.04
8.	गोवा	5.03	5.01	3.8	1.76	4.66	3.87
9.	गुजरात	22.47	20.88	37.39	33.73	38.62	38.08
10.	हरियाणा	11.19	11.66	7.09	6.42	15.43	14.12
11.	हिमाचल प्रदेश	13.45	10.77	16.1	14.66	23.27	18.19
12.	जम्मू-कश्मीर	0.54	0.46	0.44	0.04	0.12	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	झारखंड	15.46	13.66	12.5	12.42	21.37	14.79
14.	कर्नाटक	38.73	39.35	37.4	36.62	42.44	41.87
15.	केरल	20.81	23.66	30.7	30.23	34.59	53.07
16.	मध्य प्रदेश	57.50	68.80	59.49	54.21	56.48	53.51
17.	महाराष्ट्र	49.85	48.71	48.48	47.34	52.6	52.36
18.	मणिपुर	6.96	7.33	7.02	5.09	10.87	8.98
19.	मेघालय	9.41	9.20	12.24	11.7	10.69	8.5
20.	मिजोरम	5.55	5.44	4.56	4.32	5.52	5.28
21.	नगालैंड	1.98	1.97	2.31	2.14	4.01	3.85
22.	उड़ीसा	42.51	40.53	33.83	32.82	40.92	41.22
23.	पांडिचेरी	0.83	0.84	1.06	0.83	0.77	0.76
24.	पंजाब	20.09	18.80	19.03	16.48	21.76	19.3
25.	राजस्थान	27.93	25.81	53.11	42.74	54.99	53.91
26.	तमिलनाडु	41.36	31.11	36.18	34.56	54.3	49.94
27.	उत्तर प्रदेश	55.68	55.19	54.92	52.1	51.18	50.01
28.	उत्तरांचल	3.66	2.62	10.6	10.2	16.1	15.87
29.	पश्चिम बंगाल	23.57	27.07	26.22	22.94	29.87	28.05

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण-पत्र

***203. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री सुनील खां

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दृष्टिकोण-पत्र को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के क्या नाम हैं और उनके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुमानित बजट कितना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ अनुमोदित कर दिया गया है। योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र को अंतिम रूप दिया गया है जिसका उद्देश्य तीव्रतर एवं समावेशी विकास करना है। इसमें नीति, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी में समुचित हस्तक्षेप सहित सभी उत्पादक क्षेत्रकों, कृषि, उद्योग और सेवाओं में तीव्रतर विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका आशय साक्षरता/शिक्षा और स्वास्थ्य, अधिक रोजगार अवसरों में महत्त्वपूर्ण सुधार करके तथा विभिन्न समाजार्थिक समूहों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करके समावेशिता प्राप्त करना है।

(ग) प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में प्रस्तावित मॉनीटर करने योग्य सामाजार्थिक लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट अनुमान के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

ग्यारहवीं योजना के मॉनीटर योग्य समाजार्थिक लक्ष्य

आय एवं निर्धनता

* जीडीपी की विकास दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना और इसके बाद इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10% तक बनाए रखना ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया जा सके।
* लाभ विस्तार की व्यापकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष कृषि जीडीपी विकास दर 4% तक बढ़ाना।
* 70 मिलियन नये कार्य के अवसर सृजित करना।
* शिक्षित बेरोजगारी को घटाकर 5% तक करना।
* अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% तक की वृद्धि करना।
* उपभोग निर्धनता के प्रति व्यक्ति अनुपात में 10 प्रतिशत प्वाइंट तक कमी करना।

शिक्षा

* प्रारम्भिक विद्यालय से बच्चों की बीच में पढ़ाई छोड़ने की संख्या जो वर्ष 2003-04 में 52.2% थी को घटाकर वर्ष 2011-12 तक 20% करना।
* प्रारम्भिक विद्यालय में शैक्षिक उपलब्धि के न्यूनतम मानकों को विकसित करना, और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण द्वारा शिक्षा की प्रभावशीलता की मॉनीटरिंग करना।
* 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र वालों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना।
* साक्षरता में लैंगिक अंतराल को 10 प्रतिशत प्वाइंट तक कम करना।
* वर्तमान में 10 प्रतिशत तक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक सहगण की प्रतिशतता को ग्यारहवीं योजना के अंत तक बढ़ाकर 15% तक करना।

स्वास्थ्य

* प्रति 1000 जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु दर को 28 तक तथा मातृ मृत्यु (एमएमआर) के अनुपात को 1 तक कम करना।
* कुल प्रजनन क्षमता दर को घटाकर 2.1 तक करना।
* वर्ष 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना और यह सुनिश्चित करना कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक कोई स्लिप-बैक न रह जाए।
* 0-3 वर्ष की उम्र के बच्चों में कुपोषण को वर्तमान स्तर से आधा करना।
* ग्यारहवीं योजना के अन्त तक महिलाओं और बालिकाओं में अनीमिया 50% तक कम करना।

महिलाएं एवं बच्चे

* 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंग अनुपात को वर्ष 2011-12 तक 935 तथा वर्ष 2016-17 तक 950 तक बढ़ाना।
* यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कीमों के कम से कम 33 प्रतिशत परोक्ष तथा अपरोक्ष लाभार्थी महिलाएं और बालिकाएं हों।
* यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का काम की मजबूरी के बिना एक सुरक्षित बचपन हो।

अवसंरचना

* सभी गांवों एवं बीपीएल परिवारों के लिए वर्ष 2009 तक विद्युत कनेक्शन तथा योजना के अंत तक चौबीसों घंटे विद्युत सुनिश्चित करना।
* वर्ष 2009 तक 1000 तथा इससे अधिक (पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500) आबादी वाली सभी बस्तियों को सदाबहार सड़कों से जोड़ना तथा वर्ष 2015 तक सभी महत्वपूर्ण बस्तियों को कवर करना सुनिश्चित करना।

* नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक गांव को टेलीफोन से जोड़ना तथा वर्ष 2012 तक सभी गांवों को ब्रॉड बैंड जुड़ाव उपलब्ध कराना।

* वर्ष 2012 तक सभी को आवास के लिए स्थान उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2016-17 तक सभी गरीबों को कवर करने हेतु ग्रामीण गरीबों के घर निर्माण की गति में तेजी लाना।

पर्यावरण

* वन व पेड़ कवरेज को 5 प्रतिशत प्वाइंट तक बढ़ाना।

* वर्ष 2011-12 तक सभी प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का डब्ल्यूएचओ मानक प्राप्त करना।

* नदी जल को साफ करने हेतु वर्ष 2011-12 तक सभी शहरी अवशिष्ट जल की सफाई।

* वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता 20 प्रतिशत प्वाइंट तक बढ़ाना।

[हिन्दी]

कॉल शुल्कों की सीमा

***204. श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न सेल्युलर ऑपरेटरों द्वारा प्रति कॉल, लोकल, एस.टी.डी., आई.एस.डी. और रोमिंग, कितना शुल्क वसूला जा रहा है;

(ख) इन शुल्कों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वसूले जाने वाले शुल्कों के साथ किस हद तक तुलना की जा सकती है;

(ग) क्या सरकार सेल्युलर ऑपरेटरों को लाइसेंस देते समय कॉल शुल्कों की कोई सीमा निर्धारित करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (घ) लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं का प्रशुल्क, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क आदेशों/विनियमों/निदेशों के अनुसार होगा। ट्राई द्वारा अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) इस बारे में सेल्युलर टेलीफोन प्रचालकों को लचीलापन प्रदान करता है कि वे कॉल प्रभारों सहित प्रशुल्क निर्धारित कर सकते हैं।

सेल्युलर प्रचालक अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश कर रहे हैं और ये योजनाएँ मासिक किराए, कॉल प्रभारों और निःशुल्क अनुमत्य कॉलों के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाएं हैं। चूंकि इन योजनाओं की पेशकश पैकेज के रूप में की जा रही है, इसलिए केवल कॉल प्रभारों की तुलना करना मात्र ही सार्थक नहीं होगा।

राष्ट्रीय रोमिंग को छोड़कर, ट्राई द्वारा मोबाइल सेवाओं के लिए कॉल प्रभारों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए 100/- रु० के मासिक अभिगम्यता प्रभार और 3/- रु० प्रति मिनट के एयरटाइम प्रभार की अधिकतम सीमा, एयरटाइम पर 15% सरचार्ज, तथा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) पर यथा लागू प्रभारों का निर्धारण किया गया है।

विभिन्न देशों में टैरिफ पैकेजों की बहुलता, एक्सचेंज दरों में भिन्नता और खरीद क्षमता व टेलीघनत्व में भिन्नताओं के कारण दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना कठिन होगा। तथापि, भारत में सामान्यतः दूरसंचार प्रशुल्क अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से न्यूनतम है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

***205. श्री मोहन सिंह:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तथा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार कुल कितनी लंबाई है;

(ख) उक्त परियोजनाओं हेतु वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या निधियों के राज्य-वार आबंटन हेतु कोई मानदंड हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) ब्यौरे क्रमश: विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्यवार धनराशि आबंटित नहीं करता है। परियोजना की आवश्यकतानुसार धनराशि जारी की जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की पूरी हो चुकी राज्यवार लंबाई

क्रम सं.	राज्य	पूरी हो चुकी लंबाई (कि०मी०)	
		2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	473.74	58.99
2.	बिहार	92.00	82.46
3.	दिल्ली	-	6.00
4.	गुजरात	105.79	29.21
5.	हरियाणा	-	-
6.	झारखंड	66.30	67.22
7.	कर्नाटक	227.52	128.16
8.	महाराष्ट्र	137.53	84.72
9.	उड़ीसा	87.09	54.45
10.	राजस्थान	245.46	-
11.	तमिलनाडु	286.26	25.08
12.	उत्तर प्रदेश	284.00	154.13
13.	पंजाब	36.00	-
14.	केरल	16.60	-
15.	मध्य प्रदेश	15.00	19.00
16.	असम	10.50	-
17.	गोवा	13.00	-
18.	छत्तीसगढ़	-	-
19.	पश्चिम बंगाल	254.71	43.45
	जोड़	2351.50	752.87

विवरण-II

2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर राज्यवार परियोजना व्यय

क्र.सं०	राज्य	वास्तविक व्यय की स्थिति (करोड़ रु०)	
		2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	790.16	219.95
2.	असम	15.82	98.77
3.	बिहार	351.90	556.48
4.	छत्तीसगढ़	-	-
5.	दिल्ली	75.48	72.75
6.	गोवा	-	25.52
7.	गुजरात	305.76	741.99
8.	हरियाणा	112.39	97.87
9.	जम्मू-कश्मीर	20.81	117.91
10.	झारखंड	169.68	210.13
11.	कर्नाटक	586.17	524.80
12.	केरल	31.45	24.05
13.	मध्य प्रदेश	7.58	124.36

1	2	3	4
14.	महाराष्ट्र	356.34	186.82
15.	उड़ीसा	296.82	362.37
16.	पंजाब	12.54	42.45
17.	राजस्थान	522.27	310.55
18.	तमिलनाडु	745.64	694.52
19.	उत्तर प्रदेश	890.81	1,297.49
20.	पश्चिम बंगाल	990.77	576.02
21.	अन्य/सांझा	32.18	20.36
	जोड़	6,314.56	6,305.15

[अनुवाद]

मुख कैंसर

***206. श्री हितेन बर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आए मुख कैंसर के मामलों का ब्यौरा क्या है तथा प्रभावित लोगों के उपचार पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या इस रोग के मामलों में वृद्धि होने के कारणों का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) मुँह के कैंसर सहित कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या और कैंसर के उपचार में होने वाले खर्च का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहे जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री (पापुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री) द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि किसी भी समय देश में कैंसर के 25 लाख रोगी होते हैं और प्रत्येक वर्ष लगभग 7-9 लाख नए कैंसर रोगियों का पता लगाया जाता है। तम्बाकू, मुंह के कैंसर सहित कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग 50 प्रतिशत मौतें तम्बाकू के सेवन के कारण होती हैं।

कैंसर का इलाज, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के सरकारी अस्पतालों में किया जाता है। इसके अलावा, 25 क्षेत्रीय केन्द्र रोगियों को कैंसर का व्यापक उपचार प्रदान करते हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज या तो निःशुल्क या रियायती दर पर किया जाता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तम्बाकू-सेवन के खतरों और मुँह के कैंसर सहित अन्य कैंसरों में इसके योगदान के बारे में जन-जागरूकता पैदा की जा रही है।

यू.एन.डी.पी. रिपोर्ट

***207. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू०एन०डी०पी० की मानव विकास रिपोर्ट, 2006 के निष्कर्षों के अनुसार 177 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है, जैसा कि 10 नवम्बर 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उक्त रिपोर्ट में स्वास्थ्य देखभाल, जल आपूर्ति, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों के बारे में विशेष रूप से चिंता व्यक्त की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लिए योजना आबंटन में वृद्धि करने सहित इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) यूएनडीपी द्वारा जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट "अभाव से परे : बिजली, गरीबी और वैश्विक जल संकट" ("बियांड स्केयरसिटी : पॉवर, पावर्टी एंड दि ग्लोबल वॉटर क्राइसिस") - 2006 के अनुसार, 177 देशों के मानव विकास

सूचकांक (एचडीआई) में भारत 126वें स्थान पर है। वर्ष 2004 में 0 से 1 के पैमाने पर भारत के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) का मूल्य 0.611 था और भारत को "मध्यम मानव विकास" श्रेणी के देशों में रखा गया है।

(ग) यूएनडीपी द्वारा रिपोर्ट की गई एचडीआईज़ यूएनडीपी के स्वतंत्र अनुमान होते हैं, जो कि उनके स्वयं की पद्धतियों, मानकों और तथ्यों पर आधारित होते हैं।

(घ) जी, हाँ। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखरेख, जल वितरण और सफाई व्यवस्था जैसे सरोकार क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में जल और सफाई व्यवस्था की व्यापक कमियों का समाधान करके निम्न आय समूहों की स्वास्थ्य लागतों को कम करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में जल स्वच्छता-स्वास्थ्य लाभों के चक्र (लूप) को स्पष्ट किया गया है जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर बल देते हुए स्वच्छ जल और सफाई व्यवस्था के प्रावधान लोक स्वास्थ्य के स्तर में बढ़ोतरी की किसी भी कार्यनीति के आधार होते हैं। जल वितरण के संबंध में रिपोर्ट में उन असमानताओं को कम करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, विभिन्न जातीय वर्गों और क्षेत्रों के बीच मौजूद हैं, देशों के भीतर देशों के सभी क्षेत्रों में जल के वितरण में गंभीर असमानताएँ कीमत और स्थान विशेष की प्रतिकूल परिस्थितियों के पारस्परिक प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं जिसके द्वारा गरीब लोग धनवानों की अपेक्षा अधिक भुगतान करते हैं।

(ङ) सरकार सामान्य रूप से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, साफ पेय जल, सफाई व्यवस्था आदि तक पहुँच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। इनमें से ये महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, स्वजलधारा, बुनियादी सेवाओं और आधारिक संरचना में सुधार के लिए संपूर्ण सफाई व्यवस्था अभियान इन क्षेत्रकों के लिए योजना आबंटनों को भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। ग्यारहवीं योजना के आबंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशों में हिंदी पढ़ाना

***208. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा कितने लोगों को हिन्दी पढ़ाई गई;

(ख) विदेशों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय, विदेशों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सघन प्रयासों में लगा है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों को हिन्दी के शिक्षण में लगे स्थानीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों में वितरित करने के लिए हिन्दी साहित्य पर पुस्तकें, कला, संस्कृति, इतिहास पर हिंदी में पुस्तकें, बाल कहानियों की पुस्तकें, अंग्रेज़ी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेज़ी शब्दकोशों, हिन्दी शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें सीडी, कैसेट, इत्यादि शामिल हैं, निरन्तर भेजी जाती हैं। भिन्न-भिन्न देशों की शिक्षा संस्थाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से सहायता दी जाती है। इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हिन्दी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, हिन्दी तथा स्थानीय भाषा के शब्दकोशों के प्रकाशन में सहायता देना शामिल है।

विदेशों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कदम अलग-अलग देशों में क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करना है। ये सम्मेल फरवरी, 2006 में सिडनी (आस्ट्रेलिया) में, फरवरी, 2006 में आबूधाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में और जुलाई, 2006 में टोक्यो (जापान) में आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के हिन्दी शिक्षण संबंधी मुद्दों को केन्द्रबिन्दु में लाना है।

मंत्रालय, विदेशों में प्रकाशित हिन्दी पत्रिकाओं और वहां स्थानीय संगठनों द्वारा शुरू किए गए हिन्दी से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों को सहायता भी प्रदान कर रहा है। हाल में मंत्रालय ने विदेशी हिन्दी लेखकों को वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा मंत्रालय, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में छात्रवृत्ति पर हिन्दी के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्रों के नामांकन का भी समन्वय करता है। मंत्रालय, विदेशों में रह रहे विदेशी एवं भारतीय, दोनों तरह के छात्रों जो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहते हैं के नामांकन का भी समन्वय करता है।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंदी के प्रति विदेशियों तथा विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच रुचि बढ़ी है।

विदेशों के साथ सामाजिक सुरक्षा संधि

***209. श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अनिवासी भारतीय कामगारों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में बेल्जियम के साथ सामाजिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ विशेषकर खाड़ी के देशों के साथ भी यह संधि की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) 3 नवम्बर 2006 को (बेल्जियम के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान) बेल्जियम के साथ एक सामाजिक सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे। संधि में बेल्जियम में कार्य कर रहे भारतीय को निम्नलिखित लाभ दिये जाने की व्यवस्था है;

(1) बेल्जियम कानून के अंतर्गत उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी जो 60 महीने तक के अल्पावधि करार पर कार्य कर रहे हैं, बशर्ते कि वे भारत में सामाजिक सुरक्षा भुगतान करते रहें।

(2) वे व्यक्ति जो 60 महीनों से अधिक की अवधियों के लिए बेल्जियम में रह रहे और कार्य कर रहे हैं और बेल्जियम कानून के अंतर्गत अंशदान करते हैं, वे यदि अपनी संविदा पूरी होने पर अथवा सेवा निवृत होने पर भारत अथवा किसी अन्य देश में पुन: स्थापित होते हैं तो सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने के पात्र होंगे।

(3) ये लाभ उन भारतीय कर्मचारियों को भी उपलब्ध होंगे जिन्हें किसी कम्पनी द्वारा किसी तीसरे देश से बेल्जियम में भेजा गया है।

(4) बेल्जियम में स्वरोजगार में लगे भारतीय जो बेल्जियम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान कर रहे हैं, यदि वे भारत अथवा किसी तीसरे देश में पुन: स्थापित होना चाहे तो वे सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र होंगे।

(5) पेंशन की पात्रता और मात्रा को निर्धारित करने के लिए दोनों देशों में रोजगार की अवधियों के मद्देनज़र विचार किया जाएगा।

(6) बेल्जियम में भारतीय कम्पनियाँ और अधिक प्रतियोगी हो जाएंगी क्योंकि उनके कर्मचारियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट के कारण उनकी लागतों में काफी कमी आएगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने नीदरलैंड और फ्रांस के साथ ऐसे करार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बेल्जियम के विपरीत खाड़ी देशों में कानूनन कोई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है। इसलिए खाड़ी देशों के साथ ऐसे करार करने की न तो कोई मांग है और न ही कोई प्रस्ताव।

पंचायती राज को सशक्त बनाना

***210. श्री कीरेन रिजीजू:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार देश में पंचायती राज को और अधिक सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जारी निदेशों के बावजूद कुछ राज्य, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य, पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने पंचायती राज के लिए दी गई धनराशि का अन्यत्र भी उपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) (1) संविधान में प्रावधान किया गया है कि ये राज्यों के विधानमंडल हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और प्राधिकारों से संपन्न बनायेंगे। इसी के अनुसार राज्यों ने पंचायतों को विभिन्न परिमाणों में शक्तियों और जिम्मेदारियों की सुपुर्दगी कर

दी है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की सार्थकता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार अन्योन्य क्रिया कर रहा है। 23 नवम्बर, 2006 को सदन के पटल पर रखी गयी मंत्रालय की "पंचायत की स्थिति मध्यकालीन समीक्षा तथा मूल्यांकन, 2006" नामक रिपोर्ट के तीन खण्डों में पूर्ण ब्यौरे दिए गए हैं।

(2) राज्यों द्वारा संविधान के भाग-IX के अक्षरश: कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई और दिसम्बर, 2004 के बीच पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मलेन आयोजित किये थे और सर्वसम्मति से लगभग 150 कार्य बिन्दुओं का एक सेट तैयार किया था जिसको उस सार संग्रह के रूप में एकत्र किया गया है जो जयपुर में अंतिम गोलमेज सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। कार्रवाई के संयुक्त कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने की माँग की गई है कि गतिविधि मानचित्रण के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को निधियों, कार्यों तथा कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी उनको स्वशासन की संस्थाओं के रूप में उभरने में समर्थ बनाने के लिए की जाती है।

(3) केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की एक परिषद् का गठन सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किया गया है। इस परिषद् की पहली बैठक 5-6 अगस्त, 2005 को कोच्चि केरल में तथा दूसरी बैठक 15-16 जून, 2006 को भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। सात गोलमेज सम्मेलनों की 150 सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की परिषद के निर्णयों का अनुवीक्षण करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पंचायती राज के राज्य सचिवों की एक समिति भी सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित की गई है। अब तक इस समिति की सात समीक्षा बैठकें अप्रैल 2005, जून 2005, सितम्बर 2005, नवम्बर 2005, अप्रैल 2006, जून 2006 तथा सितम्बर 2006 में आयोजित की गई हैं।

(4) पंचायतों के साथ अन्योन्यक्रिया करने तथा गोलमेज सम्मेलनों में परस्पर सहमत्य कार्य-बिन्दुओं को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति से संबंधित प्राधिकारियों के साथ समीक्षा को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के स्तर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दौरा करने की एक प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अब तक मंत्री जी ने सत्रह राज्यों तथा दो संघ शासित प्रदेशों का दौरा किया है जिनका नाम कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, *सिक्किम, गोवा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल,* चंडीगढ़, लक्षद्वीप, असम, मणिपुर तथा तमिलनाडु हैं। प्रत्येक दौरे का समापन संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक निष्कर्ष वक्तव्य के साथ होता है जिसमें उन मुख्य कार्य-बिन्दुओं की मुख्य विशेषताएँ दर्शायी जाती हैं जिन पर राज्य, गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों को संचालित करने का प्रस्ताव करेगा।

(5) विभिन्न संविधियों की समीक्षा, उनको संविधान के भाग-IX के प्रावधानों के साथ सुमेलित करने के उद्देश्य से करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी प्रकार आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायतों की केन्द्रीयता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दिशा निर्देशों की समीक्षा की जा रही है। जहाँ तक नई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संबंध है पंचायतों के लिए एक केन्द्रीय भूमिका, जहां संगत हो, मुहैया करवाने का प्रस्ताव है। इस तरह, उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पंचायतों के लिए इस अधिनियम के अधीन योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए "प्रधान प्राधिकरण" बनाने का प्रावधान किया गया है। अवसंरचना और क्षमता में क्रांतिक अंतरालों को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पंचायतें अपनी संवैधानिक भूमिका को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।

(6) सरकार पंचायती राज संस्थाओं को श्रृंखलाबद्ध उपायों के जरिए अधिक मजबूत बनाने का विचार रखती है जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- **मंत्रियों के एक समूह का गठन**

सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मंत्रियों के समूह के विचारार्थ विषयों में अन्यों बातों के साथ-साथ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार सी.एस.एस. नीति की यौक्तिकरण को भी शामिल किया गया है। मंत्रियों के समूह की बैठक 24 अगस्त, 2005 को आयोजित की गई और इसके निदेशों के अनुसार 22 मुख्य केन्द्रीय मंत्रालय यह रेखांकित करने वाले गतिविधि मानचित्रण के एक प्रयोग को कार्यान्वित कर रहे हैं कि मंत्रालयों के कार्यात्मक क्षेत्रों तथा उनके द्वारा नियंत्रित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में केन्द्र, राज्य और पंचायत स्तरों पर क्या किया जाना है।

- **पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण संबंधी शक्तिसंपन्न उप-समिति**

राष्ट्रीय विकास परिषद् में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा मार्च, 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री की

अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण संबंधी एक शक्ति संपन्न उप-समिति गठित की गई थी। इस समिति के सदस्य उपाध्यक्ष, योजना आयोग, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री तथा असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इस समिति के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों से संसाधनों के हस्तांतरण के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए रीतियाँ तैयार करना; राजस्वों तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं का आकलन करना तथा इस संबंध में एक कार्य योजना विकसित करना; विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को किए गए वित्तीय आबंटन को लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का विश्लेषण करना; और पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर राजकोषीय नियंत्रण तथा वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा विकसित करना शामिल है। इस शक्ति सम्पन्न उप समिति ने दो बैठकें 14 सितम्बर, 2005 को इसके पुनर्गठन एवं पंचायती राज मंत्री के इसके अध्यक्ष तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को इस उप समिति के सदस्य के रूप में शामिल करके आयोजित की थी। पुनर्गठित समिति की दो बैठकें 12.6.2006 तथा 13.9.2006 को आयोजित हुई थी।

- **निचले स्तर पर आयोजना**

सरकार ने निचले स्तर पर आयोजना को एक वास्तविकता का रूप देने हेतु ठोस उपायों की सिफारिश करने के लिए श्री वी. रामचन्द्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया है क्योंकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए आयोजना पंचायतों और अन्य स्थानीय सरकारों के लिए संविधान में अधिदेशित एक कार्य है। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने स्थानीय स्तर की आयोजना के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रयोग योग्य कार्रवाई के एक कार्यक्रम का सुझाव दिया है जो अप्रैल, 2007 में शुरू होने जा रही है। इसने विस्तृत रूप में उस तरीके का भी सुझाव दिया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, आवास और ग्रामीण अवसंरचना में महत्व के राष्ट्रीय कार्यक्रम उनके उद्देश्यों को बेहतर तरीके से उपलब्ध कर सकते हैं यदि विस्तृत ब्यौरे तैयार करने तथा कार्यान्वयन में पंचायतों की केन्द्रीयता प्रदान की जाए। इस विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने जिला योजनाओं की तैयारी तथा वर्ष 2006-07 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं में उनके शामिल किए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। अंतिम उद्देश्य यह है कि क्षेत्र विकास के लिए स्थानीय स्तर की समेकित आयोजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एक वास्तविकता का रूप दिया जाए।

- **पंचायतों को निधियों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग और अंतरण**

सरकार द्वारा एन सी एम पी में निर्धारित लक्ष्यों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि पंचायतों को दी जा रही निधियां न तो विलंबित होती हैं और न ही विपथित। इस लक्ष्य को पाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय में एक समिति ने इस मामले की विस्तृत जांच की और अपनी रिपोर्ट मई, 2005 में प्रस्तुत की थी। इस समिति की सिफारिशों को तीनों स्तरों पर पंचायतों को राज्यों की समेकित निधि से पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग अनुदानों के हस्तांतरण के लिए क्रियाशील बनाया जा रहा है।

- **ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण**

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उन विषयों के संबंध में ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों की सुपुर्दगी करने का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के बीच जुलाई से दिसम्बर, 2004 के दौरान आयोजित सात गोलमेज सम्मेलनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का एक संयुक्त कार्यक्रम निर्धारित किया गया था कि गतिविधि मानचित्रण के आधार पर विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी उनको स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में उभरने में समर्थ बनाने हेतु की जाती है। ग्राम सभाओं के जरिए सामाजिक लेखा-परीक्षा उपायों को संस्थागत बनाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्राम पंचायतों को समूचे ग्राम समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए) के प्रावधानों का कार्यान्वयन**

भूरिया समिति के रूप में विख्यात एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार), अधिनियम, 1996 (पीईएसए) 24 दिसम्बर, 1996 को पारित हुआ और अस्तित्व में आया था। यह कानून पंचायती राज का विस्तार केवल पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में करता है। यह कानून निम्नलिखित नौ राज्यों, जिनमें पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में लागू होता है।

इस मामले पर सितम्बर, 2004 में पंचायती राज मंत्रियों के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई थी जहाँ पर राज्य मंत्रियों ने पीईएसए के प्रावधानों को प्रवर्तित करने तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ विस्तृत परामर्श शुरू करने की सहमति प्रदान की थी ताकि लक्ष्यों से संबंधित कानूनों के प्रावधानों तथा पीईएसए के उद्देश्यों, में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस संबंध में हो रही प्रगति की समीक्षा नियमित रूप में की जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय को भारतीय विधि संस्थान, संबंधित राज्य कानूनों में राज्य सरकारों को ऐसा ही प्रयोग कार्यान्वित करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से समुचित संसाधनों की संरचना करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय विधि संस्थान से पहली रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसे संबंधित राज्य सरकारों को टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है। केन्द्रीय विधानों, नीतियों और योजनाओं को पीईएसए के प्रावधानों के साथ सुमेलित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। पीईएसए के साथ उनके विवादित प्रावधानों को अभिज्ञात करने तथा उनमें वांछित परिवर्तन करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की सहायता से सभी केन्द्रीय विधानों की जाँच की जा रही है। जांच किए जा रहे महत्वपूर्ण विधानों में से कुछ निम्नवत हैं:

(i) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

(ii) खान और खनिज पदार्थ (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

(iii) भारतीय वन अधिनियम, 1927

(iv) वन संरक्षण अधिनियम, 1980

(v) भारतीय पंजीकरण अधिनियम

अनुसूची-5 क्षेत्रों में बंजर भूमि, जल संसाधनों और भूमि से खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित केन्द्रीय नीतियों और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/केन्द्रीय योजनाओं के सामंजस्य प्रयोग पर भी केन्द्रीय स्तर से बहुत बल दिया जा रहा है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय नीति, 2003, राष्ट्रीय जल नीति, 2002, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2003 और राष्ट्रीय प्रारूप पर्यावरण नीति, 2004 की भी जांच की जा रही है। सभी पीईएसए राज्यों के पंचायती राज तथा जनजातीय कार्य के सचिवों की एक राष्ट्रीय स्तरीय बैठक मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई, 2006 को पीइएसए के प्रावधानों का अक्षरश: कार्यान्वयन की प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

- **बारहवें वित्त आयोग अनुदान**

पंचायती राज संस्थानों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्यों की संचित निधियों को बढ़ाने के लिए बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) ने 2005-10 की अवधि के दौरान 20,000 करोड़ रुपये की राशि के अनुदान की सिफारिश की है। वित्त आयोग ने टी एफ सी द्वारा कुछ घटकों तथा मूल्याकंन के आधार पर राज्यों के बीच आपसी आबंटन की भी सिफारिश किया है। विभिन्न पंचायती राज संस्थानों के सभी तीन स्तरों के बीच आबंटन राज्यों द्वारा किया जायेगा। अनुदान प्रत्येक वर्ष जुलाई तथा जनवरी में दो बराबर किस्तों में निर्मुक्त किया जाना है। अनुदान की बहुत अधिक मात्रा तथा पंचायतों की बड़ी संख्या होने के कारण टी एफ सी के दिशा-निर्देश के अनुसार पंचायतों की स्थानीय निकायों को अनुदान देने के तरीके के प्रबोधन तथा पंचायती राज संस्थानों के लिए आसानी से तथा अबाधित निधि प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय में एक प्रबोधन समिति गठित की गई है। इस समिति की 2 सितम्बर, 2005, 28 अक्टूबर, 2005, 21 फरवरी तथा 7 अगस्त, 2006 को बैठकें हुई हैं तथा वित्त मंत्रालय को निधियों के आबंटन तथा निर्मुक्त पर ब्यौरे उपलब्ध करवाने के लिए कि सभी राज्य सरकारें तरीके तथा साधन सुनिश्चित करें, इस पर चर्चा हुई ताकि जब भी किस्त देय हो तभी उन्हें किस्तें निर्मुक्त की जा सकें। मंत्रालय ने 7 दिसम्बर 2005 को एक वीडियो कांफ्रेन्स भी आयोजित की थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के वित्त सचिवों तथा पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग के सचिवों को इस मंत्रालय की एन आई सी की यूनिट द्वारा एक विकसित सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसका उपयोग बिना विलम्ब अथवा विपथन के बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पंचायतों के लिए अनुदान आबंटन निर्मुक्ति के लिए किया जा सकता है। चौदह राज्य इस सॉफ्टवेयर को अपनाने के लिए सहमत हो गये हैं।

- **पंचायत महिला शक्ति अभियान**

पंचायत महिला शक्ति अभियान—पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक आंदोलन, पंचायत राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एक राज्य स्तर संगठन स्थापित करने के उद्देश्य के साथ पंचायती राज मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया है, अभी तक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, सक्रिय कार्यकर्त्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, प्रख्यात व्यक्तियों के सम्मेलन 24 एवं 25 अप्रैल 2006 को उदयपुर (राजस्थान), 17 एवं 18 जुलाई 2006 को पटियाला (पंजाब), 4 एवं 5 अक्टूबर 2006 को मणिपुर तथा 19 अक्टूबर, 2006 को गोवा में आयोजित किए गए हैं। इस प्रकार के सम्मेलन अन्य राज्यों में भी आयोजित किए जायेंगे।

• **पंचायत युवा शक्ति अभियान**

पंचायती राज मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थानों में निचले स्तर पर प्रजातंत्र को बढ़ावा देने के लिए युवाओं तथा निचले स्तर के नेताओं को सहक्रियाशील बनाने के लिए संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी पंचायत युवा शक्ति अभियान नामक अभियान शुरू किया है।

पंचायतों के कार्यकरण में युवाओं को सम्मिलित करने के लिए पंचायतों में युवा अभियान 8 फरवरी, 2006 को श्री पेरम्बदुर के माननीय मंत्री के दौरे पर शुरू किया गया था इस अभियान में युवा विकास तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों संस्थानों को इकट्ठा करके पंचायती राज प्रजातंत्र में युवाओं के आपसी विचार-विमर्श तथा सुग्राही बनाने के लिए मंच के प्रावधान की परिकल्पना है।

इसके अलावा युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय जिनके साथ हम समन्वयन कर रहे हैं, ने पंचायत युवा शक्ति अभियान की एक श्रृंखला आयोजित करने की पहल की है। इन कार्यक्रमों में से पहला कार्यक्रम 18-19 जून, 2006 को फरीदाबाद में तथा दूसरा सितम्बर, 2006 में लुधियाना में हुआ था।

• **ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र**

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई एक संकल्पना है तथा इसका देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक उदारीकरण के लाभ पहुँचाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सक्रिय रूप से अनुसरण किया है। यह 4पी के मंच पर कार्य करता है अर्थात पब्लिक-प्राइवेट - पंचायत-पार्टनरशिप तथा इसकी संकल्पना कल्पना के लिए खुले निर्देशों के कार्यान्वयन के साथ एक अति नम्य कार्यक्रम के रूप में की गयी है लेकिन निम्नलिखित अनिवार्य मानदण्डों की भी पूर्ति करता है : पंचायती राज संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से सक्रिय सुलभ बनाया जाए; अनिवार्य रूप से एक व्यवसायिक कार्यकलाप हो; अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए; उत्पादक जीविका तथा आय सृजित करेगा; तथा रोजगार जनक होगा। बायो-डीजल, विद्युत वितरण, बायो मास तथा कृषि-खाद्य प्रक्रमण आदि के लिए अभी तक विभिन्न राज्यों में 50 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) और (ग) छठी अनुसूची द्वारा आमेलित राज्यों तथा राज्यों के हिस्से संविधान के भाग-9 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस तरह उत्तर-पूर्व में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर, त्रिपुरा तथा असम के हिस्से पंचायती राज से छूट प्राप्त हैं। पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों का हस्तांतरण देश के अन्य हिस्सों की तरह ही एक सतत् प्रक्रिया है। पंचायती राज राज्य का विषय होने के कारण संघ सरकार द्वारा पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। तथापि, क्योंकि पंचायती राज मंत्रालय को संविधान के भाग-IX के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए जनादेश मिला है इसलिए पंचायती राज संस्थानों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के लिए कार्यों, निधियों एवं कार्यकर्त्ताओं को प्रभावी रूप से हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकारों को मनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पंचायती राज मंत्री ने अभी तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर के पंचायती राज दौरे किए हैं ताकि इन राज्यों के पंचायती राज संस्थानों के पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जा सके तथा राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थानों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए समझाया जा सके तथा राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थानों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए समझाया जा सके। इन दौरों के अंत में पंचायती राज मंत्री तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा निष्कर्ष के रूप में संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे पंचायती राज संस्थानों को और सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप बना है। इन वक्तव्यों के पाठ 23 नवम्बर, 2006 को सदन के पटल पर रखी गई "पंचायतों की स्थिति पर रिपोर्ट" के खण्ड-II में देखा जा सकता है। उत्तर-पूर्व के शेष राज्यों के दौरे चालू वर्ष के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं, भारत सरकार को जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी निर्धारित है कि पंचायती राज संस्थानों के लिए निर्दिष्ट निधियां "बिना विलम्ब अथवा विपथन" के साथ उन्हें दे दी जाएं। पंचायती राज मंत्रालय किसी सूचना अथवा किसी कथित विपथन के बारे में जानकारी का स्वागत करेगा।

(ङ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

रोगियों पर नैदानिक परीक्षण

***211. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रोगियों पर उनकी मर्जी के बिना नैदानिक परीक्षण करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार औषधियों के परीक्षण तथा उसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में एक कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) दिनांक 22.11.2006 को केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सलेम में स्थित दो चिकित्सा संस्थाओं नामत: शेरोन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, येरकॉड आदिवरम एंड एस. के. एस. हॉस्पिटल, वृन्दावन रोड, सलेम में 400 से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों पर नैदानिक परीक्षण किए गए हैं और उन्हें इस भ्रम में डाला गया कि ये चिकित्सीय जांचें हैं। ऐसा बताया गया है कि ये नैदानिक परीक्षण शेरोन कैंसर केन्द्र की एक शाखा लोटस प्रयोगशाला के बैनर के अन्तर्गत किए गए हैं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि इस नैदानिक परीक्षण वाले कुछ व्यक्ति पैरों में आवृत्ति स्वरूप के दर्द की समस्या तथा यौन इच्छा में कमी की समस्या से पीड़ित हैं। उप औषध नियंत्रक (भारत), दक्षिणी जोन, सीडीएससीओ, चेन्नई को तमिलनाडु के औषध नियंत्रक तथा विशेषज्ञों के सहयोग से इस शिकायत की जांच करने तथा इस मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में नियम 122क से 122ङ के अधीन यथापरिभाषित नई औषधों के नैदानिक परीक्षणों की मॉनीटरिंग करने का प्रावधान है। साथ ही, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची-म में नैदानिक परीक्षणों के लिए अपेक्षाएँ एवं दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अनुसूची-म की अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा उत्तम नैदानिक पद्धतियों का अनुपालन करना है। उत्तम नैदानिक पद्धतियों के दिशा-निर्देशों के बिन्दु 2.4.7 में दुर्घटना से होने वाली चोटों के लिए मुआवजे की सिफारिश की गई है तथा प्रायोजकों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने को अनिवार्य बनाया गया है।

यह प्रावधान करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय औषध प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति के बगैर किसी औषध अथवा प्रसाधन सामग्री के संबंध में नैदानिक परीक्षण नहीं करेगा तथा कारावास और अथवा जुर्माने के रूप में दाण्डिक कार्रवाई जो किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति की 20 लाख रु० तक हो सकता है, को भी विनिर्दिष्ट करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विएना संधि का कथित उल्लंघन

***212. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान भारतीय राजनयिकों से बर्ताव करने में 1961 की विएना संधि का कथित रूप से उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौराज आज की तारीख तक पाकिस्तान द्वारा भारतीय राजनयिकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपना विरोध दर्ज करा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद के अधिकारियों और स्टॉफ-कर्मचारियों को निरन्तर पाकिस्तान सरकार के आसूचना एवं सुरक्षा कार्मिकों की निगरानी में रहना पड़ता है। यह प्राय: नजदीक से दिखाई पड़ने वाला और कभी-कभी यहां तक कि मिशन के अधिकारियों और उनके/की पति/पत्नी का आक्रामक पीछा भी किया जाता है। दुर्व्यवहार और डराने-धमकाने के अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं। अक्तूबर, 2006 में एक अधिकारी के आवास में सेंधमारी का भी प्रयास किया गया। अगस्त, 2006 में एक अधिकारी को गैर-कानूनी रूप से नजरबंद किया गया और पूछताछ की गई। मार्च, 2005 में एक अधिकारी को बीच में रोक कर हमला किया गया। फरवरी, 2005 में एक अधिकारी के घर पर तोड़फोड़ की गई। ऐसी घटनाएं 1961 की वियना संधि और दोनों देशों द्वारा 1992 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय "भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कौंसुली कार्मिकों के साथ व्यवहार के लिए आचार संहिता" के दायित्वों का उल्लंघन करता है।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान की सरकार के साथ इन घटनाओं को विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है और अपना विरोध दर्ज कराया गया है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि वह इस स्थिति से सहमत है कि दोनों में से किसी देश के राजनयिकों को

डराया-धमकाया नहीं जाना चाहिए। तथापि, हमारे अधिकारियों की निगरानी किया जाना जारी है।

पाकिस्तान के साथ 'शिपिंग प्रोटोकॉल'

***213. श्री गणेश सिंह:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ संशोधित 'शिपिंग प्रोटोकॉल' समझौते पर हस्ताक्षर करने के मद्देनजर सुरक्षा परिदृश्य का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय शिपिंग कंपनियों पर उक्त प्रोटोकॉल के प्रभाव के बारे में भी सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अन्य देशों से इसी प्रकार के प्रोटोकॉल हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) पाकिस्तान से किए जाने वाले संशोधित पोत-परिवहन (शिपिंग) प्रोटोकॉल में, भारत और पाकिस्तान के जलयानों द्वारा एक-दूसरे के पत्तनों से किसी अन्य देश का जहाजी माल उठाए जाने पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर देने का प्रावधान है। इस प्रोटोकॉल में यह प्रतिबंध भी समाप्त कर देने का प्रावधान है कि उपर्युक्त दोनों देशों में से किसी एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाने वाला जहाजी माल, भारत के या पाकिस्तान के किसी जलयान द्वारा ही ले जाया जा सकता है। इन बदलावों से इन दोनों देशों की पोत-परिवहन कंपनियों को मदद मिलेगी। उपर्युक्त संशोधित प्रोटोकॉल से सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर संबंधित अभिकरणों द्वारा विचार कर लिया गया है। ऐसे प्रतिबंध अन्य देशों में नहीं है।

आई.पी.टी.वी. सेवा की शुरूआत

***214. श्री बापू हरी चौरे:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई.पी.टी.वी.) सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में "ट्राई" ने कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को यह सेवा प्रदान करने का अधिकार है;

(च) यदि नहीं, तो इस सेवा को शुरू करने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को इस संबंध में निजी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) एमटीएनएल ने मुम्बई में 14.10.2006 को तथा दिल्ली में 17.10.2006 को आईपीटीवी सेवा शुरू की है। बीएसएनएल, इस सेवा को चालू करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

(ग) और (घ) इस समय, आईपीटीवी के संबंध में ट्राई की तरफ से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) एमटीएनएल के पास दिल्ली और मुम्बई में ब्राडबैंड सहित सभी प्रकार की अभिगम सेवाएं प्रदान करने का अधिकार है। आईपीटीवी सेवा, ब्राडबैंड पर एक मूल्यवर्द्धित सेवा के रूप में प्रदान की जा रही है।

(छ) और (ज) सरकार को इस संबंध में अन्य निजी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता

***215. श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता से संबंधित मामला इस समय किस चरण में है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इन प्रयासों का क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों से चल रही संयुक्त राष्ट्र सुधार की प्रक्रिया के केन्द्र के रूप में सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार को देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस सुधार में, स्थायी एवं गैर-अस्थायी दोनों श्रेणियों में उसका विस्तार करने के साथ-साथ उसके कार्य प्रणाली को उन्नत करना शामिल होना चाहिए। सरकार, जी-4 समूह के रूप में अन्यथा जाने जाने वाले ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ समन्वय और बातचीत के माध्यमों सहित इस मुद्दे पर निरन्तर सक्रियतापूर्वक कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद-सुधार के मुद्दे पर 11 दिसंबर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में भारत आगे विचार-चर्चा में भाग ले रहा है।

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मॉडल तैयार करते हुए संयुक्त राष्ट्र में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को केंद्र बिन्दु में रखना है जिसका कि व्यापक समर्थन एवं स्वीकार्यता है। अभी तक इस दिशा में प्रगति संतोषजनक रही है।

सेल्युलर ऑपरेटरों को राजसहायता

***216. प्रो एम. रामदास:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण, सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए सेल्युलर ऑपरेटरों को राजसहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन (यूएसओ) फंड से सेल्युलर सेवा प्रदाताओं को राजसहायता देने से ग्रामीण, सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में लैंडलाइन फोन की व्यवस्था प्रभावित होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) देश के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करने में समर्थ होने हेतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने के लिए 30.10.2006 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से देश के विनिर्दिष्ट ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना के सृजन और इस अवसंरचना के साझा उपयोग द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए राजसहायता प्रदान की जाएगी। देश के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अवसरंचना स्थल स्थापित करने और उनका प्रबंध करने तथा मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक मसौदा निविदा दस्तावेज 21.11.2006 को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर डाला गया है ताकि स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए जा सकें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का आयात

***217. श्री सुब्रत बोस:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उपभोग हेतु प्रति वर्ष भारी मात्रा में कोयले का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को वर्षवार कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई और उनके द्वारा कितने कोयले का आयात किया गया; और

(घ) विद्युत उत्पादन इकाइयों के उपयोग हेतु कोयले की शुद्धता और उसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से कोयले को धोने के लिए सी.आई.एल द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) देश के तापीय विद्युत संयंत्रों की खपत के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई कोयले की मात्रा निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	मात्रा (मिलियन टन)
1.	2001-02	3.56
2.	2002-03	3.07
3.	2003-04	3.37
4.	2004-05	4.53
5.	2005-06	10.44

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की तुलना में तापीय विद्युत संयंत्रों को कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आपूर्ति की गई कोयले की मात्रा एवं कोयला उत्पाद निम्नवत हैं:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	सी.आई.एल. से आपूर्ति	आयात के माध्यम से प्राप्ति
2003-04	234.04	3.37
2004-05	249.26	4.53
2005-06	256.44	10.44

(घ) विद्युत उत्पादन यूनिटों के उपयोग के लिए उसकी शुद्धता और कैलोरीफिक मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल) द्वारा कोयले की धुलाई हेतु किए गए उपाय निम्नवत हैं:

(1) सी.आई.एल ने नॉन-कोकिंग वाशरियों की स्थापना की है और नॉन-कोकिंग कोयले की धुलाई के लिए कुछ कोकिंग कोयला वाशरियों को भी परिवर्तित किया है।

(2) सी.आई.एल ने बिल्ड-ओन-आपरेट योजना (बी.ओ.ओ.) के अधीन कुछ नॉन-कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना हेतु कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

(3) सी.आई.एल ने अपने लिंक्ड उपभोक्ताओं और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वाशरियों की स्थापना करने के लिए भूमि और अन्य ढांचागत सुविधाओं की पेशकश की है।

[हिन्दी]

डाकघरों में बैंक सुविधाएँ

***218. श्री पंकज चौधरी:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघरों में एटीएम सहित विभिन्न बैंक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता को उपर्युक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी हां। सरकार का डाकघर बचत बैंक के ग्राहकों के लिए कभी भी - कहीं भी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, डेबिट कार्ड का प्रयोग कर एटीएम के माध्यम से लेन-देन का प्रावधान होगा।

(ख) यह अभी केवल विचाराधीन है और इसका कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

'सिलिकोसिस' मामलों में वृद्धि

***219. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिलिकोसिस के मामलों में चिंताजनक रूप में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस रोग से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सिलिकोसिस कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचनीय रोग है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, मरूस्थलीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र संस्थान, जोधपुर ने वर्ष 1992-95 के दौरान जोधपुर में एक क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण किया जिससे सैंड स्टोन खदान के श्रमिकों में सिलिकोसिस की व्यापतता 9.9% होने का पता चला। सिलिकोसिस का मुख्य कारण सैंड स्टोन खदानों में शुष्क यांत्रिक ड्रिलिंग थी जिससे सिलिका से भरी अत्यधिक धूल उत्पन्न होती है। 2002-03 के दौरान करौली में किए गए सर्वेक्षण से सिलिकोसिस की व्यापतता 37.3% प्रदर्शित हुई।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने हाल ही में 2005 में, मंदसौर, मध्य प्रदेश के स्लेट पेंसिल श्रमिकों के बीच में एक अध्ययन किया है। व्यावसायिक रूप से प्रभावित समूह में सिलिकोसिस की व्याप्तता 21% थी; अर्ध-व्यावसायिक रूप से प्रभावित समूह में यह 12.6% थी तथा गैर-व्यावसायिक रूप से प्रभावित समूह में लगभग 2% को सिलिकोसिस था। खम्बात, गुजरात में गोमेद (एगेट) पीसने वाले श्रमिकों के बीच 2000 में किए गए एक अध्ययन में सिलिकोसिस की व्याप्तता पूर्व ग्राइन्डरों में 38.11%, वर्तमान ग्राइन्डरों में 29.02%, घरेलू सदस्यों में 11.0% तथा पड़ोसियों में 6.8% पाई गई।

सिलिकोसिस की घटना में अधिसमय वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कोई देशांतरीय (लॉगिट्यूडिनल) अध्ययन नहीं किए गए हैं।

मरूस्थलीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर ने श्वसनीय धूल स्तरों में कमी लाने के लिए वेट ड्रिलिंग एवं पिसाई की एक विधि तैयार की है तथा तकनीकों एवं परिणामों को महानिदेशक, खान सुरक्षा को सूचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने भी धूल के नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिनसे वायुजनित धूल में 75%-85% की कमी प्रदर्शित हुई है जिन्हें अब गुजरात के क्वाट्र्ज पिसाई एककों में प्रयोग में लाया जा रहा है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के वैज्ञानिक सिलिका धूल के पूर्ण नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने हेतु प्रयास कर रहे हैं।

मनीआर्डर शुल्क

*220. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीऑर्डर भेजने के लिए शुल्क बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मनीआर्डर भेजने में कम लागत आने के तरीकों की व्सवहार्यता का पता लगायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी नहीं। 2004-05 की स्थिति के अनुसार इस सेवा की इकाई लागत 56.16 रुपए है जबकि इसका औसत राजस्व 26.14 रुपए प्रति इकाई है।

(ख) से (ङ) किफायती एवं अधिक दक्ष सेवा के लिए घरेलू मनीऑर्डर सेवा को पुन: व्यवस्थित करना विचाराधीन है।

क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी परीक्षण

*221. **डा. टोकचोम मैन्या:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो ने क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परीक्षण बिना किसी विदेशी सहायता के किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो भारत अपने अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में इस स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कब तक करने की स्थिति में होगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। इसरो ने महेंद्रगिरी स्थित द्रव नोदन प्रणाली केंद्र परीक्षण कॉम्पलेक्स में 28 अक्तूबर, 2006 को स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का भू-तप्त परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। स्वदेशी चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, जिससे 69.5 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न हुआ। परीक्षण के दौरान, इंजन, विद्युतरोधी नोदक टैंकों, बूस्टर पंपों, भरण और निष्कासन प्रणालियों, निपीडन प्रणालियों, अंतरचरण संरचनाओं इत्यादि जैसे अनेक चरण अवयवों ने उड़ान मानकों के अनुसार सुसंगत रूप से काम किया। इस परीक्षण की अवधि 50 सेकेंड थी और इसका निष्पादन अपेक्षानुसार था।

(ग) जी, हां।

(घ) हाल ही में किए गए चरण स्तर के तप्त परीक्षण ने समेकित उड़ान प्रणाली की डिजाइन उपयुक्तता और निष्पादन को निरूपित किया है तथा 720 सेकेंडों की उड़ान अवधि के लिए इस उड़ान यूनिट की अर्हता परीक्षण की योजना बनाई गई है। अर्हता परीक्षण को पूरा करने के बाद अगले वर्ष के भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (जी एस एल वी-डी 3) मिशन में स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के उड़ान परीक्षण की योजना तैयार की गई है।

न्यूट्रीनो ऑब्जरवेटरी लैब

2014. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर में 'न्यूट्रीनो ऑब्जरवेटरी लैब' स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) तत्संबंधी अनुमानित व्यय क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना देश के अन्य भागों में इसी प्रकार के लैब स्थापित करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां। सरकार तमिलनाडु में मसिनागुडी के निकट सिंगारा गाँव में, जो कि मैसूर नगर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में है, 'न्यूट्रिनो आब्जरवेटरी लैब' स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है।

(ख) इस प्रयोगशाला की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) प्रयोगशाला का मुख्य लक्ष्य, विभिन्न प्राकृतिक तथा प्रयोगशाला स्रोतों से प्राप्त न्यूट्रिनोज़ का अध्ययन करना है।

(ii) इसे कास्मिक किरणों को रोकने के लिए एक किलोमीटर शैल भार के नीचे एक अन्तर्भौम गुफा में स्थापित किया जाएगा।

(iii) गुफा का आकार 120 मीटर लम्बा, 22 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा होगा

(iv) इस परीक्षण में धरती के वायुमंडल में से आने वाले न्यूट्रिनोज़ का पता लगाना, और उनकी ऊर्जा तथा दिशा आमापनों द्वारा, मूलभूत कण, न्यूट्रिनो के उत्तेजक गुणधर्मों का पता लगाना शामिल है। भविष्य में, इसका उपयोग, सुदूर स्थित त्वरकों से आने वाले न्यूट्रिनोज़ को काम में लाकर और भी ज्यादा परिशुद्ध आमापनों के लिए भी किया जा सकता है।

(v) यह कण नाभिकीय भौतिकी के लिए संसूचक अनुसंधान और विकास केन्द्र के रूप में भी काम करेगा।

(vi) यह भावी वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करने में भी सहायता करेगा।

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि में 320 करोड़ रुपए और उसके बाद बारहवीं योजनावधि में 350 करोड़ रुपए जोकि कुल मिलाकर 670 करोड़ रुपए लागत बैठेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) के मद्देनज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

2015. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के गरीब लोगों के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) सभी लंबित मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। जनसंख्या के खासकर गरीब और असुरक्षित वर्ग को पहुंचयोग्य, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी तथा विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। इस मिशन में पहुंच में सुधार करके, समुदाय को स्वामित्व तथा सेवाओं की मांग योग्य बनाकर, कुशल सेवा प्रदानगी हेतु जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करके, समानता और जवाबदेही को बढ़ाकर तथा विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देकर प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की बात कही गई है। इस मिशन के निर्धारित लक्ष्य मातृ एवं बाल-मृत्यु को कम करना, जनसंख्या स्थिरीकरण और बीमारियों के बोझ को कम करना है।

इस मिशन की प्रमुख कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

* जन स्वास्थ्य सेवाओं के स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रबन्धन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमता बढ़ाना।

* महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के माध्यम से घरेलू स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को बढ़ाना।

* पंचायतों की ग्राम स्वास्थ्य समिति के जरिए प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य योजना लागू करना।

* स्थानीय योजना और कार्रवाई तथा और अधिक बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की उपलब्धता के लिए उपकेन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करना।

* गुणवत्ता मानक प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रबन्धन समिति को सक्षम बनाने हेतु मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करना।

* मानकों के अनुरूप बेहतर उपचारात्मक परिचर्या के लिए प्रति लाख आबादी पर एक 30-50 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करना।

* पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य और पोषण समेत एक अन्तर क्षेत्रीय जिला स्वास्थ्य योजना तैयार करनी और उसका कार्यान्वयन।

* स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर निवारक स्वास्थ्य परिचर्या हेतु क्षमता निर्माण।

* राष्ट्र, राज्य जिला और प्रखण्ड स्तरों पर विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का एकीकरण।

महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य दशा में सुधार के लिए इस मिशन के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम एक प्रमुख कार्यक्रम है।

(ग) पिछले तीन वर्षों 2003-04 से 2005-06 के दौरान कर्नाटक राज्य को आबंटित निधियां इस प्रकार हैं-

2003-04	-	14407.64 लाख रुपए	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत
2004-05	-	19907.22 लाख रुपए	
2005-06	-	22312.20 लाख रुपए	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत

(घ) शून्य

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

अनिवासी भारतीयों के लिए विद्यमान विनियम

2016. श्री गुरजीत सिंह राणाः क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु 'स्पेशल' या जेनरल पॉवर ऑफ अटार्नी तथा अन्य कानूनी दस्तावेज तैयार करने हेतु अनिवासी भारतीयों के लिए विद्यमान विनियम असुविधाजनक तथा कठिन है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे वैधानिक दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण तैयार करने हेतु जहां वे रहते हों, उन देशों के स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता से इसे करने देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जबकि भारत में एक नोटरी के प्रमाण-पत्र को साक्ष्य की वास्तविकता, जिसे यह प्रमाणित करता है, किसी भारतीय न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किया जाएगा, राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कौंसलर अधिकारी, जो विदेशों में नोटरीय कार्य करते हैं के प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में दूरसंचार सुविधाएं

2017. श्री पुन्नूलाल मोहलेः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों का स्थानवार ब्यौरा क्या है जहाँ वर्ष 2005-06 के दौरान एसटीडी/आईएसडी/इंटरनेट तथा फैक्स सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद): (क) यह विभाग ग्रामीण टेलीफोनी द्वारा

कवर किए गए गांवों के संदर्भ में आंकड़े रखता है। उन ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जिन पर वर्ष 2005-06 के दौरान एसटीडी सुविधाएं प्रदान की गई तथा जिन पर वर्ष 2006-07 के दौरान ये सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है।

आईएसडी सुविधा वीपीटी धारकों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है। इंटरनेट के लिए, धारक अपना स्वयं का उपस्कर लगाकर इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) से इंटरनेट कनैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार फैक्स के लिए भी धारक को प्रकरण के अनुसार अपना स्वयं का पर्सनल कम्प्यूटर/फैक्स उपस्कर लगाना पड़ता है।

(ख) छत्तीसगढ़ में कनैक्शन रहित सभी बकाया 5013 गांवों में नवम्बर, 2007 तक धीरे-धीरे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान कर दिए जाएंगें। इसमें ऐसे गांव शामिल नहीं हैं जिनकी जनसंख्या 100 से कम है तथा जो घने जंगलों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों इत्यादि में पड़ते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक अभिगम हेतु अत्याधुनिक बेतार प्रौद्योगिकियां संस्थापित की जा रही हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान एसटीडी सुविधायुक्त और वर्ष 2006-07 के दौरान यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला का नाम	वर्ष 2005-06 के दौरान एसटीडी सुविधायुक्त प्रदत्त वीपीटी	वर्ष 2006-07 के दौरान एसटीडी प्रदान किए जाने के लिए संभाव्य वीपीटी
1.	बस्तर	161	67
2.	बिलासपुर	9	233
3.	दुर्ग	256	246
4.	रायगढ़	52	236
5.	रायपुर	118	195
6.	सरगुजा	955	453
	कुल	1,551	1,430

सामाजिक क्षेत्र में निजी भागीदारी

2018. श्री कैलाश मेघवाल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए सामाजिक क्षेत्र में आने वाले कई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निजी निवेश को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों के चयन का क्या आधार है;

(घ) क्या सरकार इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् सेवाएं महंगी हो जाने के कारण गरीबों के इन सेवाओं से वंचित हो जाने की संभावना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को केवल उसी सीमा तक प्रोत्साहित करती है जहां तक ऐसी भागीदारी उक्त कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाती है।

(घ) और (ङ) अधिकांश सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों में गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है और इसीलिए सरकारी कार्यक्रमों के लाभों से गरीबों को वंचित रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पत्तन श्रमिकों हेतु पेंशन योजना

2019. श्री रनेन बर्मन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पत्तन श्रमिकों तथा नाविकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जहाजी कुली पर भी कोई नीति बनाने की योजना है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार की, पत्तनों, पोत-परिवहन और अंतर्देशीय जल-परिवहन से जुड़े विभिन्न पहलुओं से युक्त राष्ट्रीय समुद्रीय नीति निर्धारित करने की योजना है। उपर्युक्त नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, नौभरण भी समाहित होगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की बैठक

2020. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की बैठक किस तिथि को हुई थी;

(ख) क्या उस बैठक में जनसंख्या स्थिर रखने के संबंध में कोई नया फार्मूला खोजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें किन-किन बातों पर बल दिया गया तथा इसे किस प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा;

(घ) क्या राज्य सरकारों को स्वास्थ्य शिक्षा तथा अधिकारिता में निवेश के माध्यम से जनसंख्या स्थिरता पर बल देने का निर्देश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित राष्ट्रीय आयोग की पिछली बैठक 23 जुलाई, 2005 को हुई थी। इस बैठक में निम्नलिखित दो प्रमुख निर्णय लिए गए थे:

(i) सभी जिलों का वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए ताकि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सूचकों को प्रकाशित और मानीटर किया जा सके और उनकी तुलना बेंचमार्कों से की जा सके।

(ii) स्वास्थ्य प्रदाय प्रणालियों की कमियों का पता लगाने और राज्यों की स्वास्थ्य और जनांकिकीय स्थिति में सुधार करने हेतु उठाए जाने वाले उपायों को सुझाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जनसंख्या रेखा-चित्रों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के पांच दल गठित करना।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और इसके साथ-साथ इसका ध्यान बाल जीवन रक्षा, मातृ-स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन के मुद्दों पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त, इस नीति में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक पैकेज की पहुंच और कवरेज बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केन्द्रीय सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कार्यान्वित कर रही है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उपयुक्त कार्यान्वयन से जनांकिकीय परिदृश्य में सुधार होगा जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। राज्य सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाने का परामर्श दिया गया है। राज्यों से इस संबंध में सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो रहा है।

[हिन्दी]

तमिलनाडु में 'लाइट हाउस'

2021. **श्री एस. के. खारवेनथन:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कुल कितने कि०मी० लम्बे तटीय क्षेत्र हैं;

(ख) कितने 'लाइट हाउस' परिचालन में हैं;

(ग) कितने 'लाइट हाउस' वर्तमान में परिचालन में नहीं हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु के मछुआरों ने नौवहन में उन्हें सहायता देने के लिए और ज्यादा लाइट हाउसों की माँग की है; और

(ङ) यदि हां तो इस पर केन्द्र-सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) तमिलनाडु में तट-रेखा, 906.9 किलोमीटर लम्बी है।

(ख) पांडिचेरी में एक दीप-स्तंभ सहित, 17 दीप-स्तंभ कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, 4 डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम स्टेशन और 6 रेकॉन्स (रेडियो ट्रांसपोंडर बीकन) भी कार्य कर रहे हैं जिनमें से एक डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम स्टेशन और एक रेडियो ट्रांसपोंडर बीकन पांडेचरी में कार्य कर रहा है।

(ग) इस समय ऐसा कोई भी दीप-स्तंभ नहीं है, जो कार्य नहीं कर रहा हो।

(घ) और (ङ) जी हां, पूंपुहार में एक दीप-स्तंभ स्थापित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव मिल गया है। इसका निर्माण, इसके 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने पर निर्भर करेगा।

चिकित्सकों का पुनर्प्रबोधन प्रशिक्षण

2022. **श्री अशोक अर्गल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, राज्य सरकार से ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन तथा भोपाल सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों के पुनर्प्रबोधन प्रशिक्षण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। सभी 4 राजकीय कॉलेजों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुष कॉलेजों के विकास पर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के पुनर्मिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक के अंतर्गत इन कॉलेजों को कुल 11.05 लाख रु० के अनुदान दिए गए हैं।

छानबीन समिति द्वारा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, उज्जैन के लिए 572800.00 रु० के अनुदान हेतु 4 पुनर्मिविन्यास पाठ्यक्रमों और 4 अनवरत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में अन्य प्रस्तावों को दिनांक 7.9.2006 को इस शर्त के साथ मंजूर कर लिया गया है कि वे उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

छानबीन समिति द्वारा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जबलपुर के लिए 504200.00 रु० के अनुदान हेतु पुनर्मिविन्यास प्रशिक्षण पर तीन कार्यक्रमों और अनवरत चिकित्सा शिक्षा के 4 कार्यक्रमों के लिए इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं कि वे इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। कॉलेज से कहा गया है कि वह उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अन्य अपेक्षित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करे।

राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, ग्वालियर और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, भोपाल से संबंधित कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

मध्य प्रदेश में आयुष स्पेशलाइज्ड क्लिनिक

2023. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश द्वारा पंटेरा, मड़ियादो, सारा, हिनोता, अभाना तथा कुम्हारी में छः आयुष स्पेशलाइज्ड क्लिनिक स्थापित करने के संबंध में भेजा गया कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा कब तक इसका अनुमोदन कर दिए जाने तथा इस उद्देश्य हेतु धनराशि जारी कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विभाग में प्रस्तावों की जांच की गई है और छानबीन समिति ने उन्हें अनुमोदित कर दिया है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने अस्पतालों और औषधालयों से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पंटेरा, मड़ियादो, सारा, हिनोता, अभाना तथा कुम्हारी में विशिष्ट आयुष क्लिनिकों को स्थापित करने के लिए प्रत्येक को 10.00 लाख रु० की वित्तीय सहायता देने के लिए आयुष विभाग को प्रस्ताव भेजे थे।

(ग) आयुष विभाग में छानबीन समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। तथापि, आयुष विभाग निधियां निर्मुक्त करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से पूर्व में दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

'कैथ लैब' का रख-रखाव

2024. **श्री रघुनाथ झा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 17 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3994 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वार्षिक रख-रखाव ठेका के बावजूद सफदरजंग अस्पताल का 'कैथ लैब' वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान अधिकांश समय खराब पड़ा रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'कैथ लैब' के रख-रखाव की विफलता के लिए जिम्मेवार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है;

(ङ) क्या 'कैथ लैब' के कार्यकरण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या 'कैथ लैब' द्वारा इन मानदंडों का पालन किया जा रहा है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) अपने स्थापना वर्ष 2002 से सफदरजंग अस्पताल में कैथ प्रयोगशाला कार्य कर रही है मरम्मत के लिए अल्पावधि के वास्ते इसे बन्द किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

2005-06

02.08.05 से 05.09.05 तक

10.02.06 से 28.03.06

2006-07

05.09.06 से 16.10.06 तक

कैथ प्रयोगशाला तीन वर्ष की वारन्टी के और दो वर्ष की निःशुल्क वार्षिक रख-रखाव संविदा अर्थात् अप्रैल, 2007 तक (एएमसी) के अधीन है।

[अनुवाद]

भारतीय यात्रियों के साथ कथित भेदभाव

2025. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय विमानपत्तनों से होकर जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए नए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दिशा-निर्देश अन्य देशों के लिए भी निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय यात्रियों को यूरोपीय विमानपत्तनों पर कथित भेदभाव से बचाने के लिए कौन-कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हाल में कोई देश विशेष उड़ान सुरक्षा - दिशानिर्देश, यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। हालांकि, यूरोपियन यूनियन ने द्रव विस्फोटकों से खतरों के विरुद्ध एक नया सामान्य उड़ान सुरक्षा - दिशानिर्देश जारी किया है। यूरोपियन यूनियन के विमानपत्तनों से उड़ान भरने वाले सभी उड़ानों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश लागू होते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सहायता हेतु मानदंड

2026. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही योजनागत कार्यक्रमों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के मानदंड क्या है;

(ख) किस तिथि को ये मानदंड तय किए गए;

(ग) इन मानदंडों को बनाने के क्या आधार हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त मानदंडों में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (ग) केन्द्र द्वारा राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा दिसम्बर 1991 में यथाअनुमोदित

'गाडगिल मुखर्जी फार्मूला' नामक फार्मूले के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। इस फार्मूले के अनुसार, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु वांछित राशि तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राशि अलग रखने के पश्चात, राज्य योजनाओं संबंधी केन्द्रीय सहायता के शेष का 30% विशेष श्रेणी राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को कोष्ठकों में इंगित भारण के आधार पर वितरित की जाती है: (i) जनसंख्या (60%) (ii) प्रतिव्यक्ति आय (25%) (iii) कर प्रयास में निष्पादन, राजकोषीय प्रबंधन और राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध में प्रगति (7.5%) और (iv) विशेष समस्याएं (7.5%)।

(घ) से (च) इस समय राजस्थान का मानदंडों के परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध नहीं है जो विचाराधीन हो।

कोल ब्लॉकों को आरक्षण मुक्त करना

2027. श्री तुकाराम गंगाधर गवाख: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के कोल ब्लाकों को आरक्षण मुक्त/आबंटन मुक्त कर दिया है अथवा इनके आरक्षण मुक्त/आबंटन मुक्त किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन हेतु इन कोल ब्लाकों का इस्तेमाल करने के लिए कोई कार्यविधियां बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव): (क) से (घ) सरकार ने कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) के साथ परामर्श के बाद अनुमत्य अन्य उपयोगों हेतु सरकारी/निजी क्षेत्र को आबंटन हेतु लगभग 20.02 बिलियन टन के कुल भूगर्भीय भंडार वाले 81 ब्लाकों की पहचान की है। 81 ब्लाकों में से लगभग 9.22 बिलियन टन के भूगर्भीय भंडार वाले 48 ब्लाक सीआईएल के लिए निर्धारित ब्लाकों की सूची से निकाले गए ब्लाक हैं। इन ब्लाकों को 11वीं योजना के लिए सीआईएल की उत्पादन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था। कोयले की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, सीआईएल की सूची से ब्लाकों को आरक्षण मुक्त करना आवश्यक हो गया। इनमें से 41 कोयला ब्लाकों को विद्युत उत्पादन के लिए आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो-यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता

2028. श्री एल. राजगोपाल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'इसरो' ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष आधारित नेवीगेशन प्रणाली 'गैलीलियो' में भागीदारी के लिए उसके साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'इसरो' 'गैलीलियो' से प्राप्त नेवीगेशन सिग्नलों की सुस्पष्टता के लिए अपने उपग्रह भी छोड़ने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) भारत ने यूरोपीय समुदाय तथा इसके सदस्य देशों के साथ सितंबर 2005 में उपग्रह-आधारित नौवहन सेवाओं के लिए विकासाधीन यूरोपीय गैलीलियो प्रणाली में भागीदारी के उद्देश्य से एक समझौते पर प्रारंभिक हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, यूरोपीय संघ के देशों की स्वीकृति के बाद ही समझौते पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया जा सकता है।

(ख) इस सहयोग के कार्यक्षेत्र में अंतरिक्ष एवं भू-खण्ड, प्रयोक्ता अभिग्राही और अनुप्रयोगात्मक सॉफ्टवेयर तथा इससे संबंधित वाणिज्यिक क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

कोटा में पुल और बाइपास सड़कें

2029. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व-पश्चिम गलियारा के अंतर्गत कोटा (राजस्थान) में पुलों और बाइपास सड़कों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त निर्माण कार्य की प्रगति समय सीमा के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कोटा बाइपास का निर्माण कार्य निम्नलिखित दो पैकजों में सौंपा गया है:

(i) कोटा बाइपास का निर्माण (चम्बल नदी पर केबिल आधारित पुल को छोड़कर), और

(ii) चम्बल नदी पर केबिल आधारित पुल का निर्माण।

कोटा बाइपास (चम्बल नदी पर केबिल आधारित पुल को छोड़कर) का निर्माण अभी हाल में शुरू किया गया है और केबिल आधारित पुल की डिजाइन का कार्य चल रहा है। तथापि, कोटा बाइपास का संरेखण 'चम्बल वन्य प्राणी विहार' से गुजरता है जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय से अंतिम अनापत्ति भी आवश्यक है। इसलिए कोटा बाइपास का निर्माण कार्य फिलहाल निर्धारित समय के कुछ पीछे है।

(घ) कोटा बाइपास परियोजना और चम्बल पुल परियोजना को पूरा करने को क्रमशः नवम्बर, 2008 और फरवरी, 2010 में पूरा किया जाना नियत है तो सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति और तत्पश्चात पर्यावरण और वन मंत्रालय से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है।

दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अनियमितताएं

2030. **श्री रामदास आठवले:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दूरसंचार उपलब्ध कराते समय कोई अनियमितताएं ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान टेलीफोन केबल बिछाने पर कुल कितनी राशि व्यय की गई।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन

2031. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोबाइल/टेलीफोन कंपनियों द्वारा टेलीमार्केटिंग कंपनियों को उपभोक्ताओं का 'डाटाबेस' बेचने पर रोक लगाने हेतु कोई दिशा-निर्देश बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाए किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सरकार ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों संबंधी सूचना की उनके कर्मचारियों द्वारा संभावित अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए कड़े उपाय करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने भी इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके अलावा, कुछ मोबाइल/टेलीफोन कंपनियां अपने ग्राहकों को डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) रजिस्टर या इसी प्रकार की अन्य सुविधा प्रदान कर रही हैं।

कोयला खान परियोजनाएं

2032. **श्री के. सी. पल्लानी शामी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. ने गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खान परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति कोयला परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र. सं.	परियोजना/खान का नाम	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृती पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु०)	स्वीकृत की तारीख
1.	मगध ओसी	12.00	469.78	19.7.2006
2.	अशोक विस्तार ओसी (1.50 मि.ट. प्रतिवर्ष से 6.50 मि.ट. प्रतिवर्ष)	5 (वृद्धिक)	471.66 (वृद्धिक)	13.4.2006
3.	कारो ओसी	3.50	96.53	12.8.2006
4.	कोनार ओसी	3.50	74.53	12.8.2006
5.	पिपरवार विस्तार ओसी (6.50 मि.ट. प्रतिवर्ष से 10 मि.ट. प्रतिवर्ष) आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना	3.50 (वृद्धिक)	21.87 (वृद्धिक)	9.9.2006

(ग) ये परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और समय से चल रही हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त अनुमोदित परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) पूछताछ के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई; राज्य एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई; क्षतिपूरक वन-रोपण के प्रति बकाए का भुगतान; वन तथा गैर-वन भूमि के शीघ्र अनुमोदन/रिलीज के लिए शुद्ध मौजूदा मूल्य (एनपीवी) आदि।

(ii) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट में विचरित लिंक्ड क्रियाकलापों की कठोर निगरानी।

(iii) निविदा आमंत्रित करना और नेटवर्क/वार्षिक लक्ष्य में दर्शायी गयी समय-सीमा के अनुसार कोयला एवं ओवरबर्डन के आउटसोर्सिंग विकल्प के निष्पादन के लिए कार्य का अवार्ड।

(iv) आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से पर्याप्त पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान।

[अनुवाद]

ब्राजील में सांस्कृतिक केन्द्र

2033. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने ब्राजील में अपना सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सांस्कृतिक केन्द्र से दोनों देशों के कितना लाभान्वित होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) 11-14 सितंबर, 2006 तक प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि दोनों देश शीघ्र ही साओ पाउलो और नई दिल्ली में सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे।

(ग) भारत और ब्राजील दोनों आई बी एस ए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) समूह के सदस्य हैं, जिसका विस्तार एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका महाद्वीपों तक है। भारत और ब्राजील सामाजिक विविधता, लोकतांत्रिक स्वरूप की सरकार, बहु-जातीय जनसंख्या और विशाल जनसंख्या के आधार सहित विशाल महाद्वीपीय आकार के देश हैं। ब्राजील में भारत की संस्कृति, धर्म, मंचीय कलाओं और दर्शन के प्रति अपार रुचि है। लातिन अमरीका का प्रमुख देश होने के नाते ब्राजील के बारे में भारतीय भी और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। ये केंद्र विविध क्षेत्रों में अधिक व्यवस्थित क्रिया-कलापों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

बीमारियों की रोकथाम में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

2034. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मलेरिया, डेंगू, हैजा, मस्तिष्क ज्वर और काला-जार जैसी बीमारियों के बचाव व उन्मूलन हेतु गैर-सरकारी संगठनों से सहायता ली है; और

(ख) यदि हां, तो उनके राज्य-वार नाम क्या हैं और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 पर विकास कार्य

2035. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के कोल्लम-अलाप्पुझा खंड पर क्या विकास कार्य लंबित है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा क्या है और भूमि-अधिग्रहण की लागत कितनी है तथा उक्त खंड को चौड़ा किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए कोल्लम-अलाप्पुझा-खंड की गाद निकालने तथा चौड़ा करने हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जलमार्ग के किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 के 76 किलोमीटर क्षेत्र में फैले कोल्लम-अलापुझा-जल-खंड (विस्तार) में लंबित निर्माण-कार्यों का ब्यौरा और उनके कारण संलग्न विवरण में दिए जा रहे हैं।

(ख) कोल्लम-कोट्टापुरम-जल-खंड (विस्तार) में, 1562.91 लाख रु० की लागत पर, नहर को चौड़ा किए जाने हेतु 20.36 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इस जल-खंड (विस्तार) को चौड़ा किए जाने से संबंधित स्थिति भी संलग्न विवरण में दी जा रही है।

(ग) वर्ष 2006-07 के अनुमोदित बजट में राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 के संबंध में, कोच्चि-कोल्लम जलखंड (विस्तार) में बड़े पैमाने पर निकर्षण से संबंधित कामकाज के निष्पादन हेतु 01 करोड़ रु० की धनराशि आबंटित कर दी गई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भूमि के अधिग्रहण से विस्थापित व्यक्तियों को अदा किए जाने वाले मुआवजे की धनराशि, इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लेखित भूमि के अधिग्रहण की लागत में शामिल है और यह धनराशि, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण द्वारा केरल की राज्य-सरकार को पहले ही अदा कर दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 के कोल्लम-अलपुझा-जलखंड (विस्तार) में लंबित निर्माण-कार्य	मौजूदा स्थिति और लम्बित रहने के कारण
1	2
उपर्युक्त नहर को और अधिक गहरा तथा चौड़ा किए जाने हेतु बड़े पैमाने पर निकर्षण से संबंधित कामकाज	76 किलोमीटर के जल-खंड (विस्तार) में से, उथले जल-क्षेत्र की लम्बाई 58.33 किलोमीटर है। 58.33 किलोमीटर के उथले जल-क्षेत्र में से 33.10 किलोमीटर के जल-खंड में निकर्षण से संबंधित कामकाज पूरा कर

1	2
	लिया गया है और 25.23 किलोमीटर के जलखंड में निकर्षण से संबंधित कामकाज, स्थानीय लोगों द्वारा निकर्षित सामग्री का ढेर लगाए जाने पर आपत्ति प्रकट किए जाने, नौवाहनात्मक जलमार्ग से मछली पकड़ने के जालों को नहीं हटाए जाने, निकर्षण इत्यादि से संबंधित कामकाज किए जाने से तटों के ढह जाने के डर से स्थानीय लोगों द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिए जाने के कारण रुक जाने से लम्बित है। इसके परिणामस्वरूप संविदात्मक समस्याएँ भी उत्पन्न हो गई हैं।
नौचालन से संबंधित साधन-सुविधाएँ	दिन में नौचालन से संबंधित संकेतक कायम कर दिए गए हैं। कार्य पूरा किए जाने हेतु छः महीने की अवधि दिए जाने सहित रात के समय नौचालन से संबंधित साधनों-सुविधाओं को कायम किए जाने के कार्य का आदेश 02.11.2006 को दे दिया गया है।
टर्मिनल	कोल्लम और अलापुझा के बीच प्रस्तावित चार टर्मिनलों में से, त्रिक्कुनापुझा और कायमकुलम पर निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है। कोल्लम पर टर्मिनल के निर्माण से संबंधित संशोधित अनुमान, सरकार द्वारा संस्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया में चल रहा है। अलापुझा के टर्मिनल के निर्माण का कार्य आरंभ नहीं किया जा सका, क्योंकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को केरल की राज्य सरकार द्वारा अभिगृहीत भूमि सौंपी नहीं गई है।

[हिन्दी]

दन्त शल्य चिकित्सकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन

2036. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दन्त शल्य चिकित्सकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) दंत चिकित्सा में स्नातक कर रहे विद्यार्थियों के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम लगभग 23 वर्ष पहले वर्ष 1983 में तैयार किए गए थे। तभी से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व भर में विशिष्ट प्रगति हुई है। तदनुसार केन्द्र सरकार, भारतीय दंत परिषद की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों में परामर्श से बीडीएस पाठ्यक्रम में नए विषय जैसे एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, ओरल इम्प्लांटोलोजी, बिहैवियरल साइंसिज, फोरेंसिक ओडोन्टोलोजी और डेंटोफेसियल आर्थोपेडिक्स आदि शामिल करके कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न कर रही है जिससे देश के विभिन्न दंत महाविद्यालयों में बीडीएस पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कुशलता में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के स्तर का विकास हो।

"स्टेम सेल" उपचार

2037. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेम सेल द्वारा अस्थि संबंधी रोगों के उपचार हेतु नैदानिक परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कब तक अस्थि रोगियों हेतु स्टेम सेल उपचार के उपलब्ध होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

महानदी कोलफील्ड्स लि. के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त

2038. श्री अनन्त नायक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के वित्तीय प्रभाव क्या हैं;

(घ) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी अधिकारियों को उनका भुगतान प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, उनकी संख्या निम्नवत है:

वर्ष	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
2003-04	101
2004-05	63
2005-06	62

(ख) श्रेणीवार ब्यौरे निम्नवत हैं:

श्रेणी	2003-2004	2004-2005	2005-2006
कार्यपालक	1	1	–
तकनीकी तथा पर्यवेक्षकीय ग्रेड और अन्य मासिक आधार पर कार्यरत	10	5	8
दैनिक आधार पर कार्यरत (उत्खनन ग्रेड-ई से विशेष ग्रेड)	4	4	4
दैनिक आधार पर कार्यरत (श्रेणी-I से VI)	47	41	22
कार्य आधार पर कार्यरत	39	12	28
योग	101	63	62

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर वित्तीय खर्च निम्नवत है:

वर्ष	वित्तीय खर्चा (लाख रु०)
2003-04	866.47
2004-05	186.05
2005-06	200.33

(घ) जी, हां। उन सभी अधिकारियों जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, ने अपने-अपने भुगतान प्राप्त कर लिए हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

2039. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) गृह मंत्रालय के अनुसार, केन्द्रीय आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (एस्मा) 23 सितम्बर, 1981 से लागू हुआ। मूल अधिनियम का जीवनकाल चार वर्ष

अर्थात् 1985 तक था जिसके पश्चात इसे 1990 तक आगे बढ़ाया गया। एस्मा, 1981 को जारी रखने के प्रश्न पर राज्य सरकार तथा केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ परामर्श किया गया और इस अधिनियम की अवधि को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया गया तथा सितम्बर 1990 में यह अधिनियम समाप्त हो गया। कई राज्य के अपने आवश्यक सेवा अधिनियम हैं।

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता घोषित की गई है। ऐसा इस बात का सुनिश्चय करने के लिए किया गया है कि निर्यात के आदेशों, जिन्हें समयबद्ध रूप से पूरा होता है, पर अचानक हड़ताल के कारण कोई प्रभाव न पड़े।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु रिक्तियाँ

2040. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के पदों में अन्य पिछड़े वर्ग हेतु विनिर्दिष्ट कोटे को अभी तक भरा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार में क, ख, ग और घ श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं और उनमें से कितने पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से भरे गए हैं तथा कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पदों को भरने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) भारत सरकार के अधीन आने वाली सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 1993 में लागू हुआ था तथा सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक पहुंचने में समय लगेगा।

(ग) सरकार के पास इस समय कुल पदों की संख्या तथा रिक्त पड़े पदों की संख्या के बारे में केन्द्रीयकृत रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी 01.01.2004 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मिली सूचना के अनुसार समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 3090, 3123, 106309 तथा 26158 है।

(घ) और (ङ) अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित कोटे को भरने के लिए दिशा-निर्देश पहले से मौजूद हैं।

[अनुवाद]

हज यात्रा के प्रबंध हेतु वित्तीय निगम

2041. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में हज यात्रा के प्रबंध और वित्तपोषण हेतु एक वित्तीय निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ङ) राज्य सभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के० रहमान खान के नेतृत्व में माननीय संसद सदस्यों के एक कार्य दल ने मलेशिया के 'ताबुंग हाजी' के तर्ज पर एक संगठन गठित करने की सिफारिश की है जो अन्य बातों के साथ-साथ भावी तीर्थयात्रियों से होने वाली बचत को जुटाने, शरीयत के तहत अनुमत्य साधनों में निवेश करने, जमाकर्ताओं को उनके बचत से हुए लाभ को वितरित करने और सभी संबंधित सेवाएं प्रदान कर हज प्रबंधन का कार्य करेगा। कार्य बल रिपोर्ट में प्रस्तावित वित्तीय संस्थान की संरचना में एक ऐसे अलग कारपोरेशन की परिकल्पना की गई है जो कि या तो एक सांविधिक निकाय होगा या 1500 करोड़ रु० की प्रस्तावित इक्विटी आधार का कम से कम 40 प्रतिशत की सरकारी इक्विटी भागीदारी वाला भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होगा। ऐसी संस्था स्थापित करने के मुद्दे पर निर्णय अभी लिये जाने हैं और उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदान पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

2042. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ वर्षों से प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में काफी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. के. वासन): (क) जी हां।

(ख) 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर देश में प्रति व्यक्ति आय क्रमश: रु०, 21,142, रु० 23,222 तथा रु० 25,825 अनुमानित की गई है। इन तीन वर्षों में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर क्रमश: 11.3 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत तथा 11.2 प्रतिशत है। सही मायने में, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान स्थिर (1999-2000) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमश: 7.2 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत, तथा 6.9 प्रतिशत तक बढ़ी है।

(ग) से (ङ) उपभोक्ता-कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान गेहूँ और दालों जैसी कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का रुझान दर्ज किया गया है।

इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मांग से संबंधित घरेलू आपूर्ति में कमी और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मजबूती के कारणों से है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सामान्यत: समुचित स्तर के भीतर रही हैं।

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा गेहूँ का आयात, 9.9.2006 से जीरो ड्यूटी पर निजी ट्रेड.को गेहूँ आयात करने देने की अनुमति देना, दालों के निर्यात पर प्रतिबंध, दालों के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य करना, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनएएफईडी) द्वारा दालों का आयात, 10 प्रतिशत पॉइन्ट तक पाम समूह के तेलों पर शुल्क में कटौती, चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध, जीरो ड्यूटी पर चीनी के आयात की अनुमति देना तथा फॉरवर्डस मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) द्वारा गेहूँ, चीनी, दालों आदि की भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की दृष्टि से किए गए नियामक उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

नेपाल द्वारा अतिक्रमण

2043. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल द्वारा भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में कथित रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है;

(ग) क्या नेपाल सरकार द्वारा ऐसे गांवों को नेपाल की नागरिकता दी गई है/दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो नेपाल द्वारा ऐसे कुल कितने गांवों को नागरिकता दी गई; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) भारत नेपाल के बीच सीमा के रेखाकंन पर कुछ क्षेत्रों में मतांतर हैं; नरशाही, बिहार के सुस्ता और उत्तरांचल के कालापानी जैसे क्षेत्रों में प्रमुख मतांतर हैं। गंडक नदी के सुस्ता क्षेत्र में बहाव को बदल जाने, जिसकी मध्य-धारा 1816 के सुगौली संधि के अनुसार सीमा बनी थी, के परिणामस्वरूप इस खंड में दोनों पक्षों द्वारा दावे/प्रतिदावे किए गए थे। सरकार, नेपाल पक्ष द्वारा अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से परिस्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है।

भारत और नेपाल ने एक संयुक्त तकनीकी समिति स्थापित की है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न खंडों में सीमा के रेखांकन पर मत की भिन्नता का भी समाधान करना है। संयुक्त तकनीकी समिति को अभी उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है। सरकार ने मत की भिन्नताओं का समाधान करने की आवश्यकता और मत की भिन्नताओं का समाधान होने तक इन क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता को समय-समय पर नेपाल सरकार के साथ दुहराया है। सशस्त्र सीमा बल को भारत-नेपाल सीमा पर तैनात किया गया है और उसे यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय भूभाग पर कोई अतिक्रमण न हो।

उद्योगों में वृद्धि को बढ़ावा देना

2044. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत, खनन और विनिर्माण उद्योगों में धीमी वृद्धि के कारण देश में धीमी गति से विकास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इन उद्योगों में वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) वर्ष 2000-01 से 2005-06 के दौरान खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रकों में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें नीचे तालिका में दी गई हैं:

सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें

(1999-2000 के मूल्यों पर)

क्रम सं०	क्षेत्रक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (त्वरित अनुमान)	2005-06 (संशो. अनुमान)
1.	खनन और उत्खनन	2.5	1.8	8.7	5.3	5.8	0.9
2.	विनिर्माण	7.7	2.5	6.8	7.1	8.1	9.0
3.	विद्युत, गैस और जलापूर्ति	2.0	1.7	4.8	4.8	4.3	5.3
4.	सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)	4.0	5.3	3.6	8.3	8.5	8.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

खनन और उत्खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रकों की उपर्युक्त वार्षिक विकास दरों की विगत छह वर्षों के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ तुलना करने पर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इन क्षेत्रकों की धीमी विकास दर ही अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति का कारण है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधिक मूल्यांकन में उपलब्ध है जो संसद के ग्रंथागार में रखा गया है। खनन और उत्खनन क्षेत्रक में सरकार नवीनतम खोज प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए लागत प्रभावी खनिज खोज और विकास को प्रोत्साहित करके उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और तीव्र करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। सरकार इस क्षेत्रक में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनकारी खोज स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रही है। संभाव्य खनन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण लिंक उपलब्ध कराते हुए अवसंरचना विकास भी सरकार का दूसरा प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।

विद्युत क्षेत्रक में सरकार ने वर्द्धित निजी क्षेत्रक भागीदारी द्वारा इलैक्ट्रीसिटी वैल्यु चेन के प्रत्येक घटक में प्रतिस्पर्धा के स्तर को ऊपर उठाने के उपाय किए हैं। बिजली अधिनियम के अधिनियमन ने इस क्षेत्रक में सुधार का ढांचा मुहैया कराया है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को राज्य यूटिलिटीज और निजी क्षेत्रक के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से नये निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।

विनिर्माण क्षेत्रक का उदारीकरण महत्त्वपूर्ण रूप से पूरा हो गया है और यह क्षेत्रक अब बाजार स्थितियों के अन्तर्गत संचालित है। इसने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के स्थिर युक्तिकरण सहित तीव्र विकास का वातावरण सृजित किया है।

(घ) खनन और विद्युत क्षेत्रकों में विगत वर्षों में वर्द्धित निवेश की उपलब्धि में शामिल लम्बी अवधि के मद्देनज़र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उपलब्ध सफलता को केवल दीर्घकाल में मापा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्रक ने उपर्युक्त तालिका में दिए गए के अनुसार अपनी वृद्धि दर में एक समान तीव्रता दर्शायीं है और

चालू वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल-सितम्बर, 2006-07) में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार इसमें 11.6% की दर पर वृद्धि हुई है।

सी. बी. आई. के छापे

2045. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई) द्वारा गत छह महीनों के दौरान और आज तक दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में अधिकारियों के यहां पर छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कौन-कौन से हैं और उनसे प्राप्त अवैध राशि और दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इन तलाशियों में हुई जब्तियों/वसूलियों का ब्यौरा देना अभी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे जांच-पड़ताल में रुकावट आ सकती है।

(ग) से (ङ) जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

2046. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन हेतु नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एलएलसी) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेने की क्या जरूरत है;

(ख) क्या सरकार का विचार अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की प्रक्रिया को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एलएलसी) देश में लिग्नाइट तथा लिग्नाइट आधारित उत्पादों का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख उत्पादक है और लिग्नाइट के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह विभिन्न लिग्नाइट ब्लाकों में अन्वेषण के क्रियाकलाप करती है। उनके हितों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों को सुनियोजित और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग में लाया जाए, राज्य सरकार की कम्पनी अथवा उपक्रम के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एलएलसी) से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करे कि एनएलसी की संबंधित लिग्नाइट ब्लाक में खनन प्रचालन करने की कोई योजना नहीं है अथवा वह खनन प्रचालन करने की इच्छुक नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर पुलों की स्थिति

2047. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17 पर बने पुलों विशेषकर मुराद नदी के आरपार बने पुलों, कन्नूर जिले में मुझापिलनगार्ड स्थित मोइड्डु पुल की स्थिति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान पुलों के समानान्तर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17 पर विशेष रूप से कन्नूर और कोझीकोड के बीच एक बाइपास बनाने हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय

राजमार्ग-17 सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की स्थिति का समय-समय पर जायजा लिया जाता है तथा कार्य-स्थल की आवश्यकता के अनुसार उनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। जहां तक मुझापिलनगार्ड में मोइडु पुल का संबंध है, केरल राज्य लोक निर्माण विभाग से इसकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस पर कार्यवाही की जा रही है। मुराद पुल यद्यपि संकरा है किंतु अच्छी स्थिति में है।

(ग) और (घ) केरल में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और इसके पुलों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। विद्यमान पुलों के समानान्तर पुलों के निर्माण की आवश्यकता का आकलन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(ङ) और (च) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर तीन बाइपास अर्थात् कालीकट, तलसेरी-माहे और कोईलैंडी बाइपास अभिनिर्धारित किए गए हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 28.12 किमी०, 18.03 किमी० और 11.21 किमी० है। इनमें से कालीकट बाइपास पर 16.25 किमी० में कार्य पूरा हो गया है तथा 2.78 किमी० में निर्माण कार्य चल रहा है। कालीकट बाइपास की शेष लंबाई और अन्य दो बाइपासों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के साथ चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है।

सामान्य डाकघरों को बजट होटलों में बदलना

2048. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री रशीद मसूद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाक विभाग का विचार देश के सभी सामान्य डाकघरों (जी पी ओ) को बजट होटल में बदलने तथा अपने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को निजी होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले को पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्यम से कितना राजस्व सृजित होने का अनुमान है; और

(घ) डाक विभाग की कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु इस राशि का उपयोग करने के लिए क्या कार्य-पद्धति तैयार की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-28 पर पुल का निर्माण

2049. योगी आदित्यनाथ: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-28 पर गोरखपुर में राप्ती नदी पर एक पुल बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-28 के 262.00 किमी० पर गोरखपुर में राप्ती नदी पर एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण कार्य सौंप दिया गया है।

(ख) 412 मीटर लंबे अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण गोरखपुर में विद्यमान दो लेन के पुल के समीप किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मुख्य पुल का निर्माण कार्य काफी पूरा हो गया है और पहुंच मार्गों का कार्य चल रहा है। इस कार्य को मार्च, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति

2050. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में वर्षवार ताप विद्युत केन्द्रों को प्रतिमाह कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण राज्य में विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. से महाराष्ट्र के तापीय विद्युत संयंत्रों को सप्लाई किए गए कोयले की मासिक औसत मात्रा निम्नवत हैं:

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	सप्लाई की गई वार्षिक मात्रा	सप्लाई की गई मासिक औसत मात्रा
2003-04	29698	2475
2004-05	32328	2694
2005-06	30998	2583

(ख) से (घ) जी, नहीं। महाराष्ट्र के सभी विद्युत स्टेशनों में पूरे वर्षभर 7 दिन से अधिक कोयले की खपत का भंडार रखवाया गया है। इसलिए महाराष्ट्र के इन विद्युत संयंत्रों में से किसी भी संयंत्र में विद्युत उत्पादन की समस्या, यदि कोई हो, के लिए कोयले की कम आपूर्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय के अधीन एक तंत्र है जिसमें रेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोल इंडिया लि. के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो महाराष्ट्र सहित सभी विद्युत संयंत्रों को कोयले की ढुलाई की निगरानी रखता है तथा किसी प्रकार की कमी के मामलों में कोयले की आपूर्ति को उचित रूप से बढ़ाया जाता है।

सिंथेटिक हॉकी फर्श बिछाने हेतु राशि

2051. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के कोडगु जिले में मडीकेरी स्थित साई प्रशिक्षण केन्द्र में पूरे आकार का सिंथेटिक हाकी फर्श बिछाने हेतु राशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) भारतीय खेल प्राधिकरण ने मेडीकेरी, कर्नाटक स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र में पूरे आकार की सिंथेटिक हाकी सतह बिछाने के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

वाहन चालकों को प्रशिक्षण

2052. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वाहन चालकों के प्रशिक्षण और उनकी दक्षता उन्नयन के क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निजी उद्यमियों की प्रतिक्रिया क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) जी नहीं। सरकार चालक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्कीम की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, चालकों के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण देने हेतु 'असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने' और 'चालक और अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना' नामक दो स्कीमें चल रही हैं।

'असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने' की स्कीम गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से चलाई जाती है। 'चालक और अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना' स्कीम राज्य सरकार अथवा गैर-सरकारी संगठनों अथवा राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों/ऑटोमोबाइल

निर्माताओं के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से चलाई जाती है। 'चालक और अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना' स्कीम के अंतर्गत अब तक असम (गुवाहाटी), पश्चिम बंगाल (कोलकाता), आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा), कर्नाटक (हगरीबोम्मनहल्ली, बेल्लारी), हिमाचल प्रदेश (जसौर, कांगड़ा), केरल (इडप्पल, मालापुरम), दिल्ली (सराय काले खां), उत्तरांचल (देहरादून), उत्तर प्रदेश (कानपुर), उड़ीसा (जाजपुर) और नगालैंड (दीमापुर) में 11 चालक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण एक्सचेंज में खराबी

2053. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उड़ीसा के बोलंगीर जिले में कार्यरत ग्रामीण एक्सचेंजों की खण्ड-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले एक माह से कितने ग्रामीण एक्सचेंज खराब पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किन्हीं अधिकारियों को दोषी पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उड़ीसा के बोलंगीर जिले में आज की तिथि एक कार्यरत भा. सं. नि. लि. के ग्रामीण एक्सचेंजों की खण्ड वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	खण्ड का नाम	ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अगलपुर	3
2.	बंगामुंडा	2
3.	बेलपाड़ा	2
4.	बोलांगीर	3
5.	देवगांव	2
6.	गुडभेला	2
7.	खपराखोल	3
8.	लोईसिंहा	2
9.	मुरीबाहाल	2
10.	पाटनागढ़	4
11.	पुईनतला	1
12.	सैंताला	4
13.	टिट्लागढ़	1
14.	तुरेकेला	1

(ख) पिछले एक माह से कोई ग्रामीण एक्सचेंज खराब नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्र

2054. **श्री मो. ताहिर:**
श्री शिशुपाल एन. पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इन अभिघात केन्द्रों को कितने किमी० की दूरी पर स्थापित किया गया है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानवार नाम क्या हैं; और

(च) इन अभिघात केन्द्रों को कब तक स्थापित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए अपनी जरूरत और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अभिघात केन्द्र स्थापित करने का काम राज्य सरकार का है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित राज्य सरकार के अस्पताल में आपाती सेवाओं के उन्नयन की योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य सरकार के 104 अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए 45.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

पत्तन पर कार्यों में विलम्ब

2055. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न बड़े पत्तनों पर कार्यों में निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही है तथा चालू परियोजनाओं के पूरा होने में असामान्य विलम्ब हो रहा है, जैसा कि 27 अक्तूबर, 2006 के 'द बिजनेस लाइन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) महापत्तनों में चल रहीं कुछ परियोजनाओं का निष्पादन पूरा किए जाने में विभिन्न कारणों से अधिक समय लगा रहा है, जिनमें प्रक्रियात्मक बाध्यकारिताओं के कारण संविदा (ठेका) दिए जाने और/या कार्य के आदेश दिए जाने में देर लग जाने, भूमि के अधिग्रहण में समय लगने, ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं का निष्पादन समय पर पूरा नहीं किए जाने तथा परियोजनाओं के निष्पादन की दृष्टि से अपेक्षित सांविधिक एवं अन्य अनापत्तियाँ नहीं मिल पाने से संबंधित कारण शामिल हैं। सभी चल रही परियोजनाओं के निष्पादन में होने वाली प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, जिससे कि उनके निष्पादन में होने वाली प्रगति में अड़चन पैदा कर रहीं कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें समय पर कार्यान्वित किया जा सके।

सतत ऊर्जा हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत ब्लूप्रिंट

2056. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने वार्षिक विश्व ऊर्जा आउटलुक में सतत ऊर्जा हेतु एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया है जैसा कि 8 नवम्बर, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा सतत ऊर्जा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से नाभिकीय परियोजनाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) विश्व ऊर्जा आउटलुक, 2006 (डब्ल्यूईओ 2006) में ऊर्जा की मांग और उत्सर्जन को कम करने तथा ऊर्जा के उपयोग की क्षमता में सुधार की सिफारिश की गई है। डब्ल्यूईओ-2006 की वैकल्पिक नीति का परिदृश्य बृहत् ऊर्जा-सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक क्षमता को और अधिक बढ़ाने के तीन लक्ष्यों को पूरा करता है। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु विद्युत लागत-प्रभाविकता के रूप में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने और कार्बन-डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है।

(ग) से (ङ) भारतीय परमाणु विद्युत संयंत्रों का सुरक्षा संबंधी रिकार्ड उत्कृष्ट रहा है। भारत में परमाणु विद्युत का योगदान बढ़ने की स्थिति में भी सुरक्षा संबंधी पहलू पर जोर देने पर हमेशा ध्यान केन्द्रित रहेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-1 का अनुरक्षण

2057. श्री नवीन जिन्दल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के अनुरक्षण पर वर्षवार कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) इस राजमार्ग के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी एजेंसियां कौन-सी हैं;

(ग) क्या विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की निगरानी करने हेतु समय-समय पर कोई सर्वेक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के बारे में कोई खामियां पाई गई हैं अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के अनुरक्षण पर किया गया कुल वर्षवार व्यय इस प्रकार है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रु०)
2004-05	27.73
2005-06	14.73
जोड़	42.46

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 का विकास और अनुरक्षण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सड़क स्थिति की जांच के लिए निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों अथवा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों/सूचना के आधार पर नियमित अनुरक्षण किया जाता है।

सामुद्रिक उपकर का उपयोग

2058. श्री हरिन पाठक:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में कार्गो संभलाई पर सामुद्रिक उपकर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पत्तन-वार कितनी धनराशि वसूली गई है अथवा वसूले जाने की संभावना है;

(घ) सामुद्रिक उपकर का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है/किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार छोटे पत्तनों में गाद निकालने अथवा उनके विकास हेतु निधियाँ मुहैया कराएगी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या केन्द्र-सरकार की योजना इस प्रकार से एकत्रित उपकर राशि में संबंधित तटीय राज्य सरकारों को भागीदारी देने की है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) लघु पत्तन (महापत्तनों से इतर पत्तन), समग्र रूप से संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उपर्युक्त पत्तनों के निकर्षण सहित उन्हें विकसित किए जाने का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य सरकार का ही है।

(छ) और (ज) ऊपर भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिन्दी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

2059. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर मुहैय्या कराने और विभिन्न विभागों में इसका वितरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उपलब्ध हिन्दी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जनता द्वारा साधनों तथा सॉफ्टवेयर के निःशुल्क प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारतीय भाषाओं के लिए मूलभूत सूचना संसाधन किट (बीआईपीके) वेबसाइट www.ildc.gov.in के जरिए निःशुल्क रूप से डाउनलोड किए जाने के लिए उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से विशिष्ट अनुरोध पर इनकी आपूर्ति सीडी के रूप में भी की जाती है। बीआईपीके में

भारतीय ओपन ऑफिस, फोन्ट, ई-मेल प्रयोक्ता, ब्राउजर, वर्तनी परीक्षक, शब्द कोष, लिप्यन्तरण उपकरण, आदि शामिल हैं। हिन्दी, तमिल तथा तेलुगू के सीडी निःशुल्क वितरण के लिए जारी किए गए हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में उपकरण तथा सॉफ्टवेयर के विकास और जारी किए जाने की दिशा में कार्य चल रहा है।

(ग) देश में उपलब्ध हिन्दी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन, डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर, ऑफिस सुर, फोन्ट, कोड परिवर्तक, लिप्यन्तरण उपकरण, पाठ से वाक् सॉफ्टवेयर आदि हैं।

[अनुवाद]

एन. आर. एच. एम. के अन्तर्गत निधियों की स्वीकृति

2060. श्री जी. वी. हर्ष कुमारः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एन. आर. एच. एम के अन्तर्गत प्रत्येक उप-केन्द्र हेतु 10,000 रु० स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस धनराशि के उपयोग के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ अब तक राज्यवार कितनी धनराशि उपयोग की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2004-05 के दौरान सभी अधिकार प्राप्त कार्यवाई दल वाले राज्यों और वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 रुपए प्रति उपकेन्द्र के हिसाब से असम्बद्ध निधि जारी की गई है। इन वर्षों में जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) और (घ) इस असम्बद्ध निधि के उपयोगार्थ सुझाए गए क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

* उपकेन्द्रों में छोटे-मोटे परिवर्तन/संशोधन-गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्दों की व्यवस्था, नलों की टोंटी की मरम्मत, बल्ब लगाना, छुट-पुट मरम्मत, जो स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं।
* खासकर बच्चे के जन्म के बाद, उपकेन्द्रों को साफ करने के लिए तदर्थ भुगतान करना।
* समुचित रेफरल केन्द्रों को आपातकालिक स्थिति में परिवहन सुविधा उपलब्ध करना।
* महामारी के दौरान नमूने लेने के लिए परिवहन व्यवस्था
* उपकेन्द्रों में पट्टियों (बैंडेज) जैसे उपयोज्यों की खरीद करना।
* गांव के आम क्षेत्रों में प्रयोगार्थ ब्लीचिंग पाऊडर और विसंक्रामकों की खरीद।
* सफाई के लिए अथवा लारवानाशी उपायों के लिए जनशक्ति तथा आवश्यक सामग्री प्रदान करना।
* कतिपय निर्धारित कार्यों के लिए 'आशा' को भुगतान/पुरस्कार देना।

असम्बद्ध निधि का उपयोग वेतन के भुगतान, गाड़ी की खरीद और आवर्ती खर्चों अथवा ग्राम पंचायत के खर्चों के लिए नहीं किया जाएगा।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सितम्बर, 2006 की तिमाही में दिए गए खर्चे के विवरण के अनुसार अब तक 6863.10 लाख रुपए की राशि उपयोग की गई है।

विवरण

उपकेन्द्रों के लिए जारी आसम्बद्ध निधियां और अब तक उपयोग

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	उपयोग की गई राशि (खर्चे के विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश		1252.20	1127.00	1126.98
2.	गोवा		17.20		
3.	गुजरात		727.40		22.24

1	2	3	4	5	6
4.	हरियाणा		243.30	46.30	46.35
5.	हिमाचल प्रदेश		206.70	10.50	10.56
6.	जम्मू-कश्मीर		187.90		
7.	कर्नाटक		814.30		6.42
8.	केरल		509.40		
9.	महाराष्ट्र		972.70	387.00	387.00
10.	पंजाब		285.20	203.60	226.89
11.	तमिलनाडु		868.20	651.20	868.20
12.	पश्चिम बंगाल		1035.60	736.20	1035.60
	योग	0.00	7120.10	3161.80	3730.24
	इ ए जी राज्य				
1.	बिहार	1033.70	1033.70		
2.	छत्तीसगढ़	883.50			
3.	झारखण्ड	381.80	510.60		
4.	मध्य प्रदेश	446.20	1200.90		17.71
5.	राजस्थान	992.60	992.60	955.10	2031.30
6.	उड़ीसा	592.70	592.70	480.10	480.10
7.	उत्तर प्रदेश	1857.70	1857.70	381.40	381.40
8.	उत्तरांचल	152.50	152.50		
	योग	6340.70	6340.70	1816.60	2910.51
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह		10.70		
2.	चण्डीगढ़		1.30		
3.	दादरा व नगर हवेली		3.80		
4.	दमन व दीव		2.10		
5.	दिल्ली		4.20		
6.	लक्षद्वीप		1.40		
7.	पांडिचेरी		7.50	0.60	0.77
	योग		31.00	0.60	0.77
	पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा योग	6340.70	13491.80	4979.00	6641.52

1	2	3	4	5	6
	पूर्वोत्तर राज्य				
1.	असम		510.90	463.90	154.48
2.	अरुणाचल प्रदेश		27.30		
3.	मणिपुर		42.00		
4.	मेघालय		40.10		
5.	मिजोरम		34.60	36.60	36.60
6.	नागालैंड		32.50	24.40	32.50
7.	त्रिपुरा		53.90		
8.	सिक्किम		14.70		
	योग पूर्वोत्तर राज्य		756.00	524.90	221.58
	कुल योग (सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	6340.70	14247.80	5503.90	6863.10

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

2061. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों विशेषकर राजस्थान स्थित पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आर. पी. ओ.)-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निरीक्षणों के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कौन-सी कमियां पाई गईं; और

(घ) इन्हें दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों में हुए निरीक्षणों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जयपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय का निरीक्षण 28-29 अगस्त, 2005 और 30 जनवरी से 1 फरवरी, 2006 के बीच किया गया।

(ग) पासपोर्ट कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां निम्नानुसार वर्गीकृत की गई हैं:

(i) आवेदन प्राप्त करने के समय उनकी उचित जांच नहीं करना;

(ii) तत्काल मामलों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं करना;

(iii) पुलिस प्राधिकारियों को वैयक्तिक ब्यौरे वाले फार्म के प्रेषण में विलम्ब;

(iv) पुलिस सत्यापन की ठीक रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात पासपोर्ट प्रदान करने और जारी करने में विलम्ब की घटनाएं;

(v) गलत 'उत्प्रवासन स्वीकृति अपेक्षित (ई.सी.आर.) का पृष्ठांकन;

(vi) पासपोर्ट के प्रेषण में विलम्ब;

(vii) पासपोर्ट चाहने वाले लोगों की शिकायतों का तत्काल निवारण नहीं होना; और

(viii) पासपोर्ट आवेदकों के लिए अपेक्षित सुविधाओं का नहीं होना;

(घ) प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात पाई गई कमियों से संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को अवगत करवाया जाता है और यह अनुदेश दिया जाता है कि वे तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करें। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को समय-समय पर परिपत्र भेजकर प्रमुख कमियों से अवगत करवाया जाता है ताकि उनसे बचने के उचित उपाए किए जा सकें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के निरीक्षण के विवरण

क्रमांक	पासपोर्ट कार्यालय	निरीक्षण की तारीख
1	2	3
1.	अहमदाबाद	26-27 जून, 2003, 25-26 सितंबर, 2003, 20-21 फरवरी, 2004, 28-30 मार्च, 2006 और 11 जुलाई, 2006
2.	बंगलौर	24-27 अगस्त, 2003, 31 अगस्त-2 सितंबर, 2004 और 4-6 जून, 2006
3.	बरेली	5 दिसंबर, 2005 और 30 जून, 2006
4.	भोपाल	9-11 नवंबर, 2003
5.	भुवनेश्वर	30 जनवरी - 1 फरवरी, 2006 और 12-14 अक्तूबर, 2006
6.	चंडीगढ़	11 - 12 मार्च, 2003, 8-10 फरवरी, 2004, 27-28 फरवरी, 2006, 17-18 अप्रैल, 2006 13-16 मई, 2006 और 9-10 नवंबर, 2006
7.	चेन्नई	24 - 25 दिसंबर, 2003, 24 और 27 अगस्त, 2003, 27-28 सितंबर, 2006 और 15-16 नवंबर, 2006
8.	कोचीन	30 मार्च, 2006
9.	दिल्ली	30 मार्च, 2006 और 13 जून, 2006
10.	गाजियाबाद	2003 और 20 जनवरी, 2005 और फरवरी, 2006
11.	गुवाहाटी	–
12.	हैदराबाद	24-27 अगस्त, 2003, 4-10 जनवरी 2006 एवं 23-24 जनवरी, 2006
13.	जयपुर	28-29 अगस्त, 2005, 30 जनवरी से 1 फरवरी, 2006
14.	जालन्धर	30-31 अक्तूबर, 2003, फरवरी, 2006, 3-5 अप्रैल, 2006, 14 अक्तूबर, 2006 और 16-17 नवंबर, 2006
15.	जम्मू	1 अप्रैल, 2004
16.	कोलकाता	8-10 अक्तूबर, 2003 और 11-13 नवंबर, 2006
17.	कोझीकोड	1-4 जनवरी, 2003 और 31 मार्च, 2005, 2-5 मार्च, 2006
18.	लखनक	2-3 अप्रैल, 2003, 4-5 जनवरी, 2006, 7-8 अप्रैल, 2006 और 19-20 अप्रैल, 2006
19.	मलाप्पुरम	–
20.	मुंबई	22-23 फरवरी, 2006, 11-13 जनवरी, 2006
21.	नागपुर	17 नवंबर, 2006
22.	पणजी	30 मार्च से 5 अप्रैल, 2003, 13-16 फरवरी, 2006
23.	पटना	31 अगस्त, 2004 26-27 जून, 2006
24.	पुणे	30 नवंबर, 2006
25.	रांची	28-29 जून, 2006
26.	श्रीनगर	19-20 जनवरी, 2005, 17-18 जुलाई, 2006
27.	सूरत	15 - 16 अगस्त, 2003, 1-3 दिसंबर, 2003, 15-17 जुलाई, 2006
28.	ठाणे	–
29.	त्रिची	12-15 अक्तूबर, 2003, 13-15 फरवरी, 2006, 25-26 सितंबर, 2006
30.	त्रिवेन्द्रम	16-18 अक्तूबर, 2003, 10-11 जनवरी, 2006
31.	विशाखापट्टनम	24-28 अप्रैल, 2003, 8-9 मई, 2006

[अनुवाद]

नेत्र कोशिका प्रत्यारोपण अनुसंधान

2062. श्री एम. शिवन्ना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान चूहों की नेत्र कोशिका के सफल प्रत्यारोपण की ओर आकर्षित किया गया है जैसा कि दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के 'दि हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचित प्रयोग में 3-4 दिन की आयु वाले चूहे से प्राप्त प्रीकरसर्स इ फोटोरिसेप्टर काशिका नामक कोशिकाओं के समूह का प्रयोग दृष्टिविहीनता पैदा करने वाले आनुवंशिकी विकार वाले वयस्क चूहे में किया गया है। पहले के अध्ययनों में वयस्क चूहे की ऐसी कोशिकाओं का प्रयोग किया गया था जिसका कोई असर नहीं हुआ। स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग इस प्रकार की दृष्टिविहीनता के लिए शत-प्रतिशत सफल साबित नहीं हुआ। यह संभावना है कि और अधिक प्रयोगों एवं अनुभव से वे उपयोगी साबित हो सकते हैं। चूहे पर किए गए मौजूदा प्रयोग से यह आशा जगी है कि हम अपनी वर्तमान विधिकों में सुधार ला सकते हैं और परीक्षण के तौर पर निकट भविष्य में उनको मनुष्य के अनुकूल बना सकते हैं। फिलहाल यह अपरिपक्व अवस्था में है।

आंग सान सू की को कथित रूप से निरुद्ध रखना

2063. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार ने गत कई वर्षों से आंग सान सू की को कथित रूप से घर में नजरबंद कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी म्यांमार के साथ की गई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस मामले पर चर्चा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर म्यांमार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार, म्यांमा की सरकार से तथा उच्चतम स्तर पर भी नोबल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को नजरबंदी से रिहा करने के लिए निरंतर कहती रही है। हमने म्यामां में अधिक समावेशी और व्यापक राजनैतिक सुधार प्रक्रिया की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

(घ) म्यामां की सरकार ने इस संबंध में हमारी स्थिति पर गौर किया है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में कर्मचारियों की कमी

2064. श्री काशीराम राणा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरत स्थित पारपत्र कार्यालय कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों में भी समान स्थिति पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त पारपत्र कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। यह वास्तविकता नहीं है कि पासपोर्ट कार्यालय, सूरत प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, पासपोर्ट कार्यालय, सूरत में वास्तव में कर्मचारियों की कमी है, जहां 49 की संस्वीकृत संख्या के स्थान पर 1.11.2006 को केवल 33 कर्मचारी थे।

(ग) और (घ) अन्य पासपोर्ट कार्यालयों में भी कर्मचारियों की कमी है। 1.11.2006 की स्थिति के अनुसार, संस्वीकृत 2349 कर्मचारियों के स्थान पर कुल 2172 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) सितंबर, 2006 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के विभिन्न ग्रेडों में 395 पदों का सृजन तथा 102 पदों को समाप्त करने का अनुमोदन किया था। वित्त मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत अतिरिक्त पदों को भरने के लिए सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर पदोन्नति हेतु अगस्त, 2006 में विभागीय पदोन्नति समिति बुलाई गई। अन्य ग्रेडों में अधिकारियों के नए संस्वीकृत पदों को भरने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके डी पी सी का आयोजन प्रक्रियाधीन है।

विवरण

सी पी ओ के अंतर्गत कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	कार्यालय का नाम	आर पी ओ		ए पी ओ		पी आर ओ		अधीक्षक		सहायक		यू डी सी		यू डी सी(एच)		स्टेनो	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	अहमदाबाद	1	1	2	1	3	1	8	10	24	9	37	17	0	0	1	0
2.	बंगलौर	1	1	1	1	3	1	6	7	19	21	30	28	0	0	1	2
3.	बरेली	0	0	1	0	1	1	1	1	6	2	8	15	1	0	1	0
4.	भोपाल	0	0	1	0	1	1	2	1	7	6	10	3	0	0	1	0
5.	भुवनेश्वर	0	0	0	0	1	2	1	0	4	2	6	4	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	1	1	2	0	3	3	8	9	23	21	36	14	0	0	1	0
7.	चेन्नै	1	1	2	1	4	5	8	4	26	28	40	52	0	0	1	1
8.	कोचीन	1	0	1	0	2	1	7	8	20	40	31	54	0	0	1	1
9.	दिल्ली	1	1	2	1	3	2	8	17	23	49	35	19	1	0	1	2
10.	गाजियाबाद	0	1	1	0	1	1	2	4	7	6	9	5	0	0	1	0
11.	गुवाहाटी	0	0	0	1	1	0	1	1	3	2	5	2	0	0	0	0
12.	हैदराबाद	1	1	2	0	4	1	11	8	31	25	47	37	0	0	1	1
13.	जयपुर	1	0	1	0	3	0	5	4	15	11	23	19	1	0	1	0
14.	जालधंर	1	0	1	0	3	2	7	8	19	8	30	28	0	0	1	0
15.	जम्मू	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	4	4	0	0	0	0
16.	कोलकाता	1	1	1	0	2	1	5	2	13	7	20	18	0	0	1	0
17.	कोझीकोड	1	1	1	1	3	0	5	4	15	8	24	46	0	0	1	2
18.	लखनक	1	1	1	0	3	2	7	5	18	29	27	28	1	0	1	0
19.	मलाप्पुरम	0	0	1	0	4	0	9	4	12	7	17	21	0	0	1	0
20.	मुंबई	1	1	1	1	1	6	5	10	27	42	39	44	0	0	1	2
21.	नागपुर	0	0	0	0	1	1	1	0	4	4	6	0	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.	पणजी	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	6	2	0	0	1	1
23.	पटना	0	0	1	0	1	1	3	1	9	2	12	11	0	0	1	0
24.	पुणे	0	0	1	1	1	1	3	2	8	8	12	3	0	0	1	0
25.	रांची	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	5	3	0	0	0	0
26.	श्रीनगर	0	1	0	0	1	0	1	1	3	0	4	1	0	0	1	0
27.	सूरत	0	0	1	0	1	1	3	6	9	16	12	3	0	0	1	0
28.	ठाणे	0	0	1	1	1	1	3	3	11	13	15	14	0	0	1	0
29.	त्रिरुची	1	0	2	0	4	2	8	9	26	17	38	36	0	0	1	0
30.	त्रिवेन्द्रम	1	1	1	0	2	1	4	4	15	8	22	45	0	0	1	1
31.	विशाखापत्तनम	0	1	1	0	1	1	3	1	8	3	12	1	0	0	1	0
32.	कुल	15	14	30	9	62	40	138	137	415	402	622	577	4	0	27	13
33.	पी जी सेल					1	0			1		1					
34.	निरी. एकक			1	1					1		1				1	
35.	सतर्कता एकक				0	1	1	2	2	2						1	
36.	स्था./प्रशा.			1	1	1	1		0	2	7	4	5			1	
37.	विधि सेल			1						1							
	कुल जोड़	15	14	33	11	65	42	140	139	422	409	628	582	4	0	30	13

	कार्यालय का नाम	एल डी सी		एच टी आर		ड्राइवर		सी एल		दफ्तरी		चपरासी		जोड़		सी एल डब्ल्यूएस	
		स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	अहमदाबाद	36	14	1	1	0	1	3	1	3	2	14	7	133	65	8	73
2.	बंगलौर	30	15	1	1	0	1	3	1	3	1	10	4	108	86	3	89
3.	बरेली	9	7	0	0	0	1	2	1	2	1	4	2	36	31	20	51
4.	भोपाल	10	7	1	0	0	1	2	1	2	1	4	1	41	22	9	31
5.	भुवनेश्वर	6	6	1	0	0	0	2	1	2	0	2	2	25	17	2	19
6.	चंडीगढ़	35	17	1	1	0	1	3	1	3	1	10	8	126	77	18	95
7.	चेन्नै	39	16	1	1	0	1	3	1	3	3	14	7	142	122	18	140

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8.	कोचीन	30	15	1	1	0	1	3	2	3	2	10	6	110	132	0	132
9.	दिल्ली	35	22	1	1	0	1	3	1	3	3	12	10	128	119	34	163
10.	गाजियाबाद	9	4	1	0	0	0	2	0	2	0	4	3	39	24	20	44
11.	गुवाहाटी	5	4	0	0	0	1	1	0	1	0	2	3	19	14	2	16
12.	हैदराबाद	46	26	1	1	0	1	4	1	4	3	14	7	166	112	39	151
13.	जयपुर	23	13	1	1	0	1	2	0	2	0	6	5	84	54	14	68
14.	जालंधर	30	16	1	0	0	0	2	2	2	1	6	2	103	67	30	97
15.	जम्मू	4	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	3	17	15	2	17
16.	कोलकाता	21	21	1	1	0	1	2	2	2	2	12	5	81	61	15	76
17.	कोझीकोड	23	20	1	1	0	1	2	1	2	1	10	9	88	95	7	102
18.	लखनऊ	29	19	1	1	0	0	3	1	3	1	10	2	105	89	36	125
19.	मलाप्पुरम	18	3	0	0	0	0	2	0	2	2	7	2	73	39	0	39
20.	मुंबई	40	11	1	1	0	1	3	3	3	3	14	9	136	134	0	134
21.	नागपुर	6	8	0	0	0	1	2	0	2	0	2	3	25	17	3	20
22.	पणजी	6	7	0	0	0	1	2	1	2	1	2	2	25	20	1	21
23.	पटना	13	11	1	0	0	1	2	1	2	0	6	0	51	28	17	45
24.	पुणे	12	9	1	0	0	0	2	1	2	0	6	3	49	28	10	38
25.	रांची	5	4	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	21	9	1	10
26.	श्रीनगर	4	2	0	0	0	0	2	0	2	1	2	1	20	7	15	22
27.	सूरत	13	7	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	49	33	0	33
28.	ठाणे	16	14	1	0	0	0	2	1	2	0	2	1	55	48	3	51
29.	त्रिची	39	22	1	0	0	1	3	1	3	2	12	6	138	96	35	131
30.	त्रिवेन्द्रम	23	9	1	0	0	1	2	0	2	0	6	2	80	72	9	81
31.	विशाखापत्तनम	12	10	1	0	0	0	2	0	2	0	4	3	47	20	20	40
32.	कुल	627	360	23	12	0	20	71	26	71	31	215	118	2320	1759	391	2150
33.	पी जी सेल		1			0							0	3	1		1
34	निरी. एकक					0							0	4	1		1

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35.	सतर्कता एकक					0							0	6	3		3
36.	स्था./प्रशा.	5	3			0							0	14	17		17
37.	विधि सेल					0							0	2	0		0
	कुल जोड़	632	364	23	12	0	20	71	26	71	31	215	118	2349	1781	391	2172

टिप्पणी: (1) कोलकाता, त्रिची में रिकार्ड कीपर के प्रत्येक पद को एल डी सी पदों में शामिल किया गया है। स्वीपर और वाचमैन के पदों को मिलाकर चपरासी के रूप में पदनामित कर दिया है।

(2) ड्राइवरों के मौजूदा पदों को जैसे ही वे रिक्त होंगी, समाप्त कर दिया जाएगा।

(3) दिल्ली आर पी ओ से एक स्टेनो और एक सहायक और कोलकाता आर पी ओ से दो सहायक प्रतिनियुक्ति पर बाहर चले गए हैं और संख्या में शामिल किए गए हैं।

समूह 'क'	113	67	स्वी. सं. : स्वीकृत संख्या	आर पी ओ : क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
समूह 'ख'	140	139	कार्य सं. : कार्यरत संख्या	ए पी ओ : सहायक पासपोर्ट अधिकारी
समूह 'ग'	1739	1401	सीएल : दिहाड़ी मजदूर	पी आर ओ : जन संपर्क अधिकारी
समूह 'घ'	357	175		
सी एल	0	391		
जोड़	2349	2173		

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर बाइपास का निर्माण

2065. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करीमगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर बाइपास का निर्माण कार्य वर्ष 2007 तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस बाइपास से जुड़े करीमगंज से नीलम बाजार तक सड़क के हिस्से की मरम्मत किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यातायात की सामान्य रूप से आवाजाही के लिए इस हिस्से की मरम्मत करने की समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भूमि भराव और पुलों का कार्य लगभग पूरा हो गया है और सतह बनाने का कार्य किया जाना है।

(ग) और (घ) करीमगंज से नीलम बाजार सड़क खंड का अनुरक्षण सामान्य अनुरक्षण अनुदान से किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन ने सूचित किया है कि अन्य नेमी अनुरक्षण कार्यों के साथ-साथ मार्ग पर गड्ढों की मरम्मत का कार्य वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है तथा यह सड़क इस समय यातायात योग्य स्थिति में है।

कोयला उत्पादन में वृद्धि

2066. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कोल इंडिया लि. के भूमिगत खदानों में कोयला उत्पादन का कम्पनी-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में आज की तारीख तक भूमिगत खानों (यूजी) में कोयला के उत्पादन का कम्पनीवार और वर्षवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	कम्पनी	2004-05	2005-06	2006-07 (अक्तूबर 06 तक)
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	9.46	9.34	4.73
2.	भारत कोकिंग कोल लि.	6.38	5.47	2.80
3.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	2.66	2.31	1.06
4.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	0.00	0.00	0.00
5.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	9.65	10.04	5.51
6.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	2.18	2.02	1.13
7.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	16.58	16.52	8.84
8.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	0.15	0.12	0.06
9.	कुल - कोल इंडिया लि.	47.04	45.82	24.13

(ख) भूमिगत खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) प्रत्येक श्रेणी के लिए खान और परियोजना के अनुकूल प्रौद्योगिकी मिश्रण के भू-तकनीकी विशेषताओं के संबंध में भूमिगत खानों को यंत्रीकरण के विभिन्न श्रेणियों में समूहीकरण करना।

(2) कोयला प्राप्ति मुहाने पर अधिक यंत्रीकरण के लिए रास्ता तैयार करने के लिए धीरे-धीरे यंत्रीकृत लदान मशीनों को लागू करके मैनुअल लदान प्रणाली को समाप्त करना।

(3) जितनी खानों में भू-तकनीकी विशिष्टता अनुमति देती है उतनी खानों में सतत खनिक-शटलकार संयोजन के साथ व्यापक उत्पादन तकनीक को लागू करना।

(4) अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम लागत के उद्देश्य से पावर्ड सपोर्ट लांगवाल मुहानों को बढ़ाना।

(5) पहले से ही विकसित पिल्लरों की डिपिलरिंग में पावर्ड सपोर्ट के साथ शार्टवाल खनन लागू करना।

(6) डिपिलरिंग करते समय ब्लास्टिंग गैलरी और केबल बोल्टिंग जैसी विशेष पद्धतियों को अधिक से अधिक लागू करना।

(7) यंत्रीकृत उत्पादन के संचालन के लिए भूमिगत परिवहन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।

(8) भूमिगत खानों के यंत्रीकरण के लिए उपकरण विकसित करने के लिए स्वदेशी खनन उपकरण उत्पादन को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड

2067. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी अस्पताल उक्त मानदंडों का अनुपालन करते हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत चिकित्सक

2068. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान पंजीकृत हुए चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) गत वर्ष के दौरान देश की जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों की कितनी कमी है;

(घ) क्या सरकार देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार परिषद में 668019 डाक्टर पंजीकृत हैं। इनमें से 7218 डाक्टरों का भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा इस वर्ष पंजीकरण किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार इस समय एलोपैथिक डाक्टर-जनसंख्या का अनुपात 1:1722 है। इसके अलावा देश में 6 लाख से अधिक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी के प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक हैं। इस भारी संख्या को एक साथ मिलाकर डाक्टर-जनसंख्या अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर 128 डाक्टरों से अधिक (1:81) है। देश मे 29,500 विद्यार्थियों की वार्षिक दाखिला क्षमता वाले 262 मेडिकल कालेज हैं। जब कभी सम्बन्धित प्राधिकारियों से नए मेडिकल कालेज खोले जाने बावत आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति, इस उद्देश्य के लिए बताए गए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और उसके तहत बताए गए विनियमों में निर्धारित शर्तों को उनके द्वारा पूरा करने के बाद दी जाती है।

[अनुवाद]

अस्पताल में औषधियों की अनुपलब्धता

2069. श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में यक्ष्मा के अलावा सिम्प्टोमेटिक एवं अपोस्टयूनिस्टिक संक्रमण संबंधी औषधियां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी अस्पतालों में औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों का संबंध है, लाक्षणिक और अवसरवादी संक्रमण के लिए औषधों की समुचित मात्रा उपलब्ध है और ऐसे रोगियों का उपचार रोगियों की जरूरत के अनुसार अंतरंग और बहिरंग रोगी विभाग में किया जाता है।

औद्योगिक/सांस्कृतिक क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन

2070. श्री मोहन रावले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र ने औद्योगिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग हेतु राज्य एवं ग्योंगी प्रोविंसियल गवर्नमेंट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमोदन प्रदान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सचल औषधालय खोलना

2071. श्री अनंत गुढ़े: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश में सचल औषधालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए उक्त सचल औषधालयों की संख्या कितनी है; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश में खोले जाने वाले उक्त औषधालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में एक सचल चिकित्सीय एकक प्रदान किया जा रहा है ताकि लोगों को विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा सके। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 18 राज्यों/संघ क्षेत्रों को सचल चिकित्सा एककों की व्यवस्था के लिए धन जारी किया गया है। राज्यवार जारी किए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे 172 उड़न दस्तों को सचल औषधालयों में बदलने की योजना बनाई है। इसके साथ-साथ राज्य ने राज्य के 33 जिलों के लिए सचल चिकित्सीय एककों का प्रस्ताव किया है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सचल चिकित्सा एककों को वर्ष 2006-07 के लिए जारी किया गया धन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	चलते-फिरते चिकित्सीय एकक
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	966.00
2.	गोवा	
3.	गुजरात	1073.75
4.	हरियाणा	
5.	हिमाचल प्रदेश	532.56
6.	जम्मू-कश्मीर	
7.	कर्नाटक	1173.12
8.	केरल	154.75
9.	महाराष्ट्र	
10.	पंजाब	
11.	तमिलनाडु	1288.50
12.	पश्चिम बंगाल	683.10
	योग	5871.78
	अधिकार प्राप्त कार्य बल वाले राज्य	
1.	बिहार	
2.	छत्तीसगढ़	721.92
3.	झारखंड	
4.	मध्य प्रदेश	
5.	राजस्थान	2233.40
6.	उड़ीसा	1353.60
7.	उत्तर प्रदेश	
8.	उत्तरांचल	508.30
	योग	4817.22
	संघ क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	
2.	चंडीगढ़	
3.	दादरा एवं नगर हवेली	
4.	दमण व दीव	
5.	दिल्ली	
6.	लक्षद्वीप	
7.	पांडिचेरी	
	योग	0.00
	पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य का योग	10689.00

1	2	3
	पूर्वोत्तर राज्य	
1.	असम	1666.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	859.36
3.	मणिपुर	374.13
4.	मेघालय	321.65
5.	मिजोरम	649.98
6.	नागालैंड	561.00
7.	त्रिपुरा	189.24
8.	सिक्किम	
	कुल पूर्वोत्तर राज्य	4621.94
	कुल योग (सभी राज्य एवं संघ क्षेत्र)	15310.94

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संबंध में जागरूकता फैलाना

2072. श्री वल्लभभाई कथीरिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक भारत द्वारा हस्ताक्षरित एवं अनुसमर्थित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशनों का ब्यौरा एवं उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन कन्वेंशनों की महत्ता के बारे में नागरिकों में जागरूकता फैलाने हेतु सरकार द्वारा क्या समुचित उपाए किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विशेषकर देश के कानूनों में उपबंधों को जोड़ने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) उन संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों की सूची संलग्न विवरण में है जिनका कि भारत एक पक्षकार है।

(ख) और (ग) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों के संबंध में जागरूकता का प्रचार-प्रसार प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों और संबंधित मंत्रालयों के वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। अभिसमय के अनुसरण में लिए गए दायित्वों को भारत के अन्दर कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार घरेलू विधायन को अधिनियमित किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जिनका भारत पक्षकार है–

(1) संयुक्त राष्ट्र, सैन फ्रांसिस्को, 26 जून, 1945 का चार्टर

17 दिसम्बर, 1963 के संकल्प 1991ए और बी (XVIII) में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 23, 27 और 61 में संशोधन।

20 दिसम्बर, 1965 के संकल्प 2101 (XX) में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 109 में संशोधन।

20 दिसम्बर, 1971 के संकल्प 2847 (XXVI) में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 61 में संशोधन।

(2) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि

(3) संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों पर अभिसमय, न्यूयार्क, 13 फरवरी, 1946

(4) विशिष्टीकृत एजेंसियों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों पर अभिसमय, न्यूयार्क, 21 नवम्बर, 1947

(5) राजनय संबंधों पर वियना अभिसमय, वियना, 18 अप्रैल, 1961

(6) राष्ट्रीयता प्राप्त करने से संबद्ध राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय का वैकल्पिक नयाचार, वियना, 18 अप्रैल, 1961

(7) विवादों के अनिवार्य समाधान से संबद्ध राजनयिक रिश्तों पर वियना अभिसमय वैकल्पिक नयाचार, वियना, 18 अप्रैल, 1961

(8) कोंसली रिश्तों से सम्बद्ध वियना अभिसमय, वियना, 24 अप्रैल, 1963

(9) राष्ट्रीयता प्राप्त करने से संबद्ध राजनयिक रिश्तों पर वियना अभिसमय वैकल्पिक नयाचार, वियना, 24 अप्रैल, 1963

(10) विवादों के अनिवार्य समाधान से सम्बद्ध राजनयिक रिश्तों पर वियना अभिसमय वैकल्पिक मयाचार, वियना 24 अप्रैल, 1963

(11) जातिसंहार के अपराध को रोकने और दंड की व्यवस्था से संबद्ध अभिसमय, 9 दिसम्बर, 1948

(12) जातिभेद के सभी रूपों के उन्मूलन से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, न्यूयार्क, 7 मार्च, 1966

(13) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, न्यूयार्क, 16 दिसम्बर, 1966

(14) सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापन, न्यूयार्क, 16 दिसम्बर, 1966

(15) सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापन, के लिए प्रोतोकोल, न्यूयार्क, 16 दिसम्बर, 1966

(16) युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंद्ध सांविधि सीमाओं के लागू न होने से संबद्ध अभिसमय, न्यूयार्क, 26 नवम्बर, 1968

(17) रंगभेद के अपराध को दबाने और दंडित करने से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, न्यूयार्क, 30 नवम्बर, 1973

(18) महिलाओं के साथ सभी तरह के भेदभाव के उन्मूलन से संबद्ध अभिसमय, न्यूयार्क 8 दिसम्बर, 1979

(19) प्रताड़ित करने और अन्य बर्बर, अमानवीय या अवमानना या दंड के खिलाफ अभिसमय, न्यूयार्क, 10 दिसम्बर 1984 (हस्ताक्षरित किंतु अनुसमर्थन रहित)

(20) खेल में रंगभेद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय न्यूयार्क, 10 दिसम्बर, 1985

(21) बालाधिकार से संबद्ध अभिसमय, न्यूयार्क 20 नवम्बर, 1989

हथियार बंद युद्ध में बच्चों की भागीदारी से संबंधित बालाधिकार पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल न्यूयार्क, 25 मई, 2000

बच्चों की बिक्री, बाल वैश्यावृत्ति और बाल अश्लीलता पर बच्चों के अधिकारों से संबद्ध अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल न्यूयार्क, 25 मई, 2000

(22) द हेग में 23 जनवरी, 1912 को, जेनेवा में 11 फरवरी, 1925 को, 19 फरवरी 1925 को, और 13 जुलाई 1931 को बैंकाक में 27 नवम्बर, 1931 को और जेनेवा में 26 जून, 1936, को सक्सेस न्यूयार्क, 11 दिसम्बर, 1946 को नारकोटिक ड्रग्स से संबद्ध करारों, अभिसमयों और प्रोतोकोलो से सम्बद्ध संशोधित प्रोतोकोल।

(23) अंतर्राष्ट्रीय अफीम अभिसमय, जेनेवा, 19 फरवरी, 1925 और लेकसक्सेस, न्यूयार्क 11 दिसम्बर 1946

(24) नारकोटिस ड्रग्स के निर्माण और संवितरण के परिसीमन से संबद्ध अभिसमय जेनेवा, 13 जुलाई 1931 और लेकसक्सेज, न्यूयार्क 11 दिसम्बर, 1946

(25) अफीम धूम्रपान को रोकने से संबद्ध करार, बैंकाक 27 नवम्बर 1931 और लैकसक्सेज, न्यूयार्क, 11 दिसम्बर 1946

(26) अफीम धूम्रपान के दमन से संबद्ध करार, बैंकाक, 27 नवम्बर, 1931

(27) खतरनाक औषधियों के अवैध व्यापार के दमन से संबद्ध 1936 का अभिसमय, जेनेवा, 26 जून, 1936

(28) 13 जुलाई, 1931 के अभिसमय की सीमाओं से अलग नारकोटिक ड्रग्स के वितरण, नियंत्रण और उत्पादन को परिसीमित करने से संबद्ध प्रोतोकोल न्यूयार्क में 11 दिसम्बर, 1948 को पेरिस में 19 नवम्बर 1948 को संपन्न।

(29) पप्पीप्लांट के उगाने को सीमिति और विनियमित करने, अंतर्राष्ट्रीय थोक व्यापार और अफीम के प्रयोग संबंधी प्रोतोकोल, न्यूयार्क 23 जून, 1953

(30) नारकोटिक ड्रग्स से संबद्ध एकल अभिसमय, 1961 न्यूयार्क, 30 मार्च, 1961

(31) साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबद्ध अभिसमय, वियना 21 फरवरी, 1971

(32) नारकोटिक ड्रग्स, 1961 से संबद्ध एकल अभिसमय में संशोधन से संबद्ध प्रोतोकोल जेनेवा, 25 मार्च, 1972

(33) नारकोटिक ड्रग्स का एकल अभिसमय, 1961 नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 के संशोधन में प्रोतोकोल न्यूयार्क, अगस्त 8, 1975

(34) नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, वियना 20 दिसम्बर, 1988

(35) महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से संबद्ध जेनेवा अभिसमय 3 सितम्बर, 1921, वयस्क उम्र की महिलाओं के अवैध व्यापार के दमन से सम्बद्ध अभिसमय, जेनेवा 11 अक्तूबर 1933, लेकसक्सेस, न्यूयार्क नवम्बर 12, 1947

(36) श्वेत दासों के अवैध व्यापार को दबाने से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय करार के संशोधन में प्रोतोकोल 18 मई, 1904 को पेरिस में संपन्न और श्वेत दासों के अवैध व्यापार को दबाने हेतु पेरिस में 4 मई, 1910 को संपन्न प्रोतोकोल लेकसक्सेज न्यूयार्क मई 4, 1949

(37) श्वेत दास के अवैध व्यापार के दमन से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय करार 18 मई, 1904 को पेरिस में संपन्न लेक्सक्सेज में संपन्न प्रोतोकोल न्यूयार्क मई 4, 1949 लेकसक्सेज, न्यूयार्क, 4 मई 1949

(38) श्वेत दासों के अवैध व्यापार के दमन से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पेरिस में 4 मई 1910 को संपन्न, संशोधित प्रोतोकोल लेकसक्सेज न्यूयार्क 4 मई, 1949 लेकसक्सेज, न्यूयार्क, 4 मई 1949 को संपन्न

(39) श्वेत दासों के अवैध व्यापार के दमन से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 4 मई, 1910 को पेरिस में संपन्न।

(40) पुरुषों के अवैध व्यापार और दूसरों को वैश्यावृत्ति में लगाने को रोकने से सम्बद्ध अभिसमय 21 मार्च, 1950 को लेकसक्सेज, न्यूयार्क में संपन्न।

(41) पुरुषों के अवैध व्यापार और दूसरों को वैश्यावृत्ति में लगाने को रोकने से संबद्ध लेकसक्सेज न्यूयार्क 21 मार्च 1950 को संपन्न अभिसमय पर अंतिम प्रोतोकोल।

(42) अश्लील प्रकाशनों के परिचालन और अवैध व्यापार का दमन करने से सम्बद्ध लेकसक्सेज, न्यूयार्क 21 मार्च 1950 को संपन्न अभिसमय पर संशोधित प्रोतोकोल।

(43) अश्लील प्रकाशनों के परिचालन और अवैध व्यापार का दमन, पेरिस में 4 मई, 1910 को और लेकसक्सेज न्यूयार्क में 4 मई, 1949 को सम्पन्न करार से सम्बद्ध संशोधित प्रोतोकोल।

(44) अश्लील प्रकाशनों के दमन से संबद्ध करार, पेरिस, 4 मई 1910

(45) विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना न्यूयार्क, 21 जुलाई, 1946 विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 24-25 के संशोधन, जेनेवा 28 मई, 1959

विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा के संविधान के अनुच्छेद 7 का संशोधन, जेनेवा 20 मई, 1965

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 24-25 का संशोधन जेनेवा, 23 मई 1973

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 34 और 55 का संशोधन जेनेवा, 22 मई 1973

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 24-25 का संशोधन जेनेवा, 17 मई 1976

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 74 का संशोधन जेनेवा, 18 मई 1978

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 24-25 का संशोधन जेनेवा, 12 मई 1986

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 24-25 का संशोधन जेनेवा, 16 मई 1998

(46) ऑफिस इंटरनेशनल डीहाइजीन पब्लिक से सम्बद्ध प्रोतोकोल न्यूयार्क, जुलाई 22, 1946

(47) विश्व स्वास्थ्य संगठन से तम्बाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क अभिसमय, जेनेवा, 21 मई 2003

(48) एशियन विकास बैंक की स्थापना से संबद्ध करार, मनीला, 4 दिसंबर, 1965

(49) कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि की स्थापना से संबद्ध करार रोम, 13 जून, 1976

(50) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना 8 अप्रैल, 1979

(51) एशियन और पेसिफिक विकास केन्द्र, बैंकाक, 1 अप्रैल 1982

(52) दक्षिण केन्द्र की स्थापना से संबद्ध करार, जेनेवा 1 सितम्बर 1994

(53) नव वाणिज्यिक नमूनों और विज्ञापन सामग्री आयात सुविधा से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जेनेवा, 7 नवम्बर, 1952

(54) पर्यटन के लिए सीमा-शुल्क सुविधाओं से संबद्ध अभिसमय न्यूयार्क, जून 4, 1954

(55) पर्यटक विज्ञापन कागजात और सामग्री के आयात के लिए पर्यटक सीमा-शुल्क सुविधाओं से संबद्ध अतिरिक्त प्रोतोकोल न्यूयार्क, 4 जून, 1954

(56) सड़क यातायात से संबद्ध अभिसमय, जेनेवा, 18 सितम्बर, 1949

(57) सड़क चिह्न और संकेत से संबद्ध अभिसमय वियना, 8 नवम्बर, 1968

(58) एशियन हाईवे नेटवर्क से संबद्ध अंतर्सरकारी करार, बैंकाक, 18 नवम्बर, 2003

(59) अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन से संबद्ध अभिसमय जेनेवा 6 मार्च, 1948

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुच्छेद 17 और 18 में संशोधन, लंदन, 15 सितम्बर, 1965

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुच्छेद 28 के संशोधन से संबद्ध संशोधन, लंदन, 28 सितम्बर, 1965

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुच्छेद 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 और 32 का संशोधन, लंदन, 17 अक्तूबर 1974

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के शीर्षक और ठोस प्रावधानों का संशोधन लंदन 14 नवम्बर 1975 और 9 नवम्बर, 1977 अभिसमय में तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध समिति के संस्थानीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अभिसमय का संशोधन, लंदन, 17 नवम्बर 1977

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अभिसमय के अनुच्छेद 17, 18, 20 और 51 का संशोधन लंदन, 15 नवम्बर, 1979

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अभिसमय (फैसिलिटेशन कमीटी को इंस्टयूसनाइजेशन) लंदन, नवम्बर 7, 1991 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिसमय के संशोधन लंदन 4 नवम्बर, 1993

(60) लाइनर सम्मेलनों के लिए आचरण संहिता से संबद्ध अभिसमय, जेनेवा, 6 अप्रैल 1974

(61) आर्थिक सांख्यकीय से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का प्रोतोकोल 14 दिसम्बर 1928 को जेनेवा 9 दिसम्बर 1948 को पेरिस में संपन्न।

(62) आर्थिक सांख्यकीय से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जेनेवा 14 दिसम्बर 1928

(63) फोनोग्रामों की अनाधिकृत कापी तैयार करने के संबंध में फोनोग्रामों के उत्पादकों के संरक्षण से संबद्ध अभिसमय जेनेवा, 29 अक्तूबर 1971

(64) शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सामग्रियों के आयात से संबद्ध 22 नवम्बर 1950 का करार नैरोबी नवम्बर 26, 1976

(65) शांति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय करार, न्यूयार्क 5 दिसम्बर, 1980

(66) आनुवंशिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की संविधि, मैड्रिड, 13 सितंबर, 1983

(67) अनुवांशिकी इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के संबंध में पुन: आयोजित पूर्ण बैठक का प्रोतोकोल, वियना, 4 अप्रैल, 1984

(68) महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर अभिसमय, न्यूयार्क, 31 मार्च, 1953

(69) 25 सितंबर, 1926 को जेनेवा में हस्ताक्षरित दासता अभिसमय में संशोधन प्रोतोकोल, न्यूयार्क 7 दिसंबर, 1953

(70) 25 सितंबर, 1926 को जेनेवा में हस्ताक्षरित और प्रोतोकोल द्वारा संशोधित दासता अभिसमय, न्यूयार्क 1953

(71) दासता अभिसमय, जेनेवा 25 सितंबर, 1926

(72) दासता, दास व्यापार और दासता के समान संस्थाओं और प्रथाओं के उन्मूलन पर पूरक अभिसमय, जेनेवा, 7 सितंबर, 1956

(73) बंधक बनाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, न्यूयार्क, 17 दिसंबर, 1979

(74) अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों, जिनमें राजनयिक एजेंट भी शामिल हैं, के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड संबंधी अभिसमय, न्यूयार्क, 14 दिसंबर 1973

(75) आतंकवादी गोलाबारी के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, न्यूयार्क, 15 दिसंबर 1997

(76) आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, न्यूयार्क 9 दिसंबर 1999

(77) नाभिकीय आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, न्यूयार्क, 13 अप्रैल, 2005

(78) एशियाई नारियल समुदाय स्थापित करने से संबंधित करार बैंकाक, 12 दिसंबर, 1968

(79) पेप्पर समुदाय स्थापित करने से संबंधित करार बैंकाक, 16 अप्रैल 1971

(80) एशियाई चावल व्यापार कोष स्थापित करने से संबंधित करार, बैंकाक, 16 मार्च 1973

(81) अंतरराष्ट्रीय चाय संवर्धन एसोसिएशन स्थापित करने से संबंधित करार, जेनेवा, 31 मार्च 1977

(82) जूट और जूट उत्पादों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार, जेनेवा, 1 अक्तूबर, 1982

(83) अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय टिम्बर करार, 1983, जेनेवा, 18 नवंबर, 1983

(84) अंतरराष्ट्रीय शर्करा करार 1984 जेनेवा, 5 जुलाई 1984

(85) अंतरराष्ट्रीय कापर अध्ययन ग्रुप के विचारणीय विषय, जेनेवा 24, फरवरी 1989

(86) अंतरराष्ट्रीय शर्करा करार, 1992 जेनेवा, 20 मार्च 1992

(87) अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय टिम्बर करार, 1994, जेनेवा, 26 जनवरी, 1994

(88) अनाज व्यापार अभिसमय, 1995, लंदन, 7 दिसंबर 1994

(89) अंतरराष्ट्रीय काफी करार 2001, लंदन, 28 सितंबर, 2000

(90) अंतरराष्ट्रीय जूट अध्ययन ग्रुप 2001 के विचारणीय विषय स्थापित करने से संबंधित करार, जेनेवा, 13 मार्च, 2001

(91) सागर कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, मेंटेगो बे, 10 दिसंबर 1982

(92) 10 दिसंबर 1982 के सागर कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के भाग XI के क्रियान्वयन के बारे में करार

(93) मत्स्य-स्टाकों की क्रय-विक्रय की संविदा और उच्च प्रवासी मत्स्य स्टाक के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित 10 दिसंबर, 1982 का सागर कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु करार, न्यूयार्क, 4 अगस्त, 1995

(94) सागर कानून के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की सुविधाएं एवं उन्मुक्तियों पर करार, न्यूयार्क, 23 मई, 1997

(95) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण की सुविधाओं एवं उन्मुक्तियों पर प्रोतोकोल, किंग्स्टन, 27 मार्च, 1998

(96) विदेशी पंचाट अवार्ड को मान्यता देने और प्रवर्तन पर अभिसमय, न्यूयार्क, 10 जून, 1958

(97) बाहरी अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित पिण्डों के पंजीकरण पर अभिसमय, न्यूयार्क, 12 नवंबर, 1974

(98) उपग्रह द्वारा संचारित संकेतों को ले जाने वाले कार्यक्रम के वितरण से संबंधित अभिसमय, ब्रसेल्स, 21 मई, 1974

(99) एशिया-पेसिफिस टेलिकम्यूनिटी का संविधान, बैंकाक, 27 मार्च, 1976

(100) एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्राडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना संबंधी करार, क्वालालम्पुर, 12 अगस्त, 1977

(101) आपदा शमन एवं राहत अभियान के लिए दूरसंचार संसाधनों के प्रावधान पर टैम्पेयर अभिसमय, टैम्पेयर, 18 जून, 1988

(102) पर्यावरणीय संशोधन तकनीकों के सैन्य या कोई अन्य शत्रुतापूर्ण उपयोग के निषेध पर अभिसमय, न्यूयार्क, 10 दिसम्बर, 1976

(103) कुछ पारंपरिक हथियारों, जिसे कि अत्यधिक खतरनाक समझा जाता है या अविवेकपूर्ण प्रभाव रखते हों, के प्रयोग पर प्रतिषेध या प्रतिबंध पर अभिसमय (प्रोतोकोल I, II और III), जेनेवा, 10 अक्तूबर, 1980

कुछ पारंपरिक हथियारों जिसे कि अत्यधिक खतरनाक समझा जाता है या अविवेकपूर्ण प्रभाव रखते हों, के प्रयोग पर प्रतिषेध या प्रतिबंध पर अभिसमय के लिए अतिरिक्त प्रोतोकोल (प्रोतोकोल IV, अंधा करने वाला लेजर हथियारों पर इनटाइटल्ड प्रोतोकाल), वियना, 13 अक्तूबर, 1995

कुछ पारंपरिक हथियारों जिसे कि अत्यधिक खतरनाक समझा जाता है या अविवेकपूर्ण प्रभाव होते हों, के प्रयोग पर प्रतिषेध या प्रतिबंध पर अभिसमय के साथ संबद्ध 3 मई, 1996 को यथासंशोधित बारूदी सुरंगों, बूबी-ट्रैपों और अन्य उपकरणों के उपयोग पर प्रतिषेध या प्रतिबंध संबंधी प्रोतोकाल (3 मई, 1996 का यथासंशोधित प्रोतोकाल II) जेनेवा, 3 मई, 1996

कुछ पारंपरिक हथियारों जिसे कि अत्यधिक खतरनाक समझा जाता है या अविवेकपूर्ण प्रभाव रखते हों, के प्रयोग पर प्रतिषेध या प्रतिबंध पर अभिसमय में संशोधन (प्रोतोकोल I, II और III के साथ), जेनेवा, 21 दिसंबर, 2001

कुछ पारंपरिक हथियारों जिसे कि अत्यधिक खतरनाक समझा जाता है या अविवेकपूर्ण प्रभाव रखते हों, के प्रयोग पर प्रतिषेध या प्रतिबंध पर अभिसमय के साथ संबद्ध युद्धावशेष विस्फोटक पर प्रोतोकोल (प्रोतोकोल), जेनेवा, 28 नवंबर, 2003

(104) रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भण्डारण और प्रयोग पर प्रतिबंध और उन्हें नष्ट करने से संबंधित अभिसमय, जेनेवा 3 सितम्बर, 1992

(105) ओजोन परत के संरक्षण के लिए विएना अभिसमय, विएना, 22 मार्च, 1985

(106) ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर माण्ट्रियल प्रोतोकोल, माण्ट्रियल, 16 सितम्बर, 1987

ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर माण्ट्रियल प्रोतोकोल में संशोधन, लंदन, 29 जून, 1990

पक्षकारों की नौवीं बैठक द्वारा अंगीकृत, ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर माण्ट्रियल प्रोतोकोल में संशोधन, 17 सितम्बर, 1997

ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर माण्ट्रियल प्रोतोकोल में संशोधन, बीजिंग, 3 दिसम्बर, 1999

(107) हानिकारक कूड़े की सीमा-पार आवा-जाही पर नियंत्रण और उसके निपटान पर बेसेल अभिसमय, बेसेल, 22 मार्च, 1989

(108) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र स्वरूप अभिसमय, न्यूयार्क, 9 मई, 1992

(109) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र स्वरूप अभिसमय पर क्योटो प्रोतोकोल, क्योटो, 11 दिसम्बर, 1997

(110) जैविक विविधता पर अभिसमय, रियो डी जेनीरो, 5 जून, 1992

(111) जैव विविधता पर जैव सुरक्षा संबंधी कारटाजीना प्रोतोकोल, माण्ट्रियल, 29 जनवरी, 2000

(112) गंभीर सूखे का सामना करने वाले देशों में मरूस्थलीकरण अथवा विशेषकर अफ्रीका में मरूस्थलीकरण का सामना करने पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, पेरिस, 14 अक्तूबर, 1994

(113) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ हानिकारक कूड़े के लिए पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया पर रोटरडैम अभिसमय, रोटरडैम, 10 सितम्बर, 1998

(114) निरंतर आर्गेनिक प्रदूषणकारी तत्वों पर स्टाकहोम अभिसमय, स्टाकहोम, 22 मई, 2001

(115) प्रतिलिप्याधिकार रायल्टी के दोहरे कराधान से बचाव के लिए बहुपक्षीय अभिसमय, मैड्रिड, 13 दिसम्बर, 1979

जापान के साथ व्यक्तियों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम

2073. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस वर्ष जापान के साथ व्यक्तियों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम से संबंधित किसी घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को जापान भेजा गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास वर्तमान वर्ष के आवेदकों को इसी वर्ष जापान भेजने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जापान के विदेश मंत्री तारो आसो की 3-4 जनवरी, 2006 तक की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 'आसो कार्यक्रम' शुरू करने के जापानी पक्ष के निर्णय की सूचना दी गई, जिसमें कि जापानी भाषा, प्रौद्योगिकी युवा तालमेल इत्यादि के क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों के दौरान 4000 लोगों का आदान-प्रदान किया जाएगा। भारतीय पक्ष ने उनके इस पहल पर जिससे कि लोगों को लोगों से संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा, अपनी खुशी व्यक्ति की है।

(ग) से (ङ) यह कार्यक्रम जापान सरकार के पहल से शुरू की गई है और जापानी पक्ष द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय

2074. **श्री वी. के. ठुम्मर:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या कैट के निर्णयों को न्यायालयों में चुनौती दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कैट द्वारा कितने निर्णय लिए गए और इनमें से कितने मामलों को न्यायालयों में चुनौती दी गई; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, केन्द्रीय सरकार के काम-काज से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा-शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का न्यायिक निर्णय देने के लिए की गई थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है क्योंकि कानून, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या तथा सरकार और कर्मचारियों द्वारा चुनौती दिए गए निर्णयों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	उन निर्णयों की संख्या जिन्हें चुनौती दी गई	
		सरकार द्वारा	कर्मचारियों द्वारा
2003	28076	731	767
2004	27735	853	873
2005	22408	523	715

लांग रेंज टैंकरों का विनिर्माण

2075. **श्री तूफानी सरोज:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लांग रेंज टैंकरों के विनिर्माण के लिए कोरियन शिप बिल्डिंग कंपनी से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते के अंतर्गत कुल कितने टैंकरों का विनिर्माण किया जाना है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कितने पोत हैं और उनकी कुल परिवहन-क्षमता कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने लम्बी रेंज के आकार के छः (06) उत्पाद-टंकी-पोतों के निर्माण के बारे में, 27 अक्टूबर, 2006 को मैसर्स एस टी एक्स शिप बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड, दक्षिण कोरिया से पोत-निर्माण-करार कर लिया है।

(ग) उपर्युक्त करार की कुल लागत, 370.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1706 करोड़ रु०) की है।

(घ) भारतीय नौवहन-निगम का 2.74 मिलियन सकल टन-भार-धारिता और 4.78 मिलियन कुल टन-भार (डैड वेट टनेज) धारिता से युक्त 80 जलयानों का एक अपना ही बेड़ा है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंस

2076. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को ले जाने के लिए आंध्र प्रदेश को दिए गए एंबुलेंसों की राष्ट्रीय राजमार्ग–वार संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (एन एच ए आर एस एस) के अंतर्गत एंबुलेंसों द्वारा ले जाए गए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की वर्ष-वार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–वार संख्या कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) आंध्र प्रदेश से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।

(ख) दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने के लिए आंध्र प्रदेश में 24 एंबुलेंस लगाई गई हैं जो इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय राजमार्ग	5	-	23
राष्ट्रीय राजमार्ग	9	-	1

(ग) ऐसे दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों जिनकी सहायता गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त 24 एंबुलेंसों द्वारा की गई है, की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग-5	राष्ट्रीय राजमार्ग-9
2004	497	79
2005	701	155
2006	1542	125

[हिन्दी]

पाकिस्तान में मंदिर को कथित रूप से बूचड़खानों में बदला जाना

2077. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कराची स्थित एक शिव मंदिर को कथित रूप से बूचड़खाने में बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ चर्चा की है;

(ग) क्या इस मामले में पाकिस्तान द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) अक्तूबर 2006 में मीडिया समाचारों के अनुसार पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग ने एक पत्र में कराची स्थित शिव मंदिर के परिसर में अनाधिकृत कब्जे और चारदिवारी के अंदर हो रही तथा कथित गौहत्या की ओर सिंध की प्रांतीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सहयोग के अनुसरण में, भारत अन्य देशों के साथ निरंतर यह प्रयास करता है कि विदेशों में धार्मिक स्थलों को कोई क्षति न पहुंचे।

[अनुवाद]

डी डी टी की प्रभावकारिता

2078. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डी डी टी एक प्रभावकारी मलेरिया-रोधी रणनीति के रूप में विफल हो गया है और इसके फलस्वरूप रसायन निर्भरता की स्थिति उत्पन्न होने के अतिरिक्त स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए डीडीटी के प्रयोग की अनुशंसा की है। वर्ष 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से ही इस कार्यक्रम में घर के अन्दर रेजिड्यूल स्प्रे का प्रयोग किया जा रहा है और यह मलेरिया रोग को कम करने में प्रभावी साबित हुआ है। अभी भी कीटनाशक का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां एनोफिलीज वेक्टर मच्छर डीडीटी के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां वेक्टर, डीडीटी के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, वहां वैकल्पिक कीटनाशक अर्थात मालाथियन एवं सिन्थेटिक पायरेथ्राइड के प्रयोग की अनुशंसा की गई है।

केरल में आयुष परियोजना

2079. श्री पी. सी. थामस: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूवनन्तपुरम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसिज के लिए आयुष परियोजना की स्थापना हेतु केरल का एक प्रस्ताव अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के लिए कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केरल सरकार से तिरूवनन्तपुरम, केरल में कुल 101.60 करोड़ रु. की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव 2004 में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच करने के बाद केरल सरकार को सूचित किया गया कि आयुष विभाग के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत प्रस्तावित योजना को वित्तीय सहायता दी जा सके। केरल सरकार को यह भी सूचित किया गया कि किसी नए मेडिकल कॉलेज को खोलने की अनुमति लेने संबंधी आवेदन-पत्र को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के उपबंधों के अंतर्गत और विनियमों में विहित समय सूची के अनुसार केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विनियमों की प्रतियां भी केरल सरकार को भेज दी गई थी।

(ग) और (घ) विभाग को केरल सरकार से अभी तक विहित प्रपत्र में कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थापना

2080. श्री परसुराम माझी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित किए गए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2006-07 के दौरान नए डिजिटल एक्सचेंजों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान संभावित रूप से स्थापित किए जाने वाले ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) देश में 31 मार्च, 2006 तक स्थापित किए गए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या 37862 है। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां, 2006-07 के दौरान इस किस्म के 190 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

31.3.2006 की स्थिति के अनुसार सर्किल-वार टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा और 2006-07 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	नए एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	49	0
2.	आंध्र प्रदेश	3568	0

1	2	3	4
3.	बिहार	1163	41
4.	छत्तीसगढ़	633	2
5.	गुजरात	3231	2
6.	असम	598	0
7.	हरियाणा	1116	6
8.	हिमाचल प्रदेश	970	0
9.	जम्मू-कश्मीर	365	9
10.	झारखण्ड	457	5
11.	कर्नाटक	2710	14
12.	केरल	1224	6
13.	मध्य प्रदेश	2789	6
14.	महाराष्ट्र (मुम्बई के अलावा)	4949	16
15.	पूर्वोत्तर-I	276	3
16.	पूर्वोत्तर-II	217	6
17.	उड़ीसा	1150	5
18.	पंजाब	1554	6
19.	राजस्थान	2347	2
20.	तमिलनाडु	2043	7
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2292	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	976	0
23.	उत्तरांचल	453	7
24.	पश्चिम बंगाल	1371	9
25.	कोलकाता	550	24
26.	चेन्नई	331	5
27.	एमटीएनएल दिल्ली	301	0
28.	एमटीएनएल मुम्बई	179	9
	जोड़	37862	190

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश मोबाइल फोन टावर

2081. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कितने जिलों में अभी तक मोबाइल फोन टावर लगाए जा चुके हैं;

(ख) कितने जिलों में अभी तक टावर नहीं लगाए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेवनी, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में स्थान-वार कितने टावर लगाए गए हैं अथवा लगाए जाने हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लि० (बीएसएनएल) ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मोबाइल फोन टॉवर संस्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, निजी मोबाइल प्रचालकों ने भी मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में मोबाइल फोन टॉवर संस्थापित किए हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीएसएनएल सेवनी, जबलपुर और नरसिंहपुर में 68 टॉवर पहले ही संस्थापित कर चुका है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी इन जिलों में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, 76 टॉवर संस्थापित करने की योजना है:

जिला	संस्थापित किए जा चुके टॉवरों की संख्या	2006-07 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या
सेवनी	13	13
जबलपुर	38	54
नरसिंहपुर	17	9

इसके अतिरिक्त, इन जिलों में निजी मोबाइल प्रचालकों ने भी टॉवर संस्थापित किए हैं।

अनिवासी भारतीयों का प्रत्यावर्तन

2082. श्री राकेश सिंह: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रत्यावर्तित हो रहे अनिवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनकी देश वापसी पर उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

2083. श्री रनेन बर्मन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन के बाद सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति तैयार की जा रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2002	407497
2003	406726
2004	429910

(ग) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, इस विभाग ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:

(i) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना के स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांक/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का उपयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाए किए गए हैं।

(iii) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

(v) देश में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(vi) दृश्य-श्रृव्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार अभियान।

(vii) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(viii) वाहनों के सुरक्षा मानक कठोर बनाना।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी पूरे हो चुके ऐसे प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50 किमी० की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत हैं।

(x) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाना और सुधारना, आदि।

आई.टी.आई. अधिनियम से छूट प्राप्त संगठन

2084. श्री पी. एस. गढ़वी:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संगठनों को सूचना के अधिकार अधिनियम के संचालन से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार पेशेवर दलालों द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) और (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 में यह प्रावधान है कि इसकी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों की सूची संलग्न विवरण में है।

(घ) सूचना का अधिकार के प्रथम वर्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम के उपयोग में व्यावसायिक बिचौलियों के बढ़ने की आशंका के प्रति सावधान किया है जैसा कि अन्य कुछ देशों में देखा गया है।

(ङ) सरकार लोक प्राधिकारियों से पर्याप्त सक्रिय खुलासे करने की आशा करती है जिससे जनता को सूचना माँगने की कम आवश्यकता पड़े। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम उपयुक्त सरकारों को जनसाधारण की जानकारी बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास तथा आयोजन हेतु आदेशित करता है। इन उपायों से बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलेगी।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा संस्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो
2. मंत्रिमंडलीय सचिवालय की अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग
3. राजस्व आसूचना निदेशालय
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
5. प्रवर्तन निदेशालय
6. नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो
7. विमानन अनुसंधान केन्द्र
8. विशेष सुरक्षा बल
9. सीमा सुरक्षा बल
10. केन्द्रीय अनुसंधान पुलिस बल
11. भारत तिब्बत सीमा पुलिस
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
14. असम राइफल्स
15. सशस्त्र सीमा बल
16. विशेष शाखा (सी. आई. डी.) अंडमान एवं निकोबार
17. अपराध शाखा - सी. आई. डी. - सी. बी. दादरा और नगर हवेली
18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस
19. विशेष सुरक्षा दल
20. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
21. सीमा सड़क विकास बोर्ड
22. वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत।

आतंकवाद से लड़ने के लिए अमरीकी सहायता

2085. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह कहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाले आतंकवादी दलों का उद्‌गम स्थल एवं उनका संबंध पाकिस्तान से है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने में भारत को मदद करने के लिए अपने सहयोग की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) नई दिल्ली में 10 नवंबर, 2006 को प्रैस के साथ हुई बातचीत के दौरान अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी रिचर्ड बुकर ने आतंकवाद और विशेषरूप से मुम्बई विस्फोटों का हवाला देते हुए कहा कि "कई संपर्कों जिन पर चर्चा की गई है, जिन्हें देखा गया है, उन गुटों की ओर इशारा करते हैं जिनका उद्गम स्थल एवं संबंध पाकिस्तान से है। किन्तु इनमें से कुछ गुट-वास्तव में इन सभी गुटों को पाकिस्तान में भी गैर-कानूनी और प्रतिबंधित कर दिया गया है।"

(ग) और (घ) आतंकवाद की साझी चुनौती का सामना कर रहे दो लोकतांत्रिक देश भारत और अमरीका ने, आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त कार्य दल के माध्यम से आतंकवाद के मुकाबले पर वार्ता की है। भारत और अमरीका समय-समय पर इस वार्ता के जरिए आतंकवाद पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां

2086. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान को अनेक अवसरों पर उनके भूभाग में कार्यरत आतंकवादी संगठनों की उपस्थित के संबंध में सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 2004 से इस संबंध में कितनी बार पाकिस्तान का ध्यान आकृष्ट किया गया है; और

(ग) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत सरकार ने समय-समय पर पाकिस्तान सरकार के साथ पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र में कार्य कर रहे आतंकवादी संगठनों/शिविरों और वहाँ से संचालित हो रही आतंकवादी गतिविधियों के मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ शिखर सम्मेलन स्तर, विदेश मंत्री स्तर की बैठकों और सचिव स्तर की वार्ताओं में उठाया गया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच बैठकें: 16 सितम्बर, 2006 (हवाना); 14 सितम्बर, 2005 (न्यूयार्क); 16-18 अप्रैल, 2005 (नई दिल्ली) और 24 सितम्बर, 2004 (न्यूयार्क)।

2. भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बैठकें: 4 अक्तूबर, 2005 (इस्लामाबाद); 16 फरवरी, 2005 (इस्लामाबाद); 5-6 सितम्बर, 2004 (नई दिल्ली); और 23 जुलाई, 2004 (इस्लामाबाद)।

3. विदेश सचिव स्तर की वार्ता: 14-15 नवम्बर, 2006 (नई दिल्ली); 17-18 जनवरी, 2006 (नई दिल्ली); 2 सितंबर, 2005 (इस्लामाबाद); 27-28 दिसंबर, 2004 (इस्लामाबाद); 4 सितम्बर, 2004 (नई दिल्ली) और 27-28 जून, 2004 (नई दिल्ली);

4. गृह सचिव स्तर की वार्ता: 30-31 मई, 2006 (इस्लामाबाद); 29-30 अगस्त, 2005 (नई दिल्ली); 10-11 अगस्त, 2004 (इस्लामाबाद)।

(ग) पाकिस्तान ने हमेशा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों की उपस्थिति अथवा वहाँ से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों से इंकार किया है।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीयों के लिए प्रणाली

2087. श्री ई. जी. सुगावनम:
श्री के. सी. पल्लानी शामी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक वर्ष-वार भारतीय मूल के कितने लोगों को प्रवासी भारतीय नागरिक का दर्जा किया गया;

(ख) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के निवेश हेतु प्रस्तावों के निर्बाध अनुमोदन के लिए कोई प्रणाली शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए कोई नई बीमा योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जनवरी 2006 में योजना के आरंभ से लेकर 27.11.2006 तक 78,437 ओसीआई दस्तावेज जारी किये गये हैं।

(ख) और (ग) जी हां, सरकार ने उत्प्रवासी भारतीयों से निवेश के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है। स्वत: मार्ग के अन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अधिकांश क्षेत्र खुले हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अन्तर्गत प्रवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधा संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रवासी भारतीय बीमा योजना नामक एक नई बीमा योजना 2003 में लागू की गई थी। फरवरी 2006 से योजना में सुधार लागू किये थे। प्रवासी भारतीय बीमा योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) किसी भारतीय उत्प्रवासी, जो उत्प्रवास स्वीकृति लेने के पश्चात रोजगार के प्रयोजन के लिए बाहर जाता है, उसकी मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की दशा में नामिती को दी जाने वाली बीमा राशि को पहले ही 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, उत्प्रवासी द्वारा अपने रोजगार से संबंधित किसी विवाद में कानूनी खर्च के रूप में न्यूनतम 25 हजार रुपये की एक अतिरिक्त राशि की व्यवस्था है।

(iii) उत्प्रवासी कामगार का भारत में रह रहा परिवार बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की दशा में पहले के 10 हजार रुपये प्रति वर्ष की तुलना में अब तक अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक के अस्पताल खर्च का पात्र होगा।

(iv) बीमित व्यक्ति, यदि बीमार पड़ जाता है अथवा काम करने के लिए शारीरिक तौर पर अयोग्य करार कर दिया जाता है और विदेशी नियोक्ता द्वारा 2003 की योजना में लिए गए बीमे के अंतर्गत छ: माह के बजाय 12 माह में उसका सेवा करार निरस्त कर दिया जाता है तो उसे एक तरफ के रियायती श्रेणी के हवाई भाड़े का भुगतान किया जाएगा।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत उपरोक्त नीति के अलावा मंत्रालय द्वारा रोजगार के लिए अफगानिस्तान जाने वाले कामगारों के लिए 100 रुपये के मामूली प्रीमियम पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा अनुमोदित कर दिया गया है।

बढ़ाये गए ये सभी लाभ फरवरी 2006 से लागू हैं।

विवरण

1. अप्रवासी भारतीय आवास और वास्तविक सम्पदा विकास में स्वत: माध्यम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं:

* सेवा भूखण्डों का विकास और तैयार आवासीय परिसरों का निर्माण;
* व्यवसाय केन्द्रों और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों वाली वास्तविक सम्पदा में निवेश;
* नगर विकास;
* शहर और क्षेत्रीय स्तर पर शहरी संरचना सुविधाएं, जिनमें सड़कें और पुल शामिल हैं;
* उपर्युक्त गतिविधियों में भागीदारीपूर्ण उद्यमों में निवेश;
* आवास वित्त संस्थाओं में निवेश।

2. अप्रवासी भारतीय विमान टैक्सी संचालन में लगी भारतीय कम्पनियों में 100 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। (विदेशी कम्पनियों के लिए केवल 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है)

अप्रवासी भारतीयों के लिए अन्य सुविधाएं

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अन्तर्गत निवेशों के अतिरिक्त अप्रवासी भारतीय निम्नलिखित गतिविधियों/क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम विनियमों की विभिन्न अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी निवेश कर सकते हैं:

* म्यूच्वल फण्ड;
* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड में निवेश;
* कृषि/बागान गतिविधि अथवा वास्तविक सम्पदा व्यवसाय को छोड़कर स्वामित्व/भागीदारी मामलों में 100 प्रतिशत

इक्विटी तक निवेश (विदेशी कम्पनियों को भागीदारी फर्मों/स्वामित्व वाले मामलों में निवेश की अनुमति नहीं है)

* पोर्टफोलियो निवेश योजनाएं : अप्रवासी भारतीयों को पोर्टफोलियो योजना के अन्तर्गत शेयर बाजारों से माध्यमिक बाजार खरीदारियों की मार्फत शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति है। निवेश की सीमाएं क्रमश: 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है। ये सीमाएं विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेश के अतिरिक्त हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अप्रवासी भारतीयों के निवेशों की भरमार न हो जाए।

* अप्रवासी भारतीय कृषि भूमि/बागान सम्पत्ति/फार्म हाउस के अलावा अचल सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी सम्पत्तियों को अन्य अप्रवासी भारतीय निवासी को हस्तांतरित कर सकते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक

2088. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का अति आवश्यक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में अर्थव्यवस्था की विफलता पर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण-पत्र में यह उल्लेख है : "वर्ष 2005-06 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत:प्रवाह लगभग $ 6 बिलियन हुआ और ग्यारहवीं योजना के दौरान यह राशि और अधिक बढ़ सकती है"।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने, देश में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई मुख्य पहलें की हैं। विनिर्माण और खनिज क्षेत्रकों में अधिकांश इक्विटी सीमाएं 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग पर आधारित हैं और केवल रक्षा उपकरण के उत्पादन तथा आणविक ऊर्जा में ही प्रतिबंधित है। शहरी क्षेत्र में अवसंरचना सेवाएं 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग की अनुमति देती है। तथापि, दूरसंचार एयरपोर्ट, नागर विमानन, गैस पाइपलाइनों के लिए इक्विटी की सीमाएँ हैं। अधिकांश सेवाएँ, बैंकिंग, बीमा और कुछ व्यावसायिक सेवाओं को छोड़कर 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देती है।

अधिकृत निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र

2089. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में सी जी एच एस लाभार्थियों के चिकित्सा उपचार हेतु अधिकृत निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की राज्य-वार तथा स्थान-वार सूची क्या है;

(ख) क्या कतिपय अधिकृत सरकारी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सी जी एच एस के अंतर्गत मान्यता समाप्त कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को सी जी एच एस के अंतर्गत मान्यता देने हेतु और अधिक अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन अस्पतालों को कब तक मान्यता दे दिए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा इनको मान्यता दिए जाने में विलम्ब, यदि कोई है, के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सी जी एच एस के अंतर्गत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची एक भारी-भरकम दस्तावेज है और यह मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) सूची में शामिल होने की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और सीजीएचएस द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए कोई भी निजी अस्पताल/नैदानिक केन्द्र किसी भी समय पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है।

दमण एवं दीव में परियोजनाएं

2090. **श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दमण एवं दीव में बनाई जा रही या बनाने के लिए प्रस्तावित सड़कों/राजमार्गों तथा पुलों का ब्योरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन प्रत्येक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में बनाई जा रही या बनाए जाने के लिए प्रस्तावित सड़कों/राजमार्गों तथा पुलों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.40 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

विवरण

दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में बनाए जा रहे या बनाए जाने के लिए प्रस्तावित सड़कों/राजमार्गों और पुलों के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत लागत (लाख रु.)	स्वीकृति की तारीख	वित्त पोषण	परियोजना की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
क	**जिला-दमन**				
1.	गुजरात, दमन जिले को जोड़ते हुए कोलक नदी पर पुल और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	334.38	17.3.2006	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अंतरराज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के तहत	केलोनिवि, गांधी नगर को सौंपी गई। कार्य अभी सौंपा जाना है।
2.	दमन शहर में ननी और मोती दमन को जोड़ते हुए दमन गंगा नदी पर नए दमन गंगा पुल का निर्माण	3884.01	24.4.2006	संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सरकार के जमा कार्य के तौर पर गुजरात सरकार को सौंपी गई। कार्य प्रगति पर है।
3.	ननीदमन साइट पर कांचीगाम और मोती दमन साइट पर जारी को जोड़ते हुए जारी में दमन गंगा नदी पर बड़े पुल का निर्माण	इस पुल के संरेखण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। परियोजना का वित्तपोषण संघ राज्य के क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।			
4.	वापी उडवडा के बीच बलीता गेट के 175/3-5 कि.मी. पर लेवल क्रासिंग सं. 81/सी के स्थान पर आर ओ बी का निर्माण	पश्चिमी रेलवे प्राधिकारियों से आर ओ बी का ब्यौरे वार प्राक्कलन अभी प्राप्त होना है। इस परियोजना का वित्तपोषण संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।			

1	2	3	4	5	6
5.	निम्नलिखित 3 सड़कों को चार लेन का बनाना:- 1. वापी-दमन-9.00 कि.मी. 2. वापी-सिल्वासा-11.80 कि.मी. 3. भिलाड़-सिल्वासा-17.40 कि.मी.	इन सड़कों को चार लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी कार्य संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चल रहा है। इस परियोजना को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के तहत वित्त पोषित किए जाने का प्रस्ताव है।			
ख	जिला-दीव				
1.	गुजरात और दीव जिले को जोड़ते हुए दीव में तादक्रीक पर छोटे पुल और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	316.27	31.3.2006	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अंतरराज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के तहत	कॅलोनिवि, गांधी नगर को सौंपी गई। कार्य नवंबर, 2006 में सौंप दिया गया है।
2.	दीव जिले में वनकबाड़ा और गुजरात में कोटड को जोड़ते हुए पुल का निर्माण	यह कार्य दमन और दीव प्रशासन के जमा कार्य के तौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, गांधीनगर को सौंप दिया गया है। परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।			

ईस्टर्न साइड जेट्टीज का विकास

2091. डा. पी.पी. कोया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कडमात, किल्टान तथा चेटलाट द्वीपों में पोत ठहराव सुविधा सहित ईस्टर्न साइड जेट्टीज विकसित करने की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कावारत्ती, मिनीकॉय, अमीनी तथा अगाती द्वीपों में ईस्टर्न साइड जेट्टियों का निर्माण-कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कदमत, किल्तन और चेतलत द्वीपों में पोतों को घाट पर लगाने की सुविधाओं सहित पूर्वी ओर की जेटियों को विकसित किए जाने की योजना, आरंभिक अवस्था में चल रही है।

(ग) और (घ) लक्षद्वीप-द्वीपसमूह में अमीनी और मिनिकॉय द्वीपों में पूर्वी ओर की जेटियों का निर्माण, नियम समय-अवधि के अनुसार चल रहा है। फिर भी, कावारती और अगामी द्वीपों में पूर्वी ओर की जेटियों का निर्माण, निविदा पुन: आमंत्रित किए जाने और संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक) से संबंधित बाध्यकारिताओं एवं मौसम खराब रहने की वजह से 05 महीने का विलम्ब हो जाने के कारण, अगस्त, 2007 तक पूरा कर लिया जाना नियत है।

टॉल प्लाजा के स्थान में परिवर्तन

2092. डा. अरविन्द शर्मा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर करनाल से 132 कि. मी. की दूरी से 146-148 कि.मी. की दूरी पर स्थित टॉल प्लाजा को स्थानान्तरित किए जाने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आदेश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) नए टॉल प्लाजा का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के 146/400 कि.मी. पर किए जाने का प्रस्ताव है। नए टॉल प्लाजा के निर्माण के लिए निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों में बदलना

2093. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों में बदलने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों/महाविद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबध में सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में थैलीसीमिया के रोगी

2094. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में थैलीसीमिया के रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस रोग के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए थैलेसीमिया रोगियों की अनुमानित संख्या के बारे में विभिन्न राज्यों से प्राप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आनुवंशिकी परामर्श और प्रसवपूर्व निदान के द्वारा ही इस रोग की रोकथाम संभव है जिसकी सुविधाएं देश के बहुत ही सीमित केन्द्रों में उपलब्ध है क्योंकि इसकी प्रक्रिया महंगी एवं अत्याधुनिक होती है। थैलेसीमिया मेजर से मुक्ति के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ही उपचार है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए थैलेसीमिया रोगियों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	सूचित रोगियों का ब्यौरा
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
2.	एन सी टी दिल्ली	3088
3.	गोवा	11
4.	गुजरात	7531
5.	हरियाणा	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	49
7.	मणिपुर	21
8.	मिजोरम	शून्य
9.	मेघालय	शून्य
10.	पंजाब	शून्य

1	2	3
11.	सिक्किम	शून्य
12.	त्रिपुरा	377
13.	उत्तर प्रदेश	शून्य
14.	चंडीगढ़	14995
15.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
16.	दमण व दीव	शून्य
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश	609
19.	उत्तरांचल	27
20.	आंध्र प्रदेश	शून्य
21.	नागालैंड	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	1425
23.	पांडिचेरी	शून्य
24.	तमिलनाडु	100

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, अण्डमान एवं निकोबार, उड़ीसा एवं राजस्थान राज्यों/संघ क्षेत्रों ने कोई सूचना नहीं दी है।

मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन

2095. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के निकट संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले सभी मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्नयन के दायरे से छूट गए मार्गों के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसे उन्नयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) गुजरात के निकट संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले खंडों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन नहीं किया गया है। गुजरात के समीप दादरा और नगर हवेली और दमन पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के निकट स्थित है तथा दीव राष्ट्रीय राजमार्ग-8 ई के निकट स्थित है। तथापि, मंत्रालय ने अंतर-राज्यीक सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 ई को जोड़ते हुए तीन सड़कों अर्थात् (1) वापी-दमन सड़क (2) वापी-सिल्वासा सड़क, और (3) भिलाड़-सिल्वासा सड़क के उन्नयन का निर्णय लिया है। इन सड़कों को चार लेन का बनाने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साध्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है।

(घ) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन के लिए निर्धारित मापदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड

1. देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानी से जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, बड़े औद्योगिक केंन्द्रों अथवा पर्यटक केंन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. अति महत्वपूर्ण सामरिक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सड़कें।
6. वे मुख्य सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त कमी आती हों और जिनसे पर्याप्त आर्थिक वृद्धि होती हो।
7. पिछड़े क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के एक बड़े भूभाग को खोलने में सहायक सड़कें।
8. 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड को पूरा करने वाली सड़कें।
9. वह सड़क जो तकनीकी आवश्यकताओं तथा भूमि आवश्यकताओं दोनों की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप हों।

10. वह सड़क तथा मार्गाधिकार क्षेत्र हर प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए और वह राज्य सरकार की संपत्ति होनी चाहिए।

11. राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अपेक्षित राइट ऑफ वे (अधिमान्य रूप से 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हो तथा वह अतिक्रमण से मुक्त हो और राज्य सरकार को छह माह में अधिग्रहण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

[हिन्दी]

कर्नाटक में समुद्र तटीय सर्किट का विकास

2096. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक ने राज्य में समुद्र तटीय सर्किट के एकीकृत विकास हेतु केन्द्र-सरकार के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) कर्नाटक-राज्य में, लघु पत्तनों को विकसित किए जाने के बारे में कर्नाटक की राज्य सरकार से एक प्रस्ताव मिल गया है। तटीय पोत-परिवहन को बढ़ावा देने की दृष्टि से समुद्री राज्यों से सात लघु पत्तनों को विकसित किया जाना, राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना था, इसलिए कर्नाटक से माल्पे-पत्तन को ही उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल किया गया। ऐसे पत्तनों को विकसित किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना अभी अनुमोदित की जानी है। इस सिलसिले में आगे और कार्रवाई, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को अन्ततः अनुमोदित कर दिए जाने पर ही की जाएगी।

[अनुवाद]

पोत निर्माण/मरम्मत उद्योग को सुदृढ़ करना

2097. श्री रनेन बर्मन: क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विदेशों द्वारा कितनी सहायता दी गई है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या पूर्वी और पश्चिमी तटों पर निजी-सरकारी भागीदारी के आधार पर दो अंतरराष्ट्रीय पोत-निर्माण यार्डों के निर्माण की योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पोत-निर्माण-उद्योग को बढ़ावा देने के क्रम में, भारत-सरकार ने 25 अक्टूबर, 2002 को गैर सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों सहित सभी शिपयार्डों के संबंध में पोत निर्माण सहायता उपदान योजना लागू कर दी थी। सरकार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों को अपनी पोत-निर्माण तथा पोत मरम्मत सुविधाओं का नवीनीकरण करवाने, उन्हें बदलवाने और उनमें बढ़ोतरी करने हेतु आयोजनागत/आयोजना-भिन्न सहायता भी मुहैया करवा रही है। पोत-परिवहन-विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शिपायार्डों को मुहैया करवाई गई या मुहैया करवाई जानी प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयोजना सहायता	आयोजना भिन्न सहायता/ पोत निर्माण सहायता
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		
2004-2005	शून्य	15.00
2005-2006	शून्य	51.00
2006-2007	शून्य	70.00 (बजट प्रावधान)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड		
2004-2005	15.00	शून्य
2005-2006	45.50	50.53
2006-2007	57.00 (बजट प्रावधान)	81.49 (बजट प्रावधान)
हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड		
2004-2005	1.61	5.50
2005-2006	1.50	8.50
2006-2007	3.94 (बजट प्रावधान)	8.50 (बजट प्रावधान)

पोत परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों को विदेशों द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्ड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से एक शिपयार्ड, पूर्वी तट पर और दूसरा शिपयार्ड, पश्चिमी तट पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्डों को स्थापित किए जाने के उपयुक्त स्थल चुनने और उन्हें स्थापित किया जाना सुकर बनाने के उपाय सुझाने हेतु भारतीय पत्तन-संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के क्रम में, यह निर्णय किया गया है कि भारत के पूर्वी तट और भारत के पश्चिमी तट पर उपर्युक्त शिपयार्डों को स्थापित किए जाने के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जाने सहित प्रारंभिक तैयारी किए जाने हेतु मुंबई-पत्तन-न्यास और इन्नौर पत्तन लिमिटिड नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन प्रयोक्ताओं संबंधी सर्वेक्षण

2098. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में मोबाइल टेलीफोन प्रयोक्ताओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों और सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता संतुष्टि संबंधी सर्वेक्षण कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की थी।

(ख) स्वतंत्र एजेंसी की 30 जून, 2006 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी सेवा प्रदाता ने विनिमय में उल्लिखित 7 मानदंडों में से 4 मानदंडों के न्यूनतम अंक, अर्थात् सहायता सेवा, नेटवर्क निष्पादन, विश्वसनीयता एवं उपलब्धता, अनुरक्षणता तथा समग्र उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त नहीं किए। महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल तथा मुंबई मेट्रो सर्किल में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रयोक्ताओं के सर्वे का पैरामीटर-वार तथा सेवा प्रदाता-वार विस्तृत परिणाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत संचार निगम लि. द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है तथा उनके सुझावों पर विचार किया जाता है। नेटवर्क विस्तार तथा अतिरिक्त बेस ट्रान्सीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संस्थापना करके नेटवर्क कवरेज, संकुलता आदि से संबंधित शिकायतों को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है।

विवरण

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल तथा मुंबई मेट्रो सर्किल के लिए 30 जून, 2006 को समाप्त तिमाही की सेल्यूलर मोबाइल सेवा से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण

क्र.सं.	सेवा प्रदाता के नाम	नमूने का आकार	निम्नलिखित सेवाओं से संबंधित संतुष्टि का %							
			सेवा प्रावधान	बिलिंग संबंधी निष्पादन		सहायता सेवा	नेटवर्क निष्पादन, विश्वसनीयता एवं उपलब्धता	अनुरक्षण कार्य	समग्र उपभोक्ता संतुष्टि	अतिरिक्त सेवाएं
				प्रीपेड	पोस्टपेड					
		न्यूनतम अंक	>95%	>90%	>90%	>90%	>95%	>95%	>95%	>95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र										
क. सर्किल		**2200**								
1.	बीपीएल सेल्यूलर (हच)	400	86	91	80	58	77	62	80	87
2.	आइडिया सेल्यूलर	400	100	100	100	72	86	*	91	87
3.	बीएसएनएल	400	99	99	99	59	86	40	89	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	भारतीय टेलीवेन्चर	400	94	92	100	66	82	*	86	91
5.	रिलायंस इन्फोकॉम	400	100	98	99	73	90	*	92	88
6.	टाटा, एमएच-सीडीएमए	200	96	100	99	69	90	*	93	98
मुंबई-मेट्रो सर्किल		3430								
1.	एमटीएनएल	472	98	98	96	65	94	83	93	99
2.	भारती	585	95	98	99	68	88	80	91	98
3.	टाटा टेली सर्विसेज	600	95	95	90	69	87	78	88	98
4.	रिलायंस इन्फोकॉम	601	95	98	99	68	91	79	92	99
5.	बीपीएल	572	98	99	87	67	91	77	92	100
6.	हच	600	97	99	99	63	92	83	92	99

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत धनराशि जारी करना

2099. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत धनराशि जारी करने संबंधी कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने मिशन फ्लेक्सी पूल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वार्षिक कार्य योजना 2006-07 भेजी है जिस पर यह मंत्रालय मूल्यांकन हेतु विचार कर रहा है। मूल्यांकन के पश्चात जनवरी, 2007 तक अनुमोदित धनराशि जारी किए जाने की संभावना है।

पेंशन संबंधी लंबित मामले

2100. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फंड (सीएमपीएफ) संगठन के पास पेंशन के वर्षवार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड संगठन ने पीएफ और पेंशन मामलों का आनलाइन निपटान शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में लम्बित पेंशन मामलों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
लम्बित मामलों की संख्या	3586	7003	2702

(ख) जी, हां।

(ग) कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि और पेंशन मामलों को आनलाइन निपटाने के लिए साफ्टवेयर तैयार किया है। सीएमपीएफओ के सभी 23 क्षेत्रीय कार्यालयों को सेन्ट्रल प्रोसेसिंग सेन्टर धनबाद और डिजास्टर रिकवरी सेन्टर, हैदराबाद के नेटवर्क के सारा जोड़ा गया है।

(घ) दावे की प्राप्ति के एक महीने के भीतर पीएफ और पेंशन मामलों को निपटाने के लिए सीएमपीएफ संगठन द्वारा "मिशन विश्वास" नामक विशेष अभियान चलाया गया है। इससे लम्बित मामलों की संख्या में काफी कमी आयी है। 30 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार पेंशन के लम्बित मामलों की संख्या केवल 1858 थी।

[अनुवाद]

नेटवर्किंग पेशेवरों की कमी

2101. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नेटवर्किंग पेशेवरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेटवर्किंग कौशल में जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इससे देश में नेटवर्किंग पेशेवरों की आपूर्ति-मांग में विद्यमान अंतर के किस सीमा तक कम होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) नेटवर्किंग विशेषज्ञों की मांग अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले इंजीनियरी स्नातकों से पर्याप्त रूप में पूरी हो जाती है।

आर्थिक अनुमानों के अनुसार सुप्रशिक्षित सूचना प्रौद्योगिकी कार्मिकों की संख्या में भारी वृद्धि करने के लिए दीर्घावधि कार्यनीति तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित 'सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास' कार्यदल ने यह नोट किया कि जनशक्ति में अंतराल का मुद्दा संस्थानों में सीटों की जनसंख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी कि कुशलता की प्रकृति तथा प्रदान किए जाने वाली प्रशिक्षण की है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भी सूचना सुरक्षा के क्षेत्र, जिसमें नेटवर्किंग भी शामिल है, अच्छी क्वालिटी की जनशक्ति तैयार करने के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षण एवं जागरूकता एक परियोजना आरम्भ की।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संस्थाएं जैसेकि डीओएसीसी, अर्नेट तथा सी-डैक भी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जिसमें नेटवर्किंग भी शामिल है।

[हिन्दी]

टेलीफोन क्षमता का विस्तार

2102. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान बिहार के बांका और जमुई जिलों में टेलीफोन क्षमता के विस्तार और आधुनिक संचार सुविधा उपलब्ध कराने की कोई पहल की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान भागलपुर और मुंगेर गौण स्विचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्रमशः बांका और जमुई राजस्व जिलों में दूरभाष/दूरसंचार सुविधाओं की वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान बांका और जमुई जिलों (बिहार) में दूरभाष क्षमता और आधुनिक संचार सुविधाओं की बढ़ोतरी

क्र.सं.	पैरामीटर	जिले का नाम	
		बांका	जमुई
1	2	3	4
1.	नया एक्सचेंज खोला गया (संख्या)	—	1
2.	क्षमता में वृद्धि की गई (लाइनें)		

1	2	3	4
	(i) लैण्डलाइन	744	152
	(ii) सेल्युलर मोबाइल	9,000	4,000
	कुल	9,744	4,152
3.	नई सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) प्रदान की गई		
	(i) लैण्डलाइन	870	421
	(ii) वायरलेस-इन-लोकल-लूप (डब्ल्यूएलएल)	92	125
	(iii) सेल्युलर मोबाइल	5200	5941
	कुल	6,162	6487
4.	इंटरनेट कनेक्शन दिए गए	55	28
5.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट किमी०) बिछाई गई	6	8
	—	—	—
	टेलीफोन (वीपीटी) का प्रतिस्थापन (संख्या)		
7.	(क) सी-डॉट आरएएक्स को एएनआरएएक्स में बदली करना	20	14
	(ख) सी-डॉट एसबीएम को दूरस्थ स्विचन इकाई में बदली करना	5	–
8.	अन्य विकास कार्य	बांका में नया टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण पूरा किया गया	जमुई एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर वर्सन का 2.1.1.7 में उन्नयन किया गया।

प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना

2103. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की क्या नीति है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सूची में शामिल करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में प्राकृतिक चिकित्सा के किसी अस्पताल को मान्यता प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 के अनुसार, सरकार प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अवसंरचनागत सुविधाओं के बारे में उसके आधार, जागरूकता सृजन और सहायता के द्वारा इस चिकित्सा पद्धति को जन साधारण में सर्वव्यापी बनाकर उसे संवर्धित/प्रचारित और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तदनुसार, केंन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे

को इन लक्ष्यों से संबंधित स्कीमों और कार्यक्रमों को निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयुष विभाग 10वीं पंचवर्षीय योजना में अस्पतालों और औषधालयों से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत एलोपैथिक अस्पतालों और पोली क्लिनिकों को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विशिष्ट उपचार केंन्द्र खोलने हेतु प्रत्येक के लिए 22 लाख रु. की दर से निधियों की व्यवस्था की जाती है।

(ख) और (ग) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इन अस्पतालो को मान्यता देने की प्रक्रिया पर विचार मामला दर मामला आधार पर तथा केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसधान परिषद् के निदेशक तथा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई निरीक्षण समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है।

(घ तथा (ङ) अभी तक, देश में 4 प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों–कृष्ण दत्त हेल्थ सेंटर, (दिल्ली), बापू नेचर क्योर हॉस्पिटल एंड योगाश्रम, (दिल्ली), प्राकृतिक चिकित्सालय (जयपुर) और नेचर क्योर हॉस्पिटल (हैदराबाद) को मान्यता दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में टेलीफोन सुविधाएं

2104. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों में टेलीफोन सुविधाएं असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों में भारत संचार निगम लिमिटेड की दूरसंचार सुविधाएं सामान्यतः संतोषप्रद हैं। तथापि, भारी वर्षा तथा राजमार्गों के विस्तार के कारण राजमार्ग प्राधिकरणों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर और अन्य केबलों को काटे जाने, आदि कारणों से गत छह महीनों के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों और मीडिया के विफल होने की घटनाएं हुई हैं। सेवाएं शीघ्र बहाल करने के लिए कार्रवाई की गई।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने के लिए बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

(i) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय डिजिटल माध्यम पर जोड़ना।

(ii) भूमिगत पेपर कोर केबलों को चरणबद्ध तरीके से जेली पूरित केबलों और अन्य प्रणालियों द्वारा बदलना।

(iii) ड्रॉप वायर की समस्या कम करने के लिए खंभा रहित नेटवर्क सृजित करना।

(iv) वृहत्तर ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए वायरलेस-इन लोकल-लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली की शुरुआत और अधिकाधिक प्रयोग।

(v) अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र (एसडीसीसी) में इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) आधारित केन्द्रीयकृत दोष दर्ज करने की व्यवस्था।

(vi) टेलीफोन एक्सचेंजों/पारेषण माध्यमों के निष्पादन की मॉनीटरिंग।

(vii) सिंगल बेस मॉडयूल (एसबीएम) को आरएसयू (रिमोट स्विचिंग यूनिट) में बदलना।

(viii) सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एक्सेस नेटवर्क ग्रामीण ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (एएनआरएएक्स) में बदलना।

(ix) बैकअप विद्युत आपूर्ति के लिए रख-रखाव मुक्त बैटरी सेटों और इंजिन अल्टरनेटरों की व्यवस्था।

(x) फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) सहित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डब्ल्यूएलएल उपस्करों के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (एएमसी) किया जाना और नयी आपूर्ति में एएमसी का प्रावधान।

(xi) अधिक टॉक टाइम और स्टैंड बाई टाइम प्रदान करने के लिए एफडब्ल्यूटी के साथ उच्च क्षमता के बाह्य रख-रखाव मुक्त बैटरी का प्रावधान।

(xii) 90-300 वोल्ट की वोल्टेज रेंज में कार्य करने के लिए एफडब्ल्यूटी का बैटरी चार्जर।

(xiii) डब्ल्यूएलएल प्रणाली के कवरेज में वृद्धि करने के लिए अधिक संख्या में बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की व्यवस्था।

(xiv) फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) के उचित उपयोग के संबंध में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को "क्या करें" और "क्या न करें" के संबंध में बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराई गई ताकि एफडब्ल्यूटी संबंधी त्रुटियां न्यूनतम की जा सकें।

(xv) क्षेत्र कवरेज में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की व्यवस्था करना।

विनियामक प्राधिकरण का गठन

2105. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की तर्ज पर डाक विभाग के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डाक सेवाओं में आमूल-चूल परिवर्तन लाने और उन्हें कुरियर सेवाओं के प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या नए उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) एक विधान, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एक डाक विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापन करना परिकल्पित है, सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार ने डाक सेवाओं में कुरियर सेवाओं से प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाने और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, व्यवसाय परिदृश्य एवं विपणन तकनीकों को अपनाने जैसे अनेक परिवर्तन किए हैं एवं नवीन कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि से केरल को धनराशि

2106. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत केरल की कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत सहित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केरल में 183.79 करोड़ रु० की 32 परियोजनाएं, अनुमोदित की गई हैं। अनुमोदित परियोजनाओं और उनकी लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए केरल राज्य के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत क्रमशः 45.15 करोड़ रु., 10.21 करोड़ रु. और 72.57 करोड़ रु. के कार्य स्वीकृत किए गए थे।

विवरण

केरल में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	विषय	लंबाई (कि०मी०)	स्वीकृत लागत (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	इडापल्ली से थेवरा खंड और तोपूम पाड़ी से अरूर खंड तक कोचीन सिटी रोड की गुणता में सुधार	19.8	507.00
2.	किल्लीपालम जंक्शन से करमाना तक 568/400 से 570/200 किमी० तक चार लेन बनाना तथा 568/360 और 570/00 किमी० में किल्ली और करमाना पुलों का पुनर्निर्माण	1.6	1071.00
3.	कोवलम जंक्शन से परशाला और लिंक रोड कुकौला, बलरामपुरम और पूरवर-नैयातिकारा तक 50 मिमी० बी एम और 25 मिमी० एसी का प्रावधान करके कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण	44.4	612.00
4.	अमरविला-पेरूमका-दोवेला-करकानम-एलारडा परकानम की एम डी रोड पर 50 मिमी० बी एम और 25 मिमी० एसी का प्रावधान करके कमजोर मार्ग का सुधार और सुदृढ़ीकरण	37.6	744.00

1	2	3	4
5.	विद्यमान सड़क के सुदृढ़ीकरण सहित केआरएल जंक्शन से कलमसारी तक 11.30 किमी० सड़क का निर्माण	11.3	873.62
6.	त्रिवेंद्रम शहर में एमएलए क्वार्टर से एनएच बाइपास तक सड़क का उन्नयन	3.5	978.43
7.	प्रवाचंबलम-ठरूटामबलम-मलाईकीझु एमडी रोड, त्रिवेंद्रम जिले तक कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण	12.10	335.00
8.	कदमबनात-मनादी-इनातू-इझामकुलम रोड का सुधार, जिला पठानमथीता, केरल	19.00	845.00
9.	कल्लाडका चेरकला रोड का सुधार जिला कासरगोड, केरल	28.9	650.00
10.	करमाना-पूरापुरा-मलईकीझु-कोटाकड्डा और मंडपथिनकाडू एमडी रोड, जिला त्रिवेंद्रम	25.00	750.00
11.	जिला त्रिवेंद्रम, केरल में काडीनमकलान में अझूरकडावू पुल का निर्माण	0.00	624.00
12.	त्रिसूर जिले में 0/0 से 9/460 किमी० तक चक्कड़-गुरूवायूर-कोनामकुलाम सड़क का गुणता सुधार और सुदृढ़ीकरण	9.46	232.82
13.	कोझीकोड जिले में 0/0 से 10/0 किमी० तक पेरांबरा-चेरूवानूर-चनियामकावू-वडकारा रोड को चौड़ा करना और सुधार	10.00	100.00
14.	कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 17 के 173/900 किमी० पर धरमादम पुल का निर्माण		400.00
15.	मालापुरम जिले में 0/0 से 12/345 किमी० में तिरूर-मालापुरम एमडी रोड का सुधार	12.345	390.00
16.	त्रिसूर जिले में 50 मिमी० बी एम और 25 मिमी० एसी का प्रावधान करके चवकाडू-गुरवायूर-चुंडाल सड़क (0/0 से 11/00 किमी०) का सुधार	11.00	231.00
17.	तिरुवनंतपुरम जिले में वरकला-पारीपल्ली सड़क	12.5	900.39
18.	कोझीकोड, मालापुरम जिले में कालीकट-ऊटी सड़क के कालीकट चेरूपा-उकाडावू-एरियाकोड (7/0-37/0 किमी०) खंड का सुदृढ़ीकरण और गुणता सुधार	30	992.29
19.	तिरुवनंतपुरम जिले में किलीमानूर-अलंगोड-कड़ाकाबूर-वरकला सड़क के कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण	28.80	892.67

1	2	3	4
20.	एरनाकुलम जिले में कलमसेरी-पतलाम-इलूर रोड और लिंक रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग- 47 जंक्शन से सीपोर्ट-एयर पोर्ट एम डी आर)	14.3	508.70
21.	एरनाकुलम जिले में थमनाम-पुलीपड्डी एमडीआर पर एल सी सं. 73 के बदले में आर ओ बी का निर्माण	–	290.51
22.	वायनद जिले में चुंडेल-कोडालूर-ऊटी सड़क	30.00	918.56
23.	वायनद जिले में कलपेटा बाइपास का निर्माण	3.84	379.22
24.	कन्नूर जिले में राज्यीय सड़क से एजीमाला वेलूर-पोदियोतूचल-पुतीनोम सड़क का सुधार	43.234	531.63
25.	एरनाकुलम जिले में तिरपुनीतुरा-पूतातोला सड़क	16.20	427.00
26.	वटकारा-तिरुवल्लूर-पेरांबरा रोड का 0/0 से 12/200 किमी० तक सुधार	9.00	88.97
27.	एरनाकुलम जिले में पलरीवट्टम-काकानद-कुमारपुरम सड़क	13.9	440.00
28.	तिरुवनंतपुरम जिले में मलईंकिल-मलायम-पप्पानामकोडू रोड और कियामनाम-कुरुमन-तिरुवलूर एम डी आर पर 50 मिमी० बी एम और 25 मिमी० बीसी का प्रावधान करके कमजोर मार्ग का सुदृढ़ीकरण और सुधार	14.05	457.38
29.	एरनाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और 47 को जोड़ने के लिए अलूवा-परवूर जंक्शन (राष्ट्रीय राजमार्ग-17 का सीएच 329/200) से कूनामावू जंक्शन (राष्ट्रीय राजमार्ग-47 का 428/100 सीएच) एम डी आर लिंक रोड का गुणता सुधार	15.4	430.16
30.	त्रिसूर जिले में त्रिसूर-पुनकूनाम-बदनापिली-तलीकुलाम बीच रोड (एम डी आर) पर 50 मिमी० बी एम और 25 मिमी० एसडीबीसी का प्रावधान करके सुधार	20.4	641.27
31.	मालापुरम जिले में कोंडोटी-तमारसेरी लिंक रोड का 0/0 से 22/0 किमी० (राज्यीय राजमार्ग) का चौड़ीकरण और गुणता सुधार	22.00	701.90
32.	कोझीकोड जिले में कोंडोटी-तमारसेरी लिंक रोड का 22/0 से 45/0 किमी० (राज्यीय राजमार्ग) का चौड़ीकरण और गुणता सुधार	23.00	435.09
	जोड़		18379.00

नाविक भविष्य-निधि

2107. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** नाविक भविष्य निधि के बारे में दिनांक 06.12.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घोटाले में डूबी नाविक भविष्य निधि को बरामद कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) डूबी धनराशि को सरकार द्वारा कब तक बरामद कर लिया जायेगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सरकार ने नाविक भविष्य निधि के 92.78 करोड़ रु. के नुकसान की पूरी धनराशि की भरपाई करने का निर्णय ले लिया है।

[हिन्दी]

विदेशों में रोजगार

2108. **श्री रामदास आठवले:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में रोजगार हेतु संगठनात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के मद्देनजर सेन्ट्रल मैनपॉवर प्रमोशन काउंसिल के समान ही एक संगठन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर राज्यों के श्रम सचिव पहले आयोजित किए जा चुके सम्मेलनों में चर्चा कर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) एक प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"वन इंडिया" योजना के मासिक किराए में कमी करना

2109. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने "वन इंडिया" योजना के मासिक किराए को 225 रुपये से घटाकर 180 रुपए कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किराए में कमी किए जाने के बाद से लोगों से अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) पुरानी योजना की तुलना में नई योजना के अंतर्गत दिए गए कनेक्शनों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिनांक 1 नवम्बर, 2006 से डब्ल्यूएलएल सेवा सहित बी-फोन के अंतर्गत "बीएसएनएल वन इंडिया" पैकेज दरें 225 रु. से घटाकर 180 रु. कर दी है।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिनांक 1 नवम्बर, 2006 से ऐसे 30000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली से सेवा प्राप्त करने वाले सभी 1.16 करोड़ उपभोक्ताओं को डिफाल्ट के द्वारा डब्ल्यूएलएल सेवाओं सहित बी-फोन के अंतर्गत संशोधित सस्ता पैकेज जो 50 मुफ्त कॉलों सहित 180 रु. मासिक किराया अदा करते हैं, प्रदान किया है।

महानगर टेलीफोन निगम लि. को अपने "वन इंडिया प्लॉन" के अंतर्गत नवम्बर, 2006 महीने में 18381 आवेदन (चेंज ऑफ प्लान" सहित) प्राप्त हुए हैं। महानगर टेलीफोन निगम लि. के लिए नई योजना के अंतर्गत कनैक्शनों की संख्या में दिल्ली में 36.33% और मुम्बई में 23.30% वृद्धि हुई है।

सिविल सेवा में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती

2110. श्री मोहन सिंह:
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विकलांग कोटे से सिविल सेवा हेतु कितने उम्मीदवारों की वर्षवार नियुक्ति की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें कहाँ-कहाँ नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विकलांग उम्मीदवारों के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया को सुचारू बनाने का है; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय सेवाओं तथा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 'क' सेवाओं हेतु अशक्त उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया समान है।

इस प्रक्रिया को सुचारू बनाना एक सतत् प्रक्रिया है तथा अशक्त उम्मीदवारों के हितों की रक्षा, विशेषकर उनके लिए सेवाओं की पहचान तथा चिकित्सीय परीक्षाओं के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण

सिविल सेवा परीक्षा का वर्ष	संस्तुत किए गए शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की कुल संख्या	शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की संख्या आबंटित सेवा	नियुक्ति न करने के कारण
1	2	3	4
2005	12	शारीरिक रूप से विकलांग सभी उम्मीदवारों को एक या अन्य सेवा आबंटित की जा रही है।	–
2004	4	1. भारतीय रक्षा लेखा सेवा 1. सशस्त्र सेना मुख्यालय 2. किसी भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए।	शारीरिक रूप से विकलांग एक उम्मीदवार अभिज्ञाता सेवा में, जहाँ रिक्ति उपलब्ध थी, शारीरिक मापदण्ड और कार्यात्मक वर्गीकरण को पूरा नहीं कर सके तथा शारीरिक रूप से विकलांग एक अन्य उम्मीदवार को उनकी बारी आने पर उनके समुदाय की श्रेणी में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण कोई सेवा/पद आबंटित नहीं किया जा सका।

1	2	3	4
2003	4	1. डाक एवं टेलीग्राफ वित्त लेखा सेवा 1. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा 1. सशस्त्र सेना मुख्यालय 1. नियुक्ति नहीं की गई।	शारीरिक रूप से विकलांग एक उम्मीदवार को उनकी बारी आने पर उनके समुदाय की श्रेणी में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई भी सेवा/पद आबंटित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के साथ समझौता

2111. श्री हितेन बर्मन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के साथ एम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एंटी-डोपिंग के बारे में एथलीट्स को शिक्षित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) भारत नवम्बर, 1999 में स्थापित विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी (वाडा) के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने जनवरी, 2005 में कोपेनहेगन डोपिंग-विरोधी घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) कोपेनहेगन घोषणा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. इस घोषणा का लक्ष्य यह है कि इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले खेलों में डोपिंग के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने संबंधित तथा अन्य विधिक प्रावधानों की सीमा के अंदर कार्य करें।

2. इस घोषणा का प्रयोजन विश्व डोप विरोधी एजेंसी तथा विश्व डोप विरोधी संहिता की भूमिका तथा समर्थन को मान्यता देने के लिए खिलाड़ियों के बीच राजनैतिक तथा नैतिक समझ को सुस्पष्ट करना है।

3. डोप नियंत्रण, शिक्षा, अनुसंधान तथा सूचना गतिविधियों आदि सहित राष्ट्रीय डोप विरोधी प्रोग्राम के लिए इस घोषणा के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता सरकार से उसके वित्तीय साधनों के अंतर्गत सक्रिय सहायता मांगी गई है।

(ग) से (ङ) खेलों में डोप नियंत्रण के लिए बहुआयामी पहुँच की जरूरत है जिसमें सीधी कार्रवाई की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए व्याख्यानों का आयोजन करके पम्पलेट वितरित करके, उनको प्रतिबंधित नशीली दवाओं आदि की सूची प्रदान करके राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के दौरान खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को शिक्षित करता है। खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण के परिसरों में डोप टेस्टिंग प्रयोगशाला की भी जानकारी दी जाती है तथा ड्रगों के उपयोग से होने वाले खतरों के प्रति खिलाड़ियों को अवगत कराना तथा सतर्क करना। कोपेनहेगन उद्घोषणा के तहत वाडा के प्रति सरकार का दायित्व है तथा यदि वे ऐसा करते हैं तो इसका प्रतिफल उन्हें भोगना पड़ेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के अधूरे खंड

2112. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों का निर्माण छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन खण्डों के निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) राजस्थान में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के समय राष्ट्रीय राजमार्गों की दो मिसिंग लिंक थीं जिनकी कुल लंबाई लगभग 103.55 कि.मी. थी जिनके ब्यौरे इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय राजमार्ग 11ए का 0/00 से 62/25 कि.मी. (दौसा-मनोहरपुर खंड)–62.250 कि.मी.

राष्ट्रीय राजमार्ग 65 का 0/00 से 41/30 कि.मी. (फतेहपुर-पाली खंड)–41.300 कि.मी.

जोड़-103.550 कि.मी.

राष्ट्रीय राजमार्ग 11ए की 62.25 कि.मी. लंबाई में से, 32 कि.मी. लंबाई पहले ही पूरी कर ली गई है और 20 किमी में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 10.25 कि.मी. लंबाई चालू वार्षिक योजना 2006-07 में शामिल की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर मिसिंग लिंक के संबंध में, 0/00 से 41/300 कि.मी. तक इस मिसिंग लिंक के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु एक प्राक्कलन 30.3.2006 को स्वीकृत कर दिया गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके निर्माण की स्वीकृति के लिए समय-सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

परमाणु परीक्षण करना

2113. **श्री ब्रजेश पाठक: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) 13 मई, 1998 को भारत ने और अधिक भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों को स्वैच्छिक रूप से स्थगित करने की घोषणा की थी। स्वैच्छिक स्थगन बरकरार है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-28 की खराब स्थिति

2114. **योगी आदित्यनाथ: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 की खराब स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के लखनऊ-गोरखपुर खंड को चार लेन बनाने के ठेके के भाग के तौर पर चार लेन बनाने के लिए नियुक्त किए गए ठेकेदारों के माध्यम से यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है सिवाय 251.7-279.8 कि.मी. खंड के जिसका अनुरक्षण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

मुख्य पत्तनों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना

2115. **श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के मुख्य पत्तनों को विशेषकर महाराष्ट्र सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में संभाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) दिसंबर, 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I के भाग के तौर पर देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को महापत्तनों से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया था। महाराष्ट्र में मुंबई पत्तन ट्रस्ट और जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट सहित अन्य पत्तनों की स्थिति विवरण में दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के भाग के तौर पर अभिनिर्धारित पत्तन सड़क संपर्क परियोजनाओं की स्थिति विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पत्तन संपर्क परियोजनाओं के ब्यौरे और स्थिति (एन एच डी पी चरण-I)

क्र.सं.	पत्तन	लंबाई (किमी०)	कार्य का क्षेत्र	कुल अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु०)	सिविल कार्यों को सौंपी गई लागत (करोड़ रु०)	अक्तूबर, 06 तक संचयी प्रतिशत प्रगति	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मुंबई	30					न्यू लिंक (30 किमी०)। प्रस्तावित लिंक साल्ट पेन पर से गुजरता है और इसलिए उत्थापित अवसंरचनाएं इसमें शामिल हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत अधिक होती है। मुंबई पत्तन न्यास ने मई, 2004 में बताया कि वे इस कार्य को स्वयं शुरू करेंगे।
2.	कांडला	18	एन एच 8 ए (समखयाली-गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज-I) 306-324 किमी० को चार लेन का बनाना	43.75	31.61	100	प्रारंभ करने की तारीख : अगस्त, 1998 पूरा होने की नियत तिथि : अगस्त, 2000 पूर्ण हुआ : फरवरी : 2001
		22	एन एच 8ए (समखयाली-गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज-II) 324-346 किमी० को चार लेन का बनाना	91.43	54.17	100	प्रारंभ करने की तारीख : मई, 1999 पूरा होने की नियत तिथि : मई, 2001 पूर्ण हुआ : जुलाई : 2002
		16.16	एच एच 8-ए (समखयाली-गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज-III) 346-362.160 किमी० को चार लेन का बनाना	62.59	35.70	100	प्रारंभ करने की तारीख : मई, 1999 पूरा होने की नियत तिथि : मई, 2001 पूर्ण हुआ : जुलाई : 2002
3	जवाहर लाल नेहरू पत्तन	30	**चरण-I** एन एच 4बी के 5/000-26/987 किमी० और 0/000-4/440 किमी० को चार लेन का बनाना और एन एच 4 के 106/000-109/500 किमी० को 4 लेन का बनाना **चरण-II**	177.00	142.72	100	प्रारंभ करने की तारीख : फरवरी, 2002 पूरा होने की तिथि : जुलाई, 2005 राष्ट्र को समर्पित : 21 जुलाई, 2005
		14.35	एस एच 54 के 6.400-14.550 किमी० को 4 लेन का बनाना और महाराष्ट्र में पनवेल क्रीक (केलापुर-गावनफाटा-6.202 किमी०) पर 6 लेन के बड़े पुल सहित 4 लेन के आमरा मार्ग का निर्माण	143.00	127.21	56.4	प्रारंभ करने की तारीख : नवंबर, 2004 पूरा होने की नियत तिथि : मई, 2007 पूरा होने की संभावित तिथि : मई, 2007
4.	मुरगांव	18.3 (इस समय 13.1 किमी० 4 लेन की है)	एन एच 17 पर वरना जंक्शन से मुरगांव पत्तन तक एनएच 17बी को 4 लेन का बनाना	80.00	53	100 (13.1 किमी०)	13.1 किमी० के लिए कार्य पूर्ण हुआ प्रारंभ करने की तारीख : 1998 पूरा होने की तिथि : जून, 2004 13.1 किमी० खंड में कार्य मई, 2004 में पूरा हुआ। राज्य सरकार शेष 5.2 किमी० में कार्य शुरू करने के लिए ऋण भार से मुक्त भूमि उपलब्ध नहीं करा सकी। 5.2 किमी० के शेष खंड में सुविधाओं के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण आर एंड आर आदि कार्य राज्य सरकार द्वारा पूरे किए जाने के बाद में शुरू किए जा सकते हैं जिसके लिए उन्हें धनराशि जारी कर दी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
5	नव मंगलूर	37.5	एन एच 17 (सूरतकल-नन्तूर खंड), एन एच 48 (पडिल-बंटवाल खंड) और एन एच 17 पर नन्तूर जंक्शन से एन एच 48 पर पडिल जंक्शन तक बाइपास को चार लेन का बनाना	196.50	168.22 (आर ओ बी/आर यू बी की लागत को छोड़कर)	1.5	प्रारंभ करने की तारीख : जून, 2005 पूरा होने की नियत तिथि : दिसंबर, 2007 पूरा होने की संभावित तिथि : जून, 2008
6	कोचीन	10.40	348/382-358/750 किमी० तक एन एच 47 को 4 लेन का बनाना	106.00	79.53	42	कार्य प्रगति पर है प्रारंभ करने की तारीख : फरवरी, 2004 पूरा होने की नियत तिथि : अगस्त, 2006 पूरा होने की संभावित तिथि : दिसंबर, 2007
7	तूतीकोरिन	47.2	4/000 से 51/200 किमी० तक एन एच 7ए को 4 लेन का बनाना	231.20	137.80	22	कार्य प्रगति पर है प्रारंभ करने की तारीख : फरवरी, 2004 पूरा होने की नियत तिथि : अगस्त, 2006 पूरा होने की संभावित तिथि : दिसंबर, 2007
8	चेन्नै	30	चेन्नै-इन्नोर पत्तन संपर्क परियोजना- (i) समुद्र संरक्षण कार्य (लागत 25 करोड़ रु०)	309	24.57 करोड़ रु०	पूर्ण (जून, 06)	(i) समुद्र संरक्षण कार्य और इन्नोर एक्सप्रेसवे प्रारंभ करने की तारीख : जून, 2003 पूरा होने की नियत तिथि : जून, 2005 पूरा होने की वास्तविक तिथि : जून, 2006
			(ii) टीपीपी सड़क (लागत 37.5 करोड़ रु०)		टीपीपी सड़क को 4 लेन का बनाना; 39.28 करोड़ रु०	–	(ii) टीपीपी सड़क को 4 लेन का बनाना प्रारंभ करने की तारीख : मई, 2006 पूरा होने की नियत तिथि : नवंबर, 2007
			(iii) (क) एमओआरआर (5.4 किमी०) (ख) आईआरआर (8.1 किमी०) (ग) पत्तन गेट से इन्नोर एक्सप्रेस वे तक 1.6 किमी० (लागत 54 करोड़ रु०)		प्राप्त निविदाएं न्यूनतम निविदा: 79.3 करोड़ रु०		दिसंबर, 2005 में संशोधित कार्य का क्षेत्र (iii) आईआरआर, एमओआरआर और 1.6 किमी० ई ई के लिए प्राप्त वित्तीय निविदा 46 प्रतिशत अधिक है।
			(iv) शेष इन्नोर एक्सप्रेस वे (लागत 34 करोड़ रु०)				(iv) पी एफ के आर एंड आर के लिए इन्नोर एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू नहीं किया जा सका शेष इन्नोर एक्सप्रेस वे पर कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथि-दिसंबर, 2007
9	विशाखापत्तनम	12.47	विशाखापत्तनम पत्तन संपर्क	94.00	77.78	99.0	कार्य प्रगति पर है प्रारंभ करने की तारीख : जून, 2002 पूरा होने की नियत तिथि : दिसंबर, 2004 पूरा होने की नियत तिथि : दिसंबर, 2004 पूरा होने की तिथि : नवंबर, 2006
10	पारादीप	77	0/0-77/0 किमी० तक एन एच 5 ए को 4 लेन का बनाना	427.40	327.77	47.3	कार्य प्रगति पर है प्रारंभ करने की तारीख : फरवरी, 2004 पूरा होने की नियत तिथि : फरवरी, 2007 पूरा होने की संभावित तिथि : दिसंबर, 2007 (यातायात भीड़भाड़)
11	हल्दिया	52.2	पश्चिम बंगाल में एन एच 41 के कोलाघाट-हल्दिया खंड के 0/500-52/700 किमी० को 4 लेन का बनाना	273.00	219.99	38.6	कार्य प्रगति पर है प्रारंभ करने की तारीख : सितंबर, 2002 पूरा होने की नियत तिथि : मार्च, 2005 पूरा होने की संभावित तिथि : दिसंबर, 2007

1	2	3	4	5	6	7	8
12	कोलकाता (बाजस	10		–	–	–	विद्यासागर सेतु स्विग पुल के बीच 1.7 किमी० लंबे उत्थापित सड़क लिंक सहित कलकत्ता को जाने वाली 10 बाइपास किमी० लंबी सड़क का उन्नयन इसके व्यवहार्यता के सहित) अध्यधीन शुरू किया जाना प्रस्तावित था। निवेश संबंधी निर्णय डी पी आर की उपलब्धता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाएगा।

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित परियोजनाओं के ब्यौर

क्र.सं.	रारा सं.	एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत खंड	लंबाई (किमी०)	एनएचडीपी चरण-IIIक के अंतर्गत खंड	लंबाई	स्थिति
1.	6	सूरत-हजीरा पोर्ट	29	सूरत-हजीरा पोर्ट	29	डी पी आर तैयार करने के लिए परामर्शदाता के साथ करार पर हस्ताक्षर दिनांक 18.10.06 को किए गए। डी पी आर का कार्य प्रगति पर है।
2.	8ए विस्तार	कांडला-मुंद्रा पोर्ट	73	कांडला-मुंद्रा पोर्ट	73	डी बी एफ ओर के इस खंड के साध्यता अध्ययन व प्राथमिक डिजाइन के लिए परामर्शी सेवा हेतु निविदा एन एच ए आई द्वारा आमंत्रित की गई। परामर्शी सेवा के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.11.2006 है।
3.	45बी	तूतीकोरिन-मदुरै सड़क*	144	तूतीकोरिन-मदुरै सड़क	144	यह बी ओ टी कार्य सौंप दिया गया है। वित्तीय समाप्ति का प्रबंधन कार्य रियायतग्राही द्वारा किया जा जा रहा है।
4.	215	पनीकोइली-क्योंझर रॉक्सी	249	पनीकोइली-क्योंझर-रॉक्सी	249	डी पी आर का कार्य प्रगति पर है।

* हिंटर लैंड संपर्क परियोजना के रूप में अभिनिर्धारित।

सीआईएल में अकुशल श्रमिक

2116. प्रो. एम. रामदास: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीआईएल में बड़ी संख्या में श्रमिक अकुशल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कौशल का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सीआईएल में अकुशल श्रमिकों के प्रशिक्षण और पुनः तैनाती हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। सीआईएल में लगभग 44% कार्यबल अकुशल है। 1.10.06 की स्थिति के अनुसार 445172 की कुल जनशक्ति में से अकुशल कार्यबल की संख्या 195386 है।

(ख) अकुशल जनशक्ति की कम्पनी-वार संख्या निम्नवत है:

कम्पनी	1.10.06 की स्थिति के अनुसार अकुशल जनशक्ति की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	51,190
भारत कोकिंग कोल लि.	42,997
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	32,400
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	20,950
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	33,720
महानदी कोलफील्ड्स लि.	8,311
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	3,857
सीआईएल (नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स)	1,084
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्युट	656
कोल इंडिया लि. (मुख्यालय)	221
कुल (सीआईएल)	1,95,386

प्रत्येक वर्ष पिछले पांच वर्षों के एचआरडी कार्य-निष्पादन की समीक्षा तथा सहायता कम्पनियों के प्रत्येक एचआरडी प्रभाग में किए गए प्रशिक्षण की आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर कोल इंडिया लि. के लिए एक नीतिगत मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना तैयार की जाती है। एचआरडी योजना के अनुसार अकुशल जनशक्ति के उपयोगी उपयोग हेतु उनके कौशल के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से सहायक कम्पनियों के 26140 कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन किया गया।

(ग) सीआईएल ने कौशल के उन्नयन हेतु प्रति वर्ष 9000 अकुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपयुक्त स्थानों पर पुनः तैनाती की जाती है।

(घ) और (ङ) अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 तक वर्ष 2006-07 में 9000 के लक्ष्य की तुलना में कौशल के उन्नयन के लिए 5158 अकुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित किया गया।

(च) कौशल के उन्नयन के लिए अधिक से अधिक अकुशल जनशक्ति को शामिल करने हेतु सहायक कम्पनियों के प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में कई नए कार्यक्रमों को शामिल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन की धीमी गति

2117. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को संसद सदस्यों से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन की धीमी गति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी शिकायतों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की निगरानी हेतु विशेष जिला स्तर प्रकोष्ठ स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी हां। सां.स्था.क्षे.वि.योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति के बारे में माननीय सांसदों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शिकायतों के कथित कारण संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों द्वारा कार्यों की स्वीकृति देने में विलंब है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	शिकायतों का ब्यौरा		की गई कार्रवाई
1.	श्री मोहम्मद शाहबुद्दीन, सांसद (लोक सभा) ने अपने पत्र दिनांक 10.3.2006 के तहत आरोप लगाया है कि जिला मजिस्ट्रेट, सीवान द्वारा राजनैतिक द्वेष के कारण उनके द्वारा अनुशंसित विकासात्मक कार्य मंजूर नहीं किए जा रहे हैं।	1.	इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सीवान को 8.8.2006 को माननीय सांसद से प्राप्त पत्र की प्रति भेजी गई है और 20.11.2006 को पुनः एक अनुस्मारक भेजा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सांसद (लोक सभा) ने अपने पत्र दिनांक 20.10.2005 के द्वारा यह शिकायत की है कि उपायुक्त, हजारीबाग जानबूझकर उनके अनुशंसित कार्यों की मंजूरी देने में विलंब कर रहे हैं।	2.	केन्द्रक उपायुक्त को माननीय सांसद का पत्र 2.11.2005 को टिप्पणी के लिए भेजा गया है। उपायुक्त हजारीबाग से दिनांक 30.11.2005 की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि 478 कार्यों की सिफारिश की गई थी जिनमें से 210 कार्य मंजूर किए गए थे। माननीय सांसद द्वारा अनुशंसित बहुत से कार्य व्यक्ति विशेष के लिए/निजी भूमि पर ट्यूबवैल्स का निर्माण करने तथा मरम्मत से संबंधित कुछ कार्य थे जो सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अधीन अनुमेय नहीं हैं।
3.	श्री अवतार सिंह भडाना, माननीय सांसद (लोक सभा) ने दिनांक 14.7.2005 के अपने पत्र द्वारा उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति, भ्रष्टाचार तथा 5% प्रशासनिक शुल्क गलत ढंग से वसूल करने के बारे में इस मंत्रालय को शिकायत की है।	3.	यह मामला 14.9.2005 को उपायुक्त, फरीदाबाद को इस अनुरोध के साथ भेजा गया कि वे इन आरोपों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजें। उन्हें 2.5.2006 और 30.11.2006 को पुनः अनुस्मारक भेजा गया। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की निर्देशिका

2118. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाइल फोन उपभेक्ताओं की निर्देशिका प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल्पुलर आपरेटरों ने उपरोक्त कदम का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीफोन निर्देशिका के मुद्रण और निर्देशिका पूछताछ-सेवा'' पर अपनी सिफारिशें दी हैं जिसकी सरकार जांच कर रही है।

ट्राई द्वारा आयोजित विचार-विमर्श प्रक्रिया और वार्तालाप के दौरान प्रचालक निर्देशिका के प्रकाशन, विशेषकर मोबाइल निर्देशका के प्रकाशन के पक्ष में नही थे। प्रचालकों ने टेलीफोन निर्देशिका और निर्देशिका पूछताछ सेवा के प्रकाशन के विपक्ष में मुख्य रूप से ये कारण बताएं हैं: मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि अत्यधिक परिवर्तन, अधिकांश प्री-प्रेड उपभोक्ताओं का होना, मुद्रित निर्देशिका का आकार बड़ा होने की संभावना, गोपनीयता संबंधी मुद्दे, आदि। यद्यपि, भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ (सीओएआई) स्थिर लाइनों के लिए अनिवार्य निर्देशिका पूछताछ सेवाओं का समर्थन करता है तथापि, वह गोपनीयता संबंधी मुद्दों, व्यक्तिगत वार्तालाप संबंधी मुद्दो, आदि को देखते हुए मोबाइल उपभोक्ताओं हेतु निर्देशिका पूछताछ सेवाओं के पक्ष में नहीं है।

बचपन में मोटापा/मधुमेह के मरीज

2119. **श्री प्रबोध पांडा:**

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बचपन में मोटापा और टाइप-2 मधुमेह के मरीजों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप देश के समाज और इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन, हृदय आघात आदि के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार सभी वर्ग के बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ-साथ मोटापन के होने का पता चलता है। दिल्ली स्कूल में सभी वर्गों के बच्चों में किए गए अध्ययन से पता चला कि बच्चे का अधिक वजन होना और उनमें मोटापे की प्रतिशतता 29 है। पिछले अध्ययन की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। पिछले अध्ययन (2002-04) में यह प्रतिशत 16 था। अधिक वजन और मोटापे की व्याप्तता में बढ़ोतरी के कारणों में शारीरिक श्रम की कमी/विलासपूर्ण जीवन शैली में बढ़ोतरी तथा अधिक कैलोरी वाले तथा कम पोषणीय खाद्य वस्तुओं का उपयोग शामिल है। क्योंकि इस मुद्दे से निपटने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना प्रमुख कार्यनीति है, इसलिए इस घटक को प्रस्तावित राष्ट्रीय मधुमेह एवं हृदयवाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

एशियाई सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्रियाकलाप केन्द्र

2120. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्रियाकलापों के लिए एक नये केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार का प्रस्ताव मुम्बई (महाराष्ट्र) में दक्षिण एशियाई कला एवं संस्कृति केन्द्र (एस ए सी ए सी) स्थापित करने का है।

(ख) और (ग) इस केन्द्र के लिए प्रस्तावित स्थल मुम्बई में जिन्ना हाऊस है। जिन्ना हाऊस का वर्तमान में पुनरुद्धार एवं नवीकरण का कार्य चल रहा है जिसे कि दिसंबर, 2007 तक पूरा हो जाने की आशा है। पुनरुद्धार कार्य की देखरेख भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटैक) द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वावधान में वर्ष 2006 में दक्षिण एशियाई कला एवं संस्कृति केन्द्र द्वारा कार्य शुरू कर दिये जाने की आशा है।

भारत और पाकिस्तान में पुनः वाणिज्यिक दूतावास खोलना

2121. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के अन्त से पहले क्रमशः मुम्बई और कराची में भारत और पाकिस्तान के वाणिज्यिक दूतावास पुनः खोलने के मामले को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामले में तीव्रता लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जून 2004 में विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान भारत और पाकिस्तान ने मुंबई और कराची में अपने-अपने प्रधान कोंसलावास खोलने पर सिद्धान्त रूप में सहमति व्यक्त की। 2005 के अंत तक में प्रधान कोंसवास दोबारा खोलने के लिए अप्रैल, 2005 में राष्ट्रपति मुशर्रफ की भारत यात्रा के दौरान एक सहमति हुई। हालांकि, पाकिस्तान उच्चायोग अभी तक किराए पर कोई परिसर ढूंढ नहीं पाया है। भारत कराची में प्रधान कोंसलावास खोलने के लिए तैयार है किन्तु पाकिस्तान मुंबई और कराची में एक ही समय प्रधान कोंसलावास खोलने पर जोर दे रहा है।

[हिन्दी]

नेपाल में भारतीयों की कथित प्रताड़ना

2122. **श्री संतोष गंगवार:**

श्री थावरचन्द गेहलोत:

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल में कार्यरत बहुत से भारतीयों को माओवादियों द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है/पीड़ित किया जा रहा है और उन्हें पीटा जा रहा है और इस प्रकार से उन्हें देश छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त मामले को नेपाल के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां तो इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नेपाल में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) नेपाल में व्यापारियों और औद्योगिक एककों के विरुद्ध लूट-खसोट तथा उन्हें डराने-धमकाने की विभिन्न घटनाएं हुई हैं। इनमें भारतीय व्यावसायिक और संयुक्त उद्यम शामिल हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि इस कारण से कुछ भारतीय नेपाल छोड़ रहे हैं।

(ग) से (ङ) नेपाल में भारतीय व्यवसाय एवं संयुक्त उद्यम सहित भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों को भारत सरकार ने नेपाल की सरकार के साथ, उच्चतम स्तरों पर भी उठाया है। नेपाल की सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन मामलों की जांच की जाए और सभी भारतीयों को पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षा मुहैया कराई जाए, जिनका कल्याण और सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिक चिंता है। नेपाल सरकार ने इस संबंध में हमें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

बिलिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा

2123. श्री पंकज चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेल फोन कम्पनियों की बिलिंग प्रणाली की वार्षिक लेखा परीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं की मीटरिंग और बिलिंग सटीकता संबंधी समस्याओं के निपटान हेतु दिनांक 21.03.2006 को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता हेतु कार्य संहिता) विनियम 2006 अधिसूचित किए थे। विनियम के अनुसार सेवा प्रदाताओं को ट्राई द्वारा अधिसूचित पैनेल के किसी भी लेखा परीक्षक के माध्यम से अपनी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली का वार्षिक आधार पर ऑडिट करवाना होगा और इसकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक ट्राई को सौंपना होगा। ट्राई ने 28 अगस्त, 2006 को ऑडिटरों के पैनेल को अधिसूचित कर दिया है। सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु ऑडित रिपोर्ट को 30 जून, 2007 तक ट्राई को सौंपा जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

होमियोपैथी डॉक्टरों द्वारा स्वस्थता संबंधी प्रमाणपत्र जारी करना

2124. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होमियोपैथी के डॉक्टरों को कर्मचारी चयन, चालक लाइसेंस, एल आई सी आदि की चिकित्सा जांच में स्वस्थता संबंधी प्रमाणपत्र देने की अनुमति प्राप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या होमियोपैथिक, डॉक्टर हज यात्रियों के चिकित्सा दल में शामिल किये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 15(2)(ग) के परिप्रेक्ष्य में कोई भी होम्योपैथी व्यवसायी, जिसके पास मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं है और जो केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के किसी राज्य रजिस्टर में दर्ज है, चिकित्सीय अथवा फिटनेस प्रामाणपत्र अथवा किसी अन्य प्रमाणपत्र, जो किसी कानून द्वारा विधिवत रूप से एक अर्हक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा अधिप्रमाणित करना अपेक्षित है, को हस्ताक्षरित करने अथवा अधिप्रमाणित करने का पात्र है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सऊदी अरब सरकार सऊदी अरब में होम्योपैथी का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देता है।

स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा

2125. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय नीति के मसौदे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मंत्रालयों, राज्यों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से कोई परामर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नीति के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राज शेखरन): (क) स्वैच्छिक क्षेत्रक हेतु मसौदा राष्ट्रीय नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। यद्यपि, मसौदा नीति के प्रमुख लक्षणों में अन्य बातों के अलावा सरकारी नियमों और निर्देशों का सरलीकरण करना, स्वैच्छिक क्षेत्रकों को विकास प्रयासों में शामिल करने हेतु मान्यता प्रदान करना और स्वैच्छिक संगठन हेतु एक सुगम माहौल सृजित करना है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। मसौदे को सम्बद्ध मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करके तैयार करके तैयार किया गया है।

(घ) मसौदा नीति को अभी उचित, अनुमोदन प्राप्त करना है। अत: इस समय कोई समय सीमा उपलब्ध कराना कठिन है।

पाकिस्तान द्वारा आगमन पर वीजा से इंकार

2126. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को उन 24 देशों मे शुमार नहीं किया गया है जहां के पर्यटकों को पाकिस्तान आगमन पर वीजा प्रदान करेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, हां। भारत को उन देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिन देशों के पर्यटक पाकिस्तान पहुंचने पर वीजा प्राप्त कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा व्यवस्था 1974 के वीजा करार द्वारा शामिल होती है। भारत ने संशोधित वीजा करार का प्रस्ताव पाकिस्तान के समक्ष रखा है परंतु पाकिस्तान ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना के मानदण्ड

2127. **श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना हेतु जनसंख्या मानदण्ड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक राज्य-वार ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार 2001 की जनसंख्या के अनुसार देश में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) देश में इन केन्द्रों को कब तक मंजूरी दी जायेगी और इनकी स्थापना कब तक की जायेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जी, हां। एक उपकेन्द्र मैदानी क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या और जनजातीय और पहाड़ी, दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या के लिए खोला जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012) के अधीन 2001 की जनसंख्या के अनुसार नए उपकेन्द्र मंजूर करने का निर्णय किया गया है। सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार अपेक्षित, कार्यरत और कमी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2006-07 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में 2001 के जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित उप केन्द्रों के लिए भवनों की आवश्यकता (अधिकांशत: चरणवार) को सम्मिलित कर लिया है।

विवरण

भारत में 2001 की जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में कमी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या	उपकेन्द्र		
				आर	पी	एस
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	55401067	4646923	11699	12522	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	870087	606278	254	379	*
3.	असम	23216288	3154546	5063	5109	*
4.	बिहार	74316709	717702	14959	10337	4622
5.	छत्तीसगढ़	16648056	6264835	4164	3818	346
6.	गोवा	677091	190	135	172	*
7.	गुजरात	31740767	6866637	7263	7274	*
8.	हरियाणा	15029260	0	3005	2433	572
9.	हिमाचल प्रदेश	5482319	237060	1128	2068	*
10.	जम्मू-कश्मीर	7627062	1054488	1666	1879	*
11.	झारखंड	20952088	6500014	5057	4462	595
12.	कर्नाटक	34889033	2934530	7369	8143	*
13.	केरल	23574449	350019	4761	5094	*
14.	मध्य प्रदेश	44380878	11446448	10402	8874	1528
15.	महाराष्ट्र	55777647	7486537	12153	10453	1700
16.	मणिपुर	1590820	705912	412	420	*
17.	मेघालय	1864711	1682670	597	401	196
18.	मिजोरम	447567	430883	146	366	*
19.	नागालैंड	1647249	1544022	535	394	141
20.	उड़ीसा	31287422	7698358	7283	5927	1356
21.	पंजाब	16096488	0	3219	2858	361
22.	राजस्थान	43292813	6717830	9554	10512	*
23.	सिक्किम	480981	101909	109	147	*

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	34921681	551143	7057	8682	*
25.	त्रिपुरा	2653453	967997	659	539	120
26.	उत्तरांचल	6310275	240209	1294	1576	*
27.	उत्तर प्रदेश	131658339	95828	26344	20521	5823
28.	पश्चिम बंगाल	57748946	4136366	12101	10356	1745
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	239954	28456	51	107	*
30.	चंडीगढ़	92120	0	18	13	5
31.	दादरा और नगर हवेली	170027	127410	50	38	12
32.	दमन और दीव	100856	11188	21	21	0
33.	दिल्ली	944727	0	188	41	147
34.	लक्षद्वीप	33683	32209	11	14	*
35.	पांडिचेरी	325726	0	65	76	*
	भारत	742490639	77338597	158792	146026	19269

टिप्पणी: आवश्यकता का हिसाब निर्धारित मानदण्डों का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना 2001 की अंतिम कुल और जनजातीय जनसंख्या के आधार पर लगाया जाता है। अखिल भारतीय कमी कुछ राज्यों में मौजूदा अतिरिक्त संख्या को अनदेखा करते हुए कमी के राज्यवार आंकड़ों को जोड़कर निकाली गई है।

एमटीएनएल/बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को केबल टीवी. सुविधा

2128. **श्री राकेश सिंह:**
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार देश में टेलीफोन लाइनों के द्वारा ब्राडबैंड के माध्यम से घरों में केबल टी.वी. सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) इस सुविधा को प्रदान करने के लिए एमटीएनएल/बीएसएनएल के पास कितनी क्षमता उपलब्ध है; और

(ङ) उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हाँ।

(ख) एमटीएनएल ने अक्तूबर 2006 में दिल्ली और मुंबई में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) शुरू किया है तथा एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड ग्राहक इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

बीएसएनएल ने फ्रैंचाइजियों के माध्यम से गैर-एकांतिक, राजस्व हिस्सेदारी आधार पर अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों को आईपीटीवी और अन्य सुविधा आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए "रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)" आमंत्रित की है।

हालांकि, आरंभिक तौर पर प्रमुख शहरों में इसे आरंभ करने की प्राथमिकता दी गई है किंतु इन सेवाओं को बीएसएनएल के प्रचालन क्षेत्र में आने वाले सभी शहरों में आरंभ करने की योजना बनाई गई है जिसके लिए पुणे, बंगलौर और चेन्नै शहरों में सेवा उपलब्ध कराने के लिए फ्रैन्चाइजियों से करार किए जा चुके हैं।

(ग) एमटीएनएल का आईपीटीवी बुनियादी सेवा लाइसेंस के अंतर्गत एक मूल्य संवर्धित सेवा है तथा बीएसएनएल द्वारा यह सेवा फ्रैंचाइजियों के माध्यम से गैर-एकांतिक और राजस्व हिस्सेदारी आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) एमटीएनएल की क्षमता ब्रॉडबैंड पोर्टों की 5.2 लाख लाइनें हैं जो आईपीटीवी सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। तथापि, एक नवीनतम प्रौद्योगिकी होने के कारण आईपीटीवी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सेट-टॉप बक्स प्राप्त होने में कठिनाइयाँ हैं तथा इस सेवा को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीएसएनएल ने इस सेवा को वाणिज्यिक आधार पर शुरू नहीं किया है।

(ङ) बीएसएनएल के संबध में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से छह माह है।

[अनुवाद]

किराए के भवनों में डाक घर

2129. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश में राज्य-वार किराये के भवनों से बाहर कितने डाक घर चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश में अपने ही भवनों में सभी डाक घरों को चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सी जी एच एस औषधालयों को खोले जाने के मानदंड

2130. श्री वाहुआभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी जी एच एस औषधालयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में विशिष्ट विभागों के लिए कुछेक कालोनियों/परिसरों में उसी परिसर/कालोनी में रहने वाले अन्य सी जी एच एस लाभार्थियों को उपचार सुविधाओं से वंचित करते हुए सी जी एच एस औषधालयों की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को उनके विभागों को ध्यान में रखे बिना उपचार सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) एसआईयू मानकों के अनुसार, सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए किसी मौजूदा शहर में एक नया सीजीएचएस एलोपैथिक औषधालय खोलने का मानदण्ड 2000 कार्डधारक (सेवारत/पेंशनर) हैं जिससे करीब 10,000 लाभार्थी हो जाते हैं। किसी नए शहर में सीजीएचएस का विस्तार करने के लिए कम-से-कम 6000 कार्डधारक (सेवारत/पेंशनर) अपेक्षित होते हैं जिससे करीब 30000 लाभार्थी हो जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के लिए नए दिशानिर्देश

2131. डा. अरविन्द शर्मा: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि (एम पी लैड्स) का विनियमन करने के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए दिशा-निर्देशों के अनुसार एम पी लैड्स निधि जिला कलेक्टर खंड विकास अधिकारी के माध्यम की बजाय सीधे तौर पर खंड/पंचायत स्तर पर वितरित की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. के. वासन) : (क) और (ख) सरकार ने सा.

स्था.क्षे.वि.यो. के दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन किया है और दिशा-निर्देशों का नया सेट 16 नवम्बर 2005 को जारी किया गया। ये दिशा-निर्देश माननीय सांसदों से प्राप्त जानकारी, सा.स्था.क्षे.वि.यो. (लोक सभा और राज्य सभा) समितियों तथा योजना के प्रबोधन से प्राप्त प्रचालन अनुभव पर आधारित हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों की कुछ मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

(i) योजना के अधीन सांसद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों के संबंध में स्थाई परिसंपत्तियों का विनिर्माण करने के लिए कुछ कार्यों का चयन कर सकते हैं।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवास क्षेत्रों के विकास के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की सीमा तक निधियों को अलग रखना।

(iii) लोक सभा के गठन और राज्य सभा के लिए निर्वाचन के समय मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित शर्तों के पूरा हुए बिना सांसदों के पक्ष में एक करोड़ रु. स्वतः जारी किया जाना।

(iv) उन मामलों में, जहां पूर्व वर्ष में दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है, किसी भी वित्त वर्ष में पहली किस्त स्वतः जारी किया जाना।

(v) कार्यान्वयन अभिकरणों, जिला प्राधिकारी, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।

(vi) कार्य-विशेष के लिए 25 लाख रु. की सीमा को हटा दिया गया है जबकि न्यासों/सोसाइटियों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए उसे बनाए रखा गया है।

(vii) अनुमेय मदों की सूची हटा दी गई है। इसके स्थान पर सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों की सूची दी गई है।

(viii) अपने राज्य के गैर-प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों द्वारा बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्रकृतिक आपदाओं के लिए 10 लाख रु. तक की लागत के सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्य।

(ix) भयंकर आपदा से प्रभावि क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रु. कर दिया गया है।

(x) वर्ष 1993-94 के बाद पूरे किए सभी कार्यों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(xi) एक वर्ष में दूसरी किस्त जारी करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उपयोग प्रमाणपत्र तथा पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष में उपयोग की गई निधि के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र पूर्वापेक्षित है।

(xii) कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर बल दिया गया है।

मिशनों में रिक्त पद

2132. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश सचिव विभिन्न मिशनों में सेकेंड सेक्रेटरी (हिन्दी और संस्कृति) और कल्चरल अटैची के देशवार कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या ऐसे सभी पदों को विधिवत रूप से भर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो आज की स्थिति के अनुसार कितने पद रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय मिशन अपने राजनयिक क्रियाकलापों के हिस्से के रूप में भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक सहयोग का संवर्धन करते हैं। प्रत्येक मिशन में एक अधिकारी को या तो अनन्य

रूप से या उसके अन्य उत्तरदायित्वों के एक भाग के रूप में इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। विशिष्ट भारतीय मिशनों में विभिन्न स्तरों पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के भी पद हैं। इन केन्द्रों में मास्को, अल्माती, ताशकंद, पोर्ट लुई, काहिरा, लंदन, बर्लिन, गयाना, सुरीनाम, पोर्ट ऑफ स्पेन और काबुल शामिल हैं। इसके अलावा पोर्ट लुई, पोर्ट ऑफ स्पेन और सुवा स्थित भारतीय मिशनों में द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति) के तथा काठमांडू लंदन और पारामारिबों में अताशे (हिंदी एवं संस्कृति) के पद हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त में से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पद और अताशे (हिंदी एवं संस्कृति) के पद इस समय भरे हुए हैं। तथापि, द्वितीय सचिव (हिंदी एवं संस्कृति) के पद अभी खाली हैं क्योंकि पदधारियों ने अभी अपना कार्यकाल पूरा किया है और उनके स्थान पर नियुक्ति अभी नहीं हुई है। चयन प्रक्रिया अंतिम अवस्था में है और प्रक्रिया के पूर्ण होने पर भरें जाएंगे तथा चयनित अधिकारी अपना कार्य भार ग्रहण कर लेंगे।

[हिन्दी]

तूतीकोरिन में पोत निर्माण यार्ड

2133. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, पोत-निर्माण यार्ड की स्थापना करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत और संभावित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना से निकट भविष्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) अंतरराष्ट्रीय आकार के पोत निर्माण यार्ड के निर्माण की परियोजना को राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011-21 तक कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में से एक परियोजना के रूप में चुन लिया गया है। उपर्युक्त परियोजना, इससे संबंधित योजना बनाए जाने की अवस्था में चल रही है।

सी आर एफ के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

2134. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) में से राजस्थान को धनराशि के वार्षिक आबंटन और उसी अवधि के दौरान जारी की गई वास्तविक धनराशि के बीच अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। राजस्थान के लिए कैंद्रीय सड़क निधि की जमा राशि और वर्ष 2006-07 के दौरान जारी धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	जमा राशि (करोड़ रु)	जारी धनराशि (करोड़ रु)
2006-07	119.80	116.89 (नवं., 2006 तक)

(ख) धनराशि, स्वीकृत कार्यों की प्रगति और राज्य सरकार से प्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी की जाती है।

[अनुवाद]

2135. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी दक्षिण अफ्रीकी यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ भारतीय मामले को समर्थन करने सहित दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग के लिए किसी समझौते अथवा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत को अपना समर्थन दिया है;

(घ) क्या दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास हेतु कार्य करने पर भी सहमति जताई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सामरिक भागीदारी की पुन: पुष्टि पर राष्ट्रपति थाबो म्बेकी के साथ श्वाने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। श्वाने घोषणा में दोनों देशों द्वारा अनेक क्षेत्रों में सहयोग सघन करने और मैत्री व भागीदारी के मौजूद स्तर को और अधिक बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा पर समुचित आई०ए०ई०ए० सुरक्षोपायों के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों में सहयोग का पता लगाने और उसके उपायों के निर्धारण हेतु सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि परमाणु नि:शस्त्रीकरण और अप्रसार के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध देशों के बीच समुचित आई०ए०ई०ए० सुरक्षोपायों के तहत अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु सहयोग का अपनी-अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप स्वीकार्य आधुनिक उपायों के माध्यम से संवर्धन करेंगे।

दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दक्षिण अफ्रीका और भारत को संयुक्त अनुसंधान और विकास की संभावना सहित रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग के लिए कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2136. श्री ब्रजेश पाठक:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा राज्यवार कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए;

(ख) उनमें से राज्यवार कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने आवेदनकर्ता प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा संस्वीकृत और जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती 2.5 कि.मी. के बजाए टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि.मी. तक भूमिगत केबल बिछाने के मानदंड को लागू किया गया है।

(ii) टेलीफोन एक्सचेंज से पांच किलोमीटर से बाहर टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा एसडीसीए में अतिरिक्त डब्ल्यूएलएल नेटवर्क तथा शेष बचे अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में वायरलेस-इन-लोकल-लूप नेटवर्क संस्थापित करने की योजना बनाई गई है। इससे छिट-पुट तथा दूरदराज के उन क्षेत्रों को कवर किया जा सकेगा जहां लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं है।

विवरण-I

लक्षित और जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बीएसएनएल के दूरसंचार सर्किल	2003-04		2004-05		2005-06	
		संस्वीकृत (लक्ष्य)	जारी (निवल)	संस्वीकृत (लक्ष्य)	जारी (निवल)	संस्वीकृत (लक्ष्य)	जारी (निवल)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार	3500	6,313	4,950	4,407	6,262	22,209
2.	आंध्र प्रदेश	449000	309,625	319,850	295,671	477,548	333,141
3.	असम	83000	49,771	106,800	153,502	141,119	251,531
4.	बिहार	255000	143,599	219,150	179,635	449,167	448,605
5.	छत्तीसगढ़	58000	41,793	51,450	47,969	101,857	73,885
6.	गुजरात	424000	3,306	331,500	127,918	429,571	169,303
7.	हरियाणा	223,000	164,704	187,500	113,344	215,738	218,280
8.	हिमाचल प्रदेश	75,000	53,525	73,850	45,838	104,762	142,503
9.	जम्मू-कश्मीर	79,500	64,673	51,050	136,652	141,643	377,914
10.	झारखंड	96,000	101,347	75,500	87,053	157,524	211,863
11.	कर्नाटक	385,000	128,552	217,200	412,887	545,145	563ण583
12.	केरल	800,000	407,074	509,000	710,685	708,071	1,101,915
13.	मध्य प्रदेश	176,000	157,134	166,100	202,668	212,571	198,456
14.	महाराष्ट्र	596,000	343,365	482,750	384,831	580,952	357,558
15.	पूर्वोत्तर-I	69,500	26,096	58,400	49,317	48,881	51,696
16.	पूर्वोत्तर-II	14,500	26,518	11,500	47,858	48,952	93,467
17.	उड़ीसा	137,000	139,421	159,600	181,940	241,857	311,313
18.	पंजाब	389,000	106,112	274,000	97,884	266,310	.133,346
19.	राजस्थान	297,000	214,920	320,850	234,226	484,714	805,493
20.	तमिलनाडु	305,000	217,247	274,300	581,741	433,595	663,209

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	उत्तरांचल	73,000	82,806	69,950	65,509	84,476	166,350
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	271,000	173,139	293,300	388,035	622,714	877,515
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	245,000	211,836	181,250	122,576	272,143	167,423
24.	पश्चिम बंगाल	285,000	165,730	266,000	195,046	304,714	440,238
25.	कोलकाता	132,000	40,360	175,850	222,111	216,190	183,272
26.	चेन्नई	140,000	80,415	118,350	197,101	203,524	126,849
	जोड़	6,061,000	3,459,381	5,000,000	5,286,404	7,500,000	8,224,225
1.	एमटीएनएल दिल्ली	378355	378355	569051	569051	756213	756231
2.	एमटीएनएल मुम्बई	488509	488509	626265	626265	777633	777633

विवरण-II

प्रतीक्षा सूची का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	बीएसएनएल के दूरसंचार सर्किल	31.03.2004 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	31.03.2005 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	31.03.2006 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार	151	449	433	321
2.	आंध्र प्रदेश	51934	33965	23634	18,743
3.	असम	15797	24554	33885	17,249
4.	बिहार	112465	96871	77500	87,864
5.	छत्तीसगढ़	2118	2809	99441	39,162
6.	गुजरात	58847	57328	37224	32,439
7.	हरियाणा	81657	68448	67839	51,595
8.	हिमाचल प्रदेश	44935	45207	35837	31,173
9.	जम्मू-कश्मीर	39704	67714	60400	56,835

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	झारखंड	8143		9992	6538		3,740
11.	कर्नाटक	89730		85039	85210		79,707
12.	केरल	419762		357004	260346		244,547
13.	मध्य प्रदेश	17300		10059	268562		27,529
14.	महाराष्ट्र	159004		151135	323246		189,656
15.	पूर्वोत्तर-I	5975		4377	2786		13,014
16.	पूर्वोत्तर-II	5387		4442	33843		24,340
17.	उड़ीसा	27713		22894	40224		32,844
18.	पंजाब	92284		44887	36458		19,356
19.	राजस्थान	138019		137814	84598		95,185
20.	तमिलनाडु	58995		99195	98515		10,118
21.	उत्तरांचल	5729		4700	2237		1,197
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	101771		110508	59202		64,936
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	43670		49158	32507		29,099
24.	पश्चिम बंगाल	144226		125447	127078		118,261
25.	कोलकाता	22720		4609	1135		1,128
26.	चेन्नई	6929		1444	4598		3,570
	जोड़	1754965		1620049	1903276		1,293,608
1.	एमटीएनएल दिल्ली	शून्य		शून्य	शून्य		शून्य
2.	एमटीएनएल मुम्बई	शून्य		शून्य	शून्य		शून्य

[अनुवाद]

एमटीएनएल द्वारा दिया गया लाभांश

2137. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार को लाभांश का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एमटीएनएल में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है; और

(ग) वर्ष 2004-05 और चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान एमटीएनएल को कितना लाभ हुआ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने वर्ष 2004-05 के लिए केन्द्र सरकार को लाभांश के रूप में 159.47 करोड़ रु. का भुगतान किया है जो प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 45% है। कुल 630 करोड़ रु. की इक्विटी में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 56.25% है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान टमटीएनएल का लाभ 938.97 करोड़ रु. था और अपरीक्षित वित्तीय परिणामों (अनंतिम) के अनुसार चालू वर्ष की पहली छमाही का लाभ 239.31 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

गरीबों की पहचान

2138. **श्री रामदास आठवले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विशेष रूप से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित संगठन/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से गरीब लोगों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सर्वेक्षण को राज्य-वार कब तक पूरा किए जाने और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) केन्द्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित संगठन/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से गरीब लोगों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली और मुंबई के बीच दूरसंचार सेवा

2139. **श्री सुनील खां:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई और दिल्ली के बीच महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) की दूरसंचार सेवा में लोकल शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली और कोलकाता के बीच भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा प्रदत्त दूरसंचार सेवा पर एसटीडी की दरें वसूली जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विज्ञापन के अनुसार बीएसएनएल का प्री-पेड रिचार्ज कूपन देश में कहीं से भी रिचार्ज किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कोलकाता से लिए हुए रिचार्ज कूपन को दिल्ली में रिचार्ज कराया जा सकता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। मुंबई तथा दिल्ली के बीच लैण्डलाइन और गरुड़ के उपभोक्ताओं से कॉल प्रभार तीन मिनट के लिए 1.20 रु. की दर से वसूल किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। एमटीएनएल दिल्ली से कोलकाता के लिए कॉल प्रभार एसटीडी की दर से निम्नानुसार वसूल किया जाता है:-

वन इंडिया प्लान के उपभोक्ताओं से 1 रु. प्रति मिनट की दर से प्रभारित किया जाता है और अन्य योजनाओं के लिए कॉल प्रभार 2.40 रु. प्रति मिनट है।

(घ) जी, हां। बीएसएनएल प्री-पेड उपभोक्ता अपने कूपन को देशभर में कहीं भी रिचार्ज कर सकता है। तथापि, रिचार्ज कूपन घरेलू पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन) का होना चाहिए।

(ङ) जी, हां। कोलकाता प्री-पेड बीएसएनएल उपभोक्ता जिसके पास बीएसएनएल कोलकाता का रिचार्ज कूपन हो, दिल्ली में रोमिंग के समय रिचार्ज कर सकता है।

(च) उपर्युक्त (घ) तथा (ङ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

प्री-पेड मोबाइल उपभोक्ताओं की बैलन्स राशि से छेड़छाड़

2140. **श्री राकेश सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल के प्री-पेड मोबाइल उपभोक्ताओं की बैलन्स राशि से छेड़छाड़ की घटनाएं सरकार के सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक राशि ब्याज सहित देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इस तरह की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इनफ्लूएजा टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति

2141. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्फ्लूएन्जा टीकाकरण संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत में एन्फ्लूएन्जा पर होने वाले खर्च का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्फ्लूएन्जा पर होने वाले खर्च का आकलन करने के लिए अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु संसाधनों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में इन्फ्लूएंन्जा के टीकाकरण के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि इन्फ्लूएंजा एक हल्का रोग है और इसकी वैक्सीनें देश में स्ट्रेन की व्याप्तता के आधार पर केवल एक मौसम के लिए ही बहुत अल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करती हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने भारत में मानव इन्फ्लूएंजा के लिए एक बहु-स्थलीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है । मौजूदा इन्फ्लूएंजा निगरानी नेटवर्क के अधीन क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में 5 केन्द्र कार्य कर रहे हैं, नामत: (1) अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ; (2) किंग इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसीन चेन्नई, (3) क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र डिब्रूगढ़; (4) वाइरस यूनिट कोलकाता; और (5) राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान; पुणे। निगरानी की सतत मॉनीटरिंग अन्तत: इन्फ्लूएंजा रोगभार पर जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन आयोजित करने और भारत में रोग के नैदानिक और आर्थिक बोझ का मूल्यांकन करने के लिए आधार प्रदान करेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल फोन संपर्क

2142. श्री संतोष गंगवार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोतर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों प्री-पेड तथा पोस्ट-पेड मोबाइल फोनों का एमटीएनएल, दिल्ली के साथ कोई संपर्क नही हो पाता जिसके फलस्वरूप विशेष रूप से असम में निवासियों तथा सैन्य बलों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना औद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) मोबाइल सेवा प्रदाताओं से मिली रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में मोबाइल उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन पर एमटीएनएल दिल्ली के साथ संपर्क बनाने में कोई समस्या नहीं आती। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पोस्ट-पेड उपभोक्ता रोमिंग के दौरान एमटीएनएल दिल्ली की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह, एमटीएनएल दिल्ली के पोस्ट-पेड उपभोक्ता असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में रोमिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के प्री-पेड उपभोक्ताओं को सुरक्षा कारणों से अन्य सेवा क्षेत्रों में रोमिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी गई है। इसी तरह सुरक्षा कारणों से अन्य सेवा क्षेत्रों के प्री-पेड उपभोक्ताओं को असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में रोमिंग सुविधा की अनुमति नहीं दी गई है।

घाटे में चल रही कोयले की खानों का पुनरुद्धार

2143. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला खानों तथा समनुषंगी खानों को वर्ष-वार कोयला खान-वार कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार ने घाटे में चल रही कोयला खानों के पुनरूद्धार हेतु कोई योजनाएं शुरू की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा अर्जित लाभ निम्नवत है:

वर्ष	कर पूर्व लाभ (करोड़ रु. में)
2003-04	1412.08
2004-05	1756.68
2005-06	987.39

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कम्पनियों को हुए लाभ (कर और लाभांश पूर्व)/हानि नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

कम्पनी	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)
1	2	3	4
ईसीएल	-326.38	-679.20	371.96
बीसीसीएल	-569.85	-959.43	205.08
सीसीएल	370.38	437.81	1164.98
एनसीएल	1647.06	1976.03	2116.26
डब्ल्यूसीएल	743.60	935.30	1446.96
एसईसीएल	1314.22	1580.93	1286.12
एमसीएल	1418.60	1469.36	1837.21
सीएमपीडीआईएल	1.76	1.73	3.94
सीआईएल/एनईसी	1355.97	1328.30	1949.27
कुल	5955.36	6090.83	10411.78
सहायक कम्पनियों से लाभांश घटाएं	1066.20	1289.31	1735.06
कुल	4889.16	4801.52	8676.72

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कम्पनी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) का निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया है और इसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया। बीआईएफआर ने ईसीएल के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत की है। इस योजना की जांच की गई और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा इसकी सिफारिश की गई। पुनर्वास योजना पर पहले ही विचार कर लिया गया है और सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। पुनर्वास योजना में सरकार से कोई नई बजटीय सहायता शामिल नहीं है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ईसीएल जिसने 2005-06 में 371.96 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है, अपनी संचित हानि को समाप्त करने तथा दीर्घकालिक आधार पर लाभ अर्जित कर सकने में समर्थ होगी जिससे वर्ष 2009-10 तक इसका मूल्य धनात्मक हो जाएगा।

भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) कोल इंडिया लि. की दूसरी घाटे वाली कम्पनी है। वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान, कम्पनी को 1832 करोड़ रु. की हानि हुई। सरकार ने दिसम्बर 2000 में बीसीसीएल की पुनर्वास योजना बीआईएफआर को प्रस्तुत की। दिसम्बर, 2004 में बीआरपीएसई के गठन के बाद सरकार द्वारा यह मामला मई, 2005 में नवगठित निकाय को संदर्भित किया गया। बोर्ड द्वारा इस पर विचार किए जाने से पहले बीआरपीएसई ने अगस्त, 2005 में किसी स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा पुनरुद्धार योजना का मूल्यांकन कराए जाने के लिए मंत्रालय/बीसीसीएल से कहा। बीआरपीएसई के निर्देशों के अनुसार, बीसीसीएल ने पुनर्वास योजना

के मूल्यांकन के लिए मै. क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (सीएआरई) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। सीएआरई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सीआईएल बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है।

सी-डॉट द्वारा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना

2144. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) ने सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) के अंतर्गत विश्व स्तर के दो अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो खोले जाने वाले अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा इनके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। फिलहाल, सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) ने सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) के अंतर्गत दो विश्व स्तरीय अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) केन्द्र खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन के तारों की चोरी

2145. श्री ब्रजेश पाठक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन के तारों की चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके फलस्वरूप कितनी धनराशि की हानि हुई है; और

(ग) चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सूचित की गई टेलीफोन केबलों की चोरी की कुल घटनाएं क्रमशः 7110 और 514 हैं।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान चोरी की घटनाओं के परिणामस्वरूप बीएसएनएल को लगभग 1040 लाख रु. और एमटीएनएल को 384 लाख रु. की धनराशि की हानि हुई है।

(ग) चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) महत्वपूर्ण केबल मार्गों की नियमित गश्त लगाना (पेट्रोलिंग)। पुलिस प्राधिकारियों को चोरी संभावित मार्गों पर गश्त (पेट्रोलिंग) में तेजी लाने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

(ii) चोरी वाले संभावित मार्गों से केबलों का मार्ग बदलना।

(iii) संबंधित पुलिस थानों पर प्राथिमिकी दर्ज कराना।

(iv) पुलिस को केबलों की चोरी की जांच करने के लिए कहना।

(v) केबलों की अस्थायी गोदाम (डम्प) में सुरक्षा गार्डों की तैनाती करना।

(vi) चोरी की घटनाओं को कम करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करना।

(vii) केबलों के किसी प्रकार की चोरी से संरक्षण के लिए मैनहोलों पर ताला लगाया जाता है।

(viii) नालों/नहरों को पार कराते समय केबलों को क्षति/चोरी से बचाने के लिए जी आई पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ix) पुलों को पार कराते समय केबलों को चोरी/क्षति से बचाने के लिए आरसीसी आवरण (प्रोटेक्शन) का इस्तेमाल किया जाता है।

[अनुवाद]

पत्तनों का निजीकरण

2146. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तथा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जैसे प्रमुख पत्तनों के निजीकरण में लगभग 20 महीनों का विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की सुरक्षा संबंधी स्वीकृति को प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए बोली संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन करने की योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन परिवर्तनों से देश की आन्तरिक सुरक्षा पर असर पड़ेगा; और

(च) यदि हाँ, तो इन मादण्डों में कब तक परिवर्तन किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) किसी भी महापत्तन का गैर-सरकारीकरण (निजीकरण) किए जाने की इस समय कोई भी योजना या इस बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मुंबई पत्तन का बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर अपतटीय कंटेनर-टर्मिनल को विकसित करवाए जाने का एक प्रस्ताव है। चेन्नई पत्तन का भी बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर दूसरा कंटेनर टर्मिल विकसित करवाए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त प्रस्तावों के संबंध में बोलीदाताओं को सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति दिए जाने में कुछ विलंब हुआ है। उपर्युक्त मसले का समाधान कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पी सी ओ का कार्यकरण

2147. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक राज्य-वार कितने पीसीओ कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में पीसीओ बंद किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक स्थानों तथा रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए पीसीओ ठीक से/संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन को छोड़कर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) से संबंधित आंकड़े बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा राज्य-वार न रखकर सर्किल-वार रखे जाते हैं। 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार सभी सर्किलों में कार्यरत पीसीओ की संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए पीसीओ संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पीसीओ कई कारणों से बंद हुए हैं, कुछ कारण निम्नानुसार हैं:-

(i) फ्रैंचाइजी को अन्य रोजगार मिल रहा है, (ii) फ्रैंचाइजी कुछ अन्य शहरों में स्थानांतरित हो रहे हैं, (iii) फ्रैंचाइजी की मृत्यु, (iv) भुगतान न करने के कारण बंद होना, (v) अन्य प्रचालकों से जुड़ जाना, (vi) एसटीडी/आईएसडी प्रशुल्क में कटौती, आदि।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों और रेलवे स्टेशनों पर

संस्थापित पीसीओ ठीक से काम करें। तथापि, कुछ पीसीओ अवांछित तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्रवाई, उपकरणों की चोरी करने/क्षति पहुंचाने, भूमिगत केबलों/ड्रॉप वायर के क्षतिग्रस्त होने, आदि जैसे ऐसे कारणों की वजह से खराब पड़े रहते हैं जो बीएसएनएल/एमटीएनएल के नियंत्रण से बाहर हैं।

(च) रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संस्थापित पीसीओ के ठीक और संतोषजनक कार्यकरण के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उठाए गए कदमों में चोरी के मामले में नए सीसीबी पीसीओ उपकरण की संस्थापना, क्षतिग्रस्त होने के मामले में प्रतिस्थापन करना, उपकरण में खराबी आ जाने पर उसकी मरम्मत को प्राथमिकता देना, केबल में गड़बड़ी के मामले में शीघ्रता से उसकी मरम्मत करना, खम्बा रहित नेटवर्क का सृजन (ड्रॉप वायर दोष कम करने के लिए), समय-समय पर जांच करना, आदि शामिल हैं।

एमटीएनएल/बीएसएनएल में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को छोड़कर पीसीओ की संख्या संबंधी ब्यौरे तथा गत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा बंद किए गए पीसीओ की सर्किल-वार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	बीएसएनएल/एमटीएनएल में वीपीटी को छोड़कर पीसीओ की संख्या (31.10.2006 की) स्थिति के अनुसार	बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए पीसीओ की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	1,170	275
2.	आंध्र प्रदेश	2,70,861	106564
3.	असम	32,305	1799
4.	बिहार	66,433	6429
5.	छत्तीसगढ़	9,219	2568
6.	गुजरात	1,34,355	32141
7.	हरियाणा	32,067	9739
8.	हिमाचल प्रदेश	11,801	797
9.	जम्मू-कश्मीर	16,082	1405
10.	झारखंड	23,429	855
11.	कर्नाटक	2,64,070	48203
12.	केरल (संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	1,22,451	11643
13.	मध्य प्रदेश	52,872	13097
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	3,18,384	44104

1	2	3	4
15.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित)	6,851	470
16.	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर सहित)	7,187	773
17.	उड़ीसा	31,029	6287
18.	पंजाब (संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सहित)	37,781	16154
19.	राजस्थान	68,075	16709
20.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	2,12,496	27804
21.	उत्तरांचल	14,544	1152
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,01,666	9451
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	50,711	13938
24.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	62,302	5592
25.	कलकत्ता टेलीफोन जिला	63,432	17281
26.	चेन्नई टेलीफोन जिला	87,442	34144
27.	दिल्ली	90,634	30079
28.	मुंबई	1,71,164	18861
कुल	23,60,903	4,78,314	

[अनुवाद]

टी.एस. केनाल का कोलाचल-कोल्लम विस्तार

2148. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में टी.एस. केनाल की कोलाचल-कोल्लम के बीच की नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा टी.एस. केनाल की कोलाचल-कोल्लम के बीच के नहर-खंड के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) राष्ट्रीय जलमार्ग सं.3, पश्चिमी तट-नहर के कोट्टापुरम-कोल्लम-जल-खंड (विस्तार) और उद्योगमंडल तथा चम्पाकारा नहरों से युक्त है। टी. एस. नहर का कोलाचल-कोल्लम-जल-खंड (विस्तार), कोल्लम के दक्षिण में अवस्थित है और यह राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 का हिस्सा नहीं है।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 का कोल्लम से कोवलम तक और कोट्टापुरम से कसारगोड तक विस्तार किए जाने के बारे में मैसर्स आर आई टी ई एस द्वारा अध्ययन किया गया। कोवलम और कोलाचल के बीच के जल-खंड (विस्तार) के बारे में भी मैसर्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लेनिंग एंड रिसर्च सेन्टर द्वारा एक अन्य अध्ययन किया गया। फिर भी, मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्ग सं.3 को विकसित किए जाने में आ रहीं कई समस्याओं के कारण राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 का आगे और विस्तार किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कार्य की गुणवत्ता

2149. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित मानक क्या है;

(ख) क्या अधिकतर कार्य इस संबंध में निर्धारित गुणवत्ता के विपरीत तरीके से किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो आज तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 3.3 के अनुसार जिला प्राधिकारी कार्य के कार्यान्वयन के मामले में संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश को सरकार के स्थापित तरीकों से काम की जांच, तकनीक, कार्य का आकलन, निविदा एवं प्रशासनिक क्रियाविधि का अनुपालन करेगा।

(ख) जी नही।

(ग) और (घ) जब कभी सां.स्था.क्षे.वि. योजना के अंतर्गत कार्य की घटिया गुणवत्ता के बारे में शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित राज्य सरकार तथा जिला प्राधिकारियों से दोषी कार्यान्वयन अभिकरण/अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतें

2150. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) जी, हाँ, गत दो वर्षों के मामलों से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष 2004-2005 के लिए:

क्र.सं.	लाईसेंसधारक	शिकायत	की-गई-कार्रवाई
1	2	3	4
1.	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. (आरआईएल)	आवक अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) की कॉलों को अवैध रूप से स्थानीय कालों के रूप में भेजना	एमटीएनएल और बीएसएनएल ने क्रमश 341.27 करोड़ रु. एवं 319.04 करोड़ रुपये के बिल तैयार किए तथा मै. आरआईएल ने बिलों का भुगतान कर दिया। -केन्द्र सरकार ने मै. आरआईएल यूएएसएल चेन्नई, मुंबई व कोलकाता पर 150 करोड़ रु.

1	2	3	4
			का जुर्माना लगाया और मै. आरआईएल ने मार्च, 2005 में जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया।
2.	मै. एचएफसीएल सैटेलाइट	वेरी स्मॉल एपेर्चर टर्मिनल (वी-सैट) नेटवर्क के संचालन के संबंध में शिकायत	वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस को जनवरी, 2005 में रद्द कर दिया गया
3.	मै. ट्राइडेंट नेटकॉम सॉल्यूशन्स	अवैध बाजार प्रचालन में संलिप्तता	'क' इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) की श्रेणी के लाइसेंस को दिसम्बर, 2004 में रद्द कर दिया गया।
4.	मै. टीटीएमएल एंड मै. हच	पीटीटी पुश टु टॉक सेवा का प्रावधान	टीटीएमएल पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। हच के मामले में जांच की जा रही है।

वर्ष 2004-2006 के लिए:

क्र.सं.	लाईसेंसधारक	शिकायत	की-गई-कार्रवाई
1	2	3	4
1.	टाटा टेलीसर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, गोवा	सार्वजनिक टेलीफोन बूथ (पीसीओं) फ्रैंचाइज द्वारा लोगों से अधिक प्रभार लेने से संबंधित शिकायत	जांच-पड़ताल की जा रही है
2.	विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल)	लंबी दूरी की कालों की कैरिज लागत हेतु कम प्रभार लगाया जाना	जांच-पड़ताल की जा रही है।
3.	टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड (टीटीएसएल), दिल्ली	मैसर्स टीटीएसएल द्वारा अधिक प्रभार लगाया जाना	जांच-पड़ताल की जा रही है।
4.	मैसर्स आईएसपी सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड	सेवा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में आईएसपी प्रचालन	जांच-पड़ताल की जा रही है।
5.	मैसर्स रेडी लिंक इंटरनेट सर्विसेज कोवई लिमिटेड	सलेम एवं त्रिची में सेवा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में प्रचालन	जांच-पड़ताल की जा रही है।
6.	मैसर्स बेबटेल लिमिटेड	अपने सेवा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में फ्रैंचाइजियों के जरिए इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाता (आईटीएसपी) उपलब्ध कराना	जांच-पड़ताल की जा रही है।
7.	टीटीएसएल, एयरटेल और रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड	मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा बहादुरगढ़ एसडीसीए के कवरेज क्षेत्र का विस्तार	जांच-पड़ताल की जा रही है।

1	2	3	4
8.	मैसर्स एटीएंडटी, बीटी (ब्रिटिश टेलीकाम) इक्वेंट और एमसीआई	लाइसेंस के बिना सेवा प्रदान करना और एटीएंडटी ने अब लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।	जांच-पड़ताल की जा रही है।
9.	टीटीएमएल, आइडिया और रिलायंस	महाराष्ट्र में सेवा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना	जांच-पड़ताल की जा रही है।
10.	एयरटेल और रिलायंस इन्फोकाम	अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किमी के मध्यवर्ती क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।	जांच-पड़ताल की जा रही है।
11.	रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड	यूएसओ निधि का गलत दावा	जांच पड़ताल की जा रही है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय सहयोग हेतु इंडियन ओशन रिम आर्गेनाइजेशन

2151. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय सहयोग हेतु इंडियन ओशन रिम आर्गेनाइजेशन (आई ओ आर-ए आर सी) किन उद्देश्यों हेतु बनाया गया है;

(ख) उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त संगठन में भारत की क्या भूमिका है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) क्षेत्रीय सहयोग हेतु इंडियन ओशन रिम आर्गेनाइजेशन (आई.ओ.आर.ए.आर.सी.) में अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना और उसका संवर्द्धन शामिल है। आई.ओ.आर.-ए.आर.सी. स्वरूप के भीतर सहयोग का उद्देश्य सदस्य राज्यों की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बाध्यताओं को सुदृढ़ करना है, प्रतिस्थापित करना नहीं।

(ख) आर्थिक सहयोग, व्यापार सुविधाकरण, निवेश संवर्द्धन और मानव संसाधन विकास हेतु परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

(ग) भारत ने आई. ओ. आर.-ए. आर. सी. क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी निभाई है और ई-कामर्स, आपदा प्रबंधन और कृषि खाद्य वस्तु संसाधन और उद्योगों में सहयोग हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

[अनुवाद]

तिरुवनन्तपुरम को तिरुनेलवेली से जोड़ने वाली सड़क

2152. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में अम्बासमुद्रम से होते हुए तिरुवनन्तपुरम को तिरुनेलवेली से जोड़ने वाली सड़क को अनुमोदन प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु में अम्बासमुद्रम से होते हुए तिरुवनंतपुरम को तिरुनेलवेली से जोड़ने के लिए प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) इस प्रस्ताव में राज्यीय सड़क की लगभग 100 कि.मी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करना शामिल है। इस समय, सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के बजाय पहले से घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी

2153. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के काम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि की मांग की गई है;

(ग) यह राशि किन-किन सेवाओं पर खर्च की जाएगी;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा मांगी गई राशि सामान्य आवश्यकताओं से कहीं अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 दिल्ली के आयोजन तथा इनके सुगम संचालन के लिए उपयुक्त प्लानिंग व तैयारियाँ सुनिश्चित करने के लिए समय पर संस्थागत प्रबंध किए गए हैं। इनमें खेलों के आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक कोर समूह, मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल) की अध्यक्षता में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में एक शीर्ष समिति, मंत्रियों के समूह के निर्णयों तथा अन्य संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति, खेलों के संचालन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक आयोजक समिति शामिल है। दिल्ली राज्य सरकार के स्तर पर सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा डी.डी.ए. से संबंधित मामलों का समग्र दायित्व उप राज्यपाल का होगा और नागरिक सुविधाओं, अवस्थापना आदि के उन्नयन की आयोजना तथा आवश्यकताओं से संबधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य मामलों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उप समिति है।

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जो कि खेल संबंधी परियोजनाओं को शीघ्र और समयबद्ध ढंग से पास करेगी। संयोजक के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ एक समिति गठित की गई है जो कि दिल्ली शहरी कला आयोग और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों से संबंधित मंजूरी को, जैसा भी आवश्यक हो, देखेगी।

आवश्यक खेलों और शहरी अवस्थापना, नामतः, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और डीडीए के सृजन के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्ताव तथा खेलों के आयोजन के लिए आयोजन समिति अनुमोदित कर दी गई है। आरेखों व प्रॉक्कलनों को अंतिम रूप देने के बाद, निर्माण के टेंडरों को आमंत्रित कर निर्णय ले लिया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण कार्य 2007 के मध्य तक प्रारंभ हो जाएगा तथा 2009 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ख) से (ङ) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के संदर्भ में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व नई दिल्ली नगर पालिका को सौंपे गए शहरी अवस्थापना तथा खेल अवस्थापना के प्रोन्नयन से संबंधित कार्यों के लिए 770.00 करोड़ रु. के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रस्तावों को योजना आयोग ने सिद्धांततः संस्वीकृति दे दी है। मुख्य सेवाओं जिन पर यह राशि खर्च की जानी है, में यातायात प्रणाली सड़क व पुल, दिल्ली नगर पालिका तथा नई दिल्ली नगर पालिका नागरिक अवस्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति जलापूर्ति व सीवेज प्रणाली सुविधा तथा खेल अवस्थापनाओं का स्तरोन्नयन शामिल हैं।

उपर्युक्त अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सामान्य योजनागत परिव्यय है।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा निदेशालय की स्थापना

2154. श्री ए.के. मूर्तिः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क सुरक्षा निदेशालय की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए एक समर्पित निकाय के सृजन के लिए विचार-विमर्श और सिफारिशें करने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव, श्री एस सुंदर एवं प्रतिष्ठित सदस्य, ऊर्जा व संसाधन संस्थान (टी ई आर आई) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

शीतल पेय पदार्थ का विज्ञापन

2155. श्री हंसराज जी. अहीरः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कलाकारों और खिलाड़ियों को शीतल पेय पदार्थों के विज्ञापनों से दूर रहने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तम प्रयोगशाला विनिर्माण रीतियों के लिए प्रारूप अधिसूचना

2156. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उच्चतम प्रयोगशाला विनिर्माण रीतियों हेतु एक नई प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी वजह से वित्तीय संकट के कारण बड़ी संख्या में लघु भेषज इकाइयों के बंद होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में अनुसूची एल-I के रूप में उत्तम प्रयोगशाला पद्धतियों एवं परिसरों और उपकरणों की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन करने हेतु अभिप्रेत प्रारूप नियमों को अन्तिम देने से पूर्व जनता के विचारों को प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.10.2006 के.सा.का. नि. 634(अ) के तहत राजपत्र-अधिसूचना प्रकाशित की है। उत्तम विनिर्माण पद्धतियों को उक्त नियमों की अनुसूची-एम के तहत पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्टें उपलब्ध नहीं है जिनसे यह संकेत मिलता हो कि ऐसे नियमों के संशोधन से लघु फार्मा एकक वित्तीय कठिनाईयों इत्यादि के कारण बंद हो जाएंगे।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कृतिकबल की रिपोर्ट

2157. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) में खेलकूद और युवक कार्य का विकास करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक संपूर्ण योजना बनाने हेतु कृतिकबल की रिपोर्ट पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या-क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपलबधियाँ हासिल की गई हैं तथा उक्त प्रत्येक सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए गुवाहटी में तैयार की जा चुकी अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष अवसंरचना कार्य को पूरा किए जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों के विकास और संवर्धन के लिए कार्यबल की मुख्य सिफारशें थी; खिलाड़ियों को नियमित आधार पर प्रशिक्षित करने के लिए राज्य की राजधानियों, जिला और उप-मंडलीय मुख्यालयों में खेल अवस्थापनाओं का विकास, खेल-विधाओं जैसे कि मार्शल आर्ट फुटबाल, बॉक्सिग इत्यादि में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिभा में उपलब्ध है, की अवस्थापनाओं की पहचान करना तथा उन पर ध्यान केन्द्रित करना, ब्लॉक व पंचायत स्तरों पर खेल सुविधाओ का सृजन, भा.खे.प्रा. के केन्द्रों की स्थापना के लिए अवस्थापनाओं का विकास, प्रशिक्षकों तथा खेल उपकरणों आदि सहित प्रशिक्षण के लिए प्रबंधन को सुदृढ़ करना और खेलों को व्यापक आधार देने तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु अवस्थापना की योजना का उदारीकरण।

मंत्रालय ने फरवरी, 2000 में एक पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का गठन किया है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में खेलों के विकास से संबधित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2002-03 से राज्य स्तरीय परिसरों, स्टेडियमों, इंडोर हॉलों, तरणतालों, खेल के मैदानों, इत्यादि सहित खेल अवस्थापनाओं के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को 48.62 करोड़ रु. की राशि दी गई है। उपलब्ध कराई गई निधियों के राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे विवरण-I में दर्शाए गए हैं। इसके अलावा, मणिपुर में

खुमनलांपिक में एक खेल परिसर स्थापित करने के प्रस्ताव, जिसकी अनुमानित लागत 18.43 करोड़ रु. है जिसमें से 5.8 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं, को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग ने अनुमोदन दे दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) ने प्रशिक्षण तथा उत्कृष्टता के संवर्धन, हाकी/एथलेटिक्स खेल परतों/ट्रैकों की स्थापना/निर्माण के लिए कार्य, बहुउद्देशीय हॉल, छात्रावास, तरणताल, फुटबाल के मैदान, तीरंदाजी के लिए मैदान इत्यादि तैयार करने/निर्माण कार्यों से संबंधित भाखेप्रा की अवस्थापना और गतिविधियों को सुदृढ़ व प्रोन्नत करने के लिए 38.38 करोड़ की अनुमानित लागत को संस्वीकृति देते हुए जो विभिन्न अवस्थापनाओं में कार्यान्वयनाधीन हैं, अनेक कदम उठाए हैं। बोर्डिंग व किटिंग भत्तों में क्रमशः 75 रु. से 110 रु. तथा 3000 रु. से 4000 रु. की वृद्धि की गई है। 18 प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित तिनसुकिया व कोकराझार में 2 प्रमुख भाखेप्रा केन्द्र सक्रिय करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं तथा भाखेप्रा के केन्द्रों/राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में लगभग 1100 से 1500 तक की वृद्धि हुई है। विभिन्न योजनाओं के संबंध में कार्यबल की सिफारिशें पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित खेलों पर कार्यदल के कार्यों के रूप में उपयोग में लाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न सुविधाओं के संबंध में विकास की स्थिति सहित राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए गुवाहाटी में सृजित की गई अवस्थापना के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अवस्थापना परियोजना - 2002-03 से 2006-07 (30.11.2006 तक) जारी की गई राशि

(राशि रु० में)

राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
असम	7350000	1700000	18809000	700000	18000000	46559000
अरुणाचल प्रदेश	15644000	19100000	2700000	7100000	32000000	76544000
मणिपुर	6250000	00	2250000	00	70338000	78838000
मिजोरम	5775000	13577375	3000000	5959333	00	28311708
मेघालय	00	10011000	23455500	00	00	33466500
नागालैण्ड	19400000	96246319	11598000	4500000	90700000	222444319
कुल	544199000	140634694	61812500	18259333	211038000	486163527

विवरण-II

राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल अवस्थापना के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	स्थल का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	प्रगति की प्रतिशतता	समापन की तारीख	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य एथलेटिक स्टेडियम, सरूसजई, (प्रथम चरण)	3223.00	100%	–	कार्य पूरा हो गया
2.	सरूसजई में एसी इंडोर स्टेडियम (प्रथम चरण)	2163.00	100%	–	कार्य पूरा हो गया

1	2	3	4	5	6
3.	शूटिंग रेंज	323.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
4.	तेपिसिया में वेलोड्रूम	536.29	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
5.	इंडोर हाल का निर्माण, तेपेसिया	1400.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
6.	खो-खो, कबड्डी का निर्माण	130.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
7.	सरूसजई में जलक्रीडा परिसर	1200.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
8.	आरजीबी खेल परिसर में इंडोर स्टेडियम	917.13	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
9.	भेटापारा में हाकी स्टेडियम	686.16	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
10.	तीरंदाजी रेंज-तेपसिया	174.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
11.	तेपसिया में फुटबाल मैदान	92.60	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
12.	सरूसजई और काहिलीपारा में निर्माण स्थल का विकास	401.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
13.	सोनापुर, भेटापारा में निर्माण स्थल का विकास	323.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
14.	स्प्रिंगलेर सिस्टम	35.60	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
15.	सरूसजई में मुख्य एथलेटिक स्टेडियम का निर्माण (दूसरा चरण)	419.67	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
16.	गणेश मंदिर, इंडोर स्टेडियम	113.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
17.	सरूसजई में एसी इंडोर हाल का निर्माण	490.40	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
18.	पैकेज-3 के अंतर्गत खेल अवस्थापना का विकास (प्रथम चरण)	380.00	100%	31-7-2006	कार्य पूरा हो गया
19.	सरोज बील, मोरीगांव में जलक्रीडा परिसर का निर्माण	40.00	45%	30-12-2006	अस्थाई ढांचा का निर्माण चल रहा है
20.	रूद्र सिंह खेल परिसर में इंडोर हाल (11वें वित्त आयोग के अधीन)	230.00	100%	31-8-2006	कार्य पूरा हो गया
21.	हेंग्राबारी में टेनिस परिसर	256.00	100%	31-8-2006	कार्य पूरा हो गया

सरकारी अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश

2158. श्री अवतार सिंह भडाना:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैबिनेट सेक्रेट्री ने सरकारी अधिकारियों को विदेशी राजनयिकों और नागरिकों से मिलने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके अनुपालन के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) मंत्रिमण्डल सचिव ने हाल ही में दोहराया है कि किसी विदेशी नागरिक/विदेशी मिशनों के सदस्यों के साथ सरकारी सेवकों के सम्पर्क के सम्बन्ध में मौजूदा अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(ग) सरकारी अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग उत्तरदायी हैं।

(घ) ऐसी कोई जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

2159. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की वेबसाइट (www.morth.nic.in) पर राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, विवरण, लंबाई, यातायात की मात्रा और चालू कार्यों के राज्यवार ब्योरे दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट (www.nhai.org) पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्थिति दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए डाकघरों का खोला जाना

2160. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले में कुल कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त जिले में 'स्पीड-पोस्ट' की सुविधा से युक्त कुल कितने डाकघर हैं;

(ग) क्या इन सुविधाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) डाकघर संलग्न विवरण में दिए गए दूरी, जनसंख्या एवं आय संबंधी मानदंडों के पूरा होने तथा संसाधनों के उपलब्ध होने के आधार पर खोले जाते हैं। यदि डाकघर खोले जाने का औचित्य पाया जाता है तो किसी मौजूदा डाकघर, जो विभागीय मानदंडों के अनुसार अपने वर्तमान स्थान पर औचित्यसम्मत नहीं है, को पुनर्स्थापित करके खोला जा सकता है।

(ख) पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले के 53 डाकघर स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आश्वासन के अनुसार पहुंच का स्तर और डाकघर खोले जाने एवं उन्हें बनाए रखने के मानदंड

जनसंख्या एवं दूरी संबंधी मानदंड

- शहरी क्षेत्र-20 लाख से अधिक जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी 1.5 किमी
- शहरी क्षेत्र-20 लाख तक जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी 2 किमी.
- सामान्य ग्रामीण क्षेत्र-जनसंख्या 3000, निकटतम डाकघर से दूरी 3 किमी.
- पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तान–प्रत्येक गांव के लिए जनसंख्या 500 और ग्रामों के समूह के लिए 1000, निकटतम डाकघर से दूरी 3 किमी.

विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए आय संबंधी मानदंड

- सामान्य ग्रामीण क्षेत्र–हानि की अनुमत सीमा–2400 रुपए प्रतिवर्ष
- जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्र-हानि की अनुमत सीमा–4800 रुपए प्रतिवर्ष
- शहरी क्षेत्र–प्रारंभ में स्वतः समर्थ, एक वर्ष के बाद 5% का लाभ

शाखा डाकघर के लिए आय संबंधी मानदंड

- सामान्य ग्रामीण क्षेत्र–लागत की अपेक्षा आय का प्रतिशत $33\frac{1}{2}\%$ अर्थात् $66\frac{2}{3}\%$ की सब्सिडी
- पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी क्षेत्र–लागत की अपेक्षा आय का प्रतिशत 15% अर्थात् 85% की सब्सिडी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक सेवा विधेयक

2161. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

श्री रामजीलाल सुमनः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रशासनिक ढांचे में वृहत् स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक सेवा विधेयक, 2006 का प्रारूप तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक उक्त प्रारूप को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सरकार द्वारा लोक प्रशासन प्रणाली को पुनर्सज्जित करने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए दिनांक 31.8.2005 को दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक सेवाओं के सभी पहलुओं से संबंधित सार्वजनिक सेवा विधेयक का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस विधेयक के प्रारूप पर राज्य सरकारों, विभिन्न सेवा संघों एवं अन्य पणधारियों से इस समय परामर्श किया जा सकता है। इसलिए, इस स्टेज पर सार्वजनिक सेवा विधेयक के अधिनियम के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

शिकायतों की जाँच

2162. श्री सुरेश कलमाड़ीः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त की गई तथा गत दो वर्षों में तुलनात्मक आंकड़े क्या थे;

(ख) इन शिकायतों की जाँच में क्या पद्धति अपनाई गई;

(ग) किस विभाग के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आईं; और

(घ) केन्द्र तथा स्थानीय सरकार के बीच इन शिकायतों को देखते समय समन्वय की क्या प्रकृति थी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में

चालू वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या तथा पिछले दो वर्षों के दौरान के तुलनात्मक आँकड़ों संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में छानबीन करने के बाद सभी शिकायतों को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए उनके तुरन्त निवारण के लिए संबंधित मंत्रालय/विभागों और राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है। उनकी विकटता और गंभीरता के आधार पर कुछ शिकायतों की उनके अन्तिम निपटान तक इस विभाग द्वारा ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की जाती है। शिकायतों के ऑनलाइन दर्ज कराने की प्रणाली से शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों के निपटारे संबंधी स्थिति पर नजर रखी जा सकती है।

(ग) जिन मंत्रालयों और विभागो से अत्यधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं, ये इस प्रकार हैं:- रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट प्रभाग), श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग एवं बैंकिंग/बीमा प्रभाग, वित्त मंत्रालय का केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

(घ) चूंकि, लोक शिकायतें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के कार्य-निष्पादनों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनक निपटारा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन में कार्यरत एक विकेन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिव के अधीन एक समिति द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लोक शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा की जाती है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में प्राप्त राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से संबंधित शिकायतों को ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया जाता है और उन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

विवरण

पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या

1	2004	2005	2006
	1	2	3
जनवरी	502	372	387
फरवरी	594	436	860
1	2	3	4
मार्च	647	364	3708
अप्रैल	627	347	1254
मई	443	431	1171
जून	408	304	987
जुलाई	486	460	857
अगस्त	639	414	882
सितम्बर	499	393	624
अक्टूबर	501	435	572
नवम्बर	447	400	641
दिसम्बर	509	552	–
कुल	**6302**	**4908**	**11943**

कालाजार के लिए दवा का विकास

2163. श्री उदय सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'इंस्टीच्यूट फॉर वन वर्ल्ड हेल्थ' ने हाल में दावा किया कि इसने कालाजार के उपचार के लिए दवा विकसित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद के ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ने सरकार से कालाबाजार की चिकित्सा हेतु दवाई के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या आवश्यकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मैसर्स ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार इंस्टीट्यूट फार वन वर्ल्ड हैल्थ, यू.एस.ए. ने इन्टरनेशनल डिस्पेंसरी एसोसिएशन, नीदरलैंड के सहयोग से कालाजार के उपचार के लिए निर्दिष्ट पैरोमोमाइसीन इंजेक्शन का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी मैसर्स ग्लैंड फार्मा लिमिटेड हैदराबाद को हस्तांतरित कर दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) मैसर्स ग्लैंड फार्मा लिमिटेड हैदराबाद को कालाजार के लिए पैरोमोमाइसीन इंजेक्शन का विनिर्माण और विपणन करने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव

2164. श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के वाणिज्यिक सड़क परिवहन क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि आबंटित किए जाने की संभावन है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी कूरियर सेवाएं

2165. श्री के. सुब्बारायण: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रचालित निजी कूरियर सेवाओं और उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कूरियर सेवाओं के प्रचालन को विनियमित करने हेतु कोई केन्द्रीय विधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) निजी कूरियर सेवाओं के प्रचालनों को विनियमित करने के लिए कोई केन्द्रीय विधान मौजूद नहीं है।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए राजमार्गों का निर्माण

2166. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-हापुड़ और गाजियाबाद-अलीगढ़ खंडों पर चार लेन और आठ लेन वाले राजमार्ग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 2181 कि.मी. लंबे 10 राजमार्गों को उन्नत बनाने और उन्हें चौड़ा करने का प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 का दिल्ली-हापुड़ खंड पहल से ही चार लेन का है और इसे 6 लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-58 का दिल्ली-मेरठ खंड भी चार लेन का है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अंतर्गत 6-लेन का बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIख के अंतर्गत केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए शामिल किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रमंडल खेलों पर आधारित नहीं है।

(ग) और (घ) मंत्रालय में उत्तर प्रदेश सरकार से 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो राज्यीय सड़कों की कुल 859 कि.मी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के संबंध में हैं।

(ङ) इस समय और राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के बजाय विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना समिति

2167. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी हाँ, ग्रामीण अवसंरचना संबंधी एक समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य नीतियां तैयार करने, अत: प्राथमिकताकरण प्रभावित करने, नवोन्मेष वित्त पोषण प्रबंध विकसित करने और प्रगति की आवधिक समीक्षा करने के माध्यम से समयबद्ध तरीके से ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करना है।

(ग) और (घ) इस समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं और इस समिति ने निधियों की संवृद्धि कार्यक्रमों के प्राथमिकीकरण, प्रत्येक घटक को वेब आधारित सूचना, कार्यक्रम आउटपुट में प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष पद्धतियों को अपनाने, लाभभोगियों की भागीदारी और वास्तविक उपलब्धियों के मूल्यांकन, विशेष रूप से सिंचाई क्षेत्रक के लिए दूर-संवेदी तकनीक उपयोग करने की सिफारिश की है।

(ङ) संबंधित मंत्रालय, ग्रामीण अवसंरचना संबंधी समिति के निर्णयों और सुझावों का अनुपालन कर रहे हैं और तद्नुसार कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

कोयला ब्लाकों का आबंटन

2168. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षित खनन हेतु कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली वाली प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु एनईएलपी मॉडल अपनाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या आयोग की अन्य सिफारिशों को स्वीकार और क्रियान्वि किया गया है; और

(छ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में संशोधन करके चयन प्रक्रिया के रूप में गृहीत उपयोग के लिए कोयला खनन ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रणाली शुरू करने का विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। निवेश आयोग ने बोलियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला ब्लाकों को प्रदान करके कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एनईएलपी माडल को अपनाने की सिफारिश की थी।

(ङ) आयोग की सिफारिश के अनुसार कोयला मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि परिकल्पित प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से ब्लाकों के आबंटन के मानदंड एनईएलपी से अधिक भिन्न नहीं होंगे।

(च) और (छ) आयोग की अन्य सिफारिशें और सरकार के विचार नीचे दिए अनुसार है:-

गृहीत दोहन के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की विशिष्ट व्यवहार्य खनन ब्लाकों का खाका तैयार करना। वैकल्पिक रूप से प्रगतिशील खनन कम्पनियों के नीतिगत सहयोगियों को शामिल करने के लिए सीआईएल की सहायक कम्पनियों को प्रोत्साहित करना, सहयोगी उत्पादन भागीदारी आधार पर मौजूदा ब्लाकों को विकसित कर सकते हैं।	एक कार्रवाई की गई थी और लगभग 9.22 बिलियन टन भूगर्भीय भंडारों वाले 48 ब्लाकों को, गृहीत अनुमोदित अन्त्य उपयोगकर्ताओं को आंबटन के लिए कोल इंडिया लि. के लिए चिन्हित ब्लाकों की सूची से आरक्षण मुक्त कर दिया गया था। कोयला कम्पनियां भी खनन कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग, खनन उपकरणों को लगाने और जोखिम तथा लाभ शेयरिंग आधार पर

	प्रतिष्ठित खनन फर्मों की सेवाएं, अधिक बड़े ग्राहकों के लिए समर्पित खानों के विकास आदि जैसे नवीन प्रयासों और प्रथाओं की तलाश कर रही है।
उन सभी खानों को निजी क्षेत्र को प्रदान करना जिन्हें सीआईएल द्वारा बंद कर दिया गया है–यदि व्यवहार्य और सुधारे जाने योग्य भंडार है।	सीआईएल और इसकी सहायक कम्पनियां ऐसी व्यवस्थाएं करने की संभावना की तलाश कर रही हैं।
अपफ्रंट बोली राशि के एवज में आफसेट की जाने वाली, वर्तमान में यथाअधिसूचित प्रति टन उत्खनित कोयले का निर्धारित रायल्टी भुगतान।	विचाराधीन प्रस्ताव में बोली राशि के एवज में रायल्टी बकायों को ऑफसेट करने का कोई विचार नहीं किया गया है। रायल्टी एक सांविधिक लेवी है और यह उत्खनित कोयले की मात्रा के आधार पर राज्य सरकारों को प्राप्त करने के लिए जारी रह सकती है। यह राज्य सरकारों के लिए आय का एक प्रमुख और स्थायी स्रोत है और इसमें कोई अनिश्चितता लाने की आवश्यकता नहीं है।
जमाखोरी को रोकने और सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी ब्लाकों के लिए "उपयोग या खोना" नीति तैयार करना।	केप्टिव कोयला ब्लाकों को आबंटित करते समय इस आशय की शर्त रखी जाती है। कोयला ब्लाकों के विकास और सम्बद्ध अन्त्य उपयोग परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यदि केप्टिव कोयला ब्लाकों का विकासकर्ताओं द्वारा कोई प्रगति नहीं की जाती है तो कोयला ब्लाक का आबंटन और खनन पट्टा रद्द किए जा सकते हैं। तत्पश्चात, बैंक गारंटी की प्रणाली भी लागू की गई है।
स्वतः मार्ग के तहत 50% एफ डी आई की अनुमति देना।	सरकार ने सभी अनुमोदित अन्त्य उपयोगों के लिए कोयले के केप्टिव खनन में शत-प्रतिशत एफडीआई पहले ही अनुमोदित कर दिया है।
कोयला खानों द्वारा कोयले की व्यापारिक बिक्री की अनुमति देना।	निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक खनन के प्रावधान के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम को संशोधित करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

बिल गेट्स फाउन्डेशन द्वारा मुहैय्या करायी गयी सहायता

2169. श्री एन. एस. वी. चित्तन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिल गेट्स फाउन्डेशन ने देश में कुछ घातक बीमारियों के उन्मूलन में सहायता देने में रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस फाउन्डेशन द्वारा जारी की गई निधियों का वर्ष-वार, रोग-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें से विशेषकर तमिलनाडु में उपयोग की गयी निधियों का रोग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु में लाभान्वित मरीजों की लिंगवार, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रवार संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) बिल एण्ड मैलिंडा गैट्स फाउन्डेशन ने एच.आई.वी./एड्स निवारण कार्यक्रमों को वित्त

पोषित किया है जिसमें मुफ्त कन्डोमों की व्यवस्था, यौन संचरित रोगों का मुफ्त उपचार, सुरक्षित सैक्स के बारे में आउटरीच प्रेरित सम्प्रेषण, सुरक्षित सैक्स व्यवहार के बारे में समुदाय के सदस्यों का क्षमता सृजन, स्थानीय अनुसमर्थन और अपेक्षित उपचार शामिल हैं।

(ग) बी.जी.जी.एफ. से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों के अनुसार फाउन्डेशन द्वारा एच.आई.वी. निवारण कार्यकलापों के लिए 132.98 करोड़ और 184.03 करोड़ रुपए जारी किए गए है।

(घ) 6.35 करोड़ रुपए और 11.16 करोड़ रुपए का उपयोग तमिलनाडु में एच.आई.वी. निवारण कार्यक्रम के लिए किया गया।

(ङ) तमिलनाडु में कवर किए गए लाभार्थियों में ट्रांसजैंडर्स सहित 34,900 महिला यौनकर्मी और 14,560 पुरुष यौनकर्मी शामिल हैं। मोटे तौर पर 29,450 लाभार्थी शहरी क्षेत्रों से और 20,010 ग्रामीण क्षेत्रों से थे।

सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण

2170. श्री के.एस. राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के समानांतर सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना बजट आबंटन किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इन सुपर एक्सप्रेसवे को आम आदमी को रियायती पथकर दरों पर मुहैय्या कराया जाएगा?

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो कितना पथकर लगाए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (च) सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन फार्मेट आधार पर 16,680 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर नए सरेक्षण पर 1000 कि. मी. लंबे एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण कार्य को अनुमोदन प्रदान किया है। प्रथम स्तर में, 400 कि.मी. लंबे वड़ोदरा-मुंबई महामार्ग को लिया जाएगा। शेष 600 कि.मी. को संभावित मार्गों जैसे दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-आगरा, बंगलौर-चेन्नै और कोलकाता-धनबाद में से प्राथमिकता अध्ययन के आधार पर लिया जाएगा। इस समय एक्सप्रेस मार्गों को आम जनता के लिए रियायत पथकर दरों पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। साध्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के भाग के तौर पर तैयार किए गए एक्सप्रेस मार्गों के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु पथकर राशि वित्तीय विश्लेषण के आधार पर निर्भर करेगी।

आई.टी.आई. द्वारा संचार उपकरणों का उत्पादन

2171. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कितने आईटीआई संचार के क्षेत्र में उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्थानों का वार्षिक कारोबार कितना है तथा वर्तमान में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या इन इकाइयों को बंद करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मै. आईटीआई लिमिटेड संचार के क्षेत्र में उपस्कर का विनिर्माण करता है। भारत में निम्नलिखित स्थानों पर इसकी छः विनिर्माण इकाइयां स्थित हैं:

1. बैंगलूर
2. पालक्कड
3. मनकापुर
4. राय बरेली
5. नैनी
6. श्रीनगर

(ख) वर्ष 2005-06 के लिए इन इकाइयों का वार्षिक कारोबार विवरण-I में और इनमें विनिर्मित की जा रही मदें विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण-I

आईटीआई की इकाइयों का वर्ष 2005-06 का वार्षिक कारोबार

क्र.सं.	इकाई	मूल्य (करोड़ रु. में) इडी के साथ
1.	बैंगलूर	534.86
2.	मनकापुर	487.37
3.	नैनी	139.70
4.	राय बरेली	101.96
5.	पालक्कड	228.72
6.	श्रीनगर	4.47
7.	नेटवर्क प्रणाली इकाई	116.52
8.	क्षेत्रीय कार्यालय	135.97
	कुल	1749.39

विवरण-II

आईटीआई द्वारा वर्तमान में विनिर्मित किए जा रहे उत्पादों का इकाई वार ब्यौरा

I. बैंगलूर 1. ओसीबी सीएसएन एमएम

2. आईएसडीएन पीएबीएक्स

3. सी-डॉट उत्पाद

4. डब्ल्यूएलएल सीडीएमए इन्फ्रा

5. सीडीएमए आईएफडब्ल्यूटी

6. सैटकॉम-आईडीआर मोडम

7. 15/18 गीगाहर्ट्ज टी/आर एम/डब्ल्यू उपस्कर

8. केयू बैंड-वीसैट

9. पीसीएम एमयूएक्स

10. एग्जीक्यूटिव-टेलीफोन उपकरण

11. 64 केबीपीएस डाटा कार्ड

12. पीसी हार्डवेयर

13. जीएसएम और सीडीएमए के लिए एंटीना

14. रक्षा उत्पाद नामत: टेलीफोन्स, 5बी/5सी, फील्ड ऑटो टेलीफोन्स, सिक्रेसी 2एमबी एंड 8एमबी, चैनल सिक्रेसी, इत्यादि।

II. मनकापुर 1. जीएसएम इन्फ्रा-बीटीएस

2. सी डॉट उत्पाद

3. बैंकिंग ऑटोमेशन उत्पाद

4. ठेके पर विनिर्माण

5. इन्वर्टर

III. नैनी 1. एसटीएम-1, 4, 16 इक्यूपीटीएस

2. 2/34 ऑप्टीमक्स

3. डीडब्ल्यूडीएम

4. एडीएसएल ब्रॉडबैंड-डीएसएलएएम

5. डीएलसी ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड

6. ईपीबीटी

7. सोलर पैनल्स

8. डीडीएफ

IV. राय बरेली 1. जीएसएम इन्फ्रा-बीटीएस

2. शेल्टर्स और टावर्स

3. एसएमपीएस

4. सिम कार्डों में डीलरशिप

5. ऊर्जा बचत के यंत्र

6. बिजली वितरण का ऑटोमेशन

V. पालक्कड 1. ओसीबी स्थानीय/टीएएक्स/टैंडम

2. आईपी टीएएक्स और एसएसटीपी

3. एमएलएलएन

4. सिम कार्ड

VI. श्रीनगर 1. ईपीबीटी

VII. नेटवर्क प्रणाली इकाई/क्षेत्रीय कार्यालय

1. सेवाएं संस्थापन, चालू करना, रखरखाव, कार्ड की मरम्मत, इत्यादि।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में विलंब

2172. चौ. मुनव्वर हसन:

श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज)

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधी कार्यों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है जैसा कि दिनांक 12 नवम्बर, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रकाशित मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत चौदह परियोजनाओं का भुगतान रोक दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) स्वर्णिम चतुर्भुज का 93.3 प्रतिशत कार्य (दिनांक 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार) पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति और कुछ ठेकेदारों के खराब कार्य निष्पादन आदि संबंधी समस्याओं के कारण कुछ ठेकों में कुछ विलंब हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती हैं। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई हैं। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत पहले सभी अधिसूचनाओं की विधि मंत्रालय द्वारा जांच कर ली गई थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक मसौदों को अनुमोदित किया है।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकॉन इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) नॉन-पर्फोर्मिंग ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए रिटेंशन मनी जारी करके, अग्रिम (ब्याज आधार पर) की वसूली स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाण-पत्र (आई पी सी) राशि से छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

2173. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तुमकुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-206 को बतवाड़े से गुब्बी गेट तक चार लेनों वाला बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त परियोजना हेतु अपनी संस्वीकृति दे दी है;

(ग) उक्त खंड से संबंधित कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो संस्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री: (क) से (घ) चालू वार्षिक योजना में तुमकुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-206 के बतवाड़े से गुब्बी गेट खंड को चार लेन का बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तुमकुर शहर के लिए एक बाइपास, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-4 और राष्ट्रीय राजमार्ग-206 को जोड़ता है, पर विचार किया जा रहा है। इस बाइपास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के परामर्शदाता की संस्तुति के अनुसार तुमकुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग-206 के विद्यमान खंड को चौड़ा करने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-03 को छह लेनों वाला बनाया जाना

2174. श्री अशोक अर्गल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा से ग्वालियर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को छह लेन वाला बनाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) उक्त राजमार्ग को कब तक छह लेनों में परिवर्तित किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगरा-ग्वालियर खंड को 6 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V को दिसंबर, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कैंसर की दवाएँ

2175. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी एस रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित दवाओं से कई कैंसर रोगियों का उपचार किए जाने का दावा किया गया है जैसाकि कोटा (राजस्थान) से प्रकाशित दिनांक 8 नवंबर, 2006 के दैनिक राष्ट्रदूत में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार डी. एस. रिसर्च सेंटर की उक्त कैंसर दवाओं का परीक्षण और अनुसंधान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। पता चला है कि 'दैनिक राष्ट्रदूत', कोटा (राजस्थान) में डी एस अनुसंधान केंद्र, वाराणासी, उत्तर प्रदेश के संबंध में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें देसी कैंसररोधी औषधि सर्वपिष्टी के द्वारा कैंसर रोगियों का उपचार करने का दावा किया गया है।

(ग) से (ङ) इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने डी एस अनुसंधान केंद्र, वाराणासी, उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर एस. त्रिवेदी से पूर्व में इस आशय के साथ संपर्क किया था कि वे औषधि के मानकीकरण, पूर्व नैदानिक सुरक्षा/विषाक्तता अध्ययन आदि से संबंधित वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करें। उन्होंने औषधि में समाहित ऐसे बहुत से घटकों की सूची प्रस्तुत की है जिनकी शिनाख्त नहीं की जा सकती। केंद्र कैंसर रोधी औषधि को विकसित करने संबंधी अपने दावे के सत्यापन के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।

[अनुवाद]

वेबसाइटों पर ब्यौरा दर्ज करना

2176. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने अपने पहले के अनुदेश को दुहराता है कि मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि अपने अधिकारिक बेबसाइट पर प्रत्येक माह समय से आमंत्रित निविदाओं का ब्यौरा दर्ज करना सुनिश्चित करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने बेबसाइटों पर आवश्यक ब्यौरा दर्ज किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चूक के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां श्रीमान। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने दिनांक 01.09.2006 के परिपत्र संख्या 31.09.2006 के माध्यम से अपनी सभी महत्वपूर्ण संगठनों को पहले जारी अनुदेशों को दोहराया है कि कतिपय न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक राशि के किए गए अपने सभी संविदाओं/खरीद के संबंध में प्रत्येक माह एक संक्षिप्त विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित करें। उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण में टेण्डर प्रकाशित होने की तारीख, प्राप्त निविदाओं की संख्या, तकनीकी मूल्यांकन के बाद सफल पक्षकारों के नाम और उनके नाम जो सफल नहीं हुए, संविदा मूल्य, क्या संविदा एल-1 को दी गई और संविदाकार का नाम आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) टेण्डरों से संबंधित सूचना का बेबसाइट पर प्रकाशन एक सतत् प्रक्रिया है। संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) को आयोन के अनुदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा अपने-अपने प्रबंधन के परामर्श से निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य से अधिक राशि के टेंडर उनके अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर लोड करवा दिए जाएं। मुख्य सतर्कता अधिकारी भी अपनी रिपोर्टों में इसकी सूचना आयोग को देते है। जब कभी भी आयोग की जानकारी में चूक का कोई मामला आता है तो उसे विशेष रूप से संबंधित संगठन/मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

ब्राडबैण्ड इंटरनेट इनेबल्ड सर्विस सेंटर

2177. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में ब्राडबैण्ड इंटरनेट इनेबल्ड सर्विस सेंटर खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके अन्तर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में अनुमानत: कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने का है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन सेन्टरों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ज) सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,000 ब्राडबैण्ड, इंटरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। यह योजना 5742 करोड़ रुपय की कुल लागत से अनुमोदित की गई है। इस योजना का 4 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भिक कार्य पहले ही आरम्भ कर दिए गए हैं। योजना की कुल लागत में से भारत सरकार अनुमानत: 856 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारें 793 करोड़ रुपए का अंशदान करेंगी। शेष संसाधन निजी क्षेत्र से एकत्रित किए जाएंगे। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यान्वित किए जाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। योजना के कार्यान्वयन के विस्तृत दिशा-निर्देश अनुमोदित कर दिए गए हैं तथा इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट www.mit.gov.in पर देखा जा सकता है।

राज्यों को वित्तीय सहायता

2178. श्री अनंत गुढे:

श्री श्रीचंद कृपलानी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को माल ढुलाई हेतु भार के संबंध में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण उन्हें सड़क निर्माण व उनकी मरम्मत के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में इन राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार वित्तीय सहायता बहाल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सहायता को कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) अधिक भार लदान को रोकने के लिए वर्ष 2003-04 में सड़क निर्माण के लिए 7 राज्यों अर्थात् हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए केन्द्रीय अनुदान रोक दिया गया था जो अधिक भार से लदे वाहनों को अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष टोकन/पास जारी कर रहे थे। तत्पश्चात् इन राज्यों ने इस संबंध में संगत अधिसूचनाएं वापस ले ली थीं जिसके बाद सड़कों के निर्माण/अनुरक्षण के लिए उन्हें धनराशि जारी की गई।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां

2179. श्री हरिन पाठक: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विशेषकर गुजरात को राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत 19,04,47,879 रुपए जारी नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह राशि कब तक जारी की जाएगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, हाँ। गुजरात सहित, कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं लेकिन अनुस्मारकों के बावजूद कई अन्य राज्यों से निर्धारित प्रपत्र में कुल प्रतिबद्ध देयता को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें पुन: स्मरण कराया गया है। अपेक्षित सूचना शीघ्र प्राप्त करने के लिए जिन राज्यों से जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं उनके पदधारियों की एक बैठक शीघ्र बुलाने का प्रस्ताव है। कुछ राज्य

सरकारों की तरफ से विलंब होने की वजह से अपेक्षित बजट प्रावधान नहीं रखा जा सका। जिन राज्यों ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया है उन्हें राशि शीघ्र जारी करने करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशि जारी करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना मुश्किल है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

2180. **श्री मो. ताहिर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य चालू वर्ष के दौरान प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान आज तक संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन रोगों के परिणामस्वरूप मृत्यु दर के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे रोगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में स्वास्थ्य परिदृश्य में सुधार के लिए जन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में वर्ष 2000-15 के दौरान प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2005-07 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से याज, कुष्ठ एवं समेकित निगरानी प्रणाली की स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखे एवं सांख्यिकी के संबंध में अनुसूची के अनुसार लक्ष्य निर्धारित हासिल किए गए हैं। 2007 तक एच आई वी/एड्स की शून्य स्तरीय वृद्धि के संबंध में वार्षिक प्रहरी निगरानी रिपोर्टों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान व्यस्क एच आई वी व्याप्तता 0.9% रही है जिससे एच आई वी/एड्स की शून्य स्तरीय वृद्धि का पता चलता है। पोलियो के मामले में निर्धारित लक्ष्य अभी प्राप्त किए जाने हैं।

(ख) और (ग) सरकार संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। जिनमें वैक्टरजनित रोगों, कुष्ठ, क्षय रोग तथा एड्स के निवारण के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। और अधिक प्रभावी प्रदानगी संवर्धित कवरेज तथा बेहतर समाकलन को सुसाध्य बनाने के लिए दसवीं योजना के दौरान इन कार्यक्रमों में अनेक पहलें की गई हैं। स्थानिकमारिता तथा रोग भार पर आधारित एक संकेन्द्रित कार्यनीति तथा दृष्टिकोण इन रोगों के नियंत्रण के लिए तैयार किए गए हैं। वैक्टरजनित रोगों के मामले में रोग प्रबंधन की एक बहु आयामी कार्यनीति (शीघ्र रोगी पहचान तथा पूर्ण उपचार, रैफरल सेवा का सुदृढ़ीकरण एवं त्वरित अनुक्रिया सहित), समेकित वैक्टर प्रबंधन (घर के भीतर अवशिष्ट छिड़काव, कीटनाशी संसाधित मच्छरदानियों, लार्वाभक्षी के प्रयोग इत्यादि जैसे संचरण जोखिम में कमी) तथा सहायक कार्यकलाप जिनमें व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा अन्तरक्षेत्रीय कन्वर्जेंस शामिल है। क्षय रोग के मामले में पूरे देश को डाट्स के अंतर्गत कवर किया गया है तथा स्पूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा निदान के लिए सुविधाएं विकेन्द्रीकृत एवं सुदृढ़ की गई हैं। औषधें निगरानी में दी जाती हैं और रोगियों की मानिटरिंग की जाती हैं जिससे कि वे अपना उपचार पूरा करें। कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य कुष्ठ सोसायटियों द्वारा विकेन्द्रीकरण एवं संस्थागत विकास का कार्य शुरू किया गया है। ये सोसाइटियां नियोजन, कार्यान्वयन, मानिटरिंग तथा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। बेहतर आउटरीच के लिए कुष्ठ सेवाओं का सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ समाकलन शुरू किया गया है। एच आई वी/एड्स कार्यक्रम का संकेन्द्रण जागरूकता फैलाने, एच आई वी की निगरानी तथा परिचर्या उपचार की व्यवस्था करने पर रहा है। इन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सभी राज्य/संघ क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और ये राज्य विशिष्ट नहीं हैं।

(घ) से (च) हालांकि क्षयरोग जैसे कुछ रोगों के संबंध में मूल्यांकन किया गया है जहाँ ये पांच प्रतिशत से नीचे है, फिर भी अन्य रोगों के संबंध में कार्यान्वित कार्यनीति में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सूचित मृत्युदर का विश्लेषण किया जाता है।

स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है और संचारी रोगों के लिए चिकित्सीय राहत की व्यवस्था अनिवार्यतः राज्यों द्वारा प्रशासित प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा की जाती है। तथापि, अपर्याप्त अवसंरचना कार्मिक शक्ति औषधों की उपलब्धता का अभाव इत्यादि सहित अनेक कारणों से जनस्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली पूर्णतया कार्यात्मक नहीं है। भारत सरकार विभिन्न राष्ट्रीय रोग

नियंत्रण कार्यक्रमों जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रथम लाया गया है, के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है जिसके अंतर्गत संपर्क के समय रोगियों की शीघ्र पहचान तथा उपचार सुनिश्चित करने के लिए जनस्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु उपाय भी किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में इंटरनेट अभिगम्यता

2181. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** 23 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3954 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुवाहाटी में नेशनल इन्टरनेट बैकबोन के स्तरोन्नयन और पृथक सर्वर के प्रतिष्ठापन के साथ-साथ उत्तर-पूर्व क्षेत्र में नदी द्वीपों सहित दुर्गम सुदूर क्षेत्रों को डब्ल्यूएलएल नेटवर्क के दायरे के अंतर्गत लाया जाना सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन नदी द्वीपों को डब्ल्यूएलएल नेटवर्क के दायरे में लाया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसको पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या असम के लखीमपुर और धेमाजी कस्बों सहित क्षेत्र के सभी जिला एवं उप-मंडलीय मुख्यालयों को अभी तक 24 घंटे तक सुनिश्चित इंटरनेट अभिगम्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या और किन कस्बों को ब्राडबैंड सेवा पहले ही प्रदान की जा चुकी है; और

(च) सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों को अबाधित इंटरनेट अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) को गुवाहाटी में ए-4 प्रकार के नोड (कोर तथा एज रूटर्स सहित) की संस्थापना के माध्यम से उन्नत किया गया है। गुवाहाटी में एक पृथक सर्वर (एक ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस तथा नैरोबैण्ड रिमोट एक्सेस सर्वर) की भी संस्थापना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के दुर्गम तथा दूर-दराज के क्षेत्रों को डब्ल्यूएलएल नेटवर्क के अंतर्गत शामिल करने की योजना है। इस प्रयोजनार्थ असम में 102 बीटीएस, पूर्वोत्तर-I में 63 बीटीएस, सिक्किम में 14 बीटीएस तथा पूर्वोत्तर-II में 67 बीटीएस संस्थापित किए जाएंगे।

(ख) डब्ल्यूएलएल बेसिक ट्रांसीवर स्टेशन द्वारा असम में नदी द्वीपों के लिए कवरेज योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2007 है।

(घ) डायल अप इंटरनेट कनेक्टिविटी लखीमपुर तथा धेमाजी शहर सहित असम के सभी जिला और उप-मंडल मुख्यालयों में 24 घंटे उपलब्ध है।

(ङ) फिलहाल ब्रॉडबैंड सेवा असम के छः शहरों अर्थात् गुवाहाटी, जोरहाट, नगांव, सिलचर, डिब्रुगढ़ तथा तिनसुकिया में उपलब्ध है।

(च) डायल अप इंटरनेट कनेक्टिविटी असम के सभी शहरों और ब्लॉक मुख्यालयों में पहले ही 24 घंटे उपलब्ध है।

विवरण

असम के दूरस्थ और दुर्गम नदी द्वीपों के लिए डब्ल्यूएलएल कवरेज योजना

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	नदी द्वीप/दुर्गम क्षेत्र	स्थिति और लक्ष्य
1	2	3	4
1.	मजुली	मजुली	कमलाबारी, बोंगांव और डेरगांव में 3 बीटीएस से डब्ल्यूएलएल सेवा द्वारा पूर्ण रूप से कवर किया गया है। धुडांग क्षेत्र में दूरस्थ गोरूमारा, सेंगुरिमिरी, कचेरीपारा और धेमजीगांव में डब्ल्यूएलएल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
2.	लखीमपुर	लुट खबोलू, जोएहिंग, खोगा, पश्चिम तेलाही और पव वेलाही	जेपीसुजिआ में मौजूदा डब्ल्यूएलएल बीटीएस से कवरेज उपलब्ध है।

1	2	3	4
3.	नाऊबोइचा	इस्लामपुर, यूवानगर फुबारी अर बेदेतीघाट	लालुक और भीठपूरिआ बीटीएस से कवरेज उपलब्ध है।
4.	धेमाजी	मचखोवा, लैपुलिआ नलबाड़ी, राहा और सोनारीघाट	मचखोवा और सोनारी घाट में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है, अन्य स्थानों के लिए रेडियो सर्वेक्षण चल रहा है और इसे मार्च 2007 तक कवर कर लिया जाएगा।
5.	जोनाई	कोबुचापोरी, सिमेन्चापोरी मेसाकी और मजोरबारी	कोबुचापोरी, नजोखारी में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। सिमोन्चापोरी में मार्च, 2007 तक नये बीटीएस की योजना बनाई गई है।
6.	दूमदूमा	कोरदोईगुरी, ककोजन और दिधाल तरंग	दूमदूमा बीटीएस से आंशिक कवरेज उपलब्ध है। मार्च 07 तक पूरा कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।
7.	छाबुआ	लाईका/डिबरू सैखुआ आरक्षित क्षेत्र, रोहमोरिआ	लाईका और डिबरू सैखुआ क्षेत्र का उग्रवाद समस्या के कारण सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। रोहमोरिआ को प्रस्तावित दिखोम बीटीएस से पूरा कवरेज दिखाया जाएगा (लक्ष्य जनवरी, 2007)
8.	सादिया	अमरपुर नदी द्वीप और तंगोना	अमरपुर में चापकोवा स्थित डब्ल्यूएलएल बीटीएस से आंशिक कवरेज उपलब्ध है। सैकोआघाट में पूर्ण कवरेज के लिए अतिरिक्त बीटीएस की योजना बनाई गई है। (लक्ष्य मार्च, 2007) तंगोना को फिलोबानी बीटीएस से कवर किए जाने का प्रस्ताव है (लक्ष्य जनवरी, 2007)
9.	डांकुआखाना	भीमपुरा बासुदेव स्थान कटोरीचापोरी और बीलमुच	बासुदेव स्थान और बीलमुच में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों के लिए रेडियो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। मार्च 07 तक पूरा कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

टिप्पणी : सभी नये डब्ल्यूएलएल बीटीएस सीडीएमए-2000-1X प्रकार के हैं जिसमें इंटरनेट अभिगम सुविधा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेन वाला बनाने में विलंब

2182. श्री एम. अप्पादुरई: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तूतीकोरिन से तिरुनेलवेली तक राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेन का बनाने का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पुन: आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) तूतीकोरिन से तिरुनेलवेली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 7ए है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने के कार्य में प्रगति 12.5 कि.मी. खंड में भूमि अधिग्रहण की समस्या, भूमि की अनुपलब्धता की वजह से विद्यमान जलापूर्ति पाइपलाइन को स्थानांतरित न किए जाने के कारण और ठेकेदार की नकदी की समस्या के कारण कुछ धीमी गति हुई है। इस कार्य को दिसंबर, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध

2183. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दन्त-चिकित्सा परिषद ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इन महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चिकित्सा और दंत्य महाविद्यालयों की राज्यवार सूची क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप वर्ष 2006-07 के शैक्षिक सत्र के दौरान कितनी सीटें कम किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार की अनुमति मेडिकल कालेज/डेंटल कालेज स्थापित करने के लिए शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। इस अनुमति का नवीनीकरण कालेज खोलने की योजना में निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन पर वार्षिक आधार पर की जाती है। यह प्रक्रिया ऐसे समय तक जारी रहती है जब तक मेडिकल/डेंटल कालेज की स्थापना और अस्पताल सुविधाओं का विस्तार कार्य पूरा नहीं हो जाता। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानदंडों द्वारा यथापेक्षित अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के विकास के वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने में कालेज प्राधिकारियों के असफल रहने पर अनुमति का वार्षिक नवीनीकरण प्रदान नहीं किया जाता है। तदनुसार कालेज उस शैक्षिक वर्ष के लिए छात्रों के नए बैच को प्रवेश देने का पात्र नहीं होता है।

उस डेंटल कालेज का नाम जिसे शैक्षिक वर्ष 2005-06 के मुकाबले वर्ष 2006-07 के लिए स्नातकपूर्व छात्रों के नए बैच को प्रवेश देने के लिए अनुमति का नवीनीकरण प्रदान नहीं किया गया था, संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 2005-06 की तुलना में मेडिकल कालेज के संबंध में नवीनीकरण से इंकार करने का ऐसा कोई मामला नहीं है।

उन मेडिकल/डेंटल कालेजों के नाम जिन्हें कम की गई प्रवेश क्षमता के साथ अनुमति का नवीनीकरण प्रदान किया गया था, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

इस प्रकार, 2006-07 के लिए कुल 400 मेडिकल और 240 डेंटल सीटों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। यदि संबंधित मेडिकल/डेंटल कालेज बताई गई कमियों को ठीक कर लेता है तो उचित मूल्यांकन करने के बाद अगले वर्ष के लिए प्रवेश को बहाल किया जा सकता है।

विवरण-I

कॉलेजों के नाम जिनका केन्द्र सरकार ने 2005-06 के मुकाबले शैक्षिक 2006-07 के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया है

डेंटल कालेज

क्र.सं.	कालेज का नाम	राज्य	कालेज की अनुमोदित प्रवेश क्षमता	2006-07 के दौरान नवीनीकरण न किए जाने के कारण प्रवेश क्षमता
1.	डेंटल कालेज अकादमी ऑफ मेडिकल साईंसिज, परियारम	केरल	60 सीटें	शून्य

विवरण-II

उन कालेजों के नाम जिनका केन्द्र सरकार ने 2005-06 के मुकाबले शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिए कम की गई प्रवेश क्षमता के साथ नवीनीकरण किया है

क्र.सं.	कालेज का नाम	राज्य	शुरू में अनुमोदित वार्षिक प्रवेश क्षमता	2006-07 में वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ नवीनीकरण किया गया
1	2	3	4	5
1.	पेनिनीया महाविद्यालय इंस्टीट्यूट फार डेंटल साईंसिज एंड रिसर्च सेन्टर, दिलसुखनगर	आंध्र प्रदेश	100 सीटें	60 सीटें
2.	श्री साईं डेंटल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	100 सीटें	60 सीटें

1	2	3	4	5
3.	महात्मा गांधी मिशन्स डेंटल कालेज, नवी मुम्बई	महाराष्ट्र	100 सीटें	60 सीटें
4.	एकलव्य डेंटल कालेज एंड हॉस्पिटल	राजस्थान	100 सीटें	60 सीटें
5.	के.एस.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, त्रिचनगोडा	तमिलनाडु	60 सीटें	40 सीटें
मेडिकल कालेज				
1.	पिन्नामनेनी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चिनौतपल्ली	आंध्र प्रदेश	150	100
2.	जी.एस.एल. मेडिकल कालेज, राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश	150	100
3.	पी ई एस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, कुप्पम	आंध्र प्रदेश	150	100
4.	प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, करीमनगर	आंध्र प्रदेश	150	100
5.	शदन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, पीरांचरू	आंध्र प्रदेश	150	100
6.	भास्कर मेडिकल कालेज, एनेकापल्ली	आंध्र प्रदेश	150	100
7.	कोनासीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, अमलापुरम	आंध्र प्रदेश	150	100
8.	राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, बरेली	उत्तर प्रदेश	100	50

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानदंड

2184. श्री पी. सी. थामस: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित न्यूनतम सामान्य मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोचीन में मदुरै तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 कब घोषित किया गया;

(ग) क्या यह राजमार्ग निर्धारित मानदंडों/मानकों के अनुरूप हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इस धनराशि को किस प्रकार वितरित किया जाएगा; और

(च) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ उपमार्गों की स्थिति क्या है और इनको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सामान्य मानक भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित और अद्यतन संगत संहिताओं/दिशानिर्देशों द्वारा शासित किए जाते हैं। सड़क एवं पुल कार्यों के लिए इस मंत्रालय के विनिर्देश और दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए जाते हैं। ये मानक विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों अर्थात् ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ मानक हैं; मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू), निर्माण/कैरिजवे की चौड़ाई, सड़क संरेखण व ज्यामितीय, डिजाइन स्पीड, आदि।

(ख) कोचीन से मदुरै तक सड़क को दिनांक 3.3.1989 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया।

(ग) से (ङ) विगत वर्षों में आवश्यकता के अनुसार धनराशि की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-49 सहित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अपर्याप्त परत, कमजोर और संकरे आर पार

जल निकासी ढांचे, घटिया ज्यामितीय आदि जैसे कई दोष आ गए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। फिर भी, धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न वार्षिक योजनाओं में इन दोषों को दूर किया जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-49 का संबंध है 72.00 करोड़ रु. के 40 सुधार कार्य गत पाँच वर्षों में शुरू किए गए हैं।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर अभिनिर्धारित 3 बाइपास अर्थात् त्रिपुनीथुरा, बाइपास के चरण-I के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। त्रिपुनीथुरा बाइपास के शेष खंड के संरेखण और अन्य दो बाइपासों को मंत्रलाय ने अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदित संरेखण के आधार पर राज्य लोक निर्माण विभाग को विस्तृत भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

कैंसर के मामलों में वृद्धि

2185. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कैंसर के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक कैंसर के राज्य-वार कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में कैंसर रोगियों को सहायता तथा औषधियां प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में कैंसर अनुसंधान केन्द्रों के विकास तथा आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस रोग को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां द्वारा एकत्रित की गई सूचना के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष लगभग 7-9 लाख कैंसर के नए रोगियों का पता लगाया जाता है और किसी भी समय देश में कैंसर के 2.25 मिलियन रोगी होते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005 के दौरान कैंसर रोगियों की अनुमानित संख्या करीब 8.72 लाख है। तथापि, कैंसर रोगियों के संबंध में राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह विभिन्न सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कैंसर की शीघ्र पहचान, निदान व उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। केन्द्र सरकार उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में रेडियोथिरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को भी पूरा कर रही है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में जांच सुविधाओं सहित व्यापक कैंसर पहचान एवं उपचार सुविधाएं देशभर में 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं। कैंसर के उपचार के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की एक सूची संलग्न विविरण में दी गई है।

(च) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार घनी आबादी वाले राज्य में दो क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी जा सकती है और अवसंरचना के विकास के लिए मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को 3.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता तथा मान्यता दिए गए नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को 5.00 करोड़ रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(छ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित योजना के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देकर, जागरूकता पैदा करके कैंसर की शीघ्र पहचान पर विशेष बल दिया जा रहा है। संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में व्यापक कैंसर पहचान जांच सुविधाएं राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्षों के दौरान विकसित 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं। कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान दूरदर्शन पर ''कल्याणी'' कार्यक्रम के प्रसारण के जरिए भी दिया जा रहा है।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

निदेशक,
चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट,
37, एस. पी. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700026

निदेशक,
किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी,
होसुर रोड,
बंगलौर-560029,
कर्नाटक

निदेशक,
आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर सेन्टर फॉर कैंसर
रिसर्च एंड ट्रीटमेंट,
मंगलाबाग, कटक-753007

सदस्य-सचिव,
रीजनल कैंसर कंट्रोल सोसायटी
द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज,
शिमला-1, हिमाचल प्रदेश

निदेशक,
इंडियन रोटरी कैंसर इंस्टीट्यूट,
(एम्स)
अंसारी नगर, नई दिल्ली

निदेशक,
प. जे. एन. एम. मेडिकल कालेज,
रायपुर, छत्तीसगढ़

चिकित्सा अधीक्षक
सिविल अस्पताल,
आईजोल,
मिजोरम

निदेशक,
क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र,
मेडिकल कालेज कम्पाउंड,
पो. ओ. सं. 2417
तिरूवनंतपुरम-695011

निदेशक,
एम एन जे इंस्टीट्यूट आफ आन्कोलाजी,
रेड हिल्स,
हैदराबाद-500004
आंध्र प्रदेश

निदेशक,
पांडिचेरी रीजनल कैंसर सोसायटी,
जिपमेर, धनवन्तरी नगर, पी ओ. पांडिचेरी

निदेशक,
डा. बी. बी. कैंसर इंस्टीट्यूट,
गोपी नाथ नगर,
गुवाहाटी-781016

निदेशक,
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज,
शेखपुरा, पटना-800014, बिहार

निदेशक,
आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रस्ट एंड रिसर्च
इंस्टीट्यूट (आर सी सी)
एस. पी. मेडिकल कॉलेज,
बीकानेर, राजस्थान

निदेशक,
रीजनल कैंसर सेन्टर,
पं. बी. डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, रोहतक, हरियाणा

निदेशक,
गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
न्यू सिविल हॉस्पिटल कम्पाउंड,
असवारा, अहमदाबाद-380016
गुजरात

निदेशक
आर. एस. टी. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर,
मानेवाडा रोड,
नागपुर-440003, महाराष्ट्र

निदेशक,
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल,
अरनेस्ट बोर्ग मार्ग,
पारेल, मुम्बई-400012

निदेशक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च (पी जी आई एम ई आर),
चंडीगढ़-160012.

निदेशक,
शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
साइंसिज, सुरा, श्रीनगर

निदेशक,
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज,
मणिपुर, इम्फाल

निदेशक,
कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

निदेशक,
कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर,
मंदिर की माता,
ग्वालियर-474001, मध्य प्रदेश

निदेशक,
रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आई ए),
अडयार,
चेन्नई-6000020

निदेशक,
संजय गांधी पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज (एस जी पी जी आई),
रायबरेली रोड,
लखनऊ-226014

निदेशक,
गव. अरीगनार अन्ना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल,
कांचीपुरम, तमिलनाडु

राष्ट्रीय कल्याण कोष से सहायता

2186. श्री सुग्रीव सिंह: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कल्याण कोष से देश में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा चालू-वर्ष के दौरान खिलाड़ियों को उक्त कोष से प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष से सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है?

पंचायतीराज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अन्तर्गत उन पूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2500 रुपये तक के मासिक पेंशन की वित्तीय सहायता दी जाती है जो दरिद्र अवस्था में हैं/रह रहे हैं। घायल मामले में चिकित्सा उपचार के लिए 40,000 रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। खिलाड़ी जो प्रशिक्षण के दौरान अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के समय घातक चोट से पीड़ित होते हैं, को भी 1.00 लाख रुपये तक की अधिकतम सहायता दी जाती है। 2004-05, 2005-06 और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कल्याण कोष के अन्तर्गत पेंशन देकर उपलब्ध कराये गये सहायता और एकमुश्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

योजना का नाम	वर्ष		
	2004-05	2005-06	2006-07 (30 नवम्बर 2006 तक की स्थिति के अनुसार
राष्ट्रीय कल्याण निधि	19,82,000 रुपये	9,14,500 रुपये	4,86,500 रुपये

(ग) खिलाड़ी जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में पहले आठवीं स्थिति के अन्दर अथवा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में टीम प्रतियोगिता में प्रथम चार के अन्दर अथवा ओलम्पिक खेलों, राष्ट्रमण्डल खेलों, एशियाई खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिपों और अन्य ऐसी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताएं, जिसके अन्तर्गत खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों अथवा उसका परिवार संकट में हो और आय का कोई अन्य साधन न हो अथवा सभी संसाधनों से 3000 रुपये प्रति माह से कम आय हो, राष्ट्रीय कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए विचारार्थ पात्र है। इसे विशेष रूप से नोट किया जाए कि इस योजना को उन खिलाड़ियों के लिए शामिल नहीं किया जाता है, जिन्होंने केवल आमंत्रित टूर्नामेन्टों में भाग लिया हो।

कोचीन-पत्तन का विकास

2187. डा. पी. पी. कोया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन पत्तन को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय समुद्र-पत्तन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोचीन-पत्तन द्वारा किस प्रकार के बल्क कार्गो की संभलाई की जाती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पत्तन से कितना आयात और निर्यात हुआ है;

(घ) वल्लारपद्म कंटेनर टर्मिनल और संबद्ध विशेष आर्थिक जोन के कब तक चालू होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार की वल्लारपद्म और पुथु वाइपिन परियोजनाओं को रेलवे प्रणाली की और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) भारत सरकार ने कोचीन-पत्तन सहित सभी महापत्तनों का व्यापक विकास किए जाने के बारे में राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार कर लिया है। उपर्युक्त राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने कोचीन पत्तन पर संचालित किए जाने वाले समस्त कार्यकलापों को शामिल करके, 7920 करोड़ रु. के कुल निवेश से युक्त 15 परियोजनाएं चुन ली हैं।

(ग) कोचीन पत्तन पर शुष्क, तरल और ब्रेक बल्क जहाजी माल संभाला जाता है। उपर्युक्त पत्तन पर आयातित और वहाँ से निर्यातित शुष्क बल्क, तरल बल्क और ब्रेक बल्क जहाजी माल की मात्रा के ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(घ) कोचीन-पत्तन द्वारा बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर उपर्युक्त कामकाज के संचालक, मैसर्स इंडिया गेटवे प्राइवेट लिमिटेड से किए गए लाइसेंस-करार के अनुसार, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर उपर्युक्त कामकाज के संचालक, उपर्युक्त परियोजना से संबंधित निर्माण-कार्य आरंभ किए जाने की तारीख से चौबीस (24) महीने के भीतर, वल्लारपद्म पर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानान्तरण-टर्मिनल के चरण-I का वाणिज्यिक रूप से संचालन आरंभ कर दिए जाने को बाध्य है। भारतसरकार द्वारा वल्लारपद्म पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने से संबंधित अधिसूचना, 2 नवम्बर, 2006 को जारी कर दी गई है।

(ङ) से (छ) कोचीन-पत्तन द्वारा बनाओ, चलाओ और हंस्तातरित कर दो के आधार पर उपर्युक्त कामकाज के संचालक से किए गए लाइसेंस-करार के अनुसार, उपर्युक्त संचालक, (i) राजीव गांधी कंटेनर-टर्मिनल के वाणिज्यिक कामकाज का संचालन करने लगने की तारीख से चार (04) वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख, या (ii) निर्माण कार्यों के आरंभ किए जाने की तारीख से चौबीस (24) महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख, या (iii) अंतर राष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण-टर्मिनल के चरण-I में परिकल्पित परियोजना सुविधाओं और सेवाओं का संचालन आरंभ किए जाने हेतु अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल परियोजना स्थल पर निर्माण कार्यों को पूरा किए जाने की तारीख में से जो भी सबसे बाद में हो, उससे पहले रेल से संपर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क कायम करवाए जाने को बाध्य है। उपर्युक्त परियोजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पुथुवाइपिन तक पृथक् रेल-संपर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्ककायम करवाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान, कोचीन पत्तन पर आयातित और निर्यातित शुष्क बल्क, तरल बल्क और ब्रेक बल्क की मात्रा

(000 टन में)

	2003-04			2004-05			2005-06		
	आयातित	निर्यातित	कुल	आयातित	निर्यातित	कुल	आयातित	निर्यातित	कुल
ब्रेक बल्क	424	11	435	403	16	419	376	12	388
शुष्क बल्क	795	118	913	911	28	939	1163	14	1177
तरल बल्क	8840	1259	10099	8579	1843	10422	8060	1775	9835

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

2188. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों और कार्डधारकों की राज्य-वार और श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31 मार्च, 2006 के अनुसार कार्डों तथा विभिन्न शहरों में सी जी एच एस सुविधाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों की संख्या

		कार्ड									लाभार्थी								
क्र.सं.	शहर	सेवारत कर्मचारी	पेंशनर	स्वतंत्रता सेनानी	सांसद	पूर्व सांसद	पत्रकार	अन्य	सामान्य लोग	कुल	सेवारत कर्मचारी	पेंशनर	स्वतंत्रता सेनानी	सांसद	पूर्व सांसद	पत्रकार	अन्य	सामान्य लोग	कुल
1.	अहमदाबाद	6483	1459	85		26	0	0	0	8053	24747	3193	115		50	0	0	0	28105
2.	इलाहाबाद	16742	3766	8		5	0	0	0	20521	82970	9783	14		22	0	0	0	92789
3.	बंगलौर	25525	9489	315		36	0	150	0	35515	92148	18097	473		80	0	346	0	111144
4.	भोपाल	2779	638	2		4	0	0	0	3423	11116	2552	4		8	0	0	0	13680
5.	भुवनेश्वर	2057	492	36		17	0	0	0	2602	10750	962	64		39	0	0	0	11815
6.	चंडीगढ़	6183	2265	1		2	0	0	0	8451	30915	4528	1		4	0	0	0	35448
7.	चेन्नई	33647	14905	1167		87	0	113	0	49919	146417	33806	2115		252	0	226	0	182816
8.	देहरादून	173	585	1		1	0	0	0	760	588	1277	1		1	0	0	0	1867
9.	गुवाहाटी	10326	581	55		15	0	86	0	11063	40365	1538	94		43	0	163	0	42103
10.	हैदराबाद	40555	15830	5320		60	0	18	0	61786	190497	40078	7426		143	0	45	0	238189
11.	जबलपुर	14773	7030	73		4	0	0	0	21879	77444	18122	146		6	0	0	0	95718
12.	जयपुर	23289	5144	56		15	0	173	0	28047	102078	11115	77		41	0	462	0	113723
13.	कानपुर	19999	6324	11		5	0	68	0	26407	101968	23407	15		15	0	283	0	125688
14.	कोलकाता	37491	21675	2655		32	0	0	0	61853	140338	50276	4443		75	0	0	0	195132
15.	लखनऊ	19134	3867	71		19	0	3	0	23093	105638	16865	138		37	0	5	0	122683
16.	मेरठ	5363	3406	5		0	0	43	0	8817	25489	8663	7		0	0	206	0	34365
17.	मुम्बई	61659	12652	137		20	0	0	0	74468	231372	32050	214		50	0	0	0	263687
18.	नागपुर	15858	7186	83		0	0	0	0	23107	68786	18563	139		0	0	0	0	87488
19.	पटना	9852	1966	1024		8	0	0	0	12850	45370	6700	1997		14	0	0	0	54081
20.	पुणे	27446	29664	609		20	0	0	0	57739	109784	88992	1238		108	0	0	0	200122
21.	रांची	1806	1011	2		0	0	2	0	2821	8375	2889	3		0	0	0	2	11270
22.	शिलांग	2019	113	1		0	0	0	0	2133	8117	213	2		0	0	0	0	8332
23.	तिरुवनंतपुरम	4689	2558	127		17	0	0	0	7391	17239	5573	173		39	0	0	0	23024
24.	दिल्ली	271462	79376	692	613	2452	1258	53	2853	358749	1005886	191255	1365	2353	1937	1595	107	3497	1207995
	कुल	659310	231982	12536	613	2845	1258	709	2853	911447	2678397	590497	20264	2353	2964	1595	1043	3499	3301264

निजी उद्यमियों को खनन ब्लाकों का आबंटन

2189. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने निजी उद्यमियों को अतिरिक्त खनन ब्लाकों का आबंटन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगामी वर्षों में अनुमानित कोयला उत्पादन को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त खनन ब्लाकों को निजी उद्यमियों को सौंपने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) सरकार ने कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआईएल) के साथ परामर्श करके विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र की कम्पनियों का आबंटन हेतु कुल लगभग 20.02 बिलियन टन वाले भूगर्भीय भंडारों के 81 कोयला ब्लाकों में से लगभग 9.22 बिलियन टन भंडार वाले 48 कोयला ब्लाक पहले सीआईएल के लिए निर्धारित कर दिए गए।

(ग) और (घ) आने वाले वर्षों में कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच के अनुमानित अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला ब्लाकों को निजी क्षेत्र की कम्पनियों को आबंटित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

एड्स पर सम्मेलन

2190. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में टोरंटो में एड्स के संबंध में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व में विशेषकर भारत में एड्स से बचने के लिए किसी नए दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एड्स रोगी के लिए पोषक सहायता महत्त्वपूर्ण है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। 13 से 18 अगस्त, 2006 को टोरंटो, कनाडा में हुए 16 वें अन्तरराष्ट्रीय एड्स सम्मेलन का आयोजन अन्तरराष्ट्रीय एड्स सोसाइटी द्वारा किया गया था। यू एन एड्स, एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे लोगों का वैश्विक नेटवर्क, एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रही महिलाओं का अन्तरराष्ट्रीय समुदाय, अन्तरराष्ट्रीय एड्स सेवा संगठन परिषद और कनाडा एड्स सोसाइटी इसके सह-आयोजक थे। इस सम्मेलन का सार विषय "सेवा प्रदानगी का समय" (टाइम टू डिलिवर) था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सम्मेलन में एच.आई.वी. संक्रमण के निवारण के लिए नए दृष्टिकोणों में महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवनाशकों (जेल) का उपयोग पुरुषों में खतना और एच. आई. वी. संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व-अरक्षितता (प्रीएक्सपोजर) रोगनिरोधक के रूप में रिट्रोवायरल रोधी औषधों का उपयोग करना शामिल था।

(ङ) से (छ) पौषणिक स्थिति से रिट्रोवायरल रोधी चिकित्सा के प्रति अनुक्रिया को प्रभावित कर सकती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम से परामर्श लेते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने रिट्रोवायल रोधी चिकित्सा (ए. आर. टी.) पर रखे गए रोगियों के लिए सूक्ष्मपोषक पूरक हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया है और उसे उपचार नयाचार में शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में योजनाबद्ध स्कीमों हेतु सहायता

2191. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में योजनाबद्ध स्कीमों हेतु किस आधार पर सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस संबंध में मानदंड/फार्मूला किस तारीख को बनाए गए और इन्हें कब से प्रभावी किया गया;

(ग) क्या राजस्थान ने मानदंडों/फार्मूलों में परिवर्तन अथवा

कुछ अन्य मानक सम्मिलित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा दिसम्बर 1991 में यथा अनुमोदित 'गाडगिल मुखर्जी फार्मूले' नामक फार्मूले के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। इस फार्मूलें के अनुसार, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु वांछित राशि तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राशि अलग रखने के पश्चात्, राज्य योजनाओं संबंधी केन्द्रीय सहायता के शेष का 30% विशेष श्रेणी राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि गैर-विशेष श्रेणी राज्यीं को कोष्ठकों में इंगित भारण के आधार पर वितरित की जाती है: (i) जनसंख्या (60%) (ii) प्रतिव्यक्ति आय (25%) (iii) कर प्रयास में निष्पादन, राजकोषीय प्रबंधन और राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध में प्रगति (7.5%) और (iv) विशेष समस्याएं (7.5%)।

(ग) और (घ) इस समय राजस्थान की ओर से मानदंडों/फार्मूला के परिवर्तन अथवा किसी अन्य मानक को शामिल करने संबंधी कोई अनुरोध नहीं है, जो विचाराधीन हो।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

2192. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कालेजों के मनोचिकित्सा विभागों के उन्नयन हेतु केन्द्रीय सहायता के संबंध में मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार को इंदौर तथा ग्वालियर के मानसिक रोग अस्पतालों के आधुनिकीकरण तथा इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर तथा रीवा स्थित मेडिकल कालेजों में मनोचिकित्सक वार्डों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विषय-निर्वाचन समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद सरकार ने ग्वालियर (वर्ष 2005-06 में) तथा इंदौर (2006-07) के मानसिक रोग अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण तथा जबलपुर (2005-06) और इंदौर (2006-07) के मेडिकल, कालेजों के मनोचिकित्सक वार्डों के उन्नयन का अनुमोदन किया है।

राज्य सरकार द्वारा मनोचिकित्सा विभाग में संकाय पक्षों के न भरने, निर्माण उपकरणों इत्यादि की लागतों की समीक्षा के कारण मेडिकल कालेज, भोपाल, ग्वालियर और रीवा को केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की जा सकी।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सहायता

2193. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मेडिकल कालेज, भोपाल के कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इसे इस योजना के अधीन पहले ही 1.50 करोड़ रुपये प्रदान कर दिए गए हैं। इसलिए संस्थान 1.50 करोड़ रुपये के विशेष सहायता अनुदान का हकदार तभी होगा जब पूर्व सहायता अनुदान के उपयोग प्रमाणपत्र, जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है, का निपटान हो जाएगा।

डॉक्टरों के रिक्त पद

2194. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 30 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों को ''भारतीय चिकित्सा पद्धति''

से प्रशिक्षित डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दिनांक 1 सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में 23236 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की 24476 की अनुमोदित संख्या के मुकाबले 20308 डॉक्टर कार्यरत हैं। जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों की स्थिति का संबंध है। 7582 अनुमोदित पदों की संख्या के मुकाबले 3550 विशेषज्ञ तैनात हैं। इसके कारण भिन्न-भिन्न हैं जैसे अनुपलब्धता, भर्ती में विलम्ब, राज्यों की अनुचित कार्मिक नीति और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों हेतु मूलभूत सुविधाओं और प्रोत्साहन का अभाव।

अनेक राज्यों ने विभिन्न पहलें शुरू की हैं जैसे:

- विशेषज्ञों की तैनाती को युक्तिसंगत बनाना।
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए और प्रोन्नति, विदेशी नियुक्ति अथवा विदेश में प्रशिक्षण के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति को अनिवार्य बनाना।
- स्थान विशेष के वर्गीकरण के अनुसार विहित कार्यकाल के पूरा होने पर डाक्टरों का अनिवार्य रोटेशन;
- डॉक्टरों की संविदात्मक नियुक्ति;
- सुपुर्द किए गए कार्यों के अनुसार प्रैक्टिसबन्दी भत्ते को छोड़ने और प्रैक्टिस करने का विकल्प; भत्ते इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन देना।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है:

- डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाना और उनके गृहनगर के समीप उनकी नियुक्ति करना;
- जिला स्तर पर भर्ती प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।
- डॉक्टरों का वाक-इन इंटरव्यू और संविदात्मक नियुक्ति;
- ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती होने पर वेतन में एक तिहाई वृद्धि करना;
- एनीस्थीसिया संबंधी चिकित्सा कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाना;
- एनीस्थीसिया में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को फिर से सृजित करना;
- फिलहाल, तंत्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के लिए एनीस्थिसिया में एक-वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करना, जो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- पांच सौ विस्तर वाले अस्पताल को मान्यता प्रदान करना ताकि उपर्युक्त पाठ्यक्रम चलाने में सुविधा प्रदान की जा सके;
- केस-दर-केस आधार पर निजी चिकित्सकों को भाड़े पर लेना।

एनआरएचएम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डॉक्टरों/विशेषज्ञों की संविदात्मक नियुक्ति की जा रही है। केस-दर-केस आधार पर विशेषज्ञों को भाड़े पर लेने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक चिकित्सक की सेवाओं से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयुष सुविधाओं के संस्थापन को बढ़ावा दिया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर राज्य की आवश्यकता अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक विशेषज्ञ तथा सामान्य ड्यूटी आईएसएम डॉक्टर का अनुमोदन किया गया है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय पार्सल डाक केन्द्र

2195. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी पार्सल उत्पादों और सेवाओं के प्रबंधन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए 2005 में एक पृथक पार्सल प्रभाग की स्थापना की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप क्या सुधार देखने में आया है;

(ग) पार्सल डाक केन्द्रों और पार्सल प्रभाग के बीच क्या अंतर है;

(घ) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय पार्सल डाक केन्द्रों के विस्तार की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) पार्सल उत्पादों पर ध्यान केंद्रि करने के उद्देश्य से डाक विभाग के व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय के अंतर्गत 17 मार्च, 2005 को एक अलग पार्सल व लॉजिस्टिक्स डिवीजन स्थापित किया गया। तब से पार्सल व लॉजिस्टिक्स डिवीजन विभाग की पार्सल सेवाओं के संदर्भ में परिचालन की दक्षता में सुधार लाने और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने की दिशा में सुनियोजित प्रयास करता रहा है।

(ग) पार्सल व लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डाक विभाग के व्यवसाय विकास व विपणन निदेशालय का एक डिवीजन है और पार्सल तथा लॉजिस्टिक्स उत्पाद व सेवाओं के संदर्भ में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने से संबंधित नीतिगत मामले देखता है।

पार्सल पोस्ट केन्द्र विभिन्न स्थानों पर स्थित डाक विभाग के परिचालन व व्यवसाय कार्यालय हैं और ये यूनिट स्तर पर कार्य करते हैं।

(घ) से (च) अंतर्राष्ट्रीय पार्सल पोस्ट केंद्र स्थापित करने से संबंधित स्कीम 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुंबई विदेश डाक, दिल्ली विदेश डाक और कोच्चि विदेश उप डाकघर में लागू की जा रही है। यह स्कीम अगले वित्त वर्ष तक चालू हो जाएगी। फिलहाल, जब तक कि मौजूदा स्कीम के परिणाम नहीं आ जाते इस स्कीम के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सस्ती बुनियादी/रोमिंग प्रभार

2196. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री राकेश सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय लैंडलाइन कॉल प्रभार और मोबाइल रोमिंग प्रभारों को सस्ता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या मोबाइल फोन कॉलों की पल्स दर में और कमी होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार पल्स दरों में बारम्बार बदलावों की वजह से उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के मद्देनजर कोई मानक/मॉडल पल्स दर निर्धारित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) अधिनियम के अनुसार ग्रामीण उपभोक्ताओं, सेल्यूलर सेवाओं हेतु रोमिंग प्रभारों और लीज्ड सर्किटों को छोड़कर दूरसंचार प्रशुल्कों का निर्धारण ट्राई द्वारा नहीं किया जाता है। बीएसएनएल और एमटीएनएल में स्थानीय लैंडलाइन कॉल प्रभारों और मोबाइल रोमिंग प्रभारों में कमी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ट्राई ने रोमिंग सेवाओं हेतु अधिकतम प्रशुल्क की समीक्षा के लिए परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत की है और परामर्श-पत्र जारी करके विभिन्न स्टेक होल्डरों से टिप्पणियां मांगी हैं।

(घ) और (ङ) ट्राई अधिनियम के अनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं (जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम नामतः बीएसएनएल और एमटीएनएल शामिल हैं) को कतिपय विनियामक सिद्धांतों के अध्यधीन, किसी भी तरह के प्रशुल्कों के सम्मिश्रण की पेशकश करने की छूट दी गई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल में मोबाइल फोन कॉलों की पल्स दरों में कमी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) दिनांक 7.7.04 के 31वें संशोधन के तहत, ट्राई ने अधिदेश दिया है कि उपभोक्ताओं को एक बार पेश किया गया कोई भी प्रशुल्क, नामांकन किए जाने की तारीख से कम से कम छह महीने की

अवधि के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। छह महीने की इस अवधि के दौरान, सेवा प्रदाताओं को पल्स दर सहित प्रशुल्क की किसी मद में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जाती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) दिनांक 21.3.06 का 43वां संशोधन भी जारी किया है जिसमें यह अधिदेश दिया गया था कि आजीवन या असीमित वैधता योजनाओं के मामले में वैधता की सम्पूर्ण अवधि के दौरान अभिगम प्रदाता द्वारा प्रशुल्क योजना की प्रशुल्क मद में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा इसमें अग्रिम भुगतान भी शामिल है। सभी सेवा प्रदाताओं जिनमें बीएसएनएल और एमटीएनएल भी शामिल हैं, को ट्राई के अनुदेशों का पालन करना होता है।

स्वास्थ्य परिवान प्रणाली

2197. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास स्वास्थ्य परिदान प्रणाली को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंजाम दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जन स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी प्रणाली को पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने और समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार ने देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करके स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में वास्तुशिल्पीय शुद्धियां की हैं जिसमें कमजोर स्वास्थ्य संकेतकों और स्वास्थ्य अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण जनसंख्या और जनसंख्या के कमजोर वर्गों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के जरिए घरेलू स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को बढ़ावा देना।
- कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में समुदाय को शामिल करना;
- पंचायती राज संस्थाओं को जन स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाने, नियंत्रित करने और उनके प्रबंधन संचालन में प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमता में वृद्धि करना;
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर शीर्ष स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों का एकीकरण।
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पोषण सफाई और पेयजल के साथ कन्वर्जेंस
- जन स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहायता।
- गैर-सरकारी स्टेकहोल्डरों के साथ भागीदारी को बढ़ावा देना।

यह मिशन 2005-2012 के लिए 7 वर्षों की अवधि के लिए है।

राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए धनराशि

2198. श्री वाहूयाभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने 2010 में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों की तैयारी के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) देश का भ्रमण करने वाले विदेशी नागरिकों के ठहरने के लिए अवसंरचना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापक पर्यटन क्षमता वाले संघ शासित प्रदेश दमन और दीव की अवसंरचना के लिए आबंटित धनराशि में से धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) इन खेलों के आयोजन के लिए भारत सरकार के माध्यम से वित्त पोषण के लिए व्यय वित्त समिति अब तक, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आयोजन समिति को (767 करोड़ रुपये ± 15%), खेल गांव और खेल स्थल अवस्थापना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को 325.00 करोड़ रुपये ± 20%) तथा स्टेडियम के उन्नयन और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को (1000.00 करोड़ रुपये ± 10%) के प्रस्तावों की सिफारिश की है जिनके आधार पर संबंधित एजेंसियों को चरणबद्ध तरीके से धन जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा नई दिल्ली नगर पालिका को शहरी अवस्थापना के उन्नयन तथा सौंपी गई खेल अवस्थापना से संबंधित कार्य के लिए योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के

770.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है। उपर्युक्त प्रस्ताव इन खेलों के लिए अपेक्षित अवस्थापना आदि के सभी मुख्य तत्वों को कवर करते हैं।

(ख) जहां तक पर्यटकों/विदेशी आंगतुकों का संबंध है, होटलों तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट आवास के माध्यम से पर्याप्त आवास बनाने तथा, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों और एजेंसियों के साथ समन्वय और फालोअप के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु पर्यटन मंत्रालय में एक टास्क फोर्स गठित की गई हैं। इस प्रायोजन के लिए अलग से कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है; ऐसे आवास प्राइवेट एजेंसियों द्वारा विकसित किये जायेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि ये खेल दिल्ली में होने हैं अतः इन खेलों के लिए अपेक्षित अवस्थापना का सृजन/उन्नयन दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों तक सीमित रहेगा।

दूरसंचार क्षेत्र संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2199. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा के बाद कोई प्रस्ताव मिला है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से स्वीकृत/लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) 49 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, हां। 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 स्वीकार कर लिए गए हैं।

(घ) सरकार ने 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आर.टी.आई. अधिनियम के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाना

2200. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचालन के प्रथम वर्ष पूरा करने पर इसके प्रचालन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार के कार्यकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

[हिन्दी]

पब्लिक स्कूलों को अनुदान

2201. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली के संस्कृति स्कूल को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संस्कृति स्कूल को अनुदान देने के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन पब्लिक स्कूलों को अनुदान दिए गए तथा प्रत्येक स्कूल को कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ङ) उक्त अनुदान किस योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं;

(च) क्या रियायती दरों पर भूमि लेने के बावजूद उक्त स्कूल आर्थिक रूप से पिछड़े 25 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा देने की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो उक्त स्कूलों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी न करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्कृति स्कूल, दिल्ली को दिया गया सहायता-अनुदान निम्नलिखित के अनुसार है:–

रुपये (लाख में)

1.	वित्त मंत्रालय	300
2.	रक्षा मंत्रालय	500
3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	500
4.	रेलवे	20
5.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	600
6.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1.5
	योग	1921.5

(ग) इस स्कूल की स्थापना अन्य स्थानों से दिल्ली में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है।

(घ) और (ङ) स्कूलों को सहायता अनुदान देना मुख्य रूप से राज्य सरकार का कार्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों/छात्रों के लाभ के लिए राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को कतिपय केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान देता है।

(च) उच्च न्यायालय तथा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के निर्देश के अनुसार संस्कृति स्कूल में 20% स्थान आरक्षित हैं तथा ये आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए उपलब्ध होते हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल विकास निधि

2202. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) का संघटन क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार से इसे प्राप्त अनुदानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन अन्य स्रोतों का ब्यौरा क्या है, जिनसे इसके द्वारा निधियां जुटाई गईं;

(ग) क्या एन.एस.डी.एफ. को दिए गए अंशदान पर आयकर के भुगतान से छूट मिलती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तिथि तक ऐसे खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें इस निधि से धनराशि संस्वीकृत की गई है तथा उन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं जिन्हें 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रशिक्षण-व-प्रतिस्पर्धा हेतु अग्रिम धनराशि संस्वीकृत की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) का विचार वर्ष 1998 में आया था जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः खेलों का तथा विशेष रूप से खेल विधाओं तथा खिलाड़ियों का संवर्धन करना था। निधि का प्रबंधन तथा संचालन एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होते हैं, सचिव, अतिरिक्त/संयुक्त सचिव (खेल), वित्तीय सलाहकार (युवा कार्य एवं खेल) और महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण पदेन सदस्य होते हैं और मंत्रालय का एक अधिकारी इस परिषद का सदस्य-सचिव होता है जिसका स्तर भारत सरकार के उप सचिव से कम नहीं हो। इनके अलावा, परिषद में आठ प्रसिद्ध खिलाड़ी तथा ज्यादा से ज्यादा नौ प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जो निगमित क्षेत्र, निजी संस्थानों और गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों। निधि के दिन-प्रतिदिन के कार्य को एक कार्यकारी समिति देखती है जिसमें अध्यक्ष सचिव होते हैं, अतिरिक्त/संयुक्त सचिव (खेल), वित्तीय सलाहकार (युवा कार्य एवं खेल) और महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण पदेन सदस्य होते हैं, परिषद के सदस्य-सचिव

समिति के सदस्य-सचिव होते हैं तथा परिषद के पांच नामांकित सदस्य इसके सदस्य होते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार से निधि के लिए प्राप्त हुए अनुदानों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान
2003-04	19.46 लाख रुपये
2004-05	19.84 लाख रुपये
2005-06	28.79 लाख रुपये

(ख) अन्य स्रोतों का ब्यौरा जिसके जरिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियां जुटाई गयी हैं:-

वर्ष	स्रोत का नाम जिसके जरिए निधियां जुटाई गयी हैं	धनराशि
2003-04	पंजाब नेशनल बैंक	5,00,000.00 रुपये
	एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	5,00,000.00 रुपये
	बैंक ऑफ इंडिया	50,000.00 रुपये
	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपरेशन लिमिटेड	1,00,000.00 रुपये
	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	20,000.00 रुपये
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	25,000.00 रुपये
	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	25,000.00 रुपये
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,00,000.00 रुपये
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,00,000.00 रुपये
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,25,000.00 रुपये
	श्री के.पी. राणा	300.00 रुपये
	श्री के.पी. कन्हैया	250.00 रुपये
	श्री एस.के. गुप्ता	500.00 रुपये
2004-05	पॉवर ग्रिड कॉर्प. ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,00,000.00 रुपये
	विडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1,20,000.00 रुपये
	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	20,000.00 रुपये
	ऑरिऐंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,00,000.00 रुपये
	पुजोलॉन मशीनरी फैब्रिकेटर्स	4,00,000.00 रुपये
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के जरिए एकत्रित की गयी निधि	4,72,219.00 रुपये
2005-06	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	25,00,000.00 रुपये
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के लिए एकत्रित गयी निधि	3,78,353.00 रुपये

(ग) और (घ) एन.एस.डी.एफ. में अंशदान पर आयकर भुगतान से 100% छूट है।

(ङ) वे खिलाड़ी जिनको आज की तारीख तक एन.एस.डी.एफ. में से निधियां स्वीकृत की गयी हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर निधियों से सहायता प्रदान की जाती है और यह सतत प्रक्रिया है। 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में अभी तक निधि में से कोई विशिष्ट सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

विवरण

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) में से प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा।

खिलाड़ी का नाम जिसे एन.एस.डी.एफ में से सहायता प्रदान की गयी है	प्रयोजन जिसके लिए सहायता प्रदान की गयी है	धनराशि
1	2	3
2001-2002		
1. श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	10,00,000 रुपये

1		2	3
2002-2003			
2.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रक्षिण	5,00,000 रुपये
3.	श्री अनिल कुमार एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	5,00,000 रुपये
4.	सुश्री बॉबी एलोसियस, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	7,50,000 रुपये
2003-2004			
5.	सुश्री अन्जु बॉबी जॉर्ज, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	14,91,505 रुपये
6.	ले.क. राज्यवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	78,23,496 रुपये
7.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,90,000 रुपये
8.	सुश्री बॉबी एलोसियस, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	18,67,531 रुपये
9.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	8,37,794 रुपये
2004-2005			
10.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	13,28,108 रुपये
11.	श्री मानवजीत सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	7,99,390 रुपये
12.	श्री अनवर सुल्तान, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,17,573 रुपये
13.	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,90,549 रुपये
14.	सुश्री सुमा शिरुर, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	2,73,213 रुपये
15.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	13,42,506 रुपये
16.	सुश्री बॉबी एलोसियस, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	7,94,071 रुपये
17.	ले.क. राज्यवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,89,932 रुपये
2005-2006			
18.	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,92,422 रुपये
19.	ले.क. राज्यवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	32,94,077 रुपये
20.	श्री अनवर सुल्तान, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,27,301 रुपये
21.	श्री मानवजीत सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,28,032 रुपये
22.	सुश्री अन्जु बॉबी जॉर्ज, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	71,154 रुपये
23.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,00,662 रुपये
24.	श्री मुराद अली खान	विदेश में प्रशिक्षण	9,00,000 रुपये

1		2	3
2006-2007			
25.	श्री मानवजीत सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	17,95,403 रुपये
26.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,78,406 रुपये
27.	श्री रंजन सोढ़ी, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	8,22,835 रुपये
28.	श्री अनवर सुल्तन, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,78,406 रुपये
29.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	37,02,661 रुपये
30.	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज	विदेश में प्रशिक्षण	7,59,463 रुपये

भारत-अमरीका परमाणु संधि में नया खण्ड

2203. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **विदेश मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-अमरीका परमाणु संधि में सीनेट द्वारा लाया गया नया खण्ड भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विधेयक की धारा 115 में नया खण्ड परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच संयुक्त अनुसंधान की सिफारिश करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या नए खण्ड से अमरीकी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रच्छन्न रूप से कथित प्रवेश की सुगमता हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो आगामी समझौता सम्मेलन के दौरान इस चिन्ता पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय उर्जा सहयोग कर सकने में सक्षम हो सकने के लिए अमरीकी सीनेट द्वारा 16 नवंबर, 2006 को वेवर बिल में एक संशोधन पारित किया गया है जिसमें साझे अप्रसार लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए एक को-आपरेटिव थ्रेट रिडक्शन (सीटीआर) का कार्यक्रम बनाने की परिकल्पना की गई है। ऐसे कार्यक्रम बनाने पर दोनों सरकारों के बीच पूर्व में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है। ऐसे कार्यक्रम बनाने में, अपनी प्रकृति के कारण, भारत सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी जिस पर कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को पूर्णतः ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। वस्तुतः रक्षा विनियोजन विभाग अधिनियम, 2002 विभाग के अन्तर्गत भारत के साथ सीटीआर कार्यक्रम स्थापित करने के लिए पूर्व में एक कानून बनाया गया था जिसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने विधायन के वर्तमान रूप के संबंध में अमरीकी पक्ष को अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है। हमारा विचार यह है कि अन्तिम विधायन को यथासंभव जितना निकट हो सके 18 जुलाई, 2005 के भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य तथा मार्च, 2006 के पृथक्करण योजना में निहित समझ का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

...(व्यवधान)

अपराह्न $12.0^1/_4$ बजे

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री टी.आर. बालू।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदम, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.–5185/2006]

(ख) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.–5186/2006]

(ग) (एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.–5187/2006]

(दो) (एक) महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.–5188/2006]

(तीन)(एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.–5189/2006]

(चार) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.–5190/2006]

(पांच)(एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तन के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.–5191/2006]

(छह) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलोर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलोर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5192/2006]

(सात) (एक) न्यू मूर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) न्यू मूर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5193/2006]

(आठ) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5194/2006]

(नौ) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5195/2006]

(दस) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, पनम्बुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, पनम्बुर के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5192/2006]

(ख) (एक) मूर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मूर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5193/2006]

(ग) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5191/2006]

(घ) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5190/2006]

(ङ) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी.-5196/2006]

(च) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी.-5195/2006]

...व्यवधान

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): मैं पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2006 जो 27 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 674(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी.-5197/2006]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं श्री सुरेश पचौरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 524(अ) जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 28 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 650(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी.-5198/2006]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी.-5199/2006]

...व्यवधान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं:-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (7वां संशोधन) नियम, 2006 जो 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (8वां संशोधन) नियम, 2006 जो 13 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी.-5200/2006]

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (5वां संशोधन) नियम, 2006 जो 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5201/2006]

(3) (एक) इन्स्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी.-5202/2006]

...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी.-5203/2006]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) का.आ. 1243(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1244(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1309(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(तीन) का.आ. 1245(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1226 (अ) जो 31 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1224 (अ) जो 31 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर-लक्ष्मणनाथ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1180 (अ) और का.आ. 1184(अ) जो 26 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 (इन्दौर-कालाघाट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1209 (अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 1210 (अ) जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट तथा पठानकोट-जम्मू खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1337 (अ) जो 22 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 (गुलाबपुरा से स्टेशन नगर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1504 (अ) से का.आ. 1510(अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुरा-जयपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1539 (अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79

(चितौड़गढ़-भीलवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1561(अ) जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-मंगलवाड़ खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1696 (अ) जो 4 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 और 11क (विस्तार) पर दौसा बाईपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1708 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 10 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1034 (अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है (केवल हिन्दी संस्करण में)।

(पन्द्रह) का.आ. 1757 (अ) जो 12 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 (आगरा-भरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1815 (अ) जो 23 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के मिसिंग लिंक के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1191 (अ) जो 27 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1009 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठारह) का.आ. 1773 (अ) जो 17 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (पुणे-सतारा खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1474 (अ) जो 12 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 (पिंपलगांव-धुले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1784 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 (नागपुर-धुले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1693 (अ) जो 4 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिंपलगांव-धुले और वडापे-गोंडे खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1388 (अ) जो 22 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1308 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ. 1339 (अ) जो 22 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 579 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 1367 (अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या काआ. 1167 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 1816 (अ) जो 25 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (तलसरी-मनोर खण्ड और सूरत-मनोर टालवे प्रोजेक्ट) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1845 (अ) जो 27 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1597 (अ) जो 25 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1166 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठाईस) का.आ. 1392 (अ) जो 1 सितम्बर, 2006 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1565 (अ) जो 19 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1595 (अ) जो 25 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31क (सेवोक-गंगटोक खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1703 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, बाईपास आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उतर दिनाजपुर जिले के अपर मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) को प्राधिकृत किया गया है।

(बत्तीस) का.आ. 1723 (अ) जो 13 अक्टूबर 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1723 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1429 (अ) जो 5 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (मुम्बई-पुणे खण्ड) के प्रयोक्ताओं के लिए उसमें उल्लिखित दर के अनुसार फीस लेने और उसे बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 1576 (अ) जो 20 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-50 पर संगमनेर कस्बे के बाहर बाईपास मार्ग के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 1342 (अ) जो 23 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 1289 (अ) और का.आ. 1290 (अ) जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1309 (अ) और का.आ. 1310 (अ) जो 17 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1372 (अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23, 200 और 203 (चंडीखोले-डुबरी-तालचेर और भुवनेश्वर-पुरी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(चालीस) का.आ. 1714 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विशाखपत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(इकतालीस) का.आ. 1733 (अ) जो 9 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क (चंडीखोल-पारादीप खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1741 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(तेतालीस) का.आ. 1851 (अ) जो 27 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चवालीस) का.आ. 1792 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 (अम्बाला-जिरकपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1523 (अ) और का.आ. 1524 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के चार लेन वाले विभिन्न भागों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(छयालीस) का.आ. 1552 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्तओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 1725 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस दरों के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1526 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (सिकन्दरा-बारा वाया अकबरपुर-भौंटि खण्ड) के चार लेन वाले वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1527 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (सुनाखाला-खड़गपुर) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(पचास) का.आ. 1528 (अ) जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 (दान्तन-खड़गपुर) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 1294 (अ) और का.आ. 1295 (अ) जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का.आ. 1296 (अ) जो 11 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7

(होसुर-कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) 'का.आ. 1354 (अ) जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) अनुरक्षण', प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 1356 (अ) जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (कृष्णागिरी-थोपुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 1360 (अ) जो 25 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 1364 (अ) से का.आ. 1366 (अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का.आ. 1370 (अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का.आ. 1371 (अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 1473 (अ) जो 12 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 को चौड़ा करने (चार लेन वाला बनाने तथा जंक्शन सुधार/बाधारहित सुविधाएं उपलब्ध कराने), उनके अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रायोजन लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 1538 (अ) जो 15 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 1542 (अ) जो 15 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै तथा मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 1543 (अ) तथा का.आ. 1544 जो 15 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 1546 (अ) जो 15 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौसठ) का.आ. 1547 (अ) जो 15 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके

द्वारा 24 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना का.आ. 587 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(पैंसठ) का.आ. 1549 (अ) जो 15 सितंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 882 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(छियासठ) का.आ. 1550 (अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 1710 (अ) तथा का.आ. 1711 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 (कृष्णागिरी-टोप्पर घाट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 1755 (अ) जो 12 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनहत्तर) का.आ. 1780 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 1781 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 1782 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर माधवरम जंक्शन के नजदीक चेन्नई बाईपास (फेस-दो) के लिए ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 1783 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (फेज-दो) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का.आ. 1785 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1765 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 1819 (अ) जो 26 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(पचहत्तर) का.आ. 1959 (अ) जो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (सीतापुर-लखनऊ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का.आ. 1960 (अ) ज़ो 14 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, सोलन, हिमाचल प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(सतहत्तर) का.आ. 1963 (अ) जो 15 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1593 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का.आ. 1379 (अ) जो 30 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 864 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनासी) का.आ. 1707 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1040 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(अस्सी) का.आ. 1730 (अ) जो 9 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वाडापी-गोण्डे खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का.आ. 1738 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का.आ. 1739 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का.आ. 1748 (अ) जो 11 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का.आ. 1751 (अ) जो 11 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का.आ. 1760 (अ) और का.आ. 1761(अ) जो 13 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का.आ. 1786 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1763 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतासी) का.आ. 1788 (अ) से का.आ. 1790 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5204/2006]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 29 जून, 2005 से 28 जून, 2006 की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 29 जून, 2005 से 28 जून, 2006 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल.टी.–5205/2006]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.-5206/2006]

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ मैथेमैटिकल साइंस, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ मैथेमैटिकल साइंस, चैन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5207/2006]

(2) (एक) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5208/2006]

(3) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5209/2006]

(4) (एक) एटामिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटामिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5210/2006]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट आफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5211/2006]

(6) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी.-5212/2006]

(7) (एक) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.-5213/2006]

(8) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.-5214/2006]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.-5215/2006]

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, कलपाक्कम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, कलपाक्कम का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.-5216/2006]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1990 (अ) जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(दो) का.आ. 1991 (अ) जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्राधिकारियों को सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समनुदेशित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.-5217/2006]

(2) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध), अधिनियम, 2005 की 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली सलाहकार समितियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य निमय, 2006 जो 17 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 715 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.-5218/2006]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

[महासचिव]

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 5 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 नवम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

....(व्यवधान)

अपराह्न 12.01¼ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

पंद्रहवां तथा सोलहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें और सोलहवें प्रतिवेदनों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2006-2007)" के बारे में बारहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2006-2007)" के बारे में तेरहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01¾ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): मैं "वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की सिफारिशों की मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 18 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं 'भारतीय रेल में संरक्षा और सुरक्षा' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के संबंध में 19वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवी लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के इकत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 5 दिसम्बर, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 5 दिसम्बर, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 5वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

(एक) आर.एस. पुरा, हीरानगर और जम्मू जिलों के उन किसानों, जिनकी भूमि रक्षा प्राधिकरणों द्वारा अधिगृहित की गई थी, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, हीरानगर और जम्मू जिले के अधिकांश ग्रामवासियों को अपनी जीविका अर्जन में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर और आसपास रहने वाले किसान अपनी कृषि भूमि पर काम नहीं कर पा रहे है क्योंकि फसल उगाने के लिए उन्हें नियंत्रण रेखा पार करनी पड़ती है और जिसके लिए सुरक्षा जांच करानी पड़ती है तथा इस जांच में काफी समय लग जाता है।

महोदय, यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि सेना की ओर से सीमा पर 'जीरो लाइन' के आधार पर बाड़ नहीं लगाई गई है और इसके परिणामस्वरूप किसानों की भूमि 'जीरो लाइन' से बाहर है जबकि वे पूर्णत: इसी भूमि पर निर्भर है। वे इस भूमि को न तो छोड़ सकते है और न ही उनके पास आय का कोई अन्य साधन है। रक्षा प्राधिकरण द्वारा 'डाइटैक' कैनाल, माउंट्स और ट्रैक्स'' के लिए अधिकृत भूमि हेतु किसानों को मुआवजा भी दिया गया है, पुरानी बाड़ और नाका को हटाए जाने की भी अत्यधिक आवश्यकता है जो किसी भी तरह उपयोग में नहीं है।

मैं सरकार से विशेषरूप से रक्षा प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे तथा पहाड़पुर से मारवा मदूद तक 44 कि.मी. के अधिकृत क्षेत्र तथा मारा मदून से आर.एस. पुरा हीरा नगर और जम्मू तक 33 कि.मी. के अधिकृत क्षेत्र के किसानों को मुआवजा देने के लिए तत्काल कदम उठाये जाए और 'जीरो लाइन' पर भी तत्काल बाड़ लगायी जाये।

(दो) ट्रेन संख्या 9105/9106 अहमदाबाद-दिल्ली-हरिद्वार मेल का नाम परिवर्तित कर झूलेलाल जयंती मेल किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों/ मतों द्वारा पूजे जाने वाले देवी-देवताओं तथा मंदिरों के नाम पर अनेक ट्रेनों का नामकरण किया गया है। जैसे कि ट्रेन न. 2317/2318 को 'अकाल तख्त एक्सप्रैस' ट्रेन न. 4311/4312 को अल हजरत एक्सप्रैस, ट्रेन नं. 2903/2904 को गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस तथा हाल ही में एक ट्रेन का नाम गरीब-नवाज रथ रखा गया है।

सिंधियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी कुर्बानी दी है। इस समुदाय ने अपने अस्तित्व, भाषा तथा साहित्य को बचाए रखने के लिए काफी संघर्ष किया है। वे भगवान झूले लाल उनके इष्ट देव हैं, भगवान झूले लाल के अन्य दिवस-चेनी चांद को राजस्थान एवं गुजरात जैसे राज्यों में अवकाश घोषित किया गया है। भगवान झूलेलाल का सबसे बड़ा मंदिर जयपुर में बनाया गया है जहाँ देश एवं विदेशों से हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। इस समुदाय की यह माँग रही है कि मेल ट्रेन न. 9105/9106 अहमदाबाद-दिल्ली-हरिद्वार को झूले लाल जयंती मेल का नाम दिया जाए। इस संबंध में भारतीय सिंधी परिषद् ने अनेक आवेदन दिए हैं।

माननीय रेल मंत्री जी से सिंधी समुदाय की भावनाओं को सम्मान देने का अनुरोध किया गया है।

(तीन) एड्स रोगियों के साथ भेदभाव को रोकने तथा इस जानलेवा रोग को फैलने से रोकने हेतु एक प्रभावी विधान लाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : सोमवार को प्रकाशित एक ऑनलाइन अध्ययन के अनुसार अगले 25 वर्षों में एड्स ह्दय रोग एवं स्ट्रोक के साथ मिलकर विश्वभर में मौत के मुख्य तीन कारणों में से एक बन जाएगा।

जब एक दशक पूर्व, वैश्विक मृत्यु अनुमानों का परिकलन किया गया था, अनुसंधानकर्त्ताओं ने माना था कि एड्स के मामले कम हो जायेगें जबकि यह बढ़ते जा रहे हैं।

वर्तमान में ह्दय रोग, स्ट्रोक तथा श्वास संक्रमण के बाद चौथे नम्बर पर आने वाली एड्स बीमारी, विज्ञान मेडिकल जरनल की पब्लिक लाईब्रेरी में एकत्रित एक नई रिपोर्ट के अनुसार नम्बर तीन पर आ रही है। इससे प्रतिवर्ष 20.8 लाख मौतें होती हैं। परन्तु अनुसंधानकर्ताओं के अनुमान के अनुसार अगले 25 वर्षों में लगभग कुल 120 मिलियन लोगों की मृत्यु एड्स से होगी।

समग्र रूप से अनुसंधानकर्त्ता ने यह भविष्यवाणी की है कि तीन दशकों में गरीब देशों में एड्स की व्यापकता से मृत्युदर एक समान होगी। अधिकांश लोगों की बुढापे में असंचारी रोग जैसे स्ट्रोक तथा कैंसर से मृत्यु होगी।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए

[एन.एस.वी. चिन्तन]

एक आशावादी भविष्य के अनुमान के तहत् यदि नए एच आई वी सक्रमण को दूर किया जाता है तथा जीवन अवधि को बढाने वाली एटीं रिट्रोवायरल में वृद्धि की जाती है, तो 89 मिलियन लोगों की बीमारी से मृत्यु होगी। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे स्पष्ट निष्कर्षों के माध्यम से अब एड्स को नियंत्रित करने में वर्तमान पद्धति में बदलाव आएंगे।

"अब उपचार कार्यक्रमों को सतत् रूप से चलाना अत्यधिक कठिन होता जाएगा जब तक कि हम नए एचआईवी सक्रमणों के स्रोतों को बंद नहीं कर देते हैं।

"एड्स के ये आँकड़े बचाव के मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। मात्र उपचार पर ध्यान देने अथवा राजनैतिक अविवादास्पद बचाव के तरीके कारगर नहीं होंगे।

हमारे देश में एचआईवी एड्स के फैलाव के संबंध में कुछ गलत धारणाएं हैं जिन्हें सभी स्तरों पर सबद्ध करने की आवश्यकता है। तथापि, इस खतरनाक वायरस को दूर करने के लिए जागरूकता तथा बचाव आवश्यक है। लगभग 38% एचआईवी ग्रस्त भारतीय महिलाएँ हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एड्स रोगियों के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने तथा इस खतरनाक बिमारी को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी विधान लाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) किफायती दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): बाजार में विक्रय हो रही दवाएँ आम आदमी के लिए अत्यंत महँगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत के गरीब लोग इस कारण सबसे ज्यादा कष्टग्रस्त हैं। संगठन के अनुमान के अनुसार भारत में 64.5 मिलियन लोग सामान्य रूप से उपयोग की जा रही दवाओं को उनके प्रतिषेधात्मक मूल्य के कारण क्रय नहीं कर पाते हैं। उन्हें कम मूल्य वाली नकली दवाओं का उपभोग करने को विवश होना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिदर्श सर्वेक्षण (55 वाँ) दौर द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार बाह्य रोगी उपचार के कुल व्यय का 66% व्यय दवाओं पर होता है यह सीधे तौर पर व्यक्ति, परिवार तथा समाज की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। विश्व बैंक ने भारत में स्वास्थ्य व्यय को तेजी से बढ़ते हुए ऋण के स्रोत के रूप में चिन्हित किया है। सामान्य उपयोग में आने वाली दवा जैसे अल्बे ना डाजोल का खुदरा मूल्य उसकी उत्पादन लागत से 35 प्रतिशत अधिक है। जबकि उच्चतम न्यायालय ने 350 आवश्यक दवाओं को कम दर पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए है परन्तु इस पर कोई अधिक कार्यवाही नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर विचार करने तथा उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ ताकि भारत के गरीब लोगों को कुछ राहत मिल सके।

(पाँच) तमिलनाडु के वेल्लाकोईल और कंगायम नगरों में यातायात के आवागमन को अवरोध रहित बनाने के उद्देश्य से बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): करूर, कोयबंटूर का वस्त्र शहर है तथा वस्त्र के क्षेत्र में दक्षिण भारत का यह भाग भारत का मेनचेस्टर है। राष्ट्रीय राजमार्ग-67 दोनों शहरों को जोड़ता है। 72 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन का कार्य शुरू हुआ था। वेलाकोली, कंगायम शहर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी में स्थित है। वेलाकोली एक नगर निकाय है। कंगायम एक शहरी पंचायत क्षेत्र है। दोनों इरोड जिले के पुराने शहर हैं। कंगायम बैलों और पशुओं के लिए मशहूर शहर है। कंगायम शहर में 250 नई चावल मिलें हैं तथा छह निर्यात उन्मुखी घी विनिर्माण इकाईयाँ हैं। वहाँ अनेक उद्योग स्थापित हैं जो जिन्डोली तेल का नारियल तेल तैयार करती हैं दोनों शहरों में अनेक पावरलूम तथा हथकरघा वस्त्र निर्माण इकाईयाँ स्थापित हैं। अब अनेक स्पिनिंग एव होजरी वस्त्र निर्माण इकाईयाँ स्थापित हो रही है। पल्लानी, सिवनमलाई, वलंकन्नी नागोर जैसे पवित्र स्थलों का रास्ता कगांयम तथा वेलाकोली से होकर गुजरता है। चार लेन होने के कारण, कगांयम तथा वेलाकोली शहरों के दोनो ओर स्थित इमारतों को तोड़ने का प्रस्ताव है। यदि दोनों ओर की इमारतें तोड़ दी जाती है, इससे भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तथा वेलाकोल तथा कंगायम के लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। अनेक सरकारी कार्यालय, पेट्रोल पम्प, चावल मिलें, सूत कातने की मिले तथा वस्त्र निर्माण ईकाई मार्ग के किनारों पर स्थित है। रा.रा. मार्ग-67 में नागापत्तनम से गुडालाटे (नीलगिरी जिले) के बीच वेलाकोली तथा कंगायम के बीच भारी यातायात रहता है। यदि दोनों शहरों के बीच बाईपास रोड का निर्माण हो जाता है तो इससे क्षेत्र की आम जनता को मदद मिलेगी तथा यातायात भी सुकर बनेगा तथा साथ ही मार्ग के दोनों ओर स्थित भवन भी बच सकेंगे।

इसलिए माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वेलाकोल तथा कंगायम में बाई-पास के निर्माण का आदेश दें।

[हिन्दी]

(छह) हैदराबाद में मेट्रो रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अंजनकुमार यादव (सिकन्दराबाद): महोदय, हैदराबाद की आबादी 60 से 70 लाख के करीब है और लोगों को आने-जाने में कई असुविधा का सामना करना पड़ता है। सडकों पर यातायात बहुत ज्यादा है जिसके कारण दस किलोमीटर के जाने में एक एक घंटा लग जाता है जिसके कारण लोगों का समय बेकार में चला जाता है। शहरों में यातायात को कम करने के लिए मैट्रो रेलवे का सहारा लिया जा रहा है। हैदराबाद में मैट्रो रेलवे की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अगर हैदराबाद में भी मैट्रों रेलवे की सुविधा मिले तो यहां के लोगों को आने-जाने में यात्रा के समय को कम करने में बहुत सुविधा मिलेगी।

सरकार से आग्रह है कि हैदराबाद में मैट्रो रेलवे की सुविधा दियें जाने हेतु केन्द्र स्तर पर कार्यवाही को शीघ्र किया जाये।

(सात) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को साक्षर बनाने हेतु योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश कनोडीया (पाटन): महोदय, यद्यपि देश के शिक्षण बोर्डो और विश्वविद्यालयों के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां कहीं आगे हैं, किंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्कूल न जने वाले बच्चों की संख्या में भी लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक हैं। एक राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 6 से 14 साल तक की आयु वर्ग के 21 करोड़ 68 लाख बच्चों में से एक करोड़ 54 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इन 21 करोड़ 68 लाख बच्चों में से 11 करोड़ 74 लाख लड़के और 9 करोड़ 94 लाख लड़कियां थीं। इनमें से विद्यालय से बाहर होने वाले लड़कों की संख्या 75 लाख 50 हजार थी और लड़कियों की संख्या 78 लाख 69 हजार से 63 लाख 78 हजार लड़के स्कूल नहीं जा रहे और 7 करोड़ 49 लाख लड़कियों में से 68 लाख 53 हजार लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि स्कूल न जाने वाले बच्चों में सबसे अधिक बच्चे अनुसूचित जनजाति के हैं जिनकी संख्या प्रति हजार 119 और अनुसूचित जाति के 89 हैं।

अत: मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि सरकार कोई ऐसी योजना बनाये ताकि अनुसूचित जाति के इन बच्चों को भी स्कूल जाने का अवसर मिल सके।

(आठ) गुजरात के भरूच के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदय, देश में आदिवासी लोग बरसात के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं जिसके कारण पर्याप्त बरसात नहीं होने से आदिवासी लोगों के खेतों में फसल नहीं हो पा रही है एक ओर तो सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर रही है और दूसरी ओर वन एवं पर्यावरण विभाग के नियमों के कारण डैम एवं नहर इत्यादि नहीं बन पा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में सिंचाई के अभाव में गत पांच एवं छ: सालों से आदिवासी लोगों की फसल लगातार चौपट हो रही है।

सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में आदिवासी क्षेत्रों के साथ देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा प्रभावी ढंग से दिलवायी जाये।

(नौ) मध्य प्रदेश के जबलपुर में विमानों के लिए रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, लगभग 16 लाख की आबादी वाला जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। यहां देश के प्रमुख सुरक्षा संस्थान, हाईकोर्ट, मार्बल उद्योग तथा कई प्रमुख केन्द्रीय तथा निजी संस्थान स्थित हैं। साथ ही यह देश में रेडीमेड वस्त्र निर्माण क्षेत्र में अग्रणी है जिनकी लगभग 400 इकाइयां यहां स्थापित हैं। यहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट होने के कारण देश ही नहीं वरन दुनियाभर में लोकप्रिय है।

महोदय, पूरी संभावनाओं के बाद भी यह शहर कई वर्षों से वायुसेवा से वंचित रहा है। वर्तमान में जबलपुर-भोपाल-दिल्ली के लिए निजी एयरलाइंस द्वारा शुरू की गयी सेवा सफलतापूर्वक चल रही है तथा निजी क्षेत्र की दूसरी कंपनियों ने भी अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जबलपुर को जोड़ने में रुचि दिखाई है। जबलपुर एयरपोर्ट में एन.ए.ए.आई के एक कार्यालय सहित समस्त सुविधायें हैं परन्तु आज भी यहां पर नाइटलैंडिग सुविधा नहीं होने से एयरलाइंस कंपनियां नई उड़ानों के लिए इसे उपयुक्त नहीं मानती है। नाइटलैंडिग सुविधा नहीं होने से एयरलाइंस कंपनियां नई उड़ानों के लिए इसे उपयुक्त नहीं मानती हैं। नाइटलैंडिंग सुविधा ब्रिटिश शासनकाल में दूसरे विश्वयुद्ध के समय स्थानीय सेना की यूनिट द्वारा स्वीकृति नहीं देने के कारण निषिद्ध की गयी थी। आज आजादी के 58 वर्षों के पश्चात जबकि स्थानीय आर्मी यूनिट को कोई आपत्ति नहीं है जबलपुर एयरपोर्ट में नाइटलैंडिंग सुविधा प्रदान नहीं

[श्री राकेश सिंह]

होने से क्षेत्र के विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसे में केन्द्र से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण इस भावी औद्योगिक क्षेत्र को हतोत्साहित होना पड़ रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि असीम संभावनाओं वाले जबलपुर में एयरपोर्ट पर नाइटलैंडिंग सुविधा हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(दस) महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, महाराष्ट्र में किसान कर्जे से लदा हुआ है। पिछले तीन वर्षों से विशेष रूप से धान पैदा करने वाले किसानों को भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गडचिरोली इत्यादि जिलों में अकाल से लड़ना पड़ रहा है। कपास खरीदी भी ठीक से नहीं हो रही है। इन सब कारणों से सैंकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं तथा लगातार आत्महत्यायें किसान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को तुरंत सहायता की आवश्यकता है। धान एवं कपास पैदावार करने वाले किसानों के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि:-

1. विदर्भ के धान उगाने वाले किसान एवं कपास उगाने वाले किसान तथा सोयाबीन, ज्वारी आदि उगाने वाले किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करे।
2. नया कर्जा 4 प्रतिशत ब्याज पर 5 लाख रुपये तक दिया जाये।
3. विदर्भ की सिंचाई योजनायें आगामी 5 वर्षों में पूर्ण करें।
4. 18 वर्ष के हर युवक-युवती को रोजगार के अवसर प्रदान करें।
5. हर घर में 10 गायें, उसके प्रबंध पर खर्च का प्रावधान करें।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के सागर में थल सेना के कब्जे में अधिकृत भूमि पर फिर से किसानों को खेती करने का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, सागर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फील्ड फायरिंगक रेंज बम्होरी बीका के अंतर्गत ग्राम बेरखरी गुरू, लहैयापूरा, सुल्तानपुरा, तालचिरी, मझगुवा अहीर, मझगुंवा ग्रंट, बीरकठेली, मेनपानी, पथरियाजाट, बाबूपुरा, सिंरोजा के मजदूरों एवं किसानों के समक्ष गहन रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस क्षेत्र के इन गांवों की कृषि योग्य भूमि सुरक्षा विभाग द्वारा फील्ड फायरिंग रेंज हेतु 1973 में अर्जित की गयी थी। तत्संबंध में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति करने पर उनको आश्वासन दिया गया था कि आप लोग जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन काल से खेती करते चले आ रहे हैं उसी तरह हमारे लिए जमीन देने पर भी कृषि कार्य करते रहेंगे एवं कृषक तभी से उस भूमि पर कृषि करते आ रहे थे किंतु 1992 में एकाएक सेना ने कृषि कार्य एवं सभी निस्तार बंद कर दिए जिससे इस क्षेत्र के मजदूरों के साथ ही किसान भी रोजी-रोटी को मोहताज हो गये तथा वह किसान दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने को विवश हो गये हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जो कृषि योग्य भूमि उसे उन्हीं कृषकों को लीज पर दिलायी जाये तथा लीज की उर्वरक कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए जब रक्षा विभाग को आवश्यकता होगी किसान उसे वापिस करने को तैयार है।

(बारह) पंसकुरा से हल्दिया तक रेल लाईन के दोहरीकरण का कार्य आरंभ करने तथा पश्चिम बंगाल के मेचदा स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : हल्दिया पत्तन तथा इ.आ.का. पत्तन परिष्करणशाला, पेट्रोकेमिकल, हिंदुस्तान लीवर, टाटा केमिकल, मितसुबिशी पीटीए सयंत्र स्थापित होने के कारण हल्दिया एक अग्रणी औद्योगिक हब बन गया है।

हल्दिया पत्तन पर कार्गो की ढुलाई लगभग 46 मिलियन टन है। अधिकांश यातायात की दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा ढुलाई की जाती है, जिससे हल्दिया से आने वाला राजस्व लगभग 60% राजस्व का सृजन करता है।

पूर्व रेल मंत्री द्वारा लाई गई अंतरशहरी एक्सप्रेस रेल को पंसकुरा से हल्दिया के बीच एक रेल लाइन होने के कारण वापिस ले लिया गया है। इस लाईन पर मालगाड़ियाँ भी चलाई जाती हैं। रेल बजट में पंसकुरा से हल्दिया सैक्शन के बीच लाईन को दोहरा करने के संबंध में घोषणा करने पर धन्यवाद।

इस कार्य को रेल विकास निगम लि. को सौंपा गया था। अब यह समझा जाता है कि नान-बैकेबल परियोजना के कारण अनुरोध पर आर वी एन एल दोहरीकरण के कार्य को करना शुरू करने में रुचि नहीं दिखा रहा है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस परियोजना को दक्षिण पूर्वी रेल द्वारा अपने बजटीय निधियों से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मेचादा स्टेशन तमलुक के निकट स्थित है जो कि नए जिले, पूरबा मेदिनीपुरा का मुख्यालय है। पूरबा मेदिनीपुरा की जनसंख्या लगभग 56 लाख है। इस जिले के लोग हावड़ा अथवा खड़गपुरा से एक्सप्रैस रेल पकड़ते हैं जो कि लगभग 130 कि. मी. दूर है। इसके अलावा हल्दिया जो कि एक बड़ा औद्योगिक जिला है मेचादा स्टेशन के बगल में है।

यदि रेल मेचादा स्टेशन का ठहराव होगा तो पूरबा मेदिनीपुरा जिले के लोगों को अत्यधिक लाभ होगा।

मैं माननीय रेल मंत्री से दक्षिण पूर्वी रेल द्वारा रेल लाईन के दोहरीकरण हेतु अनुमोदन देने तथा मेचादा स्टेशन पर एक्सप्रैस रेल ठहराव करने का अनुरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

(तेरह) देश में बाल श्रमिक प्रथा पर रोक लगाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) 60 से 115 मिलियन बच्चों के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे श्रमिक हैं या तो वे पत्थर खादानों में काम कर रहें हैं, या खेतों में 16 घंटे तक काम कर रहे हैं या शहरों में कबाड़ उठाने का काम कर रहे हैं या चोरी-छिपे घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहें है; जहां भी यह बच्चे काम कर रहे हैं इनकी जिन्दगी दयनीय और कठिनाइयों से भरी है जिन्दगी उन्हें कम मजदूरी दी जाती है और उनके साथ दुर्व्यवहार ज्यादा होता है। वे अपनी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते हैं और संभवतः अपने परिवार का पेट भरने में मदद भी करते हैं। वे विद्यालय नहीं जाते है, उनमें से आधे से अधिक बच्चे साक्षर भी नहीं हो पाते हैं। उनमें से बहुत से बच्चे चार पांच वर्ष की उम्र से ही काम कर रहे हैं और जवान होते-होते ये बच्चे निश्चित रूप से गम्भीर रूप से बीमार या विकृत हो जाते हैं, और चालीस वर्ष की उम्र आते-आते वे निश्चित रूप से जर्जर हो जाते हैं और पचास वर्ष के होते-होते इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें से अधिकांश अथवा सभी बच्चे मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, चाहे यह मजबूरी उनके अभिभावकों की ओर से हो या उनकी जाति से जुड़ी अपेक्षाओं से हो या फिर आर्थिक तंगी का कारण हो। तथापि, उनमें से कम से कम 15 मिलियन बच्चे दास के रूप में काम कर रहे हैं और ये देश के बंधुआ मजदूर हैं। यह रिपोर्ट उन्ही के बारे में है। 'बंधुआ बाल श्रमिक' में ऐसे बच्चों का उल्लेख है जो अपना कर्ज चुकाने के लिए दास के रूप में काम कर रहे हैं। जिस कर्ज की वजह से अपने नियोक्ता से बंधे हैं वह कर्ज उनका खुद का लिया हुआ नहीं होता बल्कि यह कर्ज उनके संबंधियों, अभिभावकों या उनके माता-पिता द्वारा लिया हुआ होता है। भारत में यह कर्ज अपेक्षाकृत छोटी राशि, जो औसतन 500 रुपये से 7500 रुपये होती है जो उद्योग और बच्चों की उम्र और दक्षता पर निर्भर करता है।

ऋण दाता सह-नियोजक निर्धन माता-पिता को इसलिए कर्ज देते हैं ताकि उनके बच्चो को काम पर लगाना व सुनिश्चित किया जा सके। जो हमेशा सस्ता होता है लेकिन यह सस्ता श्रम एक बंधक की स्थिति के रूप में होता है। माता-पिता स्वयं कर्ज लेते है। भारत में बंधुआ मजदूरी कर भारत में मजदूर-मालिक के बीच का पारंपरिक सम्बन्ध है। संभवतः बीमार के इलाज के लिए और या बच्चो की शादी में दहेज के लिए या कभी-कभी भोजन के लिए बच्चों के माता-पिता को कर्ज की जरूरत पड़ती है। उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 465/1986 के दिनांक 10 दिसम्बर 1990 के अपने निर्णय में कहा है कि देश के सभी जिलों में खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बच्चों को मुक्त कराया जाए तथा 20,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से अंशदान देकर एक कल्याण कोष की स्थापना की जाए।

मैं केन्द्र सरकार से उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने का अनुरोध करता हूँ।

(चौदह) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज): महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है तथा देश का हृदय भी है और आबादी के हिसाब से भी देश में बड़ा प्रदेश है। यहां आधारभूत सुविधायें नहीं के बराबर हैं। चाहे वह इंडस्ट्री हो या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के संबंध में हो या बिजली के संबंध में हो, सड़क के संबंध में हो या रोजगार शिक्षा, पानी की व्यवस्था का हो। केन्द्र सरकार की प्रायोजित ऐपीडीआरपी में मात्र चार जिले प्रतिवर्ष लिए जाते हैं। अगर यही रफ्तार रही तो उत्तर प्रदेश में यह कार्य 10-15 वर्षों में संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस पर विचार कर सभी जिलों को ऐपीडीआरपी में एक दो वर्षों के अंदर ही लेकर कार्य शुरू करने की अत्यंत आवश्यकता है।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण किए जाने तथा पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, कौशाम्बी ऐतिहासिक, पौराणिकता व अध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। इस जनपद के

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

गर्भ में तमाम ऐतिहासिक धरोहर बिखरी पड़ी हैं। धार्मिकता के दृष्टिकोण से यह जिला बहुत मजबूत है। यहां आज भी महराजा उदयन की राजधानी, अशोक स्तम्भ तथा धोशिता राम के भग्नावशेष उपलब्ध हैं। सरकार ने इस क्षेत्र को कुछ कंटीली तारों से घेरकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। यह क्षेत्र बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कारण-महात्मा बुद्ध ने इस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वास किया था। बुद्ध प्रभु का मंदिर जैनियों के लिए बहुत महत्व रखता है। यहां हर साल देश विदेश के लाखों सैलानी प्रभाष गिरि स्थित जैन मंदिर तथा कौशाम्बी के ऐतिहासिक भग्नावशेषों को देखने आते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र का सर्वे कराकर यहां कि ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के प्रबंध किये जायें ताकि इस क्षेत्र में सैलानियों के लिए होटल, यातायात के साधन और नई सड़कों का निर्माण तथा अन्य मूलभूत सुविधायें प्रदान की जायें।

(सोलह) बिहार के शिवहर में पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : महोदय, यह सर्वविदित है कि देश में बिहार विद्युत के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों से पिछड़ा प्रदेश है। इधर भारत सरकार के सहयोग से बिहार में विद्युत के क्षेत्र में व्यापक कार्यक्रम लिए गए हैं। इसी क्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रीड एवं सब ग्रीड स्टेशनों का निर्माण बरौनी एवं कांटी थर्मल पॉवर स्टेशन, कहलगांव एवं वाद में विद्युत कर विस्तार करना शामिल है।

बिहार प्रदेश का शिवहर जिला मुख्यालय एक पिछड़ा एवं अविकसित जिला है। अभी विद्युत ग्रीड स्टेशन शिवहर से 70 किलोमीटर पर मुजफ्फरपुर 60 किलोमीटर पर मोतिहारी, 4 किलोमीटर पर सीतामढ़ी में ग्रीड स्टेशन है। इस कारण शिवहर जिले में विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है।

मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिला मुख्यालय शिवहर में ग्रीड स्टेशन बनाया जाये।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा कृषि भूमि अर्जन की प्रक्रिया को रोका जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : महोदय, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के किसानों की भूमि को अधिग्रहीत किया जा रहा है तथा कानपुर के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, यूपीएसआईडीसी, द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के किसानों की भूमि को अधिग्रहीत किए जाने की योजना है। वर्तमान में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का बाजारी दर 8 लाख रुपये प्रति बीघा के आसपास है। लेकिन लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं यूपीएसआईडीसी द्वारा अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की दर बहुत ही कम जो कि नाममात्र की है, दिया जाना प्रस्तावित है।

मेरा संसदीय क्षेत्र उन्नाव एक बहुत ही अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र के कृषकों की आय का एकमात्र साधन भी केवल कृषि भूमि ही है। उनकी भूमि अधिग्रहीत किए जाने के पश्चात इन कृषकों की जीविका का सहारा छूट जाएगा। इस प्रकार से लखनऊ और कानपुर के विकास के लिए मेरे पिछड़े हुए संसदीय क्षेत्र उन्नाव के गरीब कृषकों की भूमि को अधिग्रहीत किया जाना उचित नहीं है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे पिछड़े हुए संसदीय क्षेत्र उन्नाव के गरीब कृषकों की भूमि को अधिग्रहीत न किये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश प्रदान करें।

[अनुवाद]

(अठारह) संविधान के अनुच्छेद 371(2) में संशोधन कर महाराष्ट्र में कोंकण के लिए एक पृथक विकास बोर्ड का सृजन किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): कोंकण के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की मांग लगातार की जा रही है। कोंकण विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्र की तरह ही पिछड़ा हुआ है। राज्य विधानसभा ने 13 मार्च, 1989 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 (2) में उपयुक्त संशोधन करके कोंकण के लिए एक प्रथक विकास बोर्ड बनाने का अनुरोध किया गया था।

इसके उत्तर में ग्रह मत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 5.10.2005 के अपने पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को कुछ सुझाव दिए थे।

गृह मत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार राज्य विधानसभा ने 15.12.2005 को सर्वसम्मति से पुन: एक संकल्प पारित किया जिसमें कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड का अनुरोध किया गया।

महोदय, कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाने का महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध अभी भी केन्द्र सरकार के पास अभी भी लम्बित है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले में तत्काल कार्यवाही करे और अनुच्छेद 371(2) में उपयुक्त संशोधन करे।

(उन्नीस) तमिलनाडु के तेनकासी में ई.एस.आई. अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी): मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र, तेनकासी में मुक्कुदल बीड़ी उद्योग का प्रसिद्ध शहर है। सुरन्दल, अलाद्दुलभ जैसे पास के शहरों में भी बहुत सी बीड़ी निर्माण यूनिटें है जिनमें हजारों बीड़ी श्रमिक काम करते हैं। इस स्थान के आस-पास लगभग 10 लाख बीडी श्रमिक हैं। चूंकि इन लोगों को कम मजदूरी मिलती है इसलिए ये लोग विद्यालय जाने वाले अपने बच्चों से अंशकालिक बीड़ी श्रमिक के रूप में काम कराते हैं। चूंकि यह उद्योग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसलिए मुक्कुदल में एक बड़ा अस्पताल है और आस-पास के शहरों में बीड़ी श्रमिकों के लाभार्थ डिस्पेंसरियां हैं। लेकिन यहां ई.एस.आई. अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है और दवाओं की भी कम आपूर्ति होती है। इस तरह अपर्याप्त सुविधाओं के साथ इन अस्पतालों का संचालन एक फिजूल का खर्च है।

इसलिए स्वास्थ्य मंत्री से और श्रम मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इन अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य श्रमिकों जैसे डॉक्टर नर्स और चिकित्सा परिचरों की नियुक्ति करके तथा उपकरण और दवाओं जैसी चिकित्सीय सुविधाओं को सुनिश्चित करके इन अस्पतालों और औषधालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के लिए एक समन्वित पुनर्गठित योजना बनाएं।

(बीस) असम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ): महोदय, हाल ही में असम सूखा से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे 20 लाख से अधिक किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। इन प्रभावित क्षेत्रों में गुवाहाटी, कोकराझार, धुबरी, सोनितपुर, नौगांव, बोंगाईगांव, नलबाड़ी, डिब्रुगढ़, तिनसुकिया आदि जिले सम्मिलित है। इसलिए मैं आप से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और किसानों को प्राकृतिक विपदाओं से मुक्ति दिलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(क) सूखा प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय दल द्वारा तत्काल दौरा किया जाए;

(ख) किसानों को जल की आपूर्ति के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायें;

(ग) किसानों को बीजों की मुफ्त आपूर्ति की जाए;

(घ) पूरे असम राज्य में पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर और बेहतर प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर जल-आपूर्ति, सिंचाई योजनाओं को आधुनिक बनाया जाए;

(ङ) सतही नलकूपों को चालू करने के लिए सरकार द्वारा किसानों का मुफ्त डीजल की आपूर्ति की जाए;

(च) किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता के साथ विशेष केन्द्रीय पैकेज दिया जाए।

मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उपर्युक्त उपायों को तत्काल किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराहन् 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे.

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

(इस समय डा. शफीकुर्रहमान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 19 और 20 पर कृपया एक साथ चर्चा की जाए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री आप अपने दल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल 7 दिसम्बर, 2006, पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 7 दिसम्बर, 2006/16 अग्रहायण 1928 (शक), पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री एन.एन. कृष्णदास	202
2.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री सुनील खां	203
3.	श्री सुनिल कुमार महतो श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	204
4.	श्री मोहन सिंह	205
5.	श्री हितेन बर्मन	206
6.	सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड श्री सी.के. चन्द्रप्पन	207
7.	श्री गिरिधारी यादव श्री हरिसिंह चावड़ा	208
8.	श्रीमती जयाप्रदा श्री मनोरंजन भक्त	209
9.	श्री कीरेन रिजीजू	210
10.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	211
11.	श्री ब्रजेश पाठक	212
12.	श्री गणेश सिंह श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	213
13.	श्री बापू हरी चौरे श्री सुबोध मोहिते	214
14.	श्री बाबासाहिब विखे पाटील श्री थावरचन्द गेहलोत	215
15.	प्रो. एम. रामदास	216
16.	श्री सुब्रत बोस	217
17.	श्री पंकज चौधरी श्री किन्जरपु येरननायडु	218
18.	श्री के. सी. सिंह 'बाबा'	219
19.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	220
20.	डा. टोकचोम मैन्या	221

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2158
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2055
3.	आदित्यनाथ, योगी	2049,, 2114
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2107, 2141, 2199, 2203
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2155, 2183, 2194
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2063, 2182
7.	अर्गल, श्री अशोक	2022, 2174
8.	आठवले, श्री रामदास	2030, 2108, 2138, 2147, 2151
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2067
10.	बर्मन, श्री हितेन	2111
11.	बर्मन, श्री रनेन	2019, 2083, 2097
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2158
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	2110, 2120
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2061, 2132, 2191
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2046, 2112
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2031, 2105
17.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2089
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2036
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2160
20.	चौरे. श्री बापू हरी	2109
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2104
22.	चिन्ता मोहन, डा.	2086
23.	चित्तन, श्री एन. एस. वी.	2169
24.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	2034
25.	चौधरी, श्री पंकज	2123
26.	चौधरी, श्री अधीर	2066, 2156

1	2	3
27.	धोत्रे, श्री संजय	2109
28.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2027
29.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2084
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2110, 2146
31.	गंगवार, श्री संतोष	2040, 2122, 2142
32.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2109
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2122, 2201
34.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	2069
35.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2051
36.	गुढ़े, श्री अनंत	2071, 2178
37.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	2060
38.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2172
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	2048
40.	जय प्रकाश, श्री	2172
41.	झा, श्री रघुनाथ	2024, 2176
42.	जिन्दल, श्री नवीन	2057
43.	जोशी, श्री प्रहलाद	2110
44.	कलमाडी, श्री सुरेश	2162
45.	कनोडीया, श्री महेश	2045
46.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2072
47.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2050, 2115, 2189
48.	खां, श्री सुनील	2139
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2021, 2100, 2133, 2143, 2153
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2029, 2175
51.	कोया, डा. पी. मी.	2091, 2187
52.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2178
53.	कृष्ण, श्री विजय	2094
54.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2167
55.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2069
56.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	2161
57.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2095
58.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2026, 2061, 2103, 2134
59.	माझी, श्री परसुराम	2080
60.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2173
61.	माने, श्रीमती निवेदिता	2110, 2146
62.	मसूद, श्री रशीद	2048
63.	मेघवाल, श्री कैलाश	2018
64.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2089
65.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2059
66.	मिश्रा, डा. राजेश	2128, 2158
67.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2017
68.	मो. ताहिर, श्री	2054, 2180
69.	मोहिते, श्री सुबोध	2098
70.	मूर्ति, श्री ए. के.	2154
71.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	2041
72.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2040, 2201
73.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2077
74.	नायक, श्री अनन्त	2038
75.	निखिल कुमार, श्री	2066
76.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2146
77.	पल्लानी शामी, श्री के. सी.	2032, 2087
78.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2042, 2119
79.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2025
80.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2085

1	2	3
81.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभाई	2090, 2130, 2198
82.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2033, 2118, 2137, 2146, 2202
83.	पटैरिया, श्रीमती नीता	2081, 2127, 2192, 2193
84.	पाठक, श्री ब्रजेश	2113, 2136, 2145, 2149
85.	पाठक, श्री हरिन	2058, 2179
86.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2054, 2068, 2164, 2177
87.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2056
88.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2074
89.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2073, 2124, 2148, 2152
90.	राजगोपाल, श्री एल.	2028, 2126, 2190
91.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2035, 2106, 2188
92.	रामदास, प्रो. एम.	2116
93.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2076, 2125, 2195
94.	राणा, श्री गुरजीत सिंह	2016
95.	राणा, श्री काशीराम	2044, 2064
96.	राव, श्री के. एस.	2170
97.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2159
98.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2020, 2121
99.	रावले, श्री मोहन	2070
100.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2099, 2196
101.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2039
102.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2089
103.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2044
104.	सज्जन कुमार, श्री	2158

1	2	3
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2168
106.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2157, 2181
107.	सरोज, श्री तूफानी	2075
108.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2047
109.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2135, 2144, 2200
110.	शर्मा, डा. अरविन्द	2092, 2131
111.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2052, 2093, 2141
112.	शिवन्ना, श्री एम.	2062, 2089, 2110
113.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2043, 2054
114.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2015, 2096
115.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2053, 2117, 2201
116.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2166
117.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2023
118.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2110, 2146
119.	सिंह, श्री मोहन	2110
120.	सिंह, श्री राकेश	2082, 2128, 2140, 2196
121.	सिंह, श्री रेवती रमन	2171
122.	सिंह, श्री सुग्रीव	2037, 2118, 2137, 2150, 2186
123.	सिंह, श्री उदय	2163
124.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2045
125.	सुब्बारायण, श्री के.	2165
126.	सुगावनम, श्री ई. जी.	2087, 2129, 2143, 2197
127.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2065, 2119
128.	सुमन, श्री रामजीलाल	2086, 2161
129.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2084, 2088

1	2	3
130.	ठक्कर श्रीमती जयाबहन बी.	2058, 2078
131.	थामस, श्री पी. सी.	2079, 2184
132.	तुम्मर, श्री वी. के.	2074, 2117
133.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2122, 2167, 2185
134.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2014, 2101, 2141
135.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2052, 2093, 2203
136.	यादव, श्री बालेश्वर	2084
137.	यादव, श्री गिरिधारी	2102
138.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2054, 2068, 2177
139.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2135

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	204, 214, 216, 218, 220
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	208, 212, 215
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	206, 211, 219
प्रवासी भारतीय कार्य	:	209
पंचायती राज	:	210
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	203, 207
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	202, 205, 213
अंतरिक्ष	:	221
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2014, 2056
कोयला	:	2027, 2032, 2038, 2046, 2050, 2059, 2066, 2100, 2116, 2143, 2168, 2189
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2017, 2030, 2031, 2039, 2048, 2053, 2080, 2081, 2098, 2101, 2102, 2104, 2105, 2109, 2118, 2123, 2128, 2129, 2136, 2137, 2139, 2140, 2142, 2144, 2145, 2147, 2150, 2160, 2165, 2171, 2177, 2181, 2195, 2196, 2299
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	2025, 2033, 2041, 2043, 2061, 2063, 2064, 2070, 2072, 2073, 2077, 2085, 2086, 2113, 2120, 2121, 2122, 2126, 2132, 2135, 2151, 2203
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2015, 2020, 2022, 2023, 2024, 2034, 2036, 2037, 2054, 2060, 2062, 2067, 2068, 2069, 2071, 2078, 2079, 2089, 2093, 2094, 2099, 2103, 2119, 2124, 2127, 2130, 2141, 2155, 2156, 2163, 2169, 2175, 2180, 2183, 2185, 2188, 2190, 2192, 2193, 2194, 2197

प्रवासी भारतीय कार्य	:	2016, 2082, 2087, 2108
पंचायती राज	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2040, 2045, 2074, 2084, 2110, 2158, 2161, 2162, 2176, 2200, 2201
योजना	:	2018, 2026, 2044, 2088, 2125, 2138, 2167, 2191
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2019, 2021, 2029, 2035, 2047, 2049, 2052, 2055, 2057, 2058, 2065, 2075, 2076, 2083, 2090, 2091, 2092, 2095, 2096, 2097, 2106, 2107, 2112, 2114, 2115, 2133, 2134, 2146, 2148, 2152, 2154, 2159, 2164, 2166, 2170, 2172, 2173, 2174, 2178, 2182, 2184, 2187
अंतरिक्ष	:	2028
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2042, 2117, 2131, 2149
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2051, 2111, 2153, 2157, 2179, 2186, 2198, 2202.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/24/11/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट द्वारा मुद्रित।